



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड



Annual Report
वार्षिक रिपोर्ट

2013-2014



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

we make the vision into reality...





डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

Annual Report | **2013-2014**
वार्षिक रिपोर्ट

Regd. Office & Corp. Office:

5th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building Complex, New Delhi - 110001



GENERAL INFORMATION

REGISTERED OFFICE / CORPORATE OFFICE

5th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building Complex,
New Delhi-110001

STATUTORY AUDITOR

Baweja & Kaul, Chartered Accountants
306, Corporate Towers
85A, Zamrudpur, Greater Kailash-1,
New Delhi - 110048

INTERNAL AUDITOR

A. R. & CO., Chartered Accountant
Address: C-1, 2nd Floor, RDC,
Raj Nagar, Ghaziabad-20100

BANKERS

Union Bank of India
State Bank of India
HDFC Bank
ICICI Bank

LIST OF DIRECTORS (As on 19.09.2014)

S. No.	Name of Director	Designation	Date of holding Office w.e.f.
1.	Sh. Arunendra Kumar	Part Time Chairman (Official)	05.07.2013
2.	Sh. Anshuman Sharma	Director (Project Planning) Addl. Charge of Dir/Infra Addl. Charge MD	05.04.2011 11.03.2014 28.07.2014
3.	Sh. H.D. Gujrati	Director (Operations & Business Development)	29.11.2012
4.	Sh. M.K. Mittal	Director (Finance)	16.09.2013
5.	Sh. Girish Pillai	Part time Director (Official)	14.11.2012
6.	Sh. Gajendra Haldea	Part time Director (Official)	02.05.2008
7.	Sh. R.S. Sharma	Part time Director (Non-Official)	25.04.2012

CONTENTS

S. No.	Topics	Page No.
1.	Chairman's Message	5 - 6
2.	Notice & Proxy Form	7 - 9
3.	Director's Report	10 - 31
4.	Corporate Governance Report (Annexure-A)	32 - 45
5.	Certificate (Annexure-B)	46
6.	Management Discussion and Analysis Report (Annexure-C)	47 - 58
7.	The Comments of the Auditors and Management's Reply (Annexure-D)	59 - 61
8.	Comments of the Comptroller & Auditor General of India (Annexure-E)	62
9.	Declaration by Managing Director (Annexure-F)	63
10.	Financial Statements	65 - 92
11.	Auditor's Report	93 - 99

CHAIRMAN'S MESSAGE

It gives me immense pleasure to welcome all of you to the Eighth Annual General Meeting of DFCCIL. The Directors' report and audited Financials Statements of the Company for the year ended 31st March 2014 together with the Auditor's Report have already been circulated to you.

My association with the Organization is now more than a year and I feel privileged to be a part of such iconic project. I take the pride to present before you the progress of the project for the period under review.

1. The total capital expenditure incurred in FY 2013-2014 was ₹3590 Crores. The cumulative capital expenditure incurred since inception of the project is ₹10351 Crores.
2. DFC requires 10667 hectares of land spread over 3338 Kms for both corridors. Progress of land acquisition upto 31.03.2014 is approximately 96%. A total award for 9603 hectares of land with compensation amounting to ₹6110 Crore has been issued.
3. The Company is marching steadily ahead towards the achievement of its goals and has made following notable progress during the year under review;
 - A. Physical work of Earthwork & Bridges between New Karwandiya to Durgawati stations has been completed except small stretches where land is not available due to court cases etc. The track linking is completed for 30 Kms and rest is under progress.
 - B. Out of the construction of 54 bridges between Vaitarna and Utaran of WDFC, the work of construction of 26 main bridges has been completed.
 - C. A contract for Design and Construction of Important Bridge across river Sone on EDFC was awarded in November' 2013 and work of Sinking of Wells in progress.
 - D. A contract for Design and Construction of Rail Flyover and other infrastructural works in different stretches between Dehri-on-Sone & Mughalsarai of EDFC in the states of Bihar and Uttar Pradesh was awarded and the work is in progress.
 - E. The Concession Agreement, defining relationship between MoR and DFCCIL, was signed on 28/2/2014.
 - F. The Loan Agreement covering Tranche-1 of Phase II of WDFC for 136.119 billion ¥ was signed during the year with JICA.
 - G. World Bank has sanctioned a loan of 1100 million USD for EDFC-2 which covers the funding of Bhaupur- Mughalsarai section. The process of sanctioning of loan for EDFC-3 covering Khurja –Ludhiana section has been initiated by the World Bank during fiscal year 2014-2015.

- H. During the year 2013-14, 122 candidates joined DFCCIL through open market recruitment. In addition, 51 posts were filled from amongst serving Government/PSU employees through immediate absorption. All the 173 candidates were provided the prescribed initial/induction training.
- I. DFCCIL's Integrated IT system/ERP was inaugurated on October 28, 2013. A state of the Art Data center has been connected with all the 14 CPM locations by using either VPN or MPLS (Multi-Protocol Label Switching) based WAN (Wide Area Network).
- J. Various training programmes were organized for capacity building and enhancing the skills of officials.
- K. An amount of Rs.18 Lakh allotted for CSR activities during the year 2013-14 was spent by providing trainings and computer literacy to PAPs in all the four selected Project Implementation Units (PIUs).

I would also like to inform you that as per the guidelines issued by Department of Public Enterprises (DPE) on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises (CPSE) in May 2010. "A Report on Corporate Governance" and "Management Discussion and Analysis Report", forms the part of the Annual Report for the year ended 31st March 2014. The Company is committed towards ensuring that business ethics and values are adhered to.

Acknowledgments

I thankfully acknowledge the cooperation and support extended by various Directorates of the Ministry of Railways, Zonal Railways, other Ministries under the Government of India, the State Governments and its Departments and sincere efforts put in by all Officers and staff of the Company.

Further, I would like to express my sincere thanks to the stakeholders of the Company for their support. I sincerely express my gratitude to my colleagues on the "Board" for their valuable advice and their unstinted support and cooperation.

I must place on record my sincere thanks to our lending agencies, Bankers and Business Associates for their cooperation and support to DFCCIL. I am sure that with our dedicated efforts, it would be possible to achieve the mission of the Company by pursuing the Company's motto of **Sincerity, Speed and Success**, through a focused approach.

Date : 19.09.2014
Place : New Delhi

Sd-
Arunendra Kumar
Chairman

NOTICE

NOTICE is hereby given that 8th Annual General Meeting of the Members of Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited will be held on **Friday, 19th day of September 2014** at **16:00 Hrs.** in Committee Room, 2nd Floor, Rail Bhawan, Raisina Road, New Delhi-110001 to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the audited Financial Statements, Audited Balance Sheet as at 31st March 2014, Statement of Profit & Loss Account for the year ended 31.03.2014 along with the notes to the Financial Statements together with the Directors' and Auditors' Report and comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
2. To take note of the appointment of the Statutory Auditor of the Company appointed by the Comptroller and Auditor General of India for the year 2014-15 by adopting the following resolution.

“Resolved that Members be and hereby took note of appointment of M/s Baweja & Kaul, Chartered Accountants as Statutory Auditor of the Company for the financial year 2014-2015 by the Comptroller and Auditor General of India, on a remuneration as may be decided, by the Board of Directors on the recommendation of the Audit Committee.”

SPECIAL BUSINESS

3. To consider and if thought fit, to pass with or without modification, the following resolution as Special Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 180 (1)(c) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act 2013 read with the relevant Articles of Association of the Company, the consent of the Company be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Company (hereinafter called “the Board” and which term shall be deemed to include any Committee, which the Board may have constituted or hereinafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this resolution and with the power to delegate such authority to any person or persons) for borrowing from time to time, as it may think fit, any sum or sums of money not exceeding Rupees Sixty Thousand Crores in aggregate or equivalent thereto in any currency (including the monies already borrowed by the Company) on such terms and conditions as the Board may deem fit, notwithstanding that the monies to be borrowed, together with the monies already borrowed by the Company, exceed the aggregate, for the time being, of the paid up capital of the Company and its free reserves, that is to say, reserves not set apart for any specific purpose.

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds and things and to sign all such documents as may be necessary, expedient and incidental thereto to give effect to this resolution.”

Place: New Delhi
Date: 04.09.2014

By Order of the Board

Sd/-
Meenu Kapoor
Company Secretary

Note:

1. The relative Explanatory Statement pursuant to section 102 of the Companies Act, 2013 (Act) in respect of the business under Item Nos. 3 of the Notice, is annexed hereto.
2. A Member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting (AGM) is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself and the proxy need not be a Member of the Company. The instrument appointing the proxy, in order to be effective, must be deposited at the Company's Registered Office, duly completed and signed, not less than FORTY-EIGHT HOURS before the meeting.
3. The Notice of the AGM along with the Annual Report 2013-14 is being sent by electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company, unless any Member has requested for a physical copy of the same. For Members who have not registered their e-mail addresses, physical copies are being sent by the permitted mode.

EXPLANATORY STATEMENT IN RESPECT OF THE SPECIAL BUSINESS PURSUANT TO SECTION 102 OF THE COMPANIES ACT, 2013

ITEM NO. 3

1. In terms of section 179(3) of Companies Act, 2013, the Board of Directors of a company shall exercise the power to borrow monies on behalf of the company by means of resolutions passed at meetings of the Board.

2. **In terms of** - Section **180** (1) (c) of Companies Act, 2013, - The Board of Directors of a company shall exercise the following powers only with the consent of the company **by a special resolution**,

(c) to borrow money, where the money to be borrowed, together with the money already borrowed by the company will exceed aggregate of its paid-up share capital and free reserves, apart from temporary loans obtained from the company's bankers in the ordinary course of business:

Provided that the acceptance by a banking company, in the ordinary course of its business, of deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by cheque, draft, order or otherwise, shall not be deemed to be a borrowing of monies by the banking company within the meaning of this clause.

Explanation.—For the purposes of this clause, the expression “temporary loans” means loans repayable on demand or within six months from the date of the loan such as short-term, cash credit arrangements, the discounting of bills and the issue of other short-term loans of a seasonal character, but does not include loans raised for the purpose of financial expenditure of a capital nature.

-Section 180 (2) of Companies Act, 2013, Every special resolution passed by the company in general meeting in relation to the exercise of the powers referred to in clause (c) of sub-section (1) shall specify the total amount up to which monies may be borrowed by the Board of Directors.

In terms of corresponding section of Companies Act, 1956, the Company had already obtained the consent of the members by means of an **Ordinary resolution** passed at the 4th Annual General Meeting of the Members of the Company held on 29.09.2010.

3. The World Bank Loan for EDFC-2 and EDFC-3 will be availed directly by DFCCIL instead of back to back loan by Government of India/Ministry of Railways like EDFC-1.
4. In terms of section 180 of the Companies Act, 2013, the power to borrow money is to be exercised by means of a **special resolution**. The Members approval is solicited on item no 3 above, None of the Directors including MD, Independent and Nominee /KMP are interested in the proposed resolution.

PROXY FORM

I.....of.....
resident/s of.....being the member of
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited, hereby appoint
Mr/Ms.....of.....
.....or failing him/her.....ofas my/our
proxy to attend and vote for me on my behalf at 8th Annual General Meeting of the Company to be held
on **Friday, 19th day of September 2014** at **16:00 Hrs.** in Committee Room, 2nd Floor, Rail Bhawan,
Raisina Road, New Delhi-110001 and/or at any adjournment thereof.

Signed this.....day of2014, Signature.....

Ledger Folio..... No of Shares held

Name :

Address :

Re. 1/- Revenue
Stamp

NOTE:

The Proxy in order to be effective must be received by the Company at the registered office, not less than 48 hours before the time of the meeting. The proxy need not be a member of the Company.

DIRECTORS' REPORT

Ladies /Gentlemen,

Your Directors have pleasure in presenting the Eighth Annual Report of the Company along with the Annual Accounts for the year ended 31st March 2014.

1) SUMMARY OF ANNUAL ACCOUNTS 2013-14

Financial Statements for financial year 2013-2014 are prepared in accordance with the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006 and Schedule VI to the Companies Act, 1956 in terms of General Circular dated 04.04.2014. The Corporation has incurred the following expenditure during the year 2013-2014:

A) Expenditure on Project Execution

As on 31st March, 2014, the Cumulative expenditure on Project Execution is ₹4169.21 Crores which includes Fixed Assets ₹9.39 Crores, Capital Work in progress ₹1561.32 Crores, Assets under Development ₹7.63 Crores and Capital advances ₹2590.87 Crores. The gross expenditure during the year 2013-14 on project execution is ₹1852.00 Crores which includes tangible assets ₹2.26 Crores, assets under development ₹4.94 Crores, Capital Advances ₹1283.59 Crores and Capital Work in Progress ₹561.21 Crores.

During the year the balance of Development Account ₹121.94 Crores has been transferred to Capital work in progress.

2) SOURCES OF FUND

A. Capital Structure

As on 31st March 2014, the Authorized Share Capital of Company stands at ₹8000,00,00,000 (Rupees Eight Thousand Crores) divided into 8,00,00,000 (Eight Crores) Equity shares of ₹ 1,000/- each.

As on 31.03.2014, the Company's paid up Share Capital was ₹2707,74,00,000 (Rupees Twenty Seven Zero Seven Crores Seventy Four Lacs only) divided into 270,77,400 (Two Crores seventy lacs seventy seven thousand four hundred only) Equity Shares of ₹1000 each and Share Application Money was ₹1007.93 Crores. The Paid up Capital of the Company has been enhanced on account of equity contribution from Ministry of Railways.

B. Funding

(i) Phase I (Vadodara – Rewari) 920 km & Phase II (Vadodara – JNPT and Rewari - Dadri) 564 km (JICA) – Consultancy

The Loan Agreement ID-P205 for Engineering Services Consultancy (Phase I) for Two Billion Six hundred six million Japanese Yen for Vadodara – Rewari section of 920 km was signed with JICA and fund to the tune of ₹114.14 Crore have been utilized up to 31.03.2014. Another loan Agreement ID-P212 for Engineering Services Consultancy (Phase II) (Vadodara - JNPT and Rewari – Dadri) – 564 km for One billion six hundred sixteen million Japanese Yen was signed with JICA and ₹50.06 Crores have been utilized in this loan up to 31.03.2014.

ii) Phase I (Vadodara – Rewari) 920 km (JICA)-Construction

The Loan Agreement ID-P209, first trench for construction in the Phase I for Ninety Billion two hundred sixty two million Japanese Yen signed with JICA and ₹579.73 Crores have been utilized in this loan up to 31.03.2014.

iii) The Loan Agreement for WDFC Phase-II (Main Loan).

The Loan Agreement ID-P229 has been signed during the year for One thirty six Billion One hundred nineteen million Japanese Yen with JICA and with this funding arrangement for entire WDFC has been tied up. No expenditure is incurred upto 31.03.2014 against this loan.

iv) Funding for Mughalsarai-Kanpur-Khurja-Ludhiana section (1131 Kms) and Khurja-Dadri Section of Eastern Dedicated Freight Corridor.

- World Bank “in principle” has already agreed to finance Eastern Dedicated Freight Corridor from Mughalsarai – Ludhiana. Total Loan for the project agreed was US\$ 2.725 billion Out of which, US\$ 975 million loan for Phase I Project of Eastern DFC from Khurja–Bhaupur (343km) vide Loan No. 8066 IN has been signed and ₹242.14 Crores have been utilized in this loan up to 31.03.2014.
- For Bhaupur – Mughalsarai (EDFC-2 World Bank has already approved Loan for US\$ 1100 million, Loan agreement is under process of signing. Technical negotiation for Eastern Dedicated Freight Corridor II project was held on 01.10.2013 which was upgraded to negotiation and project appraisal document issued on 01.03.2014. Loan No. 8318 –IN for US\$ 1100 Million was sanctioned for EDFC Project – 2 from Bhaupur – Mughalsarai.
- Advance Procurement for EDFC -3 Project was agreed by World Bank during February 2014 and General Procurement Notice (GPN), Pre-qualification document for Civil Works Contract Package 301 & 302 (Pilkhani – Sahnewal, Khurja – Dadri Section) were issued. Project Appraisal and negotiation will be taken up after triggers for EDFC -3 Project are met.

3) PROGRESS OF THE PROJECT

A. Land Acquisition and Social Safeguards Measures

DFC alignment is passing through 9 states and 61 districts in the Country. On Eastern Corridor, DFC alignment from Dankuni to Ludhiana passes through the states of West Bengal, Bihar, Jharkand, Uttar Pradesh, Haryana, Punjab. The Western Corridor will traverse the distance from Dadri in Uttar Pradesh, via Haryana, Rajasthan, Gujarat to JNPT in Maharashtra.

DFC requires 10667 hectares of land spread over 3338 Kms for both corridors. On the Eastern DFC, it is spread over a length 1301 Kms spread over an area of about 3805 hectares (excluding Sonnagar-Dankuni which is spread in a route of 538 Kms covering and an area of 1002 hectares) and on Western DFC, it is spread over a length of 1499 Kms, and an area of about 5860 hectares. Being notified as a Special Railway Project, land acquisition for the project is governed by the Railways (Amendment) Act, 2008 (RAA 2008).

Progress of land acquisition upto 31.03.2014 is approximately 96% (excluding Sonnagar-Dankuni section) and above 90% on overall basis. A total award for 9603 hectares of land (WDFC: 5600 ha out of 5860 ha and EDFC: 4003 ha out of 4807 ha) with compensation amounting to ₹6110C (WDFC: ₹3675 Cr., EDFC: ₹2435 Cr.) has been issued.

Notifications under section 20A and 20E of RAA 2008 have been completed for the entire EDFC except in Sonnagar-Dankuni section, the land acquisition of which started late, but 20A for 788 hectare has been issued out of 1002 hectare. However, the notification u/s 20A of RAA-2008 has been completed for the entire WDFC.

As per section 20-O of the Railway (Amendment) Act, the National Rehabilitation and Resettlement Policy, 2007 is to be adopted. The Ministry of Railways has issued Entitlement Matrix which covers category wise various entitlements to be given to Project Affected Areas (PAPs) based on the relevant provisions of NRRP-2007. The compensation package offered by DFCCIL is one of the best in the Country which includes, e.g. additional assistance to take special care of weaker sections like SC/ST/Vulnerable groups. Disbursement of ₹156 Crores against resettlement and rehabilitation has also been completed during the year.

Due care has been taken to avoid or minimize land acquisition and involuntary resettlement impacts by exploring all viable alternatives and to ensure adequate rehabilitation package and expeditious implementation of rehabilitation process. DFC has a well formulated Resettlement Policy Framework (RPF) to take appropriate resettlement and rehabilitation measures for persons/household adversely affected due to implementation of DFC project. Social Impact Assessment studies have been conducted for EDFC & WDFC to meet the World Bank & JICA safeguard policy. During the year 2013-14, Resettlement Action Plan (RAP) and Environmental Assessment (EA) Report including Environmental Management Plan (EMP) of Mughalsarai-Bhaupur (APL-2) of EDFC were finalized & approved. The same have since been cleared by the World Bank. Wide publicity of the same was made by uploading the same on DFCC's website as well as distribution to the Project offices of the section. Hindi version of Executive Summary of EA report & EMP of APL-2 have also been uploaded on DFCCIL website & widely circulated in the project area.

Three NGOs were appointed in EDFC-2 for implementation of RAP, preparation of Micro Plan and resolution of various grievances of PAPs. During the year, a Social & Environment Monitoring and Review Consultant (SESMRC) for APL-1 was appointed for monitoring of implementation of RAP & EMP. All environmental clearances for EDFC have already been obtained. Work in APL-1 section of Bhaupur-Khurja has been started and implementation of RAP & EMP is being ensured during construction. EMP implementation is monitored through PMC, DFCCIL field office and SESMRC. Tree cutting to clear ROW, obtaining statutory clearances for opening Borrow Pits & Quarry are in progress at work sites as per requirement.

Needs and concerns of the Project Affected Persons (PAPs) are addressed by emphasizing their participation and by extending necessary support to them in the R&R process. The Grievance Redressal Mechanism provides for addressing legitimate concerns / problems of affected individuals and groups who may consider themselves deprived of resettlement or rehabilitation benefits as available under the Resettlement Policy Framework designed for the implementation of DFC project. For grievance redressal, an Ombudsman has been appointed. Grievance Redressal Committee (GRC) has been constituted for both Khurja - Bhaupur & Bhaupur-Mughalsarai sections at Project level and district level. The Committee constituted at project level is posted at DFCCIL website. Besides Arbitrators have also been appointed in each district to look into the grievances pertaining to compensation of land.

B. Major Contracts

1. Progress of Ongoing Contracts

During the period under review, the company has the following major contracts under progress:

WESTERN CORRIDOR

(A) Works Contracts: Equity Funded

A work of Design and Construction of Important and Major Bridges (54) of Western Freight Corridor between Vaitarna and Uttran (approx.200Kms) on Vasai-Baruch section in the states of Maharashtra and Gujarat, India has been awarded on lump sum contract basis. (Contract Agreement No.HQ/EN/WC/Bridges/D&B/1/Soma, dated 17-03-2009).

- The work of construction of 54 Bridges spread between Vaitarna to Uttran in a stretch of 200 Km. awarded to M/s Soma Enterprise Pvt. Ltd. at a total cost of Rs. 605.15 Crore is in progress. The scope of work involves design and construction of 54 Major and important bridges. Out of 54 bridges, 8 bridges are important. Among these important bridges 02 bridges fall in Maharashtra and 06 bridges fall in Gujarat. Among 46 remaining major bridges, 18 major bridges fall in Maharashtra and 28 major bridges fall in Gujarat. Out of 54 bridges, 29 bridges on Pile foundation and 25 bridges on Open foundation.
- The work of construction of main bridge has already been completed at 26 no. of bridges. Present progress of work is 57.17%. The work is schedule to be completed by 15.06.2015 with the revised cost Rs. 667.81 Crore.



(B) Consultancy Contracts: Equity Funded

The contract Agreement (Contract Agreement No.HQ/EN/WC/Bridges/PMC/1/Span, Dated (12-06-2009) for Project Management Consultancy for Design and Construction of Important and Major Bridges (54) of Western Freight Corridor between Vaitrana and Utran (approx.200Kms.) on Vasai-Baruch section in the states of Maharashtra and Gujarat was executed on 12-06-2009. The Currency of the Contract has been extended upto December,2014 and the work is in continuation.

(C) Consultancy Contract: JICA Funded

1. A consultancy contract for Engineering Services Consultancy (ESC) for the work of construction of WDFC Phase-1 i.e. from Rewari to Vadodara was awarded to a consortium led by Nippon Koei, Japan at a total cost of JPY 179.56 crores +INR 39.61 crores. The scope of work includes providing consultancy services for planning, engineering design and procurement for WDFC Phase-1
 - The work commenced on 13.06.2010 and is expected to be completed in the year 2014-15.
2. A consultancy contract for Engineering Services Consultancy (ESC) for the work of construction of WDFC Phase-2 i.e. Vadodara-JNPT and Rewari-Dadri was awarded to a consortium led by Nippon Koei, Japan at a total cost of JPY 107.00 crores + INR 30.27 crores. The scope of work includes providing consultancy services for planning, engineering design and procurement for WDFC Phase-2.
 - The work has commenced on 30.12.2011 and is in progress.
3. Project Management Consultancy (PMC) for WDFC phase-1 (Rewari-Vadodara)
 - The process of consultancy contract for Project Management Consultancy (PMC) for WDFC Phase-1 (Rewari-Vadodara) was initiated during the year 2012-13 when Expression of Interest (EOI) was called from interested consultants. Consequent upon successful completion of EOI process, Request for Proposal (RFP) was issued to shortlisted consultants on 08.04.2013.
 - Proposals were received on 28.06.2013. Evaluation of proposals was completed during the year 2013-14 and the PMC contract was awarded to a consortium led by Nippon Koei, Japan at a total cost of JPY 274.47 crores + INR 388.42 crores in February 2014.
 - The scope of work involves supporting DFCCIL in implementation of 922 km long WDFC Phase-1 through stages of design, construction, testing and commissioning. The role of PMC will be that of Engineer in Design-Build Lump Sum contracts of WDFC Phase-1.
 - Contract was executed in March 2014 and work commenced in April 2014.
4. Project Management Consultancy (PMC) for WDFC Phase-2 (JNPT-Vadodara and Rewari- Dadri)
 - The process of consultancy contract for Project Management Consultancy (PMC) for WDFC phase-2 (Rewari-Dadri and Vadodara – JNPT) was initiated during the year 2013-14. Expression of Interest (EOI) was called from interested consultants and shortlisting of consultants was finalized during 2013-14.
 - Request for Proposals (RFP) has been issued to shortlisted consultants and the tender is expected to be finalized during 2014-15.

- The scope of work involves supporting DFCCIL in implementation of 555 km long WDFC Phase-2 through stages of design, construction, testing and commissioning. The role of PMC will be that of Engineer in Design-Build Lump Sum contracts of WDFC Phase-2.

**(D) Works tenders: JICA Funded
WDFC Phase-I (Rewari – Vadodara)**

1. Combined Package CTP -1 & 2 (Rewari – Iqbalgarh)

- Tender for this 625 km. long package was awarded and contract executed in August 2013 at a value of approx. Rs. 6700/- crore.
- The work has since commenced and is in progress.

2. Spl Bridge Package-3A (Steel Bridges across Rivers- Mahi & Sabarmati)

- Tenders have been invited for Special Bridge Package CT P-3A involving two important bridges in Iqbalgarh-Vadodara section in the state of Gujarat. The scope of work includes design and construction of 585 m long bridge over river Mahi and 536 m long bridge over river Sabarmati.
- The approximate cost of work is about Rs 300 cores and the construction period will be about three years.
- The ongoing bid process had to be cancelled and fresh prequalification (PQ) was initiated.
- The fresh PQ process was successfully completed during the year and Bids were invited from prequalified Bidders.
- Bids were received on 07.03.2014 and financial evaluation of bids has been carried out and is awaiting NOC from JICA.

3. Contract Package –CTP-3(Iqbalgarh-Vadodara)

- Tenders have been invited for design and construction of Civil, Building and Track works for 297 km long double line railway in Iqbalgarh-Vadodara section in the state of Gujarat. The scope of work includes design and construction of formation in embankments/cuttings, bridges (excluding bridges over rivers Mahi and Sabarmati), structures, buildings, ballast and track work including testing and commissioning on Design-Build Lump Sum price basis.
- 140 km of the alignment is parallel to the existing Indian Railways track in Iqbalgarh-Pansar section and 157 km of the alignment between Pansar and Vadodara takes detour from the existing Indian Railways track.
- The approximate cost of the work is about Rs 5000 crores and the construction period will be four years
- Bids were received on 15.11.2013 and are under evaluation.

WDFC Phase-II (JNPT-Vadodara & Rewari – Dadri)

1. Contract Package-CTP-12 & 13 (Vaitarana - Sachin & Sachin - Vadodara)

- Tenders have been invited for design and construction of Civil, Building and Track works for double line railway in Vaitarana-Sachin (CP-12) and Sachin-Vadodara (CP P-13) sections in the states of Maharashtra and Gujarat. The length of the section is 186 km for CT P-12 and 134 km for CTP-13. The scope of work includes design and construction of formation in embankments/cuttings, bridges (excluding bridges covered in special bridge contract packages), structures, buildings, ballast and track work including testing and commissioning on Design-Build Lump Sum Price basis.
- In CTP-12, the proposed DFC alignment is basically located along the existing Indian Railways Vaitarana-Sachin section with only about 12 km planned on detour. In CTP-13, on the other hand, a major portion of the proposed DFC alignment i.e. 87 km is on detour and the balance 47 km is located along the Sachin-Vadodara section of Indian Railways.
- The construction period for these two packages will be four years.
- Common prequalification was undertaken for these two packages CTP-12 and CTP-13 during the year 2012-13. PQ Applications were received on 06.03.2013 and the PQ Process was completed during the year 2013-14.
- On conclusion of PQ process, Bid documents have been issued to the prequalified bidders and tender to be finalized during 2014-15.

2. Spl Bridge package -15A, 15B & 15C

- Tenders have been invited for Special Bridge Packages CTP-15A, CT P-15B and CTP-15C involving total 12 major/important bridges and RFOs in JNPT-Vadodara and Rewari-Dadri section. The scope of work includes design and construction of 8 major bridges of total length 2109 m in CT P-15A, one important bridge of length 1396 m over river Narmada in CT P-15B and 3 major bridges/Rail Fly-Over (RFO) of length 776 m in CT P-15C.
- The construction period for the three packages CT P-15A, CT P-15B and CT P-15C will be 182, 156 and 130 weeks respectively.
- Common prequalification (PQ) was undertaken for these three packages CT P-15A, CT P-15B and CT P-15C during the year 2012-13. The PQ Applications were received on 26.02.2013 and the PQ Process was completed during the year 2013-14.
- On conclusion of PQ process, Bid documents have been issued to the prequalification bidders and tender is expected to be finalized during 2014-15.

3. Contract package -CTP-11(JNPT – Vaitarana)

- Tenders have been invited for design and construction of Civil, Building and Track works for 102 km long double line railway in JNPT-Vaitarana section in the state of Maharashtra. The scope of work includes design and construction of formation in embankments/cuttings, bridges (excluding bridges

covered in special bridge contract packages), structures, buildings, ballast and track work including testing and commissioning on Design-Build Lump Sum Price basis.

- The stretch for Package 11 (JNPT-Vaitarana) is basically located along JNPT – Panvel – Diva – Vasai Road of Central Railway and Vasai Road – Vaitarana Section of IR Western Railway. Detours have been planned at Kundevahal (1.5 km), at Dativali(4.04km) and at Vasai (916.8km). About 78% of the proposed DFC alignment between JNPT and Vaitarana is passing parallel to the existing IR Central and Western Railways and the remaining 22% of the alignment is passing through detours.
- The construction period for this package will be four years.
- The prequalification (PQ) Process for this package was initiated during the year in 2013-14 but had to be cancelled. Fresh PQ Process has been initiated and is expected to be completed in the year 2014-15.

4. Integrated Contract Package-CTP-14(Rewari- Dadri)

- Tenders have been invited for 128 km long double line railway in Integrated Contract Package of Civil, Building and Track works, Electrical and Mechanical Works and Signal and Telecom Works (CT P-14) between Rewari and Dadri in the states of Haryana and Uttar Pradesh. The scope of work includes design and construction of formation in embankments/cuttings, bridges (excluding bridges covered in special bridge contract packages), structures, buildings, ballast, track work, traction power supply system and signal & telecom works including testing and commissioning on Design-Build Lump Sum Price basis.
- The proposed DFC alignment between Rewari and Dadri is away from the existing IR network and taking detour for all the main line length of 128km.
- The construction period for this package will be four years.
- The prequalification (PQ) Process for the integrated package (Civil & Track, Electrical & S&T) has been initiated and is expected to be finalized during 2014-15.

EASTERN CORRIDOR

(A) Works Contracts (Equity Funded) :

1. Design and Construction of formation including Blanketing, Major Bridges, Minor Bridges, RUBs, ROBs, supply and spreading of Ballast and other related infrastructural works for Dedicated Freight Corridor from chainage 14.108 Km (near new Karwandiya) to chainage 119.437 Km. (Near New Ganjkhawaja) (Approximate 105 Kms) on Mughalsarai - Sonnagar section of Eastern Corridor in the states of Bihar and Uttar Pradesh.
 - Physical work of Earthwork & Bridges between New Karwandiya to Durgawati stations has been completed except small stretches where land is not available due to court cases etc.
 - Earthwork and Bridge work in Durgawati to Ganjkhawaja section is under progress.

2. Design, procurement, Construction of Track and track related works and its testing & commissioning for double track electrified railway line on a Design Build Lump Sum Basis from New Karwandiya (Rly. Km. 564) to Durgawati (Rly. Km. 630) approx. 66 KMs on Mughalsarai-Sonnagar Section of Eastern Dedicated Freight Corridor.
 - Contract for mechanized laying of track for 66 Kms. awarded.
 - 1,20,00 PSC concrete sleepers have been brought to site.
 - 4 rakes of rails arrived at site.
 - 6000 nos. Rail welds completed.
 - 30 Km track linking completed and further track linking under progress.
3. Design and Construction of Important Bridge across river Sone (approximate length 3.06 Kms), its approaches (on both sides) and other miscellaneous works for double track electrified railway line on Design Build Lump Sum Basis between Sonnagar (Rly.Km.549) and Dehri-on-Sone (Rly.Km.554) Railway Stations on Mughalsarai-Sonnagar Section of Eastern Dedicated Freight Corridor.
 - Contract awarded in November' 2013.
 - Design for substructure and super structure finalized.
 - Work of Sinking of Wells in progress.
4. Design and Construction of Rail Flyover near Ganjkhwaja, Formation in Embankments/Cuttings including blanketing, Bridges (Major, Minor & RUBs), Supply and Spreading of Ballast and other related infrastructural works for double track electrified railway line on Design Build Lump Sum Basis in different stretches between Dehri-on-Sone & Mughalsarai of Eastern Dedicated Freight Corridor in the states of Bihar and Uttar Pradesh in India.
 - Contract awarded.
 - Geotechnical Investigation & Survey work completed.
 - Earthwork for formation under progress.



Track linking: Mughalsarai - Sonnagar



Track linking: Mughalsarai - Sonnagar



Sone Bridge – Sinking of Wells



OHE mast erection- Mughalsarai-Sonnagar

(B) Consultancy Contracts (Equity Funded):

1. Project Management Consultancy Services to facilitate Construction of formation including blanketing, Major Bridges, Minor Bridges, RUBs, ROBs, Supply and Spreading of Ballast and other related infrastructural works for Dedicated Freight Corridor from Chainage 14.108 Km (Near New Karwandiya) to Chainage 119.437 Km (Near New Ganj Khawaja) (Approx.105 Kms.) on Mughalsarai-Sonnagar Section of Eastern Corridor in the states of Bihar and Uttar Pradesh in India.
 - PMC work is in progress for execution of the civil works.
2. Project Management Consultancy for Design and Construction of Track, Signaling & Telecom works, traction power supply, SCADA, OHE and General Electrical works and its testing and commissioning for double line electrified Railway track from New Karwandiya (Rly. Kms-564) to Durgawati (Rly. Km-630) approx. 66 Kms on Mughalsarai-Sonnagar Section of Eastern Dedicated Freight Corridor
 - PMC for track and system works is in progress.
3. Project Management Consultancy services to facilitate Design and Construction of Important Bridge across river Sone (approximate length 3.06 Kms), its approaches (on both sides) and other miscellaneous works for double track electrified railway line on Design Build Lump Sum Basis between Sonnagar (Rly.Km.549) and Dehri-on-Sone (Rly.Km.554) Railway Stations on Mughalsarai-Sonnagar Section of Eastern Dedicated Freight Corridor.
 - PMC for “Sone Bridge” and “RFO & Balance Works” is in progress

(C) Works Contracts (World Bank Funded)

Design and Construction of Civil, Structures and Track Works for Double line Railway formation on Design- Build Lump sum basis for Bhaupur- Khurja section (APL-1) was awarded in following three Contract packages:

- i Civil Structures & Track Works Contract in CP 101 from Bhaupur village to Bhatara village KM 1040-1170. The Cost of the work awarded was Rs. 1329.49 crores and the Contract agreement was signed on 24.01.2013.
- ii) Civil Structures & Track Works Contract in CP 102 from Bhatara village to Birauni village KM 1170-1266. The Cost of the work awarded was ₹925.90 crores and the Contract agreement was signed on 24.01.2013.

- iii) Civil System & Track Works Contract in CP 103 from Birauni village to Khurja village KM 1266 to 1367.9. The cost of the work awarded was Rs. 1012.15 crores and the Contract agreement was signed on 24.01.2013.
- The Survey of alignment and geotechnical investigations have been completed. The Detailed Designs are nearing completion. The works like earthwork in formation and cutting, construction of Minor and Major bridges, supply of ballast, supply of rails and sleepers etc. have since started.



Field Laboratory at Kanpur



Satellite Office near Aligarh



Pug Mill for blending blanket material Near Bhaupur



Rolling of embankment layer In CP 101



Completed Bank near Tundla



Minor Bridge works in progress near Tundla



Ballast Supply in CP 101



Concreting in Pile of Major Bridge 304



Supply of Sleepers in Bhaupur Yard



Rails unloaded in Maitha Yard

(D) Consultancy Contracts (World Bank Funded)

1. General Consultancy Services for the Work of Double Line Electrified Railway track along with Signaling and Telecommunication System and related infrastructure for Bhaupur – Khurja section of Eastern DFC.
 - General Consultancy under progress for evaluation of System Works Contract.
2. General Consultancy Services for the Work of Double Line Electrified Railway track along with Signaling and Telecommunication System and related infrastructure for Mughalsarai – Bhaupur and Khurja – Ludhiana sections of Eastern DFC.
 - General Consultancy under progress.
3. Contract for Consultancy services for Project Management of Civil Structures and track Works contract and also for System Works in Bhaupur- Khurja.
 - Contract Agreement signed on 31.10.2013.
 - PMC team for supervision of Civil works has since been mobilized and work is in progress.
4. Quality and Safety Consultancy Services for Bhaupur – Khurja section of Eastern DFC Project.
 - Work is in Progress.

2. Contracts Awarded

During the Financial Year

A. Works :

- **Contract for Sone Bridge:** Design and Construction of Important Bridge across river Sone (approximate length 3.06 Kms), its approaches (on both sides) and other miscellaneous works for double track electrified railway line on Design Build Lump Sum Basis between Sonnagar (Rly.Km.549) and Dehri-on-Sone (Rly.Km.554) Railway Stations on Mughalsarai-Sonnagar Section of Eastern Dedicated Freight Corridor. Sone Bridge at the cost of Rs. 249 Crores in the month of November' 2013.
- **Contract for RFO & Balance Work:** Design and Construction of Rail Flyover near Ganjkhawaja, Formation in Embankments/Cuttings including blanketing, Bridges (Major, Minor & RUBs), Supply and Spreading of Ballast and other related infrastructural works for double track electrified railway line on Design Build Lump Sum Basis in different stretches between Dehri-on-Sone & Mughalsarai of Eastern Dedicated Freight Corridor in the states of Bihar and Uttar Pradesh in India. RFO & Balance Work at the cost of Rs. 149 Crores in the month of December' 2013.

B. Consultancy :

- Project Management Consultancy Services for Khurja – Kanpur Section of EDFC Project – 1 was awarded to SAI -TYP SA JV and contract signed on 31.10.2013. Contract amount - USD 2,184,200+Euro 292,500+INR 66, 76,38,900 only exclusive of Local Indirect Taxes .
- **Project Management Consultancy for:** Design and Construction of Important Bridge across river Sone (approximate length 3.06 Kms), in Mughalsarai - Sonnagar Section of Eastern Dedicated Freight Corridor.
- Design and Construction of Rail Flyover near Ganjkhawaja, Formation in Embankments/Cuttings including blanketing, Bridges (Major, Minor & RUBs), Supply and Spreading of Ballast and other related infrastructural works in different stretches between Dehri-on-Sone&Mughalsarai of Eastern Dedicated Freight Corridor. Project Management Consultancy for Sone Bridge & RFO work awarded in January' 2014 at the cost of Rs. 19 crores.

After the closure of Financial Year

- a. Quality and Safety Audit consultancy Services for Bhaupur – Khurja Section of Eastern DFC Project -1 was awarded to Mott MacDonald Ltd. and Mott MacDonald Pvt. Ltd. and contract was signed on 06.05.2014. Contract Amount – GBP 920,056+INR 177,670,066 exclusive of Local in Direct Taxes.

3. Future Contracts

1. Works Contracts (World Bank Funded):

- i Procurement action initiated for Design and Construction of Civil, Structures and Track Works for Double line Railway formation on Design- Build Lump sum basis for Mughalsarai - Bhaupur section (APL-2).
 - First stage technical evaluation is in progress.

- ii) Procurement action initiated for Design and Construction of Civil, Structures and Track Works for Double line Railway formation on Design- Build Lump sum basis for Sanehwal – Pilkhani and Khurja - Dadri sections (APL-3).

- Prequalification (PQ) is in progress.

2. Consultancy Contracts (World Bank Funded):

- i) Project Management Consultant for EDFC Project -2.
- EOI Invited, Request for Proposal (RFP) issued to shortlisted consultants.
- ii) Quality and Safety Audit Consultant for EDFC Project – 2.
- EOI Invited.

C. DANKUNI-SONNAGAR PPP PROJECT

It has been decided by the Ministry of Railways to construct Dedicated Freight Corridor section between DANKUNI-SONNAGAR (540Kms) through Public Private Partnership model in two phases i.e., Dankuni-Gomoh section (282.2Kms) as Phase-I and Gomoh- Sonnagar section (260Kms) as Phase-II. The status of the project is summarized as under:

- **Land Acquisition:** The Phase wise position of Land acquisition are as under:

Description			Land Acquisition Section		
			20 A	20 E	20 F
Dankuni - section Phase -I	Gomoh (282.2Kms)	Total Requirement	547.71 Ha	547.71 Ha	547.71 Ha
		Progress upto 31.03.2014	547.71 Ha (100%)	346.05 Ha (63%)	205.82 Ha (38%)
Gomoh - section Phase -II	Sonnagar (260Kms)	Total Requirement	454.54 Ha	454.54 Ha	454.54 Ha
		Progress upto 31.03.2014	251.58 Ha (55%)	195.00 Ha (43%)	145.00 Ha (32%)

The land acquisition so far have been smooth except at Balarambati mauza of Singur in Hoogly District, Shaktigarh, Mankar, Andal & Kulti in Bardhaman District, West Bengal and Villages falling on Gaya Detour in Bihar where Project Affecting People (PAP) are demanding additional compensation package for land acquisition w.r.t. specified Entitlement Matrix for DFCCIL based on RAA 2008 and NRRP 2007 (revised on 13.06.2011) circulated by Railway Board's letter no.2009/Infra/3/1/10/Pt.I dated 13.06.2011. The issue is being sorted out in co-ordination with officials of State Govt. of West Bengal and Bihar dealing with land acquisition and State Level Monitoring Committee.

- **Detailed Project Report (DPR):**

The DPR of Dankuni- Gomoh section (282.2 Kms) - Ph-I has been prepared.

DPR of Gomoh- Sonnagar section (260 Kms) - Ph-II is under preparation and is expected by Oct. 2014

- **Project Estimated Cost:**
 - The Concessionaire Cost of Dankuni- Gomoh section (282.2 Kms)-Ph-I has been estimated at Rs.4570.26 Crs. The estimate for Gomoh-Sonnagar section (260 Kms) - Ph-II is Rs. 5520.72 Crs.
 - The alignment and location of New Crossing stations (5 nos) and New Junction stations (3 nos) along with various infrastructure facilities for Dankuni- Gomoh section (282.2Kms)- Ph-I have been firmed up. Yard plans are under finalization.
- **Manual of Standards and Specifications:**
 - The consultancy contract for drafting of Manual of Standards & Specifications have been awarded to M/s RITES and Draft Report is under finalization.
- **Financial Modeling:**
 - Based on the Terms of Reference (TOR) for Financial Modeling for Dankuni- Gomoh section Ph-I given by Railway Board, a consultancy contract has been awarded to M/s Grant Thornton, Now, the Draft Final report on Financial Modeling has been submitted by Financial Consultant and is under approval.
 - Process for appointment of Technical Consultant & Legal Consultant to assist for PPP related works has been initiated as per Planning Commission Model document.

D. FUTURE CORRIDORS:

Railway Board has entrusted the work of PETS (Preliminary Engineering and Traffic Survey) of following four future corridors:

- i) East – West Corridor (Kolkata – Mumbai) – 2000 Km
- ii) North – South Corridor (Delhi – Chennai) – 2173 Km
- iii) East Coast Corridor (Kharagpur – Vijayawada) – 1100 Km
- iv) Southern Corridor (Chennai – Goa) – 890 Km

The work of PETS is being carried out by M/s. RITES. During the year traffic study report and field data collection for Southern Corridor and East-Coast corridor have been completed. The Mid-Term report of 1680 kms of North –South Corridor and 1572kms of East-West Corridor has been submitted. The Draft PETS Report of North-South Corridor and East-West corridor will be submitted during 2014-15.

E. CONCESSION AGREEMENT BETWEEN DFCCIL AND MOR

The Concession Agreement, defining relationship between MoR and DFCCIL, has been signed between Ministry of Railways (MOR) and DFCCIL on 28/2/2014 after necessary reviews from Railways Board, approvals from DFCCIL BOD duly incorporating the suggestions of DEA and Planning Commission. The concession Agreement defines the general representations, warranties, undertakings and obligations by the Concessionaire (DFCCIL) and the Concessions Authority (MOR) and the areas of activities and services. “Condition Precedent” to the Concession agreement which has been successfully fulfilled on 25.06.2014.

As per this Agreement, DFCCIL will construct, maintain and operate the Corridors. The DFC infrastructure will be available to all authorized rail operator on non discriminatory basis. DFCCIL shall, disseminate and promote the market advantages of the New Railway, identity opportunities to utilize unused capacity, and encourage and support the efforts of Authorized Rail Users to attract additional rail traffic to the New Railway. DFCCIL would encourage, promote and support development of new rail freight terminals and freight logistics centers etc alongside the New Railway which would enable marketing for additional traffic. DFCCIL would also facilitate development of connectivity to new industries along the corridor. Track Access Charges will be decided by the Tariff Regulatory Authority as and when set up.

4. COMPLIANCES

A. Rajbhasha (Official Language)

In DFCCIL Corporate Office, special emphasis is being given to ensure maximum use of Hindi in Official dealings. During the period from 01.04.2013 to 31.03.2014 a number of activities to promote use of Hindi were initiated.

DFCC Official Language Implementation Committee meetings were organized in every quarter. A quarterly progress report regarding use of Hindi was submitted to Railway Board for onward submission to Ministry of Home Affairs. There is active participation in Town Official Language Committee (Public sector) Delhi meeting on regular basis.

Rajbhasha Pakhwada was organized in DFCCIL from 14.09.2013 to 28.09.2013. During the Pakhwada different competitions were arranged and the prizes were distributed to the first, second and third winners by the Managing Director. Beside this, Hindi workshops were organized regularly in an effort to inculcate the habit of doing more and more work in Hindi by the officers and staff of DFCCIL. The Website of DFCCIL is updated from time to time in Hindi. To ensure to compliance of section 3(3) of Official Language Act, all Office Orders, Land Acquisition and Gazette Notifications are issued bilingually.

To promote the use of official language in DFCCIL, the incentive schemes of Railway Board has been implemented. In DFCCIL, Corporate office most of Manuals have been translated into Hindi. The remaining Manuals are under process of translation. In DFCCIL Corporate office, a Hindi Library is established. All the officers and employees are taking full advantage of this library.

B. Right to Information Act, 2005.

The Right to Information Act seeks to provide for setting out the practical regime of right to information for citizens to secure access to information under the control of public authorities, in order to promote transparency and accountability in the working of every public authority.

The Company has appointed Central Public Information Officer, whose names are posted on the website of the Company. During the year under review company received approx. 293 RTI applications and all cases were disposed off within the stipulated time. All the replies are available on Company's website which is updated on fortnightly basis.

During the year, total 31 parliament questions related to DFCC were received and all replied timely to the Ministry of Railways.

C. MCA 21 E -filing

In terms of Companies (Electronic Filing and Authentication of Documents) Rules, 2006 and Companies (Filing of Documents and Forms in Extensible Business Reporting Language) Amendment Rules 2012, the Company has filed all the statutory forms and returns electronically during the year under review.

D. Memorandum of Understanding

During the period under review, in terms of the MoU Guidelines issued by Department of Public Enterprises, a Memorandum of Understanding (2014-15) was signed on 28.03.2014 with Ministry of Railways after discussion with the Task Force of Transport & Tourism Syndicate.

In terms of the MoU (2014-15) between Ministry of Railways and DFCCIL, the Company is to achieve Project related Parameters, Regulatory Clearances, Dynamic parameters, Corporate Social Responsibility Parameters, Human Resource Management, Sustainable Development, Sector Specific and Enterprise Specific Variables.

The Company has been ranked under the “Very Good” grading of MoU for the year 2012-2013 by the Department of Public Enterprises.

E. Vigilance

Oxford English dictionary defines Vigilance as keeping careful watch to avoid possible danger difficulties. In the organizational context Vigilance means keeping a watchful eye on the activities of the personnel and taking prompt action to promote fair practices and ensure integrity and honesty in official transactions and behaviors. It is an important and integral part of Management and provides important platform for improving performance of the organization. It includes promoting clean business environment, professional integrity, promptness and ethical practices.

This year too the DFCCIL vigilance gave more emphasis on preventive vigilance and system improvement as compared to punitive vigilance. In order to update the vigilance officials with latest instruction & guidelines on vigilance matters, five training programmes were arranged. To increase transparency, all the contracts and purchases made above Rs one crore are posted on the DFCCIL website every month on the Performa stipulated by CVC. The Vigilance organization of DFCCIL is headed by a full time CVO assisted by one Dy. CVO, two DGMs, one Manager and one Asstt. Manager while one post at Manager Level is lying vacant.

Complaints:

DFCCIL has well defined complaint handling policy which is available on Vigilance portal of DFCCIL website. It contains detailed procedure for scope and lodging of complaints. A total of 23 complaints were received through CVC/Railway Board & individuals during the year. Out of which 18 complaints were finalized remaining 05 complaints are at various stages of investigation.

Recommendations after investigation on complaints

In a case involving irregularities in awarding of a contract, Minor Penalty against one officer has been recommended and the case has been sent to Railway Board for further necessary action.

Preventive Checks:

A total of 13 Preventive Checks were conducted during the year out of which 10 were finalized and balance 03 are under examination.

System Improvements:

Based on the outcome, recommendations for system improvements were made in different spheres or working related to tenders & contracts, land acquisition, payment of compensation for land acquisition.

Awareness Building & Participative Vigilance

In pursuance to directives issued by the Central Vigilance Commission, the Vigilance awareness week was observed in all the offices of DFCCIL from 28th October 2013 to 2nd November 2013. The theme of this year's Vigilance Awareness Week was “**Promoting Good Governance-Positive contribution of vigilance**”. The inauguration of week began with pledge ceremony administered by MD/DFCCIL. An interactive conference on the subject was also organized in the Corporate Office on 30th October 2013 in which Sh. Ramesh Chandra, Chief Technical Examiner of CVC was the Guest Speaker. An Easy competition on the subject “Promoting Good Governance-Positive contribution of vigilance” was also organized and the winners were suitably awarded.

5. INFORMATION TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT

DFCCIL with the assistance of a professional IT consulting firm defined DFCCIL's IT requirements and under the supervision and funding of World Bank, selected a System Integrator for implementation for an Integrated IT solution at DFCCIL. The project aims at the centralized implementation of a software solution integrating Financial Management, Human Resource Management, Project Management, Enterprise Asset Management, Land Acquisition Information Management, Geographical Information Management, Portal, Document management system etc. These applications are hosted in SAP based ERP solution would primarily be utilized for running all these business applications. The ERP solution would manage the most critical functions of the organization. The system would expedite decision making, ensure better planning and co-ordination between different functions, better data management, effective reporting, knowledge management, etc. Time lost in accessing information will be reduced

A state of the art Data center has been set up at 4th Floor of DFCCIL Corporate Office. This Data Centre has been connected with all the 14 CPM locations by using either VPN or MPLS (Multi-Protocol Label Switching) based WAN (wide area network). Thus all CPM offices in both Eastern and Western corridor are connected to the DFCCIL's data center.

User Acceptance Testing (UAT) for the system has been completed for all modules and we are at the Operational Acceptance Phase after which all applications will be online. End user training, OEM and Application training has been imparted to over 250 employees of DFCCIL. 10 Change Management Workshops have been conducted covering over 300 employees of DFCCIL.

DFCCIL's Integrated IT system/ERP was inaugurated by Shri Arunendra Kumar, Chairman, Railway Board and Chairman DFCCIL on October 28, 2013 in presence of Managing Director Shri. R.K. Gupta, Directors, Shri. A K Dutta, Shri Anshuman Sharma and Shri H D Gujrati, Shri M. K. Mittal, Shri Girish Pillai Advisor/Infra/Railway Board, GGM's and GM's of DFCCIL. The DFCCIL new website was also inaugurated in this occasion by the Chairman, Railway Board.

DFCCIL's Payroll is being generated from the ERP system since Feb, 2014. Over 500 DFCCIL employees have been issued ESS (Employee Self Service) licenses. Thus through the Portal each employee can access his pay slip, apply for leave and access various user manuals and other information as well. All posting and transfer orders are generated through the ERP/SAP system.

Initially, DFCCIL will be implementing the Project Management System in 5 CPM locations at Tundla, Mughal Sarai, Surat, Jaipur and Ajmer. The project contractors and consultants would also be accessing the ERP system through the Portal for online submission of bills. The execution of the projects will be monitored by the respective CPM's but the entire program (comprising of various contracts and projects at the field level) would be managed centrally at the Corporate Office.

Support extended by the Steering Committee, Process Owners, Core Team members and IT department is acknowledged, without which it would not have been possible to complete the project in tight timelines and with such extensive scope.

6. INDUSTRIAL RELATIONS

During the year under review, the Industrial Relation remained peaceful and harmonious. The 7th foundation day of DFCCIL was celebrated on 30th October, 2013 with great zeal and enthusiasm in the presence of various dignitaries, DFCCIL Officers and Employees. The Company observed 21st May, 2013 as Anti-Terrorism Day and 20th August, 2013 as Sadbhavana Divas. The National Integration Pledge was administered on 19th November, 2013. The Pledge was taken by all the officers/staff of the Company. The 7th December, 2013 was observed as Armed Forces Day and two minute silence was observed by the officers and employees of the Company.

7. BOARD OF DIRECTORS

During the year under review, there were changes in the composition of the Board of Directors of the Company on account of appointments and cessation, which are as follows:

Following directors have joined the Board during the financial year 2013-2014.

- a. Vide Railway Board letter No 2009/Infra/6/2 dated 05.07.2013, the President of India appointed Sh. Arunendra Kumar, Chairman Railway Board as Part Time Chairman on the Board of DFCCIL with immediate effect from 05.07.2013 vice Sh. Vinay Mittal Ex Chairman Railway Board till he hold the post of Chairman, Railway Board or further orders whichever is earlier.
- b. Vide Railway Board's letter No. 2013/E(O)/II/40/8 dated 02.09.2013, the Competent Authority had approved the appointment of Sh. M.K.Mittal, GM(Fin)/REC as Director (Finance)/DFCCIL for a period of five years or till the date of superannuation, or until further orders, whichever is earliest. He assumed the charge of Director (Finance) w.e.f 16.09. 2013 (FN).
- c. Vide Railway Board's letter No. 2010/E(O)II/40/25 dated 20.03.2014, Ministry of Railways decided that consequent upon appointment of Sh. R.K. Gupta, IRSE as General Manager, Eastern Railway, Ministry of Railway, Sh. R.K. Gupta, may continue to look after the duties of Managing Director/DFCCIL.

The following Directors cease to be hold office during the financial year 2013-2014

- a. Vide Railway Board letter No 200/8/Infra/6/1 dated 14.05.2010, Sh. D. T. Joseph, Independent Director ceases to hold office on completion of his tenure of three years on 13.05.2013.

- b. Vide Railway Board letter No 2009/Infra/6/2 dated 05.07.2013, Sh. Vinay Mittal, Ex Chairman Railway Board ceases to hold the office of Chairman/DFCCIL consequent upon his superannuation on 30.06.2013.
- c. Sh. H. D. Gujrati, Dir/OP & BD ceases to hold the additional charge of Dir(Fin) w.e.f 14.09.2013.
- d. Sh. A.K. Dutta, Dir/Infra served three months' notice for termination of Employment vide letter No. Dir (Infra)/Persl. Dated 29.11.2013. Vide Railway Board letter No. 2007/E(O)II/40/9, dated: 31.12.2013, the Competent Authority accepted the resignation of Sh. A. K. Dutta, Dir/Infra w.e.f 28.02.2014(A.N).

The following Directors hold the office after the closure of the financial year 2013-14.

- a. Vide Railway Board's letter 2007/E(O)II/40/9 dated 19.05.2014, the Competent Authority approved the entrusting of duties of the post of Director (Infrastructure)/DFCCIL to Sh. Anshuman Sharma, Dir(PP)/DFCCIL in addition to his own duties, for period of six months w.e.f 11.03.2014 or till the date the regularly selected Director (Infrastructure)/DFCCIL joins the post or until further orders, whichever is earliest.
- b. Vide Railway Board's letter 2010/E(O)II/40/25 dated 28.07.2014, it has been decided that the additional charge of the post of Managing Director, (DFCCIL) shall be entrusted to Shri Anshuman Sharma, Director (PP), DFCCIL, in addition to his own for a period from the date he takes over the charge of the post and till a regular PESB selected incumbent joins the post of MD/DFCCIL or until further orders, whichever is earlier. Sh. Anshuman Sharma, Dir/PP took the charge of MD/DFCCIL on 28.07.2014(AN).

The following Directors ceased to hold office after the closure of the financial year 2013-2014

- a. Vide Railway Board's letter No.2013/Infra/6/29 dated 08.01.2014, Sh. Bhaskar Gupta, Independent Director completed his extended tenure of three months on 07.04.2014.
- b. Vide Railway Board's letter 2010/E(O)II/40/25 dated 28.07.2014, Sh. R.K. Gupta, IRSE, General Manager, Eastern Railway, Ministry of Railways looking after the duties of Managing Director/DFCCIL cease to hold the additional charge of MD/DFCCIL.

The following Directors are holding office as on the date of this Report:

S.No.	Name of the Director	Designation	Date of holding office w.e.f.
1.	Sh. Arunendra Kumar	Part Time Chairman (Official)	05.07.2013
2.	Sh. Anshuman Sharma	Director (Project Planning) Addl. Charge of Dir/Infra Addl. Charge of MD	05.04.2011 11.03.2014 28.07.2014
3.	Sh. H.D. Gujrati	Director (Operations & Business Development)	29.11.2012
4.	Sh. M.K. Mittal	Director (Finance)	16.09.2013
5.	Sh. Girish Pillai	Part time Director (Official)	14.11.2012
6.	Sh. Gajendra Haldea	Part time Director (Official)	02.05.2008
7.	Sh. R.S. Sharma	Part Time Director (Non-official)	25.04.2012

8. Auditors

The Comptroller and Auditor General (C&AG) of India had appointed M/s Baweja & Kaul, Chartered Accountants as Statutory Auditor of the Company for the year 2013-2014 and in exercise of powers conferred by the members, the Board of Directors have fixed their remuneration at a fee of ₹4,00,000/- (Four Lacs) per annum plus service tax.

9. Directors' Responsibility Statement under Section 217 (2AA) of the Companies Act, 1956.

As required in terms of section 217 (2AA) of the Companies Act, 1956, the Directors confirm that:

- i In preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanations relating to material departures.
- ii. The Directors have selected such accounting policies, applied them consistently, and made judgment and estimates that are reasonable and prudent so as to give true and fair view of the state of affairs of the company at the end of financial year and of the profit or loss of the Company for that period.
- iii. The Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- iv. The Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis.

10. Corporate Governance

As per the Guidelines on Corporate Governance issued by Department of Public Enterprises, following forms an integral part of this Directors' Report.

A "Corporate Governance Report placed at Annexure "A" highlights the philosophy of the Company on the Corporate Governance, composition of Board of Directors as well as their attendance in various meetings, remuneration of directors etc. and other relevant disclosures.

Certificate of compliance of Corporate Governance obtained from practicing Company Secretary is placed at Annexure "B."

A "Management Discussion and Analysis Report" is placed at Annexure "C."

11. Auditors' Report

The Comments of the Auditors and Management's reply thereto are annexed to this report as Annexure-"D".

12. Comments of the Comptroller & Auditor General of India.

The Office of the Comptroller & Auditor General of India has issued NIL comments on the accounts of the Company for the year ended 31st March, 2014, which is annexed to this Report as Annexure- "E".

13. Conservation of Energy, Technology Absorption and Foreign Exchange Earning and Outgo.

The Particulars required to be disclosed pursuant to section 217(1)(e) of the companies Act, 1956 read with Companies (disclosure of particulars in the Report of the Board of directors) Rules, 1988 in respect on the conservation of energy and Technology Absorption shall be treated as Nil.

However, the Foreign Exchange earnings and outgo during the period under review are

Foreign Exchange Earning	-	Nil
Foreign Exchange Outgo	-	₹379.11 lacs out of which
Interest	-	₹132.10 Lacs
Seminar Training Fee	-	₹117.69 Lacs
Tour & Travelling Expenses	-	₹ 35.34 Lacs
L.C Opening Charges	-	₹91.33 Lacs
Bank Charges JICA Loan	-	₹2.65 Lacs

14. Particulars of Employees/Directors' Remuneration.

Information as per section 217 (2A) of the Companies Act, 1956 read with Companies (Particulars of Employees) Rules, 2011, as amended, from time to time, is not required to be disclosed as none of the employees and Directors was in receipt of remuneration in excess of the limits prescribed therein.

The total cost of managerial remuneration during the financial year 2013-14 is ₹ 120.49 lacs out of which total remuneration is ₹ 114.52 lacs and the value of perquisites is ₹ 5.97 Lacs.

15. ACKNOWLEDGEMENT

The Directors wish to place on record their sincere thanks to Ministry of Railways, State Governments, Zonal Railways, the Statutory Authorities and Government agencies for their support and patronage.

The Board would also like to acknowledge with thanks the co-operation extended by C&AG, the Statutory Auditors and the Bankers of the Company.

The Board of Directors acknowledge and wish to place on record their appreciation for the co-operation and support extended by the associates, the DFCCIL employees and others who have extended their valued co-operation, support and guidance to the Company, from time to time.

For and on behalf of the Board

Place: New Delhi
Dated: 29.08.2014

Sd/-
(Arunendra Kumar)
Chairman

NOTE: The Directors' Report is made in line with the Ministry of Corporate Affairs General Circular 08/2014 dated 04.04.2014

CORPORATE GOVERNANCE REPORT

1. A brief statement on Company's philosophy on Corporate Governance

The Company believes in achieving the Company's Goal and objectives through the highest levels of transparency, accountability and equity in all spheres of its operations and in all its dealings. The Corporate Governance is the application of best management practices, compliance of Laws, rules, regulation and adherence standard to achieve the objects of the Company.

The key value is to believe in “Speed, Sincerity and Success.” The Cardinal principles such as Accountability, Responsibility, Transparency and Fair Disclosures serve as the means for achieving this.

2. Board of Directors:

2.1 Composition of the Board of Directors:

In terms of Article 80 of the Articles of Association of the Company, the President of India has determined in writing that there shall be a total of 12 Directors on the Board of DFCCIL. The President of India vide letter no. 2008/Infra/6/1 dated 04.05.2010 has approved the composition of the Board of Directors of DFCCIL as follows:

- Chairman Railway Board (CRB) as Part Time Chairman.
- Five full time Functional Directors including Managing Director.
- One Nominee of Ministry of Railways.
- One Nominee of Planning Commission.
- Four Independent non-official Directors including one from financial institutions depending on requirement.

2.2 Strength of the Board

On the date of the report, the total strength of the Board of Directors of the Company is Seven comprising of three whole-time Directors, one part time Chairman, two part-time official Directors (nominee) from Ministry of Railways and Planning Commission respectively and one part time non-official Directors (Independent). The position of three Independent Directors is vacant. In terms of Article 81(1) of the Articles of Association of the Company, The President of India has the power to appoint Directors of the Company.

Following directors have joined the Board during the financial year 2013-2014.

- a. Vide Railway Board letter No 2009/Infra/6/2 dated 05.07.2013, the President of India appointed Sh. Arunendra Kumar, Chairman Railway Board as Part Time Chairman on the Board of DFCCIL with immediate effect from 05.07.2013 vice Sh. Vinay Mittal Ex Chairman Railway Board till he hold the post of Chairman, Railway Board or further orders whichever is earlier.
- b. Vide Railway Board's letter No. 2013/E(O)/II/40/8 dated 02.09.2013, the Competent Authority had approved the appointment of Sh.M.K.Mittal, GM(Fin)/REC as Director (Finance)/DFCCIL for a period of five years or till the date of superannuation , or until further orders, whichever is earliest. He assumed the charge of Director (Finance) w.e.f 16.09.2013(FN).

- c. Vide Railway Board's letter No. 2010/E(O)II/40/25 dated 20.03.2014, Ministry of Railways decided that consequent upon appointment of Sh. R.K. Gupta, IRSE as General Manager, Eastern Railway, Ministry of Railway, Sh.R.K. Gupta, may continue to look after the duties of Managing Director/DFCCIL.

The following Directors cease to be hold office during the financial year 2013-2014

- a. Vide Railway Board letter No 200/8/Infra/6/1 dated 14.05.2010, Sh. D. T. Joseph, Independent Director ceases to hold office on completion of his tenure of three years on 13.05.2013.
- b. Vide Railway Board letter No 2009/Infra/6/2 dated 05.07.2013, Sh. Vinay Mittal, Ex Chairman Railway Board ceases to hold the office of Chairman/DFCCIL consequent upon his superannuation on 30.06.2013.
- c. Sh. H. D. Gujrati, Dir/OP & BD ceases to hold the additional charge of Dir(Fin) w.e.f 14.09.2013.
- d. Sh.A.K. Dutta, Dir/Infra served three months' notice for termination of Employment vide letter No. Dir (Infra)/Persl. Dated 29.11.2013. Vide Railway Board letter No. 2007/E(O)II/40/9, dated:31.12..2013, the Competent Authority accepted the resignation of Sh. A. K. Dutta, Dir/Infra w.e.f 28.02.2014(A.N).

The following Directors hold the office after the closure of the financial year 2013-14.

- a. Vide Railway Board's letter 2007/E(O)II/40/9 dated 19.05.2014, the Competent Authority approved the entrusting of duties of the post of Director (Infrastructure)/DFCCIL to Sh. Anshuman Sharma, Dir(PP)/DFCCIL in addition to his own duties, for period of six months w.e.f 11.03.2014 or till the date the regularly selected Director (Infrastructure)/DFCCIL joins the post or until further orders, whichever is earliest.
- b. Vide Railway Board's letter 2010/E(O)II/40/25 dated 28.07.2014, it has been decided that the additional charge of the post of Managing Director, (DFCCIL) shall be entrusted to Shri Anshuman Sharma, Director (PP), DFCCIL, in addition to his own for a period from the date he takes over the charge of the post and till a regular PESB selected incumbent joins the post of MD/DFCCIL or until further orders, whichever is earlier. Sh. Anshuman Sharma, Dir/PP took the charge of MD/DFCCIL on 28.07.2014(AN).

The following Directors ceased to hold office after the closure of the financial year 2013-2014

- a. Vide Railway Board's letter No.2013/Infra/6/29 dated 08.01.2014, Sh. Bhaskar Gupta, Independent Director completed his extended tenure of three months on 07.04.2014.
- b. Vide Railway Board's letter 2010/E(O)II/40/25 dated 28.07.2014, Sh. R.K. Gupta, IRSE, General Manager, Eastern Railway, Ministry of Railway looking after the duties of Managing Director/DFCCIL cease to hold the additional charge of MD/DFCCIL.

The composition of the Board of Directors, on the date of report, along with Directorships held by them and their attendance in the Board meetings held during the financial year 2013-2014 and the last Annual General Meeting is tabled below:

S. No.	Category of Directors	Name of Directors/ Date of Appointment	Number of Directorships/ Chairmanships in public companies including DFCCIL and excluding private Companies 1 & 5	Total No. of Committee Memberships/ chairmanships in public companies including DFCCIL and excluding private companies (*4 & 5)	No. of Board Meetings held during 2013-2014 (during their respective tenures)	No. of Board Meetings attended (during their respective tenures)	Last AGM attended
(I) Chairman (Part-time official)							
1.	Chairman/ Railway Board	Sh. Arunendra Kumar (Held office from 05.07.2013)	As Chairman-1	Nil	5	5	Yes
2.	Chairman/ Railway Board (held office upto 30.06.2013)	Sh. Vinay Mittal (Held office from 08.07.2011)	As Chairman-1 As Member-3	Nil	2	2	NA
(II) Whole-time Director							
1.	Managing Director	Sh. R.K. Gupta (Held office from 10.05.2011) and looking after charge from 20.03.2014	1	Nil	7	7	Yea
2(a)	Director (Finance)	Sh. M.K.Mittal (held office from 16.09.2013) (FN)	1	Nil	3	3	Yes
2(b)	Looking after Director (Finance)	Sh. H.D. Gujrati (Held office from 15.03.2013 to 15.09.2013)	1	Audit Committee (Member) - 1	4	4	NA
3.	Director (Operations & Business Development)	Sh. H.D. Gujrati (Held office from 29.11.2012)	1	Nil	7	7	Yes

4.	Director (Project Planning)	Sh. Anshuman Sharma (Held office from 05.04.2011)	1	Nil	7	7	Yes
5.	Director (Infrastructure) held office up to 28.02.2013)	Sh. A.K. Dutta (Held office from 01.04.2010)	1	Nil	7	7	No
5(a)	Looking after Director (Infrastructure)	Sh. Anshuman Sharma (Held office from 10.03.2014)	Nil	Nil	NA*	NA*	NA
III) Director (Part-time official)							
1.	Advisor (Infrastructure) /Railway Board	Sh. Girish Pillai (held office from 14.11.2012)	1	Audit Committee, (Member)-1	1	1	Yes (as a Share- holder
2.	Advisor of Deputy Chairman, Planning Commission	Sh. Gajendra Haldea (held office from 02.05.2008)	1	Nil	7	7	No
(IV) Independent Directors (Part Time non official)							
1.	Part Time non- official (held office up to 13.05.2013)	Sh. D.T. Joseph (held office from 14.05.2010)	6	Audit Committee (Member) -4 Audit Committee (Chairman)-1 Shareholders Grievance (Member) - 1	1	0	NA
2.	Part Time non- official official (held office up to 07.04.2014)	Prof. Sh. Bhaskar Gupta (held office from 23.11.2010)	1	Audit Committee (Member) - 2	7	7	Yes
3.	Part Time non-official	Sh. R.S. Sharma (held office from (25.04.2012)	3	Audit Committee (Member) - 3	7	7	No

NOTES:

1. The Directorships and memberships in the Committees being held by the Directors are within the limits laid down under Companies Act, 1956. For the purpose of Section-275 of Companies Act 1956, the Directorship in a private company which is neither a subsidiary nor a holding company of a public company is excluded.
2. The term “part-time official” indicates the Government Nominee Directors on the Board of DFCCIL who are the officials of the Ministry of Railways and Planning Commission.

3. The term “part time non official” means the Independent Directors.
4. For the purpose of considering the limit of the Committees on which a Director can serve , all public limited companies, whether listed or not, is included.
5. For the purpose of reckoning the limit for chairmanship/membership, the Audit Committee and the Shareholders' Grievance Committee alone is taken.
6. The word “NA” denotes “Not Applicable” as either the concerned Directors have joined the Board after the financial year 2013-14 or the relevant parameter has not fallen due during their tenure.

During the financial year 2013-2014, the Board of Directors met Seven times to transact the business and have complied with the provisions of Companies Act, 1956 read with the DPE guidelines relating to Board Meetings. In all cases of absence of Director, Leave of Absence was granted under clause (g) of sub section (1) of section 283 of the Companies Act, 1956. A statement on declaration has been given by independent directors.

The meetings of the Board of Directors of DFCCIL were held on following dates as mentioned below:

S.No.	Quarter	Dates
1.	For the quarter ended June 2013	29.04.2013, 14.06.2013,22.07.2013
2.	For the quarter ended September 2013	27.08.2013,
3.	For the quarter ended December 2013	31.10.2013,
4.	For the quarter ended March 2014	20.01.2014, 25.02.2014

Brief Resume of Directors appointed during the financial year 2013-2014.

i Sh. Arunendra Kumar, Chairman/ DFCCIL, w.e.f. 05.07.2013

Shri Arunendra Kumar, a Mechanical Engineer joined Indian Railways through the prestigious Special Class Railway Apprentice Examination in 1972. He has been in charge of maintenance of a variety of locomotives, coaches and wagons over a career of more than 35 years both in Workshops and open line. He has several innovations to his credit in the area of locomotive and coaching maintenance. He has displayed great leadership qualities and managerial skills which has enabled him to deliver results in crisis situations. Prior to his present assignment he has worked as General Manager, South East Central Railway, where he managed the heaviest freight operation in the Country. As Divisional Railway Manager, Mumbai Central he successfully managed maintenance and operation of all trains and infrastructure over Mumbai Division.

Shri Kumar has contributed significantly in various policy formulation at Railway Board Level while working as Advisor (CC) & Additional Member Production unit. He has attended advanced management and training programmes at Paris, Germany, South Korea, China, Switzerland, Canada, Namibia.

Shri Kumar is an outstanding athlete and excellent player of Badminton. Shri Kumar has featured on National Geographic Channel in the serial “Seven Mega Cities of the World” and holds a record of longest Live TV Interview by a Railway Officer on National TV Channel.

ii) Sh. M.K.Mittal, Director (Fin) DFCCIL, w.e.f. 16.09.2013

Sh. M. K. Mittal took over as Director (Finance) in DFCCIL on 16th September, 2013. Prior to this he was working as General Manager (Finance) with Rural Electrification Corporation Limited (REC).

He is M. Com (Gold medalist), Masters in Financial Management (previous), a Fellow member of the Institute of Cost Accountants of India and also a Fellow Member of the Institute of Company Secretaries of India.

He has more than 30 years of experience in the field of Finance and Accounting. Besides Rural Electrification Corporation Limited (REC), he has previously worked with Haryana State Electricity Board, Haryana Vidut Prasaran Nigam Limited as Chief Accounts Officer & Company Secretary. He has also worked as Director (Finance) of Hindustan Organic Chemicals Limited, a CPSU at Mumbai, for 19 months.

3. Audit Committee

Composition of the Audit Committee

Audit Committee of the Board of Directors was originally constituted on 14.03.2008 and was reconstituted from time to time. During the year under review, the Audit Committee was re-constituted in line with section 292A of the Companies Act, 1956 read with the DPE guidelines. The composition and the Terms of Reference (ToR) of the Audit Committee were reviewed at the 34th Board meeting held on 07.08.2012 and Sh. R.S. Sharma was introduced as a Member of the Audit Committee.

In terms of Railway Board letter No. 2008/Infra/6/1, dated 14.05.2010, Shri D.T. Joseph, Part time non-official Director completed his tenure for a period of 3 years on 13.05.2013. As a result, the Audit Committee of the Board was reconstituted at 39th meeting of the Board held on 14.06.2013. Sh. Bhaskar Gupta, Part Time non official Director completed his extended tenure on 07.04.2014. As consequence, the Audit Committee of the Board was reconstituted by passing the resolution by circulation.

The composition of the Audit Committee as on the date of report is as follows.

S.No.	Member	Position	Date of holding the membership of the Committee
1	Sh. R.S. Sharma Independent Director	Member	07.08.2012
2	Sh. Girish Pillai Government Nominee Director	Member	15.01.2013
3	Sh. M. K. Mittal Director (Finance)	Member	13.06.2014

The Terms of Reference of the Committee as prescribed by the Board in its meeting held on 14.03.2008.

- To discuss with the auditors periodically about internal control systems.
- To discuss and decide about the scope of audit including the observations of auditors.
- To review the half-yearly and annual financial statements before submission to the Board and ensure compliance of internal control systems.
- To investigate into any matter relating to financial management including the audit report.
- Any other matter brought to the notice of the Audit Committee by Board of Directors.
- To appoint an internal Auditor and to set the terms and conditions of appointment, including the remuneration payable (added vide item no. 4 of 12th Board Meeting held on 16.6.2009)

Additional Terms of Reference for the Audit Committee re-constituted on 25.06.2010;

The role of the Audit Committee shall include the following:

1. Oversight of the company's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statement is correct, sufficient, and credible.
2. Recommending to the Board the fixation of audit fees.
3. Approval of payment to statutory auditors for any other services rendered by the statutory auditors.
4. Reviewing, with the management, the annual financial statements before submission to the Board for approval.
5. Matters required to be included in the Directors' Responsibility Statement to be included in the Board's report in terms of clause (2AA) of section 217 of the Companies Act, 1956;
 - Changes, if any, in accounting policies and practices and reasons for the same;
 - Major accounting entries involving estimates based on the exercise of judgment by management;
 - Significant adjustments made in the financial statements arising out of audit findings;
 - Compliance with legal requirements relating to financial statements;
 - Disclosure of any related party transactions; and
 - Qualifications in the draft audit report.
6. Reviewing, with the management, the quarterly financial statements before submission to the Board for approval.
7. Reviewing, with the management, performance of internal auditors and adequacy of the internal control systems.

8. Reviewing the adequacy of internal audit function, if any, including the structure of the internal audit department, staffing, and seniority of the official heading the department, reporting structure, coverage and frequency of internal audit.
9. Discussion with internal auditors and/or auditors any significant findings and follow up thereon.
10. Reviewing the findings of any internal investigations by the internal auditors/auditors/agencies into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the Board.
11. Discussion with statutory auditors before the audit commences, about the nature and scope of audit as well as post-audit discussion to ascertain any area of concern.
12. To look into the reasons for substantial defaults in the payment to the depositors, debenture holders, shareholders (in case of non -payment of declared dividends) and creditors.
13. To review the functioning of the Whistle Blower Mechanism.
14. To review the follow up action on the audit observations of the C&AG audit.
15. To review the follow up action taken on the recommendations of Committee on Public Undertakings (COPU) of the Parliament.
16. Provide an open avenue of communication between the independent auditor, internal auditor and the Board of Directors
17. Review all related party transactions in the company. For this purpose, the Audit Committee may designate a member who shall be responsible for reviewing related party transactions.

Explanation: The term “related party transactions” shall have the same meaning as contained in the Accounting Standard 18, issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

18. Review with the independent auditor the co-ordination of audit efforts to assure completeness of coverage, reduction of redundant efforts, and the effective use of all audit resources.
19. Consider and review the following with the independent auditor and the management:
 - The adequacy of internal controls including computerized information system controls and security, and
 - Related findings and recommendations of the independent auditor and internal auditor, together with the management responses.
20. Consider and review the following with the management, internal auditor and the independent auditor:
 - Significant findings during the year, including the status of previous audit recommendations
 - Any difficulties encountered during audit work including any restrictions on the scope of activities or access to required information.

21. Carrying out any other function as is mentioned in the terms of reference of the Audit.

Additional Terms of Reference for the Audit Committee re-constituted on 07.08.2012 and are being retained;

Chapter-4 of the DPE guidelines on Corporate Governance deals with the Audit Committee. Clause 4.5 of the chapter requires that the following information shall be reviewed by the Audit Committee.

- a) Management discussion and analysis of financial condition and results of operations.
- b) Statement of related party transactions submitted by Management.
- c) Management letters/letters of internal control weakness issued by the statutory auditors.
- d) Internal audit reports relating to internal control weakness.
- e) The appointment and removal of the Chief Internal Auditor shall be placed before the Audit Committee; and
- f) Certification/declaration of financial statements by the Chief Executive/Chief Finance Officer.

Additional Terms of Reference for the Audit Committee in terms of section 177(4) of the Companies Act, 2013.

1. Every Audit Committee shall act in accordance with the terms of reference specified in writing by the Board which shall, inter alia, include:

- (i) the recommendation for appointment, remuneration and terms of appointment of auditors of the company;
- (ii) review and monitor the auditor's independence and performance, and effectiveness of audit process;
- (iii) examination of the financial statement and the auditors' report thereon;
- (iv) approval or any subsequent modification of transactions of the company with related parties;
- (v) scrutiny of inter-corporate loans and investments;
- (vi) valuation of undertakings or assets of the company, wherever it is necessary;
- (vii) evaluation of internal financial controls and risk management systems;
- (viii) monitoring the end use of funds raised through public offers and related matters.
- (ix) to oversee the vigil mechanism and to provide for adequate safeguards against victimization of employees and directors who avail of the Audit Committee and in case of repeated frivolous complaints by a director or an employee, the Audit Committee may take suitable action against the concerned director or employee including reprimand.

Powers of the Audit Committee:

Commensurate with its role, the Audit Committee should be invested by the Board of Directors with sufficient powers, which should include the following:

- i To investigate any activity within its terms of reference.
- ii To seek information on and from any employee.

- (iii) To obtain outside legal or other professional advice, subject to the approval of the Board of Directors.
- (iv) To secure attendance of outsiders with relevant expertise, if it considers necessary.
- (v) To protect whistle blowers.
- (vi) The Audit Committee may call for the comments of the auditors about internal control systems, the scope of audit, including the observations of the auditors and review of financial statement before their submission to the Board and may also discuss any related issues with the internal and statutory auditors and the management of the company.
- (vii) All powers, as may be required, for executing the Scope of the Audit Committee.
- (viii) The Audit Committee shall have authority to investigate into any matter in relation to the items specified in sub-section (4) of section 177 of the Companies Act, 2013, or referred to it by the Board and for this purpose shall have power to obtain professional advice from external sources and have full access to information contained in the records of the company.

During the year under review, the Committee met 4 times on the following dates 22.07.2013, 19.08.2013, 31.10.2013, 03.02.2014.

The attendance of the members of the Committee during 2013-2014 is produced below:

Member	Position	Meetings held* *	Meetings attended ***
Sh. Bhaskar Gupta	Member	4	4
Sh. R.S. Sharma	Member	4	4
Sh. Girish Pillai	Member	4	4

** "Meetings held"- denotes the number of meetings held during the tenure of the member of the Committee.

*** "Meetings attended"- denotes the number of meetings attended by the member during his tenure.

4. Remuneration Committee

i) In terms of Chapter 5 of the DPE guidelines on Corporate Governance, the Remuneration Committee of the Board was reconstituted in line with the DPE guidelines at 39th meeting of the Board held on 14.06.2013 and reconstituted at 40th meeting held on 22.07.2013.

During the year under review, the Remuneration Committee of the Board comprised of Sh. R.S.Sharma as Chairman, Sh. Bhaskar Gupta and Sh. Girish Pillai, Part Time Directors of the Company as its members. Remuneration Committee will decide the annual bonus/variable pay pool and policy for its distribution across the executives and non-unionized supervisors, within the prescribed limits. The Committee will be headed by an Independent Director."

ii) Remuneration of Directors

DFCCIL, being a wholly owned Government Company under Companies Act, 1956, the whole-time Directors of the Company are appointed by the President of India through Ministry of Railways. The functional Directors so appointed, draw remuneration under Industrial Dearness Allowance (IDA) pattern of pay scale pre-determined by the Government and as per the terms and conditions issued by Government of India from time to time.

The IDA Pay scales (2007) and basket of allowances has been implemented in DFCCIL.

The part-time official (Government Nominee) Directors on the Board of the Company do not draw any remuneration from the Company. They draw remuneration from the Government only as Government officials. The part time non-official Directors (Independent) draws the sitting fee for the Board/Sub-Committee meetings attended during the financial year.

The detail of sitting fee paid to the Part-time non official Directors for the financial year 2013-14 is detailed below. The payment of sitting fees excludes service tax of Rs. 74160/- , which was borne by DFCCIL under the reverse charge mechanism.

S.No.	Name of the Director	No. of Board/Sub - Committee Meetings attended*	Sitting Fee (In ₹)
1	Shri Bhaskar Gupta	BM -7 AC -4 HR -6	3,40,000
2	Shri R.S. Sharma	BM -7 AC -4	2,20,000 **

*This includes No. of Board meetings (BM) /Sub-Committee meeting of the Board (Audit Committee Meetings (AC) and HR Committee Meetings) attended by the Part time official Directors. HR Committee meetings were held on 18.04.2013, 22.07.2013, 19.08.2013, 27.09.2013, 20.11.2013, 18.03.2014.

** This includes Rs 20,000/- due but yet to be paid on 31st March 2014

The detail of remuneration paid to the whole time Directors for the year 2013-2014 is detailed below.

S. No	Name of Director	Salary & Allowances (In ₹)	Other Benefits Perks (In ₹)	Performance linked incentives (In ₹)	Total (In ₹)
1	Shri R. K Gupta (Managing Director)	23,16,168	5,74,104	0.00	28,90,272
2.	Sh. H. D Gujrati Director (Opn & BD)	21,82,461	3,09,573	0.00	24,92,034
3.	Sh A. K Dutta Director (Infra)	21,28,000	2,87,859	0.00	24,15,859
4.	Sh Anshuman Sharma Director (PP)	22,56,020	3,24,376	0.00	25,80,396
5.	M.K Mittal Director (Finance)	13,49,816	1,74,784	0.00	15,24,600

Note: 1, 'Other Benefits' includes Lease Rent, Medical reimbursement, Foreign Service Contribution, Tax on perquisites borne by Employer, Employer Contribution to PF .

5. General Meetings

Annual General Meetings

The Annual General Meetings of the Company are held at New Delhi, where the registered office of the Company is situated. The details of such meetings held during the last three years are as under:

AGM	Year	Venue	Date	Time
5 th	2010-2011	Corporate Office-Board Room, 5th Floor Pragati Maidan Metro Station Building Complex, New Delhi 110001	17.09.2011	12.30 P.M
6 th	2011-2012	Corporate Office-Board Room, 5th Floor Pragati Maidan Metro Station Building Complex, New Delhi 110001	26.09.2012	15:30 P.M
7 th	2012-2013	Committee Room, 2 nd Floor, Rail Bhawan, Raisina Road, New Delhi-110001	27.09.2013	12:30 P.M

Detail of special resolutions passed in the previous three AGMs.

AGM	Year	Subject Matter of the Special Resolution	Date	Time
4 th	2009-2010	Pursuant to the provisions of Section 293(1)(d) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act 1956, the consent of the Company was accorded to the Board of Directors of the Company to borrow money.	29.09.2010	5.00 P.M
5 th	2010-2011	Nil	17.09.2011	12.30 P.M
6 th	2011-2012	Nil	26.09.2012	15:30 P.M
7 th	2012-2013	Nil	27.09.2013	12:30 P.M

6. Disclosures

- A. There has not been a materially significant related party transaction.
- B. The Company has not been imposed penalty by any statutory authority as a result of non-compliance.
- C. The Company has complied with the guidelines on Corporate Governance issued by Department of Public Enterprises. In accordance with the guidelines, DFCCIL evolved a Code of Business Conduct and Ethics for its Board Members and Senior Management Personnel and has included Corporate Governance and Management Discussion and Analysis Report in the Directors Report for the year 2013-2014.
- D. All items of expenditure debited in the books of accounts of DFCCIL are for the purpose of project execution entrusted to DFCCIL and are related to project execution.

- E. There are no personal expenses incurred for the Board of Directors.
- F. The Net administrative expenses as a percentage of total expenses have decreased from 8.11% in 2012-13 to 5.71% in 2013-14.

7. Means of Communication

- 7.1 Annual Results - The audited annual financial results and Annual Report are displayed on DFCCIL website at www.dfccil.gov.in.
- 7.2 Information and latest updates on Tenders/EOIs, details of tenders/contracts awarded, press releases, Job openings, Mission and Objectives of the Company can be accessed at Company's Website.
- 7.3 The Company publishes its quarterly Newsletter.
- 7.4 Public Information Brochure, February 2012 uploaded on the website of the Company explains main features of Dedicated Freight Corridor (DFC) Project, the policy framework of land acquisition, entitlement matrix, basic compensation policy, Resettlement and Rehabilitation mechanism and grievance redresses mechanism. This brochure is distributed to Public as an information dissemination process under the project by the Company as project implementing agency.

8. Audit Qualifications

The replies of the Management on the qualifications of the Auditor's forms the part of this report.

9. Training of Board Members

DFCCIL is concerned to take various training programs for its officers/ employees. The detail of training of officers and Employees is being dealt separately in Corporate Governance Report. In order to acquaint the Board Members, presently the Corporation has adopted the practice of furnishing a set of documents/ booklets to a Director on his/ her joining the Board. The set of documents provided includes Annual Reports for the last financial years, Memorandum and Articles of Association, a copy of the Memorandum of Understanding alongwith MOU targets and its achievements. This provides the basic information about the Company to the incumbent. Besides that Board members and Senior Management personnel are nominated for various training programs, from time to time including basic induction training organized by Institute of Public Enterprises and other Training courses i.e training at ISB Mohali.

10. Code of Business Conduct & Ethics

The Company has in place the Code of Conduct for Board Members and Senior Level Management duly approved by the Board of Directors. At 36th meeting of the Board, the Code of Business Conduct and Ethics for Board members and Senior Management which came into force w.e.f. 1st day of April 2009 was replaced by the Model Code of Conduct as suggested in DPE guidelines. In terms of Code of Conduct for Directors and Senior Management Personnel, the annual affirmation that Code of Conduct has been complied with has been obtained from all the Board members and Senior Management Personnel. The Code of Conduct is also posted on the Website of the Company www.dfccil.gov.in. A declaration signed by the Managing Director affirming the compliance with the code of conduct by the Board Members and Senior Management Personnel during 2013-2014 is placed at Annexure "F".

11. Whistle Blower Policy

DFCCIL believes in conduct of its affairs with highest standards of professionalism, honesty and integrity and is committed to ensure ethical behaviour by all its employees. The company therefore believes in creating a culture where it should be safe for all employees to raise concerns about any unethical practices or misconduct. The Company had formulated a Whistle Blower Policy. This policy provides a framework to enable employees wishing to raise a concern about serious irregularities within the Company without fear of victimisation and covers protected disclosures by employees of DFCCIL including those on deputation.

12. Compliance Certificate

The Certificate from a practicing Company Secretary regarding compliance of the conditions of Corporate Governance in accordance with the guidelines issued by Department of Public Enterprises forms the part of the Annual Report.



Ashish Kumar Gupta

Company Secretary

Address : A-16 Jitar Nagar, Parwana Road, Delhi-110051

Phone : 011 – 22025417, 9312210264

E-mail: guptaashish75@gmail.com

To the Member of
M/s. Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited
Regd. Office : Room No. 101/A
Rail Bhawan, Raisina Road,
New Delhi-110001

REG: COMPLIANCE CERTIFICATE WITH REFERENCE TO COMPLIANCE OF CONDITIONS OF CORPORATE GOVERNANCE UNDER GUIDELINES ON CORPORATE GOVERNANCE FOR CENTRAL PUBLIC SECTOR ENTERPRISES 2010

1. This certificate is in accordance with compliance of conditions of corporate Governance by M/s. Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited. (herein after referred to as "Company") for the financial year ended on 31st March,2014 as stipulated in the Guidelines issued for central public sector enterprises 2010 Effective from May 2010 (hereinafter referred to as "Guidelines").
2. The Compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. My examination is limited to review of procedures and implementation thereof , adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance as stipulated in the said guidelines. It is neither an audit and nor an expression of opinion of the financial statement of the Company. My responsibility is to carry out an examination on the basis of my professional judgment so as to award a reasonable assurance of the correctness and completeness of the records for the purpose of this certificate.
3. I have obtained all the information and explanations which to the best of my knowledge and belief were necessary for the purpose of certification and have been provided with such records, documents, certifications etc as had been required by me.
4. I Certify that in respect of the aforesaid financial year 31st March 2014, the company has complied with various provisions of the Guidelines in its Corporate Governance Report except:
 - a) Clause No.3.2 relating to composition of Board of Directors- Nominee Directors,
 - b) Clause No. 3.6 relating to integration and alignment of Risk Management System.
5. I hereby state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the company nor the efficiency of effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company

sd/-

Ashish Kumar Gupta

Company Secretary

FCS, LLB, B.Sc (H)

FCS-6433, C.P.: 6859

Place: New Delhi

Date : 29th August 2014

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT

Industry Structure and Developments

The overall economic development of the Country could be measured with the development of different sectors of the economy. Indian Railways, being the nation's prime mover, is the structure and soul of Indian economy. It echoes rhyme and rhythm in the hearts of every citizen of this country - from Baramulla in the North to Kanyakumari in the South and from Okha in the West to Lekhapani in the East. The Indian Railways cut across all barriers of regions, classes and creed and is a microcosm of India on the move. Indian Railways run 12617 trains to carry over 23 million passengers per day connecting more than 7172 stations spread across the sub - continent. Indian Railways carries more than one-billion tonnes of freight a year, connecting ports and mines to industrial clusters, but still there are vast tracts of hinterland waiting for rail connectivity. Though freight business has grown steadily over the years, Indian Railways carry only 31% of the total freight carried in the country by all modes. It runs more than 7421 freight trains carrying about 3 Million Tonnes of freight every day. Most importantly, Railways is the backbone of supply chain of the defence establishment and play a very crucial role in security of the nation.

In India, the Ministry of Railways is the nodal authority for development and maintenance of rail transport. It is actively engaged in formulation of various policies and looking after the overall functioning of the railway system. To segregate passenger and freight traffic on railway network and to augment the carrying capacity of railway network, “Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited (DFCCIL)” was created as Special Purpose Vehicle to undertake planning & development, construction, maintenance and operation of Dedicated Freight lines. The Western DFC from JNPT to Dadri (1499 Kms.) with the superimposition of Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Ltd (DMICDC) has evinced keen interest for industrial development. Government has planned to develop industrial corridor along Eastern DFC also.

The Vision and the Mission of the Company is as follows:

VISION

To create a partnership with IR for retaining and expanding the market share of rail through efficient and reliable service with customer focus.

MISSION

As the dedicated agency to make the vision into reality, DFCCIL's mission is

- 1) To build a corridor with appropriate technology that enables Indian Railways to regain its market share of freight transport by creating additional capacity and guaranteeing efficient, reliable, safe and cheaper options for mobility to its customers.
- 2) To support the Government's initiatives towards ecological sustainability by encouraging users to adopt Railways as the most environment friendly mode for their transport requirements.

Strengths

Land Acquisition in the project continues to be its hallmark of strength. Even in difficult areas in Maharashtra, especially Greater Mumbai and in Rewari-Dadri section, the acquisition process has been moving smoothly as a result of a cautious and sensitive approach with the Project Affected People (PAPs) and intense frequent engagement with the State revenue and other officials.

Implementation of electrified DFC itself is an environment friendly activity and a major strength. On environmental front, necessary pre-project statutory clearances including forest clearance, ASI clearance & permission to cut trees including those in Taj Trapezium Zone (TTZ) have been obtained in EDFC sections of APL-1 & APL-2. Tree felling activity is in progress. SIA & EA of Mughalsarai-Bhaupur section (APL-2) have been finalised & approved during 2013-14. Stage-I forest clearance has been obtained for forest land diversion in parts of UP, Haryana and Maharashtra. A small parcel of 4.24 Ha. Land belonging to GAIL (India) Ltd. was successfully handed over to DFC in APL-1. On the Western DFC, all major environmental clearances except that of Coastal Regulatory Zone (CRZ) & Aravalli have been obtained. The CRZ clearance is expected shortly. On the other hand, process for clearance for Aravalli region in the district of Alwar, Rajasthan has been initiated.

During the year 2013-14, Safety, Health and Environment (SHE) Manual was finalized and issued in October, 2013. Capacity building for Social and Environment Management Unit (SEMU) have been done. Each corridor now is headed by separate General Manager supported by a team of professional experts. Similar capacity building of SEMU has been done in the field level as well where designated APM has been positioned for APL-1 & APL-2 for Social & Environmental activities.

The Concession Agreement signed between MoR and DFCCIL provides a detailed legal framework for the functioning of the Organization.

Weakness

In EDFC, absence of State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) in U.P and the delay in submitting application by the Contractor affected obtaining environment clearances for borrow pit & quarrying activities for quite some time. Statutory rules stipulate prior Environmental Clearance (EC) before excavation for ordinary earth or quarrying under Minor Mineral Rules. Continuous follow up with the authority is being maintained to expedite the matter. Delay in obtaining various statutory clearance by the contractor and his subcontractors could lead to risk of reputation to the project.

DFC requires 10703 hectares of Land spread over 3338 Kms for both Corridor. On the Eastern Corridor, DFC alignment passes through the States of West Bengal, Jharkhand, Bihar, Uttar Pradesh, Haryana, and Punjab. The Western Corridor passes through the State of Uttar Pradesh, Haryana, Rajasthan, Gujarat, and Maharashtra. The Acquisition of Land being the subject matter of the concerned States is a biggest challenge faced by the Company. The Land is to be acquired in terms of various guidelines issued by State Governments/Zonal Railways, Central Government, provision of NRRP 2007, the new Land Acquisition Act 2013 and requirement of funding agencies with respect to environmental and social considerations and expectations of project affected parties. Time bound execution of the project is hindered on account of delays in getting approvals from the concerned authorities.

Opportunity

Implementation of green field DFC project in environment friendly manner encountering reality in the field is an opportunity to replicate the same elsewhere in future DFC project.

DFC project will bring about a dramatic rise in rail transport capacity, efficient technology leading to faster movement within guaranteed transit time, and operational efficiency, contributing to national economy both directly and indirectly. Even during the construction phase, this project is a major boost for the national economy and various Industries. Infrastructure sector is pinning its hope on successful and timely execution of the project. The network is expected to provide long awaited total logistics solution to trade utilizing energy efficient rail transportation leading to development of various main Industries and ancillaries. The project will help in developing Industrial hubs i.e DMICDC on Western Corridor, Special Primary Economic Region (SPER) on Eastern Corridor, development of Industrial Corridor from Amritsar-Dankuni along the Eastern Corridor. It will also result in decongestion of major highways. Most importantly, DFCCIL has a great opportunity to build world class infrastructure that will have the capability of bringing about a paradigm shift in the transportation sector in India.

The DFC will be a game changer in transport logistics. Speedier, Scheduled services is expected to bring down logistics cost significantly. Development of logistics terminals along DFC will provide much awaited end logistic solutions to the Industry. It will help in creating employment not only on regional basis but on national level. The CSR policy of the company is focused towards upgrading the skills of the PAPs by providing the training.

Threats

In environmental front, geographical profile of DFC provides threat in successful implementation in a time bound manner. Success will be possible if work is implemented without seriously affecting environmental profile of the project area. Temporary disturbance may be offset with strict compliance of EMP during construction.

In order to ensure delivery of the project on time, coordinated efforts are required among all the stake holders and the parties involved in the projects i.e. Ministry of Railways, Planning Commission, Ministry of Finance, State Governments, Japan International Co-operation Agency, World Bank - and each must perform its obligations in time to ensure that DFCs get constructed in time and within the estimated completion cost. Consent of most of State Governments is awaited for elimination of ROBs and RUBs. The disbursement of the compensation in the process of acquiring the remaining land becomes complex with the introduction of new Land Acquisition Act. The Multi Stage clearances from funding agencies sometimes results in delay in the procurement process. In the Western DFC, the Company is facing Limited participation of Japanese Contractors leading to delay in processes. In order to overcome the situation, the issue had been raised on various occasions on all levels. In this regard, the Company organized Road shows in Japan in August 2012 & January 2013 respectively

The company continues to suffer lack of institutional strength as a result of non-availability of adequate resources at middle level. The post of all the Directors and Managing Director constituting the functional board has been short of its strength since 2011 continuously and in absence of full strength of functional directors various roles are already clubbed, which is affecting smooth functioning of Company .

Strategies

Land Acquisition in the project shall continue to be a challenge but at the same time hallmark of strength of the organization, and to further enhance the acquired capabilities of the organization learnt over a period of time through trials & tribulations, the Company has adopted and pursued the simple strategy of ensuring compliance with National Rehabilitation and Resettlement Policy adopted by the Government of India. DFC addresses needs and concerns of the Project Affected Persons (PAPs) by emphasizing their participation and by

extending necessary support to them in Resettlement and Rehabilitation process. For redressal of grievances related with Rehabilitation and Resettlement Plan, an Ombudsman has already been appointed. Besides Arbitrators have been appointed in each District, District Level Grievance Redressal Committee have also been formed in EDFC-1 & EDFC-2. The process of Land Acquisition is stretched over 9 States. In order to ensure the timely and hassle free acquisition, the State Level Coordination Committee have been formed headed by Chief Secretaries of the states for monitoring the progress of land acquisition in the states and to have a better liaisoning with the state machinery. The Company is stepping ahead in streamlining the current system and procedures. As a step ahead towards the good Corporate Governance for carrying out the activities in transparent manner, during the year under review, DFCCIL with the assistance of a professional IT consulting firm defined DFCCIL's IT requirements and under the supervision and funding of World Bank, selected a System Integrator for implementation for an Integrated IT solution at DFCCIL. The project aims at the centralized implementation of a software solution integrating Financial Management, Human Resource Management, Project Management, Enterprise Asset Management, Land Acquisition Information Management, Geographical Information Management, Portal, Document management system etc. These applications are hosted in SAP based ERP solution would primarily be utilized for running all these business applications. The ERP solution would manage the most critical functions of the organization. The system would expedite decision making, ensure better planning and co-ordination between different functions, better data management, effective reporting, knowledge management, etc. Time lost in accessing information will be reduced

Outlook

The outlook of the Corporation continues to be the another area requiring intense inputs as it appears to be building and growing in the direction of developing as a bureaucratic government organization rather than a vibrant commercial enterprise characterized due to various historical factors which have had serious impact on the morale and the work culture in the Corporation. However, during the year under review, there was a steady improvement in the Corporate Culture with the direct induction of professionals from other organizations and direct recruits from open market and implementation of various office procedures, Manuals and ERP.

Road Ahead

DFCCIL is committed to its motto of 'SSS' – 'Sincerity, Speed and Success' which would lead to fulfillment of Organization's Mission, Vision and Objectives.

Risks and Concerns

The Company is in the process of establishing Enterprise Risk Management Framework. Company has already designed a risk library listing top 20 risks and a mitigation plan for mitigating those risk. Risk Library and Mitigation Plan so designed would be reviewed and updated on periodical basis and a MIS would be introduced to assess the effectiveness of mitigation plan for a particular risk. A Risk Management structure has already been defined, which is likely to be implemented by October 2014. Risk Management Structure would comprise of a Risk Management Committee reporting to Board, a Chief Risk Management Coordinator reporting to Risk Management Committee, Heads of various departments such as Civil, S&T, IT, Administration, Electrical, Operation, Finance etc. and Chief Project Managers would act as Risk & Mitigation Plan Owner and would be responsible for risk identification, its prioritization and for framing the mitigation plan.

Internal Control Systems

In any organisation, internal control being an integral process, effected by an entity's Management and personnel is designed to address risks and to provide reasonable assurance that in pursuit of entity's mission, the general objectives of executing the operations more orderly, ethically, economically, efficiently and effectively is achieved and the resources are safeguarded against loss, misuse and damage.

The company has internal systems and processes in place, which ensures the execution of operation more orderly, ethically, economically, efficiently, and effectively, which is adequate and commensurate with the size of the Company. However, Internal Control being the ongoing process, the Management is committed towards its continuous improvement. The Audit Committee of the Board of Directors also reviews the reports of the Internal Auditor, comments of the Statutory Auditor and the Comptroller and Auditor General of India. The Management reviews the findings and recommendations of the auditors, takes corrective actions wherever necessary, and monitors the implementation of the recommendations.

Human Resource Development and Industrial relations

Mission and Values

The HR department serves the interests of the organization by supporting, developing and protecting its most valuable resource - People. It is committed to providing quality services in an environment of continuous change; to achieving business results through development of world class HR core competencies by promoting innovation through continuous learning and employee empowerment; and by building a collaborative organization characterized by challenging and supportive work environment that offers opportunities for both employee and organizational growth and at the same time being guided by ethical and professional standards.

Manpower Mobilization

As a part of manpower induction strategy, the initial emphasis was on taking experienced personnel on deputation from Indian Railways. However, keeping in view the long term requirements of the organization, direct recruitment from open market and permanent absorption of deputationists besides immediate absorption of serving Govt. /PSU employees has been followed. During the year 2013-14, 122 candidates joined DFCCIL through open market recruitment. In addition to above, 51 posts were filled from amongst serving Government/PSU employees through immediate absorption. All the 173 candidates have been provided the prescribed initial/induction training. The process of filling up of 178 posts during construction phase from open market direct recruitment and 127 posts of Durgawati Karwandiya Section have been initiated during the year.

Keeping in view the specific need of DFCCIL, Department of Public Enterprise has been periodically granting exemption to DFCCIL for the rule of immediate absorption. The present exemption is valid till 29.12.2015 with permission to induct 200 gazetted officers and 200 non - gazette employees on deputation terms. The normal deputation tenure in DFCCIL for Railway employees is 5 years, as approved by Railway Board in 2012. During the year, 49 employees had joined on deputation during the year and deputation extension of 45 officers have been issued by HR.

With new induction, total strength increases to 537 officers, out of which 296 are permanent.

Creation of New Posts

Keeping in view the increasing workload, 20 new posts have been created/upgraded in Mechanical, Administration, Company Secretary, HR, PPP, Corporate Communication, Corporate Coordination, Vigilance, Law, Rajbhasha, ROB.

Introduction of New Pay Scales FOR Non-Executive Staff

Pay Scales below E-0 i.e, from N1 to N7 have been introduced in DFCCIL for Non-executive Staff along with policy regarding mode of sourcing and further progression.

Promotion

Promotion policy in DFCCIL aims to take care of career advancement consistent with merit, suitability and performance while providing for adequate promotional avenues and to provide outstanding human resources support and service with appropriate skills and aptitudes so as to have effective leadership, professional expertise and quality consultation. Normally residency period of 4 years is required in one grade for promotion from executive to ED level. During the year, 13 employees, who became eligible have been promoted to next higher grade as per the above promotion policy.

SAP Initiatives

In a giant leap towards making HR functions online, HR modules on SAP have been made live with the implementation of SAP (ERP portal) in DFCCIL. This has resulted in saving time, maximizing productivity, and helped in accessing information more quickly and efficiently. This has also helped in enhancing employee satisfaction by enabling employees to access their personal information and perform day to day activities in a technologically efficient manner.

All employee related data and personal records have been uploaded on SAP and following HR functions have been made online since introduction of SAP during the year:

1. Orders for hiring/joining, transfer, deputation extension, promotion, absorption, repatriation, dues settlement etc.
2. Cadre plan and vacancy position
3. Leave Module
4. Staff grievances
5. Immovable Property Return
6. Employee Personal Data
7. Employee Request

More such initiatives, such as financial claims, movable property declaration, seniority list of regular employees, training etc. are in pipeline and will shortly be made live which will make execution of work faster and in a simple manner.

Policy Initiatives

Number of HR policy initiatives have been taken such as introduction of Pension, Gratuity, Staff Welfare, Advances etc., besides updation/modification in existing human resource policies.

DFCCIL Annual Award

With a view to encourage and motivate the employees for outstanding contribution, scheme of Annual Award

has been introduced in DFCCIL. Two running shields, one each for Eastern and Western Corridor has also been introduced for rewarding excellent work done by CPMs. During 2013 on DFCCIL Annual day, 22 employees were awarded for cash award of Rs. 5,000 each. The running shield for Eastern Corridor was given jointly to Tundla and Mughalsarai unit and for Western Corridor, the running shield was given to Noida Unit.

Employee of the Month

A scheme of “Employee of the Month” has been introduced in January 2014 with the objective of recognizing, rewarding and motivating the employees of the company who serve the company in an exemplary manner by outstanding performance with supportive attitude towards work to meet the goals of the organization.

- The “Employee of the Month” is given:
- A certificate by the MD/DFCCIL
- Photograph is published in newsletter of DFCCIL
- Memento (silver coin)
- Display of photo with details of work done on the notice board and on the official website/portal of the Company.

Training:

Technical trainings have been planned for professional upgradation of staff and officers of DFCCIL.

Training of DFCCIL is broadly divided into 4 groups:

- (i). Induction Training for direct recruits
- (ii). Induction Training for absorbees
- (iii). World Bank Approved Trainings
- (iv). Other Professional Trainings

World Bank approved Training:

Based on the Training need analysis done by HR involving Chief Project Managers (Field Officers) and GGM/GMs of Corporate Office, a detailed Training Plan was prepared which was also approved by World Bank. The target kept in World Bank Plan was for 275 officers and 651 mandays. The target has already been achieved.

Few Highlights of the Training Plan:

Leadership skills and Strategic Management – Indian School of Business (ISB)

- Based on pre-diagnostic done through ISB of expectations from the training program of the officers of DFCCIL involving senior level officers and Directors a tailor-made training plan was organized for 37 AGM and above level officers wherein MD/Directors have also participated.

- Training course at ISB Mohali helped officers in understanding various leadership styles, role of personal traits to understand own strengths and weakness, to imbibe other's perspectives and its influence on decision making, prioritization of tasks and time management.

Risk Management – Indian School of Business (ISB)

Two days' Training on Risk Management was organized for middle and senior level officers for a group of 37 persons. The training was organized for the first time and was found very useful by the participants.

Training in FIDIC Conditions:

- International FIDIC Trainer Mr. James Perry was engaged for giving training in Yellow and Silver Book as per the requirement of DFCCIL. The training was organized in two groups one for 40 senior level officers and one for 40 middle and junior level officials (against a target of 20).
- Training in FIDIC has given valuable input regarding international level tendering and its execution. This training has enabled the participants to understand the standard practices being used in World Bank aided projects. This training will groom the officers to understand and analyze the logics and rationale behind various set of tender conditions.

Training in Land Acquisition and Resettlement & Rehabilitation Program:

- Program on land acquisition and resettlement and rehabilitation was organized through ASCI, Hyderabad.

Trainings Abroad:

Heavy Haul

To provide exposure in international practices in heavy haul operation & maintenance in various countries, following trainings abroad were organized:

- Training cum Study Tour on Heavy Haul in Australia through Aurizon
- Heavy Haul Rail Africa Conference & Exhibition

Construction Law-Contracts & Dispute Management:

- GM/GGM level participation is planned for Construction Law – Contracts & Dispute Management training at London, UK.

Under **WDFC Phase-II training programme**, ten officers were provided 14 days' training through NKC under JICA in Hongkong, Australia & Japan on technical issues pertaining to construction, project management, operation aspects for management of freight rail company, tunnel, soft ground foundation, urban area structural works; container monitoring system, intermodal facilities and double stack container handling and operation, etc.

Seminar on Acceleration of Disbursement under Japanese ODA loan was organized for finance of DFCCIL in Japan.

Other Trainings:

- Participation in International exhibition for track technologies – iaf.
- Seminar on acceleration of disbursement under Japanese ODA Loan
- Railway Interchange 2013 Exhibition
- 12th Professional Development Course on Electric Traction Systems at London, UK.

Induction Training for Direct Recruits:

- For fresh recruits Induction and specialized technical trainings were organized at various Railway Training Institutes like:IRISET, IRICEN, CETA/CNB, SITARA/SC, SETI/BCT, ZRTI/UDI

Induction Training for officers taken on immediate absorption basis:

- For officers taken on immediate absorption basis, Induction and specialized technical trainings were organized at various Railway Training Institutes like:IRITIM, NAIR & DMRC

Other Important Trainings organized for DFCCIL officials:

- Geo Synthetics in Railway Track Structures
- Safety in Transportation
- Construction Contracts International and Indian Experiences
- High Speed Rail Travel – Low Cost Solution
- Development of Industrial
- International Conference on Resettlement, Rehabilitation and Benefit Sharing in Infrastructure Projects
- What makes a great Manager?
- Construction Project Delivery
- Multimodal Logistics
- Global Public Sector Enterprises Summit
- Broading and Corporate Communication
- Earthing System
- Latest trends in Design, Testing RLA studies of transformer and other high voltage substation equipment's.
- Operations and Maintenance and life cycle management of substation
- Emerging technologies in transmission and distribution smart grid
- Standard codification for goods & services
- HR summit
- Transparency in construction industries

Corporate Social Responsibility

As per the guidelines issued from time to time by Department of Public Enterprises, Government of India on Corporate Social Responsibility (CSR), all the CPSEs have to create a CSR budget as a percentage of net profit through a Board resolution. The amount of the Budget will depend on the net Profit after Tax (PAT) achieved by the Company.

As DFCCIL, is in construction phase, it was not mandatory for DFCCIL to go for CSR. However, it was decided that a small amount can be kept for CSR and to be tried as on an experimental basis, so as to benefit Project Affected Persons (PAPs) in the project areas.

Like previous year and as per MoU 2013-14 signed between DFCCIL & DPE, DFCCIL had decided to provide Vocational/Technical Trainings and computer literacy to PAPs with a view to generate employment among them under CSR during the year 2013-14. This would address livelihood and skill development for better job opportunities.

To impart trainings and provide computer literacy to PAPs, different agencies were roped in such as Government Agencies (ITIs, Schools, etc.) & NGOs.

An amount of Rs.18 Lakh allotted for CSR activities during the year 2013-14 has already been spent by providing trainings and computer literacy to PAPs in all the four selected Project Implementation Units (PIUs) under the control of respective CPMs, namely, Vadodara, Noida, Tundla and Allahabad/East.

Gender Equality was also a consideration point and women were also given equal opportunity. Various courses were designed and introduced under different schemes for target group of young women Mandays.

A total 651 PAPs including 188 females were provided Vocational/Technical Trainings of 35032 mandays in different job oriented trades. The key areas in which the trainees were given trainings are:

1. Electrical
2. Basic Beauty and Hair Dressing,
3. Embroider
4. Fabrication & Arc Welding
5. House Wiring
6. Repair of Home appliances
7. Electrician
8. Fitter
9. Garment Making
10. Box & Candle Making
11. Information Technology

In the field of **computer literacy**, a total 23 desktop computers with all accessories and table were provided in 15 schools located in areas of PAPs.



PAPs are being imparted vocational training of Electrician



PAPs are being imparted vocational training of Dress Making



PAPs are being imparted vocational training of Cutting & Tailoring.



PAPs are taking training in the field of Box & Candle making

In addition to above, some equipment's/tools including swing machines have been provided by DFCCIL to support the institute as well as students.

Environment Protection and Conservation

Environmentally proactive approach of DFCCIL is reflected from the initiatives taken that DFC alignments have been selected carefully to avoid or minimize damage to the environment by avoiding of sensitive forest land and social impacts. Social Impact Assessment studies have been conducted for Eastern and Western Freight Corridor to meet the World Bank & JICA safeguard policy. All major environmental clearances except that of Coastal Regulatory Zone (CRZ) & Aravalli have been obtained. The CRZ clearance is expected shortly. On the other hand, process for clearance for Aravalli region in the district of Alwar, Rajasthan has been initiated. Details of Mewat & Gurgaon, Haryana are being compiled for the same. In Gulistanpur of Greater Noida area, in the wake of an objection raised by ASI, on the assumption of being some ancient remains beneath the proposed DFCCIL Yard & its alignment, a GPR survey through IIT/Kanpur was conducted at the cost of DFCCIL which has now been completed and hopefully DFCCIL shall be getting the clearance very soon as nothing surfaced in the study to halt the work of DFCCIL. Besides, in Sanjay Gandhi National Park (SGNP) a sum of Rs 15 crore for study & conservation of forest area has been provided by DFCCIL & additionally an amount of Rs.16 crore has also been

provided in lieu of the Net Present Value of the diverted forest land in compliance of the in-principle approval by Govt. of India.

All the RRP, Social Impact Assessments and other activities of social management relating to land acquisition as prescribed by JICA for WDFC have been completed. During the year 2013-14, Resettlement Action Plan (RAP) and Environmental Assessment (EA) Report including Environmental Management Plan (EMP) of Mughalsarai-Bhaupur (APL-2) of EDFC were finalised & approved. Wide publicity of the same was made by uploading the same on DFCC's website as well as distribution to the Project offices. Three NGOs were appointed in EDFC-2 for implementation of RAP, preparation of Micro Plans and resolution of various grievances of PAPs. During the year, a Social & Environment Monitoring and Review Consultant (SESMRC) for EDFC-1 was appointed for monitoring of implementation of RAP & EMP. All necessary environmental clearances for EDFC have already been obtained. Climate Change Risk Assessment Study was undertaken for APL-2 and risk profile for the project was found to be low.

Safety, Health and Environment (SHE) Manual of DFCCIL was finalised and issued in October, 2013. Based on the SHE Manual, the Contractor of APL-1 section prepared its own SHE Plan, which was reviewed and cleared for implementation at work sites.

EIA studies of either corridor, EDFC & WDFC, have revealed negligible impact on the habitat of water bodies, wildlife, flora & fauna, ambient air quality, soil and not significant noise & vibration pollution due to DFC. Suitable mitigation measures and Environment Management Plan have been recommended in the reports. Cutting of trees to clear Right of Way (RoW), compensatory tree plantation and silicosis exposure reduction strategy have been adequately addressed in the EIA reports.

At implementation level, DFCCIL has already committed itself to take all necessary steps to mitigate the unavoidable impacts due to the construction and operation of the freight corridor. All such steps and the measures required to improve the quality of flora and fauna, wildlife and water-bodies; etc has been made integral parts of its procurement plans. SHE manual to provide minimum yardstick for Safety, Health and Environment protection on and around the project has also been issued along with Contract Document for ensuring its implantation during construction.



DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED

REPLIES TO STATUTORY AUDITORS COMMENTS IN THE AUDIT REPORT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2014

Auditors Comments	Management Reply
<p>Basis of qualified opinion</p> <p>1. We were unable to obtain audit evidence regarding frauds and vigilance cases, if any, because access to die information regarding the same was denied to us by the management. Consequently, we are unable to determine its effects on the financial statements of the company, if any,</p>	<p>1. Information on vigilance and fraud cases could not be shared with the Statutory Auditors in view of the Railway Board's circular RBV No. 08/2009 dated 12th June 2009, which clarified that in case a request is received from Principal Director of Audit or his next in command to see a vigilance case, the same can be shown to them in the Office of CVO provided that the investigation has been completed, reasonable firm conclusions have been reached and disciplinary action where necessary has been initiated.</p> <p>2. Information as regard to closed vigilance cases shall be shared with Statutory Auditors in the Office of CVO in future. However, Vigilance cases which are still under investigation shall be shown to the Statutory Auditors on conclusion of the investigation, in view of the above referred circular.</p>
<p>2. As per Notification No 25/2012- Service Tax, exemption has been granted for the services by way of construction, erection, commissioning or installation of original work pertaining to an airport, port or railways including mono rail or metro. In view of this notification, the company is exempt from Service Tax, however the company has paid Rs 2.13 Crore on account of reverse charge under Service Tax.</p>	<p>2. Company has paid Service Tax under reverse charge mechanism on the works contracts for civil work, awarded to Joint Venture Firms. In view of the notification No 25/2012- service Tax dated 20th June 2012 issued by Ministry of Finance (Department of Revenue). Government of India., whereby the services by way of construction, erection, commissioning or installation of original works pertaining to Railways are exempt from levy of Service Tax, the company stopped paying service tax under reverse charge mechanism on such works contracts.</p> <p>The company has filed the application with Sendee Tax Department on 03.09.2014 for refund of service tax paid inadvertently.</p>
<p>3. Bankers have deducted Tax at Source (TDS) on Interest received on Land Bank Accounts (SLAO). These accounts do not pertain to the company, however, the company has wrongly recognized the TDS on these accounts as its current asset and correspondingly shown as payable to Ministry of Railways. Accordingly the current assets and current liabilities are overstated by Rs 3.87Crore.</p>	<p>3. The TDS is in respect of interest on funds lying in the Joint Bank Accounts (Flexi Deposit) of State Land Acquisition Officer (SLAO) & DFCCIL. SLAO is the Competent Authority for acquisition of land for the Project on behalf of Ministry of Railways (MOR). Money lying in the bank pertains to MOR and do not form part of the Company's Accounts as has also been disclosed vide note no. 15.1 (a) of the financial statements. Similarly interest earned on such bank balances as well as TDS on interest earned also do not form part of Company's accounts. Since TDS certificate has been issued by the bank in the name of the Company and the TDS amount ii required to be</p>

	<p>transferred to MOR, an entry has been passed in the books of the Company to give effect to this transfer. In the given situation when TDS Certificate: have been issued by the Banks in favour of DFCCIL, there was no alternative but to do the above accounting. As such there is no overstatement of Current assets & current Liability.</p>
<p>Annexure to Independent Auditor's Report (CARO)</p>	
<p>i(a) The company has not maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situation of fixed assets.</p> <p>i(b) Fixed assets have not been physically verified during the year. In absence of the physical verification carried out by the management we are unable to comment upon the discrepancies, if any, between the financial records and physical asset.</p>	<p>i(a) At Present majority of Company's Fixed Assets consists of furniture/fixture, office equipment, computers etc. Asset Identification and Description of individual asset along with situational detail is being compiled and the same shall be made available during next audit. However, Company has maintained the Fixed Assets Register which contains the location wise details of Fixed Assets.</p> <p>i(b) Keeping in view the amount & nature of fixed assets during construction phase, Management has decided to carry out the physical verification of fixed assets once in 3 years and this has been disclosed suitably vide sub-note No. 2 to the Note 11 of Financial Statements. Management contemplate to carry out the First Physical Verification of Assets w. e. f. FY 2014-15.</p>
<p>iv As per the information and explanations given to us, the internal control procedures are generally adequate and commensurate with the size of the company and the nature of its business for the purchase of fixed assets except for payment of advance for purchase of immovable property without obtaining approval of competent authority.</p>	<p>iv All the advances have been paid after obtaining approval of the Competent Authority.</p>
<p>vii The company has a system of getting internal audit conducted by external firm of Chartered Accountants, In our opinion, the internal audit system is not commensurate with the size and nature of its business. Keeping in view the size and nature of its operations, the scope of Internal Audit needs to be enlarged.</p>	<p>vii The work of internal audit was given to the external firm of Chartered Accountants in the year 2012 keeping in view the scope of work anticipated at the time of award of work. However, the recommendations-of the Statutory Auditors have been noted and scope will be enlarged while assigning future assignments.</p>

<p>ix(a) The company is generally regular in depositing with appropriate authorities, undisputed statutory dues including provident fund, employee's state insurance, income tax, sales tax, wealth tax, service tax, custom duty, excise duty, cess and other statutory dues except that the company has an unpaid liability of ₹4.53 Crore as on 31st March 2014 on account of building and other construction worker! welfare cess. This includes ₹3.08 Crore pertaining to previous years. Also the company has not deducted tax at source on advance for deposit works.</p>	<p>ix(a) Provision of ₹4.53 crore stands made in the accounts for the FY 2013-14 and the same is being recovered from the contractor and is deposited in the govt. treasury accordingly.</p> <p>Most of the advances for deposit works are being paid to the Indian Railways or other Government Authorities and the liability for deducting TDS is not applicable in these cases. Advances for deposit works to other entities are being paid after deduction of TDS.</p>
<p>xxi We were unable to obtain audit evidence regarding frauds and vigilance cases, if any, because access to the information regarding the same was denied to us by the management. Consequently, we are unable to comment whether any fraud on or by the company has been noticed or reported during the year. (Also refer Paragraph 3 under Basis of Qualified Opinion of the Independent Auditor's Report of even date).</p>	<p>xxi Information on vigilance and fraud cases could not be shared with the Statutory Auditors in view of the Railway Board's circular RBV No. 08/2009 dated 12th June 2009, which clarified that in case a request is received from Principal Director of Audit or his next in command to see a vigilance case, the same can be shown to them in the Office of CVO provided that the investigation has been completed, reasonable firm conclusions have been reached and disciplinary action where necessary has been initiated</p> <p>Information as regard to closed vigilance cases shall be shared with Statutory Auditors in the Office of CVO in future. However, Vigilance cases which are still under investigation shall be shown to the Statutory Auditors on conclusion of the investigation, in view of the above referred circular.</p>

Annexure –“E”

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 619(4) OF THE COMPANIES ACT, 1956 ON THE ACCOUNTS OF DEDICATED FRIEGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LTD. FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2014.

The preparation of financial statements of Dedicated Frieght Corridor Corporation of India Ltd. for the year ended 31 March 2014 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 1956 is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroiler and Auditor General of India under Section 619(2) of the Companies Act, 1956 is responsible for expressing opinion on these financial statements under Section 227 of the Companies Act, 1956 based on independent audit in accordance with the auditing and assurance standards prescribed by their professional body, the Institute of Chartered Accountants of India. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 20.06.2014.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under Section 619(3)(b) of the Companies Act, 1956 on the financial statements of Dedicated Frieght Corridor Corporation of India Ltd. for the year ended 31st March 2014. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to Statutory Auditor's report under Section 619(4) of the Companies Act, 1956.

For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Place: New Delhi
Date: 16.07.2014

sd/-
(Dinesh Bhargav)
Pr. Director Audit (Railway Commercial)

Annexure –“F”

Declaration by Managing Director regarding compliance with the Code of Business and Ethics Conduct by Board members and Senior Management during financial Year 2013-14

I, Anshuman Sharma, Managing Director, Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited, do hereby declare that all the members of the Board of Directors and the Senior Management Personnel have affirmed compliance of the Code of Business and Ethics Conduct during 2013-2014.

Place : New Delhi
Date : 29.08.2014

Sd/-
(Anshuman Sharma)
Managing Director



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

**ANNUAL ACCOUNTS
OF
DFCCIL
FOR THE
FINANCIAL YEAR
2013-14**

BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2014

Amount in ₹ Lakh

Particulars	Note No	As at March 31 2014	As at March 31 2013
I. EQUITY AND LIABILITIES			
(1) Shareholders' Funds	3	270774.00	196505.00
(a) Share Capital	4	7272.35	-
(b) Reserves and Surplus			
(2) Share application money pending allotment	5	100792.88	74269.00
(3) Non-Current Liabilities			
(a) Long-Term Borrowings	6	99662.12	9427.74
(b) Other Long Term Liabilities	7	9296.30	2141.43
© Long Term Provisions	8	325.78	47.84
(4) Current Liabilities			
(a) Other Current Liabilities	9	18615.75	10742.03
(b) Short Term Provisions	10	89.68	4.71
	TOTAL	506,828.86	293,137.75
II. ASSETS			
(1) Non-Current Assets			
(a) Fixed assets	11		
(i) Tangible assets		897.57	672.41
(ii) Intangible assets		40.74	41.10
(iii) Capital work in progress		156,131.90	98,438.49
(iv) Capital Stores in Hand		-	1,572.72
(v) Assets under development		763.40	268.92
(b) Long-term loans and advances	12	259,842.67	131,254.42
(2) Current Assets			
(a) Cash and Bank Balances	13	84,062.11	54,192.34
(b) Short-term loans and advances	14	685.52	140.18
© Other current assets	15	4,404.95	6,557.17
	TOTAL	506,828.86	293,137.75

The Notes referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

This is the Balance Sheet referred to in our report of even date.

For and on Behalf of the board of Directors

For M/s Baweja & Kaul
Chartered Accountants
Firm Registration No: 05834N

Sd/-
(R. K. Gupta)
Managing Director

Sd/-
(M. K. Mittal)
Director (Fin.)

Sd/-
CA Samvit K Gurtoo
Partner
M.No. 090758
Place: New Delhi
Date: 20-06-2014

Sd/-
(Meenu Kapoor)
Company Secretary



Dedicated Freight Corridor
Corporation of India Limited

STATEMENT OF PROFIT & LOSS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2014

Amount in ₹ Lakh

Particulars	Note No	For the Year ended March 31, 2014	For the Year ended March 31, 2013
REVENUE			
REVENUE			
I. Revenue from operations			
II. Other Income	16	5,692.49	1,992.66
III Total Revenue (I + II)		5,692.49	1,992.66
EXPENSES			
Employee Benefit expense	17	-	-
Finance cost	17A	-	-
Depreciation and amortization expense	17B	-	-
Other expenses	17C	-	-
IV. Total Expenses			
V. Profit before exceptional and extraordinary items and tax (III-IV)		5,692.49	1,992.66
VI. Exceptional Items		-	-
VII. Profit before extraordinary items and tax (V - VI)		5,692.49	1,992.66
VIII. Extraordinary Items		-	-
IX. Profit before tax (VII - VIII)		5,692.49	1,992.66
X. Tax expense:			
(1) Current tax		1,930.88	642.22
(2) Income Tax (Earlier Year)		-	0.90
(3) Deferred tax		-	-
XI. Profit(Loss) for the year from continuing operations (IX-X)		3,761.61	1,349.54
(A) Transferred to Development Account		64.54	1,349.54
XII. Profit from discontinuing operations		-	-
XIII. Tax Expenses of discontinuing operations		-	-
XIV. Profit/(Loss) for the year from discontinuing operations (XII-XIII)		-	-
XV. Profit/(Loss) for the year (XI + XIV - (A))		3,697.07	-
XVI. Earnings Per Share (In ₹) (Face Value ₹1000 each)	29		
Basic		13.95	-
Diluted		13.93	-

The Notes referred to above form an integral part of the Statement of Profit and Loss.

For and on Behalf of the board of Directors

For M/s Baweja & Kaul
Chartered Accountants
Firm Registration No: 05834N

Sd/-
(R. K. Gupta)
Managing Director

Sd/-
(M. K. Mittal)
Director (Fin.)

Sd/-
CA Samvit K Gurtoo
Partner
M.No. 090758
Place: New Delhi
Date: 20-06-2014

Sd/-
(Meenu Kapoor)
Company Secretary

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2014

Amount in ₹ Lakh

Particulars	For the Year ended March 31, 2014	For the Year ended March 31, 2013
1 Cash Flow from Operating Activities		
Net profit before tax	5,692.49	1,992.66
Interest Income on Bank Deposits	(5,600.78)	(1,865.03)
Adjustments for charge to Development Account	(64.54)	(1,349.55)
Adjustments for changes in Working Capital:		
(Increase)/Decrease in other receivables	8,082.28	(5,020.36)
Increase (Decrease) in current liabilities	13,538.80	1,748.38
(Decrease) Increase in Provision		
Cash Generated from/(used in) Operations	21,648.25	(4,493.90)
Income Taxes (Paid)/Received	(1,865.11)	(868.99)
Net Cash generated from / (used in) Operating Activities (A)	19,783.14	(5,362.89)
2 Cash Flow from Investing Activities :-		
Purchase of Fixed assets Including Capital work in progress (CVV1P)	(52,288.61)	(34,357.93)
Sale of Fixed Assets	51.18	8.57
Interest Income from Bank Deposits	5,040.80	1,728.83
(Increase I/Decrease in Capital Advances	(128,588.24)	(107,494.38)
Net Cash generated from / (used in) Investing activities (B)	(175,784.87)	(140,114.91)
3 Cash flow from Financing Activities :-		
Proceeds from issuance of Share capital		80,000.00
Proceeds from Share Application Money	100,792.88	74,269.00
Proceeds from long -term borrowings	89,207.12	
Interest & Borrowing Costs	(78.18)	(15.23)
Net Cash generated from / (used in) Financing activities (C)	189,921.82	1,54,253.77
Net Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents (A+B+C)	33,920.09	8,775.97
Cash and Cash Equivalents at the beginning of the year	49,812.61	41,036.64
Cash and Cash Equivalents at the closing of the year	83,732.70	49,812.61
Cash and Cash Equivalents comprise:	83,732.70	49,812.61
Cash and Cash Equivalents	83,732.70	49,812.61

Notes: The Cash and Cash Equivalents includes ₹4,175,75 (Previous Year ₹855.53 Lakh) in Current/Deposit Account with bank, held on behalf of MOR and not freely available for the business of the company.

For M/s Baweja & Kaul
Chartered Accountants
Firm Registration No: 05834N

For and on Behalf of the board of Directors

Sd/-
CA Samvit K Gurtoo
Partner
M.No. 090758
Place: New Delhi
Date: 20-06-2014

Sd/-
(R. K. Gupta)
Managing Director

Sd/-
(M. K. Mittal)
Director (Fin.)

Sd/-
(Meenu Kapoor)
Company Secretary



DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED

Notes to the Financial statements

1. GENERAL INFORMATION

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited (DFCCIL) is set up under the administrative control of Ministry of Railway for construction, maintenance and operation of the Dedicated Freight Corridors.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

2.1 BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS

Financial statements of Company are prepared under the historical cost convention using the accrual method of accounting in accordance with the generally accepted accounting principles (Indian GAAP) and complying with the mandatory Accounting Standards (AS) as notified under section 21 I(3C) of the Companies Act, 1956.

2.2 USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements, in conformity with Indian GAAP, require management to make estimates and assumptions that effect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statement and the reported amounts of revenues and expenses for the years presented. Actual results could differ from those estimates. Any variation in the estimates and actual are adjusted in current and future accounting periods.

2.3 CASH FLOW STATEMENT

The Cash Flow Statement is prepared by the indirect method set out in Accounting Standard "3" on "Cash Flow Statements" and presents the cash flows from operating, investing and financing activities of the company.

2.4 FIXED ASSETS & CAPITAL WORK IN PROGRESS

- a) Fixed assets are stated at cost of acquisition/construction. In cases where final settlement of bills with contractors is pending, but the asset is complete and ready for use, capitalisation is done on estimated basis subject to necessary adjustment, including those arising out of settlement of arbitration/court cases, in the year(s) of final settlement.
- b) Capital work-in-progress is carried at cost. Expenditure during construction net of incidental income, is capitalized as part of relevant assets.
- c) Capital Stores are valued on Weighted Average Cost.

2.5 DEPRECIATION & AMORTISATION

- a) Depreciation on additions to /deductions from fixed assets during the year is charged on pro-rata basis from / up to the date on which the asset is available for use / disposal.
- b) Depreciation on Fixed Assets is provided on the written down value method at the rates specified in Schedule XIV to The Companies Act, 1956 except in the case of Laptop where depreciation is provided on pro-rata basis on straight-line method @ 30%.
- c) Asset valuing ₹5000/- or less are fully depreciated in the year of addition thereof.
- d) Mobile instruments are charged off to revenue.

- e) Cost of software is recognized as Intangible Assets and is amortized on straight line method over a period of legal right to use or three years, whichever is earlier. Other intangible assets are amortized on straight line method over the period of legal right to use.
- f) Fixed Assets created on leasehold land and Leasehold Premises improvements are depreciated fully over the residual period of lease of respective land / leasehold premises or over the life as determined using the applicable rates of depreciation as per Companies Act, 1956, whichever is shorter.
- g) Where the cost of depreciable assets has undergone a change during the year due to increase/decrease in long term liabilities on account of exchange fluctuation, price adjustment, change in duties or similar factors, the unamortized balance of such assets is depreciated prospectively over the residual life of such assets.
- h) Where the life and / or efficiency of an asset is increased due to renovation and modernization, the expenditure thereon along-with its unamortized depreciable amount is charged prospectively over the revised / remaining useful life determined by technical assessment.

2.6 REVENUE

- a) Revenue is recognized based on the nature of activity when consideration can be reasonably measured and there exists reasonable certainty of its recovery.
- b) Interest on Bank Deposits is booked on a time proportion basis.
- c) Other items of income are accounted for as and when the right to receive is established.
- d) Service charges income is recognized as per the terms of the contracts

2.7 FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

- a) Transactions in foreign currency are initially recorded at exchange rates prevailing on the date of transaction. At each Balance Sheet date monetary items denominated in foreign currency are translated at the exchange rate prevailing on the Balance Sheet date.
- b) Exchange difference on foreign currency borrowings to the extent regarded as adjustment to interest costs in terms of Para 4(e) of AS-16 on Borrowing Costs is accounted for as borrowing costs in terms of ibid AS and balance is adjusted to the carrying cost of respective fixed asset/Capital Work-in-Progress, to which such borrowing pertains.
- c) Exchange difference on other monetary items are recognized as income & expenses.

2.8 EMPLOYEE BENEFITS

- a) All employee benefits payable wholly within twelve months of rendering the service are classified as short term employee benefits. Benefits such as short- term compensated absences, etc. are recognized in the period in which the employee renders the related service.
- b) Provision for Post employment benefit as defined in AS-15 (2005) on Employee Benefits is made based on actuarial valuation at the year-end.
- c) Provision for Long term employee benefits such as Long-term compensated absences, is made in the books on the basis of actuarial valuation made at the year end.

- d) Provision/liabilities towards Foreign Service Contribution are made in terms of Government Rules & Regulation for employees on deputation and charged to development Account.
- e) Expenses on Ex-gratia payments & Notice Pay under Voluntary Retirement Scheme are charged to revenue in the year of incurrence.

2.9 BORROWING COST

Borrowing costs attributable to the acquisition or construction of qualifying assets are capitalized as part of the cost of that asset. Other borrowing costs are recognized as expenses in the period in which these are incurred. Cost of raising borrowings / upfront fees and other similar expenses are capitalized/charged as expense in the year of incurrence itself.

2.10 TAXES ON INCOME

Tax on income for the current period is determined on the basis of taxable income under the Income Tax Act, 1961.

Deferred tax is recognized on timing differences between the accounting income and taxable income for the year and quantified using the tax rates and laws enacted or substantively enacted as on the Balance Sheet date. Deferred tax assets are recognized and carried forward to the extent there is a virtual certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized.

2.11 PROVISIONS. CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

Provisions are recognized in respect of obligations where, based on the evidence available, outflow of resources is probable and a reliable estimate can be made of the amount of obligation. Contingent Liabilities are determined on the basis of available information. These liabilities are not provided and the same are disclosed in the notes to accounts. Contingent Assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements.

2.12 MISCELLANEOUS

- a) Liabilities for Goods in transit/Capital works executed but not certified are not provided for, pending inspection and acceptance by the Corporation.
- b) Claims including price variation are accounted for on acceptance.
- c) Liquidated Damages are recognized at the time of actual recovery.
- d) Prepaid expenses and prior period expenses/income of items of ₹50,000/- and below are charged to natural heads of accounts.
- e) Insurance claims are accounted for based on Management best assessment of the quantum of loss & coverage thereof in terms of Insurance Policy. Any shortfall / excess are adjusted on the settlement of claims. Claim towards losses of CWIP, for which Insurance are obtained by Contractors under the provisions of respective contract agreement, are not accounted in the books of Company.

3. Share Capital

Amount in ₹Lakh

Particulars	As at March 31, 2014	As at March 31, 2013
Authorized Share Capital 8,00,00,000 (Previous Year 4,00,00,000)	800,000.00	4,00,000.00
	800,000.00	4,00,000.00
Issued, Subscribed & Paid up Capital 2,70,77,400 (Previous Year 1,96,50,500) Equity Shares off ₹ 1000/- each	270,774.00	196,505.00
	270,774.00	196,505.00

3.1 Reconciliation of the Number of Equity Shares

Particulars	As at March 31, 2014		As at March 31, 2013	
	Number of Shares	Amount in ₹ Lakh	Number of Shares	Amount in ₹ Lakh
Balance as at the beginning of the year	19,650,500	1,96,505.00	7,742,900	77,429.00
Add :Equity Shares issued during the Year	7,426,900	74,269.00	11,907,600	119,076.00
Balance as the end of the year	27,077,400	270,774.00	19,650,500	196,505.00

3.2 Details of Shares held by shareholders holding more than 5% of the aggregate shares in the Company

Particulars	As at March 31, 2014		As at March 31, 2013	
	Number of Shares	% of Holding	Number of Shares	% of Holding
Equity Shares :				
The President of India & his nominees (Ministry of Railways)	27,077,400	100%	19,650,500	100%

3.3 Rights, Preferences & Restrictions attached to Equity Shares

The Company has only one class of equity shares referred to as equity shares having par value of ₹1000/-. Each holder of one equity share is entitled to one vote per share. In the event of liquidation of the company, the holders of shares shall be entitled to remaining assets of the company, after distribution of all preferential amounts.

4 Reserves And Surplus

Particulars	As at March 31, 2014	As at March 31, 2013
Surplus:		
Opening Balance	3,575.28	-
Add: Transfer from Development Account	3,697.07	-
Add: Profit after Tax (Current year)	7,272.35	-
Less: Appropriations	-	-
Closing Balance	7,272.35	-

4.1 Money on account of equity is kept in bank deposits, pending its utilization, Profit after tax for the current year includes ₹3,697.07 Lakh towards interest earned on such bank deposits. Such interest income amounting to ₹3,575.28 Lakh till financial year 2012-13, earlier credited to Development Account, has now been transferred to Reserves & Surplus.

5 Share Application Money Pending Allotment

- Company had opening balance of ₹74,269.00 Lakh of share application money received from Ministry of Railways. Company issued Equity shares at par in respect of this outstanding share application money on 29.04.2013.
- Company has closing balance of ₹1,00,792.88 Lakh of share application money received from Ministry of Railways as on 31.03.2014. 1,00,79,288 No of Equity shares are required to be issued at par for said outstanding application money during F/Y 2014-15, The Company has sufficient Authorized Share Capital to cover the share allotment against such share application money received. There is no overdue amount of share application money pending allotment as on 31.03.2014.

6 Long Term Borrowings

Amount in ₹Lakh

Particulars	As at March 31, 2014	As at March 31, 2013
Term Loans From Others		
Unsecured Loan		
Loan from Ministry of Railways for EAP/ JICA Projects (Loan from Ministry of Railway For External Aided Project.) JICA -205	11,414.15	8,102.00
Loan from Ministry of Railways for EAP/ JICA Projects (Loan from Ministry of Railway For External Aided Project.) JICA - 209	57,972.53	--
Loan from Ministry of Railways for EAP/ JICA Projects (Loan from Ministry of Railway For External Aided Project.) JICA-212	5,006.48	--
Loan from Ministry of Railways for EAP/IBRD Projects	25,268.96	1,325.74
Total	99,662.12	9,427.74

6.1 Terms of Repayment (EAP/JICA LOAN)

Loan by JICA is being given to Ministry of Railways as Externally Aided components of Gross Budgetary Support through Ministry of Finance, This is passed on to DFCCIL as a Loan on the same terms and conditions- Dividend is paid by Ministry of Railways to the Ministry of Finance @ 7% over the period of the loan. Therefore, DFCCIL is required to pay simple interest @7% on loan amount, which will accrue for first ten years (Period of Moratorium) and is payable to MOR only after the first ten years in ten equal instalments along with regular interest of 11th year onward. Accordingly the Company has made a provision of simple interest at the rate of 7% on the loan received from MOR.

6.2 Terms of Repayment (EAR/IBRD LOAN)

The Government of India (GOI) through the Ministry of Finance has entered into a Loan Agreement dated; 27/10/2011 with the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) to avail a loan of USD 975 Million which shall be utilized towards, Institutional Development Activities and design, construction and commissioning of 343 Kms of double track electrified railway on the Khurja-Kanpur section of the Eastern Dedicated Freight Corridor (EDFC).

In terms of the Loan Agreement, DFCCIL has been identified as the Project Implementing Entity. DFCCIL has also entered into a Project Agreement with the Bank, dated 27/10/2011 for implementation of project. Further, to facilitate the carrying out of the project by DFCCIL, GOI through the MoR is required to make the proceeds of the Loan available to DFCCIL by way of MOR Loan under a Subsidiary Loan Agreement between the GOI through MoR and DFCCIL, under terms and conditions satisfactory to the Bank.

The repayment of Loan along with interest will be made by DFCCIL to MOR in Rupee equivalent of the USD Loan/interest amount.

6.3 Principal Repayment Terms & Details

Loan	Commencement of Repayment	Repayment Term	Repayment Period
JICA Loan - 205	From Mar. 2020	Half yearly	In 61 Installments
JICA Loan -212	From Jul. 2020	Half yearly	In 61 Installments
IBRD Loan (EDFC)	From Nov. 2018	Half yearly	In 30 Installments

7 Other Long Term Liabilities*

Amount in ₹Lakh

Particulars	As at March 31, 2014	As at March 31, 2013
Trade payables		
Others		
(i) Interest accrued but not due on Loan from MoR on EAP/JICA	2,807.16	977.50
(it) Misc. Deposits (Security Deposits received from Supplier & Service Providers)	755.75	1,138.41
(iii) Income Received in Advance	171.87	
(iv) Advance received from customers against Deposit Work	5,561.52	25.52
Total	9,296.30	2,141.43

* Disclosure requirement under section 22 of The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 is given in Note No. 31.

8 Long Term Provisions

Amount in ₹Lakh

Particulars	As at March 31, 2014	As at March 31, 2013
(A) Provision for Employee Benefits		
Gratuity	104.75	24.21
Leave Encashment	144.50	23.63
Leave Travel Concession	76.53	-
(B) Other Provisions	-	-
Total (A) + (B)	325.78	47.84

8.1 Employee Benefits.

a Gratuity:

Provision for gratuity liability for the year has been made as per Actuarial Valuation as on 31 -03-2014.

Gratuity Benefit is payable to employees on separation from the corporation. The amount of gratuity payable is based on past service and salary at the time of se as per Payment of Gratuity act, 1972. There is a vesting period of 5 years on the benefit.

A reconciliation of opening & closing Balances of the present value of the retirement benefit (Gratuity) obligation and the effects during the year attributable to the following:

Change in present value of obligation:

Amount in ₹Lakh

Particulars	As at March 31, 2014	As at March 31, 2013
Opening Balance	25.94	10.01
Interest Cost	2.08	0.80
Current service cost	37.31	8.95
Benefit paid		
Actuarial (Gain)/ Loss on obligation	44.61	6.18
Closing Balance	109.94	25.94

Expenses recognized

Amount in ₹Lakh

Particulars	As at March 31, 2014	As at March 31, 2013
Interest Cost	2.08	0.80
Current service cost	37.31	8.95
Actuarial (Gain)/ Loss on obligation	44.61	6.18
Expenses recognized and transferred to Development Account	84.00	15.93

Movement in the liability recognized in the Balance sheet

Amount in ₹Lakh

Particulars	As at March 31, 2014	As at March 31, 2013
Opening net liability'	25.94	10.01
Expenses as above	83.99	15.93
Benefit Paid	-	-
Actual return on plan assets	-	-
Acquisition adjustment	-	-
Closing net liability	109.93	25.94
Recognized as under:		
Long Term Provision	104.75	24.21
Short Term Provision	5.18	1.73
Total	109.93	25.94

Actuarial Assumptions:

Amount in ₹Lakh

Particulars	Year Ended March 31, 2014	Year Ended March 31, 2013
Method Of Valuation:	Project Unit Credit Method	Project Unit Credit Method
Discount Rate :	8.50%	8.00%
Salary Escalation Rate:	6.00%	3.00%
Mortality rate	IALM (2006-08)	IALM (1994-96)

b) Leave Encashment:

Provision for leave encashment liability for the year has been made as per Actual Valuation as on 31-03-2014

Employees are entitled to encashment of earned leaves subject to certain limits and other conditions specified for the same. A reconciliation of opening & closing Balances of the present value of obligation and the effects during the year attributable to each are the following:

Change in present value of obligation:

Amount in ₹Lakh

Particulars	As at March 31, 2014	As at March 31, 2013
Opening Balance	26.61	-
Interest Cost	2.13	-
Current service cost	73.94	26.61
Benefit paid	4.93	-
Actuarial (Gain)/ Loss on obligation	52.48	-
Closing Balance	160.09	26.61

Expenses recognized

Amount in ₹Lakh

Particulars	As at March 31, 2014	As at March 31, 2013
Interest Cost	2.13	-
Current service cost	73.94	26.61
Actuarial Loss / (Gain) on obligation	52.48	-
Expenses recognized and transferred to Development Account	128.55	26.61

Movement in the liability recognized in the Balance sheet

Amount in ₹Lakh

Particulars	As at March 31, 2014	As at March 31, 2013
Opening net liability	26.61	-
Expenses as above	128.55	26.61
Benefit Paid	4.93	-
Actual return on plan assets	-	-
Acquisition adjustment	-	-
Closing net liability	160.09	26.61
Recognized as under:		
Long Term Provision	144.50	23.63
Short Term Provision	15.59	2.98
Total	160.09	26.61

Actuarial Assumptions:

Amount in ₹Lakh

Particulars	Year Ended March 31, 2014	Year Ended March 31, 2013
Method Of Valuation:	Project Unit Credit Method	Project Unit Credit Method
Discount Rate :	8.50%	8.00%
Salary Escalation Rate:	6.00%	3.00%
Mortality rate	IALM (2006-08)	IALM (1994-96)

c) Leave Travel Concession:

Provision for leave travel concession for the year has been made as per Actuarial Valuation as 31-03-2014

Employees are entitled to leave travel concession subject to certain limits and other conditions specified as same.

A reconciliation of opening & closing Balances of the present value of obligation and the effects during the year attributable to each are the following.

Change in present value of obligation:

Amount in ₹Lakh

Particulars	As at March 31, 2014	As at March 31, 2013
Opening Balance	-	-
Interest Cost	-	-
Current service cost	79.68	-
Benefit paid	-	-
Actuarial (Gain)/ Loss on obligation	-	-
Closing Balance	79.68	-

Expenses recognized

Amount in ₹Lakh

Particulars	As at March 31, 2014	As at March 31, 2013
Interest Cost	-	-
Current service cost	79.68	-
Actuarial Loss / (Gain) on obligation	-	-
Expenses recognized and transferred to Development Account	79.68	-

Movement in the liability recognized in the Balance sheet

Amount in ₹Lakh

Particulars	As at March 31, 2014	As at March 31, 2013
Opening net liability	-	-
Expenses as above	79.68	-
Benefit Paid	-	-
Actual return on plan assets	-	-
Acquisition adjustment	-	-
Closing net liability	79.68	-
Recognized as under:		
Long Term Provision	76.53	-
Short Term Provision	3.14	-
Total	79.68	-

Actuarial Assumptions:

Amount in ₹Lakh

Particulars	Year Ended March 31, 2014	Year Ended March 31, 2013
Method Of Valuation:	Project Unit Credit Method	-
Discount Rate :	8.50%	-
Salary Escalation Rate:	6.00%	-
Mortality rate	IALM (2006-08)	-

9 Other Current Liabilities

Amount in ₹Lakh

Particulars	As at March 31, 2014	As at March 31, 2013
(i) Earnest Money & Performance Security Deposit	292.05	320.05
(ii) Advance for Land (Pending for transfer to SLAO A/c)	4,175.75	905.41
(iii) Advance received from customers against Deposit Work	6.48	6.48
(iv) Payable to MoR (For TDS on SLAO Bank A/c)	406.35	672.27
(v) Others Payables*	12,916.20	8,750.53
(vi) Misc. Deposits (Security Deposits received from Supplier & Service Providers)	744.17	82.21
(vii) Income received in Advance	16.20	-
(viii) Interest accrued but not due on Loan from MoR on iBRD IARG	58.55	4.63
Total	18,615.75	10,742.03

- 9.1 Disclosure requirement under section 22 of the Micro , Small and medium enterprises development Act 2006 is given in Note No. 31
- 9.2 Other Payables includes ₹ 453.70 Lakh towards Labour Welfare Cess payable. The same is recoverable from contra No, 14.
- 9.3 Other Payables includes ₹260.22 Lakh towards provision made on account of Foreign Service Contribution in respect of employees on deputation on estimate basis:

10 Shortterm Provisions

Amount in ₹Lakh

Particulars	As at March 31, 2014	As at March 31, 2013
(A) Provision for Employee Benefits		
Gratuity	5.18	1.73
Leave Encashment	15.59	2.98
Leave Travel Concession	3.14	-
(B) Other Provisions		
Income Tax	65.77	-
Total (A)+(B)	89.68	4.71

- 10.1 Income (ax provision of ₹65.77 Lakh is net of Advance Tax & TDS amounting to ₹ 1,865.11 Lakh (Cross amount of provision ₹ 1,930.88 Lakh).
- 10.2 Provision Tor Income tax has been made in respect of Income from Interest on Fixed Deposits and Service Charges recovered. However no provision has been made i Interest on Mobilization Advance given lo Contractor and on the Liquidated damage (LDA) recovered as the same has been considered as Capital Receipt based on opinion obtained from Consultants. No adjustment has been made for deferred taxes on income as per AS 22, as the Company is in construction stage.

Notes to the Financial statements

11 Fixed Assets

Amount in ₹Lakh

Particulars	GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK	
	As at 1st April 2013	Additions during the Year	Deletions/adjustments during the Year	As at 31st Mar 2014	As at 1st April 2013	Charge for the Year	Deletions during the Year	As at 31st Mar 2014	As at 31st Mar 2014	As at 31st Mar 2013
(I) Tangible Assets										
(i) Flat (Leasehold)	—	160.00	—	160.00	—	5.33	—	5.33	154.67	—
(ii) Leasehold Premises Improvement	1,074.44	74.76	21.26	1,127.94	1,027.73	47.77	—	1,075.50	52.44	46.71
(iii) EDP Assets	418.77	130.50	15.18	534.09	248.58	83.51	5.99	326.09	208.00	170.20
(iv) Office equipment	541.86	60.94	68.95	533.85	248.28	45.17	51.62	241.84	292.01	283.57
(v) Furniture and fixtures	279.13	69.93	3.85	345.20	117.19	38.50	0.94	154.75	190.45	161.93
Total (A)	2,314.20	496.13	109.24	2,701.08	1,641.78	220.28	58.55	1,803.51	897.57	672.41
Intangible Assets										
(I) Computer software	120.61	40.84	0.14	161.31	79.51	41.06	—	120.57	40.74	41.10
Total (B)	120.61	40.84	0.14	161.31	79.51	41.06	0.00	120.57	40.74	41.10
Total (A) + (B)	2,434.81	536.97	109.38	2,862.39	1,721.29	261.34	58.55	1,924.08	938.31	713.50
Previous Year	2,117.29	335.44	17.91	2,434.81	1,311.24	421.08	11.01	1,721.30	713.51	

Notes

- Company has taken leasehold premises at various locations for offices for varying lease period. Improvements on such leasehold assets is depreciated/amortized as per accounting policy at 2.5(f).
- Keeping in view the amount and nature of fixed assets, during the construction phase, physical verification of assets is done once in three years w.e.f 2014-15,
- Lease Deed in respect of flat amounting to ₹ 160.00 Lakh is yet to be executed in favour of the company.
- Due to change in Accounting Policy to charge off mobiles (Refer Note 26), Gross Block and Accumulated Depreciation of Office Equipments is reduced by ₹62.95 Lakh and ₹45.68 Lakh respectively.

Notes to the Financial statements
(iii) Capital Work In Progress

Particulars	As at April 1, 2013	Additions during the Year	Capitalized during the Year	Deletions/ Adjustments during the Year	As at March 31, 2014
(i) Earthwork	17,507.16	4,402.30	-	-	21,909.47
(ii) Bridges under progress	33,752.74	19,587.78	-	-	53,340.52
(iii) Tracks	-	3,190.88	-	-	3,190.88
(iv) Other Project Expenditure	28,833.46	7,064.30	-	-	35,897.75
(v) Formation	73.68	110.19	-	-	183.88
(vi) Overhead Electric Equipment	8.22	-	-	-	8.22
(vii) Material issued to Contractors	-	7,568.53	-	-	7,568.53
(viii) Expenditure During construction period (Development A/c Pending Capitalisation)	18,263.23	12,194.13	-	(3,575.28)	34,032.65
Total	98,438.49	54,118.11	3,575.28		156,131.90

Particulars	As at April 1, 2013	Additions during the Year	Issued during the Year	As at March 31, 2014
(i) Rail Supply	1,572.72	5,995.81	7,568.53	
Total	1,572.72	5,995.81	7,568.53	

Particulars	As at April 1, 2013	Additions during the Year	Capitalized during the Year	Deletions/ adjustments during the Year	As at March 31, 2014
Tangible					
(i) Air Conditioning System Installation Under Progress	8.42	5.81	14.23	-	-
(ii) Leashold Improvements Under Progress	98.84	150.71	-	-	249.55
Intangible					
(iii) Software Under Progress IT	161.66	352.19	-	-	513.85
Total	268.92	508.71	14.23		763.40

12 Long Term Loans & Advances

Amount in ₹Lakh

Particulars	As at March 31, 2014	As at March 31, 2013
A. Capital Advance		
a) Secured Considered Good		
i. Mobilisation Advance (Secured against hypothecation of Plant & Machinery in favour of DFCCIL)	4,180.52	4,830.81
b) Unsecured Considered Good		
i. Advance to Railways	919.17	919.17
ii. Advance for Electric Substation	15579.12	10907.57
iii. Advance for Shifting of Utilities	135159.82	85890.27
iv. Advance For Construction of Officer Flats & Guest House	1241.50	1401.50
v. Mobilisation Advance	102007.14	26779.10
TOTAL	259087.27	130728.42
B. Security Deposit		
a) Unsecured Considered Good		
i. Security Deposit-. Electricity	240.95	20.95
ii. Security Deposit - Lease Rent	63.31	52.11
iii. Security Deposit Against- Telephone & Others	1.30	0.42
iv. Security Deposit Against-Cutting of Trees	36.02	36.02
TOTAL (b)	341.58	109.50
(c) Others		
Advance Income Tax & TDS #		
TOTAL (c)	413.82	416.50
TOTAL (a+b+c)	259,842.67	131,254.42

Advance Income Tax & TDS (Net of provision for income tax) for earlier years pending assesment/refund.

12.1 The Company has given advances to various parties for creation/shifting of utilities along the freight Corridors under construction. The total amount of such advances (Note No. 12.A b) i to iii) as on 31.03.2014 is ₹ 1,51,658.11 Lakh (Previous Year ₹ 97,717.01 Lakh). The works are under various stages of progress and the same will be accounted for on completion of respective works by the concerned parties.

13 Cash and Bank Balances

Amount in ₹Lakh

Particulars	As at March 31, 2014	As at March 31, 2013
(a) Cash and Cash Equivalents		
Bank Balances		
- Current Accounts *	-4,681.35	-9,851.38
- Cheques in hand	4.10	-
- Deposit Accounts with maturity of 3 months or less	88,409.95	63,664.00
(b) Other Bank Balances		
- Fixed Deposit Accounts Pledged as Security	329.41	379.72
TOTAL (a) +(b)	84,062.11	54,192.34

* Negative balance in Current Accounts with banks represents cheques issued pending clearance against Flexi Deposits.



13.1 Bank Balances includes ₹4,170.13 Lakh (Previous Year ₹850.00 Lakh) and ₹5.62 Lakh (Previous year ₹5.53 Lakh) in Deposits Accounts with maturity of 3 months or less and in Current Accounts respectively, held on behalf Ministry of Railways.

14 Short Term Loans & Advances

Amount in ₹Lakh

Particulars	As at March 31, 2014	As at March 31, 2013
(a) Other Loans & Advances		
(i) Employee advances	19.07	14.14
(ii) Prepaid Expense	5.44	34.50
(iii) Service Tax Input Credit & Advance Paid	94.73	1.06
(iv) Security Deposit - NDMC	10.33	10.87
(v) Others	555.95	79.61
Total	685.52	140.18

14.1 There is no advance to directors outstanding as on 31.03.2014 (Previous year-NIL)

15 Other Current Assets

Amount in ₹Lakh

Particulars	As at March 31, 2014	As at March 31, 2013
(a) Interest accrued on Fixed Deposit and Mobilization advances		
On Deposit Accounts with Banks	727.89	167.91
On Mobilisation Advances	123.05	470.70
(b) Expenditure on Land Acquisition -Recoverable from MOR	2,653.40	3,858.42
(c) Expenditure on Pets Survey -Recoverable from MOR	526.76	1,194.74
(d) Recoverable from Staff	16.92	2.17
(e) Other Recoverable	356.93	863.23
(Represents Rent & Facility Management charges etc. receivable on account of sub-lease)		
Total	4,404.95	6,557.17

15.1 Expenditure on Land Acquisition :

- (a) As per the directions of Ministry of Railways (MOR), Land for the project shall be acquired in the name of MOR under The Railways Act, 1989 as modified by The Railways (Amendment) Act, 2008 and the land so acquired shall be leased to the Company at lease rent of 6% per annum of the land cost. Lease rent shall commence from the date of commissioning. Funds for acquisition of land are being provided by MOR to separate bank accounts, being operated jointly by the State Land Acquisition Officer, being the Competent Authority under the above Act and a nominated official of the Company. Such Bank Accounts do not form part of the Company's accounts.
- (b) In addition to the compensation payments for land acquisition, for which funds are given by MOR in separate account as explained in (a) above, Company is incurring facilitation & administrative expenditure in connection with acquisition of land, which are reimbursable by MOR on actual basis.

16 Other Income

Amount in ₹Lakh

Particulars	Year ended March 31, 2014	Year ended March 31, 2013
(A) Interest Income		
Interest on FDR	5,600.78	1,865.03
Total (A)	5,600.78	1,865.03
(B) Other Non Operating Income		
Misc. Income	10.72	1.35
Security Deposit & Earnest Money Deposit Forfeited	5.91	15.69
Rent Recovery on Sub Lease (See below note No. 16.1)	462.70	454.91
Housekeeping	22.28	25.27
Office Security Exp.	40.20	41.93
Electricity Exp. Office	79.05	40.60
Office Repair & Maintenance	0.05	0.04
Repair & Maintenance - A.C.	4.41	-
Annual Maintenance Charges	8.28	16.31
Composite Rent & Facility Management Charges Received	150.00	224.00
Total (B)	783.60	820.10
(C) Less : Direct expenses		
Housekeeping Expenses	19.82	22.47
Rent	462.70	454.91
Composite Rent & Facility Management Exp	91.94	127.16
Office Security Expenses	35.77	37.29
Electricity Exp. Office	70.33	36.11
Office Repair & Maintenance	0.04	0.03
Repair & Maintenance - A.C.	3.92	-
Annual Maintenance Charges	7.37	14.50
Total ©	691.89	692.47
(D) Net Other Non Operating Income (B) - (C)]	91.71	127.63
Net Other Income [(A) + (D)]	5,692.49	1,992.66

16.1 Sub Lease:

Sub lease receivables recognised in the Statement of Profit & Loss for the year 2013-14 is ₹ 462.70 Lakh (P.Y ₹454.91 Lakh)

17 Employee Benefits Expense

Amount in ₹Lakh

Particulars	Year ended March 31, 2014	Year ended March 31, 2013
Salary, Wages & Allowances	5,481.27	3,740.86
Leave Salary & Pension Contribution	2.78	0.80
Gratuity, Contribution to PF & Pension Scheme (incl. admin fee)	229.06	76.93
Staff Welfare	396.07	319.19
Total	6,109.18	4,137.78
Less: Transferred to Development Account (Note 19)	6,109.18	4,137.78
Balance (Transferred to Statement of Profit & Loss)	-	-

17.1 Disclosure in term of AS - 15 is as under :
Defined Contribution Plan Contribution to defined contribution plan recognized in as development expenses are as under;

- Employer's Contribution to Provident Fund	132.20	55.54
---	--------	-------

17A Finance Cost

Amount in ₹Lakh

Particulars	Year ended March 31, 2014	Year ended March 31, 2013
<u>Interst Expenses on:</u>		
EAP/JICA Loan	1,829.65	567.15
IBRD Loan	132.10	16.48
<u>Other Borrowing Costs:</u>		
Exchange differences regarded as adjustment to interest cost	836.59	62.31
Total	2,798.34	645.94
Less: Transferred to Development Account (Note 19)	2,798.34	645.94
Balance (Transferred to Statement of Profit & Loss)	-	-

17 B Depreciation & Amortization Expenses

Amount in ₹Lakh

Particulars	Year ended March 31, 2014	Year ended March 31, 2013
Depreciation - EDP Assets	124.57	81.45
Depreciation - Office Equipment	45.17	59.03
Depreciation - Furniture & Fixture	38.50	35.62
Depreciation - Leasehold Improvement	47.77	244.98
Depreciation - Leasehold Flat	5.33	--
Total	261.34	421.08
Less: Transferred to Development Account (Note 19)	261.34	421.08
Balance (Transferred to Statement of Profit & Loss)	-	-

17 C Other Expenses

Amount in ₹Lakh

Particulars	Year ended March 31, 2014	Year ended March 31, 2013
Advertisement Expenses	233.35	243.84
Communication Expenses	58.26	58.95
Printing & Stationary	140.97	146.16
Misc. Expenses	116.18	84.22
Books & Periodicals	48.93	30.46
Legal & Professional Charges	82.50	115.51
Directors Sitting Fee	6.14	5.90
Consultancy Fees to Consultants	184.79	221.54
Placement Consultancy Charges	291.25	255.70
Recruitment Expenses	92.65	151.73
Electricity Expenses	33.05	70.32
Power & Fuel	3.86	4.67
Housekeeping Expenses	180.52	169.47
Payment to Statutory Auditors *	7.56	4.49
Meeting & Conference	46.57	13.72
Rates & Taxes	76.61	120.54
Rent **	1,058.10	987.25
Tours ,Travels and Conveyance	1,410.25	1,132.43
Seminar & Training Expenses	464.46	402.08
Repair & Maintenance-others	66.76	84.12
Annual Subscription Fees-IT Consultancy & Software	22.45	11.86
Office Expenses	18.49	14.44
Hospitality Expenses	15.22	15.64
Office Security Expenses	48.46	45.07
Loss on Sale of Fixed Assets	0.49	1.68
Interest on Service Tax & TDS	0.64	2.25
Foreign Currency Expenditure	35.74	13.15
Total	4,744.25	4,407.19
Less: Transferred to Development Account (Note 19)	4,744.25	4,407.19
Balance (Transferred to Statement of Profit & Loss)	-	-

*** Payment to Statutory Auditors includes :**

As Auditor :

Audit Fee	4.49	4.49
Tax Audit Fee #	2.25	
Reimbursement of Expenses	0.82	.
	7.56	4.49

Tax Audit Fee includes ₹ 1 . 1 2 Lakh for previous year.

**** Lease Rent :**

The Company's significant leasing arrangements are in respect of operating leases of premises for offices & guesthouses. These leasing arrangements, which are not non-cancellable, are usually renewable on mutually agreeable terms. Lease payments in respect of premises for offices, guest house are shown in Rent.

Lease payments recognised in the accounts for the year 2013-14 is ₹ 1,058.10 Lakh (Previous year ₹ 987.25 Lakh)

18 Prior Period Adjustment

Amount in ₹Lakh

Particulars	Year ended March 31, 2014	Year ended March 31, 2013
Consultancy Charges	(15.92)	-
Meeting Exp.	0.78	-
Electricity Exp.	25.20	-
Vehicle Hiring Charges	1.61	-
Misc. Prior Period Adjustments	-	(0.57)
Placement Consultancy Exp.	19.68	-
Recruitment Exp.	9.14	-
TA/DA Exp.	1.32	-
Annual Subscription Fee	0.91	-
Seminar & Training Exp.	18.43	-
Professional Charges	(68.64)	-
Salary, Wages & Allowances	(9.90)	-
Depreciation	-	0.62
Lease Rent	-	0.60
Total	(17.39)	0.65
Less Transferred to Development Account (Note 19)	(17.39)	0.65
Balance (Transferred to Statement of Profit & Loss)	-	-

19 Development Account (Pending Capitalisation)

Amount in ₹Lakh

Particulars	Note No.	Year ended March 31, 2014	Year ended March 31, 2013
Employee Benefit expense	17	6,109.18	4,137.78
Finance cost	17	2,798.34	645.94
Depreciation and amortization expense	17	261.34	421.08
Other expenses	17	4,744.25	4,407.19
Prior Period Adjustment	18	(17.39)	0.65
Total (A)		13,895.72	9,612.64
Less:			
Liquidated Damage (LDA)		145.27	1,615.94
Interest on Mobilization Advance		17,31.37	1,799.08
Foreign Currency Fluctuation Gain / (Loss)		(269.95)	(16.49)
Sale of Tender		30.36	28.26
Total (B)		1,637.05	3,426.79
Net Expenditure (A-B)		12,259	6,185.85
Profit Transferred From Statement Of Profit And Loss		64.54	1,349.54
Total Transferred To Capital Work In Progress (CWIP)		12,194.13	4,836.31

20 (a) Contingent Liabilities as on

Amount in ₹Lakh

Description	As on 31.03.2014	As on 31.03.2013
Claims against the Company not acknowledged as debts in respect of Capital Works	33,744.06	29,296.31
Disputed Income Tax Demand	27.82	11.90
Total	33,771.88	29,308.21

- b) The above contingent liabilities do not include contingent liabilities on account of pending cases in respect of service matters & others where the amount cannot be quantified.
- c) It is not practicable to disclose the uncertainties relating to any outflow.
- d) A number of cases are lying for adjudication at different forum pertaining to land compensation. Since land acquisition is being done by the Company as a facilitator for Ministry of Railway, company is not subject to any liability that may result pursuant to the decision of aforesaid adjudicating authorities
21. Capital Commitments:
Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for ₹10, 47,156.99 Lakh (Previous Year ₹ 4,42,320.94 Lakh).
22. Balances shown under Material issued to contractors, claims recoverable advance for Capital Expenditure, Advances to Contractors, Recoverable/Payable from/to MOR, Sundry Creditors and Deposits/Earnest money from contractor: are subject to reconciliation/ confirmation and respective consequentia adjustments.
23. In the opinion of the management, the value of current assets, loans and advances on realisation in the ordinary course of business, will not be less than the value at which these are stated in the Balance Sheet.
24. The effect of foreign exchange fluctuation during the period is as under:

Amount in ₹Lakh

	Description	Year Ended March 31, 2014	Year Ended March 31, 2013
i	Amount charged to Development account (as Borrowing Cost)	836.59	62.31
ii	Amount charged to Development account (as FERV)	269.95	16.50

25. The amount of borrowing cost capitalised by transfer to 'Development Account during the current year is ₹2,798.34 Lakh (Previous year ₹645.94 Lakh).

26. During the financial year ended 31.03.2014, following Significant Accounting Policies have been reworded / modified / introduced:

Significant Accounting Policy	Description	Impact on Accounts
Policy No. 2.1 and 2.2	Policy has been reworded to have better disclosure.	No impact
Policy No. 2.4	Earlier Policy on Fixed Assets & Depreciation has been segregated. Further Policy on fixed asset has been reworded and policy on Capital Work in Progress & capital stores have been framed.	There is no impact of rewording of policy on Fixed asset. As regard to Capital work in progress & capital stores, practice have been translated in policy, as such no impact on accounts.
Policy No. 2.5	Depreciation policy on mobile instrument has been modified to charge off the mobile instrument to revenue. Further, policy on depreciation of assets valuing only ₹5,000/-or less is framed. Policy on depreciation of "intangible assets & leasehold assets / lease hold premises improvement" is reworded. Policy on depreciation / amortisation of expenditure incurred on renovation / modernisation of assets and amortisation of subsequent addition to cost of asset are framed to have better disclosure.	As a result of change in policy to charge off mobile instruments, Development Expenditure of current year has increased by ₹21.50 Lakh, and, Gross Block and Accumulated Depreciation of Office Equipment is reduced by ₹62.95 Lakh and ₹ 45.68 Lakh respectively. No further impact due to other policies.
Policy No. 2.7, 2.8, 2.9	Policy has been reworded / amended only to have better	No impact
Policy No. 2.12	Policy on accounting of Prepaid expenses, liability toward goods in transit/CWIP yet to be accepted, price variation claims and insurance claim have been introduced.	No impact

27. The Company is in construction stage for work relating to Eastern Section and Western Section for Dedicated Freight Corridor Project. Operation has yet not been started and no operational income has been earned during the year hence Statement of Profit & Loss is being drawn only for non-operational income i.e. Interest on Bank deposits & Service charges income on Facility Management Services provided on sub-lease.

In view of above provisions of Accounting Standard - 17 on Segment Reporting notified under section 211(3C) of the Companies Act, 1956 are not applicable.

28. In compliance of Accounting Standard – 18 on related party disclosures notified under section 211(3C) of the Companies Act, 1956, the required information is given as under: -

a) Key Management Personnel Whole Time Directors

Shri R.K.Gupta	Managing Director
Shri H.D. Gujrati	Director (OPN & BD)
Shri Anshumaan Sharma	Director (PP)
Shri M. K. Mittal	Director (Finance) w.e.f. 16.09.20 13
Mr. A. K.Dutta	Director (INFRA) up to 28.02.2014

b) Transactions carried out with the related parties is as follows:

Remuneration to key management personnel is ₹120.49Lakh (Previous year ₹122.26Lakh) and amount of dues outstanding to the Company as on 31.03.2014 is Nil(Previous year - Nil).

29. Earnings per Share:-

The elements considered for calculation of Earnings Per Share (Basic and Diluted) are as under:

Amount in ₹Lakh

	Year Ended March 31, 2014	Year Ended March 31, 2013
Net Profit after Tax used as numerator (₹ in Lakh)	3,697.07	-
Weighted Average number of equity shares used as denominator		
- Basic	2,65,07,665	-
- Diluted	2,65,35,279	-
Face value per share (₹)	1,000	-
Earning per share (₹)	13.95	-
Earning per share (₹) (Diluted)	13.93	-

30. Income / Expenditure in Foreign Currency

Amount in ₹Lakh

Particulars	Year Ended March 31, 2014	Year Ended March 31, 2013
Interest	132.10	16.48
Tour & Travelling Expenses	35.34	6.57
Others	211.67	55.88

31. Disclosure as required under Section 22 of The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 is as follows:-

Amount in ₹Lakh

Sr. No.	Particulars	Year Ended March 31, 2014	Year Ended March 31, 2013
i	Principal amount remaining unpaid to Micro, small & medium enterprise.	NIL	NIL
ii	Interest accrued on principal amount remaining unpaid as '(I) above	NIL	NIL
iii	Amount of Interest paid during the FY along with the payment of principal amount made beyond 15 days or agreed time from the date of delivery/rendering of services.	NIL	NIL
iv	Interest due but yet to be paid on principal paid during the FY	NIL	NIL
v	Amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding period, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance as deductible expenditure.	NIL	NIL



32. As per Notification 25/2012-Service Tax, exemption has been granted for the services by way of erection, commissioning, or installation of original works of Railways. However, company has deposited Service Tax amounting to ₹213.04 Lakh in respect of 2 of the contractors on Reverse Charge Mechanism. Out of the amount deposited, ₹94.73 Lakh has been considered as Service Tax Advance paid and for remaining amount of ₹118.31 Lakh, company is taking steps to get refund from the department.
33. The figures in the financial statements have been rounded off to ₹ Lakh. Previous year figures / Opening balances have been regrouped/re-arranged/re-cast wherever necessary.

These are the Notes referred to in our report of even date

For M/s Baweja & Kaul
Chartered Accountants
Firm Registration No: 05834N

Sd/-
CA Samvit K Gurtoo
Partner
M.No. 090758
Place: New Delhi
Date: 20-06-2014

For and on Behalf of the Board of Directors

Sd/-
(R. K. Gupta)
Managing Director

Sd/-
(M. K. Mittal)
Director (Fin.)

Sd/-
(Meenu Kapoor)
Company Secretary

BAWEJA & KAUL

Chartered Accountants

Independent Auditors' Report

To the Members of
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited ("The Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2014, and the Statement of Profit and Loss and the Cash flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with Accounting Standards notified under the Companies Act, 1956 ("The Act") read with the General Circular 15/2013 dated 13th September 2013 of the Ministry of Corporate Affairs in respect of section 133 of the Companies Act, 2013. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Company's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Basis for Qualified Opinion

1. *We were unable to obtain audit evidence regarding frauds and vigilance cases, if any, because access to the information regarding the same was denied to us by the management. Consequently, we are unable to determine its effects on the financial statements of the company, if any.*

2. *As per Notification No 25/2012- Service Tax, exemption has been granted for the services by way of construction, erection, commissioning or installation of original work pertaining to an airport, port or railways including mono rail or metro. In view of this notification, the company is exempt from Service Tax, however the company has paid Rs 2.13 Crore on account of reverse charge under Service Tax.*
3. *Bankers have deducted Tax at Source (TDS) on Interest received on Land Bank Accounts (SLAO) . These accounts do not pertain to the company however the company has wrongly recognized the TDS on these accounts as its current asset and correspondingly shown as payable to Ministry of Railways. Accordingly, the current assets and current liabilities are overstated by Rs 3.87 Crore.*

Qualified Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, the financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

- (a) in the case of Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2014;
- (b) in the case of Statement of Profit and Loss, of the Profit for the year ended on that date; and
- (c) in the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows of the company for the year ended on that date.

Emphasis of Matter

We draw attention to the following :

1. We draw attention to Note No 22 wherein, it has been stated that the Balances shown under Material issued to Contractors , Claims recoverable , Advance for Capital Expenditure, Advances to Contractors, Recoverable/Payable from/to Ministry of Railways, Sundry Creditors and Deposits/Earnest Money from Contractors are subject to Reconciliation/Confirmation and respective consequential adjustments.
2. The company receives composite fund for issue of Equity and towards EAP from the Ministry of Railways. The company has not bifurcated the funds into Equity component and EAP component on the date of receipt and has not transferred the funds received for Equity component to Share Application Money Pending Allotment on the date of receipt. The EAP component is converted into loan component whenever payment is made to Controller of Aid, Accounts and Audit (CAAA) for onward payments to contractors. The company transfers the residual balance lying at the year end in Funds Received towards Equity and EAP from Ministry of Railway Account to Share Application Money pending allotment.
3. The company has provided liability in the Balance Sheet at Rs 6.09 Crores towards Retirement Benefit of the employees. The company has two types of employee's viz. own employees of the company and the employees on deputation from other PSU's /Government Department/Ministry of Railways. The company has provided retirement benefits as per Actuarial Valuation for its own employees. The retirement benefits of the employees on deputation have been provided as ascertained liability on estimated basis.

4. The company receives separate funds for acquisition of Land from The Ministry of Railways. However the company has also used composite funds received for the issue of Equity and EAP from the Ministry of Railways towards acquisition of land. This has resulted in deviation from the policy of The Ministry of Railways and also loss of interest to the company on the funds utilized for the acquisition of land. Further the company has used its PAN for payment of Rs 0.57 Crores as TDS for acquisition of land at Noida for Ministry of Railways. Since the company is not the actual buyer of land, the PAN of the company was wrongly used.
5. The company in earlier years had paid taxes on perquisites paid to its employees. The management has decided to recover the taxes paid from the respective employees. The recovery amounting to Rs 0.31 Crores pertain to the employees who have left the company and in our opinion is doubtful of recovery.
6. The company has deducted and deposited TDS amounting to Rs 0.11 Crores twice pertaining to the same expenditure, once at the time of making provision and again at the time of actual payment to the parties.
7. (a) The company has changed its accounting policy regarding classification of Interest income received on fixed deposits. This was earlier credited to Capital Work in Progress-Development Account. During the year the company has transferred Rs 72.72 Crores to Reserves & Surplus including the amounts of previous years.

(b) The company has changed its accounting policy for mobile instruments. These were earlier being classified as fixed assets. During the year the company has charged mobile instruments to Capital Work in Progress-Development Account. It has resulted in increase in development expenditure by Rs 0.21 Crores (including current year figure), decrease in gross block and accumulated depreciation of Office Equipment by Rs 0.63 Crores and Rs 0.46 Crores respectively
8. Reference is drawn to Note No 11 (3) wherein it has been stated that lease deed in respect of Flat amounting to Rs 1.60 Crores is yet to be executed in favour of the company. However the company has capitalized the flat pending execution of title deed.

Our opinion is not qualified in respect of matters stated under Emphasis of Matter

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2003 ("The Order"), (As Amended), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (4A) of section 227 of the Companies Act, 1956, we enclose in the Annexure a statement on the matters specified in paragraphs 4 and 5 of the said Order.
2. As required by section 227(3) of the Act, we further report that:
 - a) we have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
 - b) in our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books

- c) the Balance Sheet, Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account.
- d) *Except for the effect of matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, and the Cash Flow Statement comply with the Accounting Standards notified under the Companies Act, 1956 read with the General Circular 15/2013 dated 13 September 2013 of the Ministry of Corporate Affairs in respect of section 133 of the Companies Act, 2013.*
- e) The Department of Company Affairs, Ministry of Finance vide Notification No. F.No. 8/5/2001-CL.V dated 21st October, 2003 have notified that the provisions of clause (g) of sub section (1) of section 274 of the Companies Act, 1956, shall not apply to a Government Company.
- f) Since the central Government has not issued any notification as to the rate at which cess is to be paid under section 441 of the Companies Act, 1956 nor has it issued any Rules under the said section, prescribing the manner in which cess is to be paid, no cess is due and payable by the Company.

For BAWEJA & KAUL
Chartered Accountants
FRN: 005834N

Sd/-
CA Samvit K Gurtoo
Partner
M. No. : 090758

Place : New Delhi
Dated: 20.06.2014

Annexure to the Independent Auditor's Report referred to in paragraph 1 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date

- i. a. *The company has not maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situation of fixed assets.*
- b. *Fixed assets have not been physically verified during the year. In absence of the physical verification carried out by the management we are unable to comment upon the discrepancies, if any, between the financial records and physical assets.*
- c. During the year, the company has not disposed off a substantial part of fixed assets.
- ii. The company does not hold any inventory, therefore Clause (ii)(a), (b), (c) of paragraph 4 of the Order are not applicable.
- iii. (a) & (e) As per the information and explanations given to us, the Company has not granted or taken any loans, secured or unsecured, to or from companies, firms or other parties listed in the register maintained under Section 301 of the Companies Act, 1956. Therefore Clause (iii) (b),(c),(d), (f) & (g) of Paragraph 4 of the Order are not applicable.
- iv. *As per the information and explanations given to us, the internal control procedures are generally adequate and commensurate with the size of the company and the nature of its business for the purchase of fixed assets except for payment of advance for purchase of immovable property without obtaining approval of competent authority.*
- v (a) As per the information and explanations given to us , there are no contracts or arrangements referred to in Section 301 of the Companies Act ,1956 that need to be entered into the register maintained under the said section. Therefore Clause (v) (b) of Paragraph 4 of the Order is not applicable
- vi. As per information and explanations given to us, the Company has not accepted any deposits from public, therefore directives issued by the Reserve Bank of India and provisions of Sections 58A, 58AA or any other relevant provisions of the Companies Act, 1956 and rules framed there-under are not applicable. .
- vii. *The company has a system of getting internal audit conducted by external firm of Chartered Accountants. In our opinion, the internal audit system is not commensurate with the size and nature of its business. Keeping in view the size and nature of its operations, the scope of Internal Audit needs to be enlarged.*
- viii. As per information and explanations given to us, the provisions of Section 209 (l)(d) of the Companies Act, 1956 requiring maintenance of Cost Records is not applicable to the company.
- ix (a). The company is generally regular in depositing with appropriate authorities, undisputed statutory dues including provident fund, employee's state insurance, income tax, sales tax, wealth tax, service tax, custom duty, excise duty, cess and other statutory dues *except that the company has an unpaid liability of Rs 4.53 Crore as on 31st March 2014 on account of building and other construction workers welfare cess. This includes Rs 3.08 Crore pertaining to previous years. Also the company has not deducted tax at source on advance for deposit works.*

b. According to the information and explanations given to us, disputed amounts payable in respect of income tax , as at 31st March, 2014 for a period of more than six months from the date they become payable as under:

Name of the Statute	Nature of Dues	Amount in Rs (Figures are in Crores)	Period to which the amount relates	Forum where dispute is pending
Income Tax Act ,1961	Income Tax	0.15	2009-2010	Income Tax Appellate Tribunal
Income Tax Act , 1 96 1	Income Tax	0.12	2011-12	Commissioner of Income Tax (Appeals)

- x. The company does not have accumulated losses at the end of the Financial Year. The company has not incurred cash losses during the financial year covered by the audit and in the immediately preceding financial year.
- xi. Based on our audit procedures and according to the information and explanations given to us, the company has no repayments that are due towards any financial institution or bank.
- xii. In our opinion and according to the information and explanations given to us, no loans and advances have been granted by the company on the basis of security by way of pledge of shares, debentures and other securities.
- xiii. In our opinion, the company is not a chit fund / nidhi /mutual benefit fund/society. Therefore, the provisions of clause(xiii) of paragraph 4 of the Order are not applicable to the company.
- xiv. The company is not dealing in or trading in shares, securities, debentures and other investments. Accordingly, the provisions of clause (xiv) of Paragraph 4 of the Order are not applicable to the company.
- xv. As per the information and explanations given to us, the company has not given guarantees for loans taken by others from banks or financial institutions.
- xvi. According to the information and explanations given to us, the Company has obtained term loans from Ministry of Railways and the same have been used for the purpose for which these were obtained.
- xvii. In our opinion and on the basis of information and explanations given to us, the company has not raised funds on short term basis .
- xviii The company has not made any preferential allotment of shares to parties and companies covered in the register maintained under section 301 of the Companies Act ,1956.

- xix. The company has not issued any debentures during the year. Therefore, the provisions of clause (xix) of Paragraph 4 of the Order, are not applicable to company.
- xx. The company has not raised any monies by way of public issues during the year.
- xxi. *We were unable to obtain audit evidence regarding frauds and vigilance cases, if any, because access to the information regarding the same was denied to us by the management. Consequently, we are unable to comment whether any fraud on or by the company has been noticed or reported during the year. (Also refer Paragraph 3 under Basis of Qualified Opinion of the Independent Auditor's Report of even date).*

For BAWEJA & KAUL

Chartered Accountants
FRN: 005834N

Sd/-
CA Samvit K Gurtoo
Partner
M. No. : 090758

Place : New Delhi
Dated: 20.06.2014



इंडीकेटेड फ्रेड कोरीडोर कॉर्पोरेशन
ऑफ इंडिया लिमिटेड

सामान्य सूचना

पंजीकृत कार्यालय एवं कॉर्पोरेट कार्यालय

5वां तल प्रगति मैदान मेट्रो बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स,
नई दिल्ली:110001

सांविधिक लेखा परीक्षक

बवेजा एवं कौल, चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
306, कॉर्पोरेट टॉवर्स,
85ए, जमरूदपुर, ग्रेटर कैलाश-1,
नई दिल्ली.110048

आंतरिक परीक्षक

ए.आर.एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट,
पता- सी-1, सेकेंड तल, आरडीसी,
राज नगर, गाजियाबाद-20100

बैंकर्स

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
एचडीएफसी बैंक
आईसीआईसीआई बैंक

निदेशकों की सूची (दिनांक 19.09.2014)

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	कार्यग्रहण की तिथि
1.	श्री अरुनेन्द्र कुमार	अंशकालिक अध्यक्ष (सरकारी)	05.07.2013
2.	श्री अंशुमान शर्मा	निदेशक(परियोजना नियोजन) अतिरिक्त प्रभार निदेशक/अवसंरचना अतिरिक्त प्रभार प्रबंध निदेशक	05.04. 2011 11.03.2014 28.07.2014
3.	श्री एच.डी.गुजराती	निदेशक (परिचालन एवं व्यवसाय विकास)	29.11.2012
4.	श्री एम.के.मित्तल	निदेशक (वित्त)	16.09.2013
5.	श्री गिरीश पिल्लई	अंशकालिक निदेशक(सरकारी)	14.11.2012
6.	श्री गजेन्द्र हल्दिया	अंशकालिक निदेशक(सरकारी)	02.05.2008
7.	श्री आर.एस.शर्मा	अंशकालिक निदेशक (गैर सरकारी)	25.04.2012

विषय सूची

क्रसं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	अध्यक्ष का संदेश	5 - 6
2.	सूचना एवं प्राक्सी फार्म	7 - 10
3.	निदेशक रिपोर्ट	11 - 35
4.	कॉर्पोरेट गवरमेंन्स रिपोर्ट (अनुबंध-क)	36 - 48
5.	प्रमाण पत्र (अनुबंध-ख)	49
6.	प्रबंधन विचारविमर्ष और रिपोर्ट विप्लेषण (अनुबंध-ग)	50 - 60
7.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी और प्रबंधन का उत्तर (अनुबंध-घ)	61 - 62
8.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी (अनुबंध-ङ)	63
9.	प्रबंध निदेशक की घोषणा (अनुबंध-च)	64
10.	वित्तीय विवरण	65 - 94
11.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	95 - 96

अध्यक्ष का संदेश

डीएफसीसीआईएल की आठवीं वार्षिक आम बैठक में, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक मंडल की रिपोर्ट और लेखा परिक्षित कंपनी के खाते और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जो पहले सही आपको भेजी जा चुकी है।

मुझे संगठन से जुड़े एक वर्ष से अधिक का समय हो गया है और इस प्रतिष्ठित परियोजना का एक हिस्सा होने पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ और मुझे परियोजना की समीक्षाधीन अवधि की प्रगति रिपोर्ट को प्रस्तुत करने पर गर्व है।

1. वित्तीय वर्ष 2013-2014 कुल पूंजी लागत रु. 3590/- करोड़ थी। परियोजना की स्थापना से पूंजी संचयी व्यय रु.10351 करोड़ है।
2. डीएफसीसी को दोनों कोरीडोर के विस्तार के लिए 10667 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। 31.3.2014 तक भूमि अधिग्रहण की प्रगति अनुमानित 96 प्रतिशत है। कुल 9603 हेक्टेयर भूमि को एवार्ड कर रु. 6110 करोड़ की राशि का मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है।
3. कंपनी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अग्रसर है और समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्यों में प्रगति हुई है।

क.. न्यू करवन्डिया से दुर्गावती स्टेशनों के बीच छोटे हिस्सों के लिए भूमि न मिलने के कारण, को छोड़कर भूमि और पुलों के कार्य को पूरा कर लिया गया है। 30 किमी के ट्रेक को जोड़ने के कार्य को पूरा कर लिया गया है और शेष का कार्य प्रगति पर है।

ख. पश्चिम फ्रेट कोरीडोर के वैतरना और उत्तरन के बीच 54 पुलों के निर्माण कार्य में से 26 मुख्य पुलों के निर्माण कार्य को पूरा कर लिया गया है।

ग. नवम्बर 2013 में पूर्वी फ्रेट कोरीडोर पर सोन नदी पर महत्वपूर्ण पुल के पार निर्माण और डिजायन के लिए अनुबंध हो गया है और कुओं की खुदाई का कार्य प्रगति पर है।

घ. ईडीएफसी के कोरीडोर के बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में डेहरी ऑन सून और मुगलसराय के बीच विभिन्न हिस्सों के अवसंरचना कार्यों एवं रेलवे फलाई ओवर के निर्माण और डिजायन के लिए कान्ट्रैक्ट एवार्ड हो गया है और कार्य प्रगति पर है।

ङ. रेल मंत्रालय और डीएफसीसीआईएल के बीच संबंधों के रियायत समझौते पर दिनांक 28/02/2014 को हस्ताक्षर किए गए।

च. वर्ष के दौरान पश्चिम डेडीकेटेड फ्रेड कोरीडोर के द्वितीय चरण की प्रथम किश्त 136.119 बिलियन ₹ के लिए जायका के साथ हस्ताक्षर किए गए।

छ. विश्व बैंक द्वारा पूर्वी फ्रेट कोरीडोर .2 में भाउपुर-मुगलसराय के वित्त पोषण के लिए 1100 मिलियन यूएसडी का ऋण स्वीकृत किया गया है। वित्तीय वर्ष 2014-2015 के दौरान विश्व बैंक द्वारा पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर-3 के खुर्जा-लुधियाना के लिए ऋण स्वीकृत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

- ज. वर्ष 2013–2014 के दौरान डीएफसीसीआईएल में ओपन मार्केट से भर्ती किए गए 122 अभ्यर्थियों ने ज्वाइन किया है। इसके अलावा 51 पदों को सरकारी/उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों से तत्काल समावेशन के आधार पर भरा गया। सभी 173 अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारंभिक/परिचय प्रशिक्षण दिया गया।
- झ. 28 अक्टूबर, 2013 को डीएफसीसीआईएल के इन्टीग्रेटेड आई टी सिस्टम/ईआरपी का उद्घाटन किया गया। आर्ट डाटा सेंटर के एक स्टेट को वीपीएन अथवा एमपीएलएस(मल्टी-प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग) आधारित डब्ल्यू ए एन (वाइड एरिया नेटवर्क) का प्रयोग करके सभी 14 मुख्य परियोजना प्रबंधकों की लोकेशनों को जोड़ा गया।
- य. अधिकारियों की स्किल क्षमता को बढ़ाने और क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- थ. वर्ष 2013–2014 के दौरान सभी चार चयनित परियोजना कार्यान्वयन यूनिटों(पीआईयूएस) में परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को प्रशिक्षण और कंप्यूटर साक्षरता की गतिविधियों के लिए सीएसआर सीएसआर के अंतर्गत रु. 18 लाख की आबंटित राशि खर्च की गई।

मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कॉर्पोरेट संचालन के संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम विभाग द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के लिए दिए गए निर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष की रिपोर्ट में 'कॉर्पोरेट संचालन' और 'प्रबंधन के विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट' सम्मिलित की गई है। कंपनी व्यवसायिक सिद्धांत एवं मूल्यों का अनुसरण करने के लिए प्रतिबद्ध है।

आभार

संगठन/मंडलों के सहयोग तथा सहायता प्रदान करने के लिए मैं रेल मंत्रालय के विभिन्न निदेशालयों क्षेत्रीय रेलों और भारत सरकार के अधीन अन्य मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों और उनके विभागों और कंपनी के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके द्वारा निष्ठा से किए प्रयासों के लिए धन्यवाद देता हूँ।

इसके अतिरिक्त, मैं कंपनी के हितधारकों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं बोर्ड एवं अपने साथियों का भी उनके बहुमूल्य सुझावों और निरन्तर सहयोग एवं समर्थन के लिए धन्यवाद करता हूँ।

मैं अपने बैंकों, व्यापारिक संबंधियों को, डीएफसीसीआईएल को दिए गए उनके सहयोग एवं सहायता के लिए धन्यवाद करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सभी के समर्पित प्रयासों से कंपनी के उद्देश्यों को **ईमानदारी, गति एवं सफलता** के साथ प्राप्त करना संभव हो जाएगा।

दिनांक : 19.09.2014
स्थान : नई दिल्ली

हस्ताक्षर /-
अरुनेन्द्र कुमार
अध्यक्ष

सूचना

सूचना एतद् किया जाता है कि निम्नलिखित कार्यों के संपादन के लिए डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों की 8वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 19 सितंबर, 2014 को दोपहर 16.00 बजे कमेटी रूम, द्वितीय तल, रेल भवन, रायसीना रोड, नई दिल्ली-110001 में आयोजित होगी :

साधारण कार्य

1. 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ-साथ 31 मार्च, 2014 के अनुसार लेखा परीक्षित विवरण, लेखा परीक्षित संतुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाते का विवरण को प्राप्त करना, उस पर विचार करना और स्वीकार करना ।
2. वर्ष 2014-2015 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त कंपनी के लेखा परीक्षक की नियुक्ति निम्नलिखित संकल्प अपनाकर की जाती है ।

“संकल्प किया जाता है कि सदस्यों, भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए मेसर्स बवेजा और कौल, चार्टर्ड एकाउंटेंट को कंपनी के संविधिक लेखा परीक्षक के रूप में निदेशक मंडल द्वारा लेखा परीक्षक की सिफारिशों के अनुसार निर्धारित पारिश्रमिक के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है ” ।

विशेष कार्य

3. विचार करने और यदि सही, जारी करना संशोधन के साथ या बिना, निम्नलिखित संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में:

“संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम की धारा 180(1)(सी) के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसरण में यदि कोई हो, को संबंधित कंपनी के एसोसियेशन के संबंधित अनुच्छेदों के साथ पढ़ा जाए, कंपनी के निदेशक मंडल के द्वारा तदनुसार सहमति दी जाती है । (बाद में और जो कि किसी कमेटी में शामिल होगा “बोर्ड” कहलाएगा जिसे बोर्ड गठित कर सकता है अथवा बाद में अपनी शक्तियों का प्रयोग के द्वारा इस संकल्प को अपनी शक्तियों को डेलीगेट करते हुए किसी प्राधिकारी, किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों) को समय समय पर उधार लेने के लिए और जैसा उचित हो, किसी को एक मुश्त अथवा एक मुश्तों पर जो कि रुपये साठ हजार करोड़ से अधिक न हो अथवा उसके समकक्ष हो को किसी भी मुद्रा में (इसमें वह उधार ली गई राशि शामिल है जो पहले ली जा चुकी है) कंपनी की भुगतान की गई पूंजी और उसे आरक्षित मुक्त में बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कर सकता है, इसके बावजूद उधार ली जाने वाली राशि, के साथ-साथ जो राशि कंपनी द्वारा पहले से उधार ली जा चुकी है, कुल से लिए से अधिक, कुछ समय के लिए, विशेष उद्देश्य के अलावा आरक्षित रखी जाती है ।

“आगे संकल्प लिया जाता है कि इस प्रकार के सभी कार्यों, जो भी आवश्यक दस्तावेज हों, पर हस्ताक्षर करने, इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक समीचीन कार्य करने जो उससे संबंधित अनुषांगिक हो सकते हैं, को अधिकृत किया जाता है ।

बोर्ड के आदेश से

ह/-

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14.09.2014

मीनू कपूर
कंपनी सचिव

टिप्पणी

1. कंपनी अधिनियम 2013(अधिनियम) की धारा 102 के अनुसरण में संबंधित व्याख्यात्मक विवरण के व्यापार के संबंध में सूचना की मद संख्या 3 निम्नानुसार संलग्न है ।
2. वार्षिक आम बैठक (ए जी एम) में भाग लेने और मत देने का हकदार कोई सदस्य अपने एवज में भाग लेने और मत देने के लिए एक परोक्षी नियुक्त करने के लिए हकदार है और परीक्षी के लिए कंपनी का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। परोक्षी नियुक्त करने का प्रपत्र कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक आरंभ होने से 48 घंटे पहले जमा करा दिया जाना चाहिए ।
3. एजीएम की सूचना वार्षिक रिपोर्ट 2013-2014 के साथ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ई मेल पते कंपनी के पास पंजीकृत हैं, जब तक किसी सदस्य द्वारा भौतिक रूप से उक्त प्रति के लिए अनुरोध न किया जाए । वह सदस्यगण जिनके ईमेल पते पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें अनुमति माध्यम से भौतिक प्रति भेजी जाएगी ।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में विशेष व्यापार के संबंध में व्याख्यातात्मक विवरण

मद संख्या-3

1. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 179(3) के शर्तों के अनुसार निदेशक मंडल बोर्ड की बैठक में पारित संकल्पों के द्वारा कंपनी के आधार पर ऋण लेने की शक्तियों का प्रयोग करेगा ।
2. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 180(1)(सी)- कंपनी के निदेशक मंडल कंपनी की सहमति से विशेष संकल्प द्वारा निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा,
(सी) धन उधार लेना, जहां से धन को उधार लिया जाना हो, पहले से धन उधार के साथ, कंपनी के कारोबार के सामान्य मामले में कंपनी बैंकों से प्राप्त अस्थायी ऋण से अलावा इसकी चुकता शेयर पूंजी और फ्री रिजर्व से अधिक रहेगा:
बशर्ते कि इस खंड के अंदर बैंकिंग कंपनी द्वारा स्वीकार करना, अपने कारोबार के साधारण मामलों, जनता द्वारा धन का संग्रह, मांग पर पुनः भुगतान अथवा अन्यथा और चेक द्वारा आहरण, ड्राफ्ट, आदेश अथवा अन्यथा को धन उधार नहीं माना जाएगा ।

व्याख्या-इस खंड के उद्देश्यों के लिए, अस्थायी ऋण का अर्थ है मांग पर पुनः भुगतान करना अथवा ऋण की तारीख से छह माह के अंदर छोटी अवधि के लिए, केश क्रेडिट व्यवस्थाएं, बिलों को डिस्काउंटिंग करना और सीजनल करेक्टर के अन्य छोटी अवधि के ऋण, लेकिन इसमें पूंजी प्रकृति के वित्तीय खर्च के लिए ऋणों को शामिल नहीं किया जाएगा ।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 180(2), उप धारा (1) की खंड (सी) में वर्णित शक्तियों के संबंध में कंपनी की आम बैठक द्वारा पारित प्रत्येक विशेष संकल्प द्वारा निदेशक मंडल द्वारा उधार धन का कुल राशि तक उल्लेख किया जायेगा ।

कंपनी अधिनियम 1956 के समीक्षाधीन धारा की शर्तों में, कंपनी ने दिनांक 29.9.2010 को सदस्यों की वार्षिक आम बैठक में पारित साधारण संकल्प के द्वारा सदस्यों की सहमति पहले ही प्राप्त कर ली थी ।

3. पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर की तरह भारत सरकार/रेल मंत्रालय द्वारा ब्रेक टू ब्रेक के स्थान पर पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर-2 एवं पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर-3 के लिए विश्व बैंक ऋण को डीएफसीसीआईएल द्वारा सीधे रूप से प्रयोग किया जायेगा ।
4. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 180 की शर्तों में, धन उधार लेने की शक्ति को विशेष संकल्प के माध्यम से प्रयोग किया जायेगा । सदस्यों द्वारा उपर्युक्त मद संख्या 3 का अनुमोदन किया जाता है, प्रबंध निदेशक सहित कोई भी निदेशक, स्वतंत्र और नामित/केएमपी की प्रस्तावित संकल्प में रुचि नहीं हैं ।

परोक्षी प्रपत्र

मैं
निवासी.....
डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का सदस्य होने के नाते एतद् द्वारा
श्री को या उनके उपस्थित न होने पर
श्री को शुक्रवार, 19 सितंबर 2014 को 16.00 बजे
कमेटी रूम, द्वितीय तल, रेल भवन, रायसीना रोड, नई दिल्ली-110001 में होने वाली कंपनी की 8वीं वार्षिक
आम बैठक में और या उसके किसी स्थान पर मेरी ओर से भाग लेने और मेरा मत देने के लिए परोक्ष
प्रतिनिधि प्रोक्सी नियुक्त करता हूं ।

दिनांक : 2014 को हस्ताक्षरित
हस्ताक्षर.....

खाता पन्ना शेयर धारण संख्या

नाम.....

पता:.....

टिप्पणी

एक रूपये
का राजस्व
टिकट

कारगर सिद्ध होने के लिए परोक्षी प्रपत्र कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक आरंभ होने से 48 घंटे पहले
प्राप्त होनी चाहिए । परोक्षी के लिए कंपनी का सदस्य होने आवश्यक नहीं है ।

निदेशकों की रिपोर्ट

देवियों / सज्जनों

आपके निदेशकों को 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा सहित कंपनी की आठवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है ।

1. वार्षिक लेखा 2013–2014 का सार

वित्तीय वर्ष 2013–2014 के लिए वित्तीय विवरण कंपनी नियमों, 2006 (लेखाकरण मानक नियमों) और कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची VI के सामान्य परिपत्र दिनांक 04.04.2014 के अनुसार तैयार किये जाते हैं । वर्ष 2013–2014 के दौरान कॉर्पोरेशन ने निम्नलिखित खर्चे किए हैं :-

(क) परियोजना निष्पादन पर व्यय

31 मार्च 2014 को परियोजना निष्पादन पर 4169.21 करोड़ रुपये का संचयी व्यय किया गया जिसमें स्थानीय परिसंपत्तियों पर रु. 9.39 करोड़ पूंजीगत प्रगति कार्य पर रु. 1561.32 करोड़, विकास के अंतर्गत परिसंपत्ति पर रु.7.63 करोड़, और पूंजी अग्रिम पर रु.2590.87 करोड़ सम्मिलित है। वर्ष 2013–2014 के दौरान परियोजना निष्पादन पर 1852.00 करोड़ रूपए का सकल व्यय किया गया जिसमें 2.26 करोड़ रूपए की मूर्त परिसंपत्तियों पर, विकास के अंतर्गत परिसंपत्तियों पर रु. 4.94 करोड़, पूंजी अग्रिम पर रु.1283.59 करोड़ और पूंजी प्रगति कार्य में रु 561.21 करोड़ सम्मिलित है।

वर्ष के दौरान विकास लेखे के शेष रु. 121.94 करोड़ को पूंजीगत प्रगति कार्य में स्थानान्तरित किया गया ।

2. धन की व्यवस्था क. पूंजीगत ढांचा

31 मार्च 2014, को कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी रु. 8,000,00,00,000 (रु. आठ हजार करोड़) थी जो कि रु.8,00,00,00,000 (रु आठ करोड़) इक्विटी शेयरों में विभाजित है और प्रत्येक शेयर की कीमत 1000/-रु. है ।

दिनांक 31.03.2014 के अनुसार कंपनी की प्रदत्त पूंजी रु. 2707,74,00,000 (रु.सत्याईस जीरो सात करोड़ चौहत्तर लाख केवल) जो कि 27077400 इक्विटी शेयरों में विभाजित थी और प्रत्येक शेयर की कीमत 1000/- रु. थी और शेयर आवेदन पूंजी रु. 1007.93 करोड़ थी । रेल मंत्रालय द्वारा इक्विटी के योग दान के कारण कंपनी की प्रदत्त पूंजी में वृद्धि हुई है ।

ख. धन की व्यवस्था

(i) चरण 1(वडोदरा–रेवाड़ी)920 किमी. चरण–2 (वडोदरा–जेएनपीटी और रेवाड़ी–दादरी) 564 किमी. (जायका)परामर्श

इंजीनियरिंग सर्विस कंसल्टैंसी (चरण–1)के लिए दो बिलियन छह सौ छह मिलियन जापानी येन का ऋण का जायका के साथ करार पर आई डी पी 205 के तहत हस्ताक्षर हुए और 31.03.2014 तक हमने इस ऋण में से रु.114.14 करोड़ का उपयोग किया है । अन्य इंजीनियरिंग सर्विस कंसल्टैंसी (चरण–2)(वडोदरा–जेएनपीटी

और रेवाड़ी-दादरी) 564 किमी.का जायका के साथ करार एक बिलियन छह सौ सोलह मिलियन जपानी येन का हुआ इसमें से दिनांक 31.03.2014 तक रु.50.06 करोड़ का उपयोग किया है ।

(ii) चरण 1 (वडोदरा-रेवाड़ी) 920 किमी. (जायका) (JICA) – निर्माण

चरण 1 के निर्माण के लिए नब्बे बिलियन दो सौ बासठ मिलियन जापानी येन का ऋण करार आईडी-पी-209 पर जायका के साथ हस्ताक्षर हो गए है और इसमें से दिनांक 31.3.2014 तक ₹ 579.73 करोड़ का उपयोग किया गया है ।

(iii) पश्चिम डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर चरण-2 के लिए ऋण करार (मुख्य ऋण)

वर्ष के दौरान जायका के साथ एक तीस छह बिलियन एक सौ उन्नीस मिलियन जापानी येन का आईडी-पी-229 ऋण करार हुआ और इसी के साथ संपूर्ण पश्चिम डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए धन की व्यवस्था हो गई है । दिनांक 31.3.2014 तक इस राशि में से कोई खर्च नहीं किया गया है ।

(iiii) पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के मुगलसराय-कानपुर-खुर्जा-लुधियाना सेक्शन (1131 किमी.) और खुर्जा-दादरी सेक्शन के लिए धन की व्यवस्था

- विश्व बैंक पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के मुगलसराय-लुधियाना की फंडिंग के लिए पहले ही सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गया है । परियोजना के लिए कुल रु 2.275 बिलियन अमरीकी डालर के ऋण पर सहमति हुई थी जिसमें पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के खुर्जा-भाउपुर (343 किमी.)सेक्शन के चरण-1 परियोजना के लिए ऋण सं.8066 आई एन द्वारा 975 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण के लिए हस्ताक्षर किए गए ओर दिनांक 31.03.2014 तक इस ऋण में से रु 242.14 करोड़ का उपयोग किया गया है ।
- भाउपुर-मुगलसराय (पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर-2 के लिए 1100 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण को पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है और ऋण करार पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया चल रही है । पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर-2 परियोजना के लिए तकनीकी बातचीत दिनांक 01.10.2013 को हुई थी जिसमें बातचीत को आगे बढ़ाया गया और परियोजना मूल्यांकन दस्तावेज को दिनांक 01.03.2014 को जारी किया गया । पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर परियोजना-2 भाउपुर से मुगलसराय के लिए ऋण सं. 83181100 मिलियन अमरीकी डालर की स्वीकृति हो चुकी है ।
- पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर-3 परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा फरवरी-2014 में अग्रिम प्रापण की सहमति हो गई थी और सामान्य प्रापण सूचना(जीपीएन), सिविल कार्य कान्ट्रैक्ट पैकेज 301 एवं 302 के लिए पूर्व क्वालीफिकेशन दस्तावेज (पिलखनी-स्नेहवाल,खुर्जा-दादरी खंड) के लिए जारी कर दी गई थी ।

3. परियोजना की प्रगति

क. भूमि अधिग्रहण और सामाजिक सुरक्षा उपाय

डीएफसी संरक्षण देश के 09 राज्यों एवं 61 जिलों से होकर निकलेगा । पूर्वी कोरीडोर पर, डीएफसी संरक्षण दानकुनी से लुधियाना तक पश्चिम बंगाल,बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब राज्यों से गुजरेगा । पश्चिमी कोरीडोर उत्तर प्रदेश में दादरी से वाया हरियाणा, राजस्थान, गुजरात से जेएनपीटी महाराष्ट्र तक दूरी तय करेगा ।

डीएफसी को दोनों कोरीडोर के लिए 3338 किमी. क्षेत्र में फैली 10667 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है । पश्चिम डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर पर यह 1301 किमी. में लंगभग 3805 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है । (सोनगर से दनकुनी को छोड़कर जो 538 किमी. क्षे. में फैली 1002 हैक्टेयर भूमि) तथा पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट

कोरीडोर पर यह 1499 किमी. में 5860 हैक्टेयर क्षेत्र में फैला है । विशेष रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण रेल संशोधन अधिनियम 2008 (आर आर ए ए 2008) द्वारा शासित है ।

सोननगर-दानकुनी सेक्शन को छोड़कर दिनांक 31.03.2014 तक भूमि अधिग्रहण की प्रगति लगभग 96% और उपर्युक्त प्रगति 90% हो चुकी है । 9603 हैक्टेयर भूमि के लिए कुल (पश्चिम डीएफसी: 5860 में से 5600 हैक्टेयर और पूर्वी डीएफसी: 4807 में से 4003 हैक्टेयर) के लिए अभिनिर्णय घोषित किया गया है तथा क्षतिपूर्ति की राशि रु.6110 करोड़(पश्चिमी डीएफसी के लिए रु.3675 करोड़, पूर्वी डीएफसी के लिए रु. 2435 करोड़) जारी किए गए ।

सोननगर-दानकुनी सेक्शन को छोड़कर पूरी ईडीएफसी के लिए आर ए ए 2008 की धारा 20 ए और 20 ई अंतर्गत अधिसूचनाएं पूरी कर ली गई हैं । सोननगर भूमि अधिग्रहण जो देरी से शुरू हुआ किंतु 1002 हैक्टेयर में से 788 हैक्टेयर जारी कर दिया गया है । इसी प्रकार आर ए ए 2008 की धारा 20 ए के अंतर्गत पूरी पश्चिमी डीएफसी के लिए अधिसूचनाएं पूरी कर ली गई है ।

रेल (संशोधन) अधिनियम की धारा 20-ओ के अनुसार राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थाना नीति,2007 अपनाई जानी है । रेल मंत्रालय के इनटाइटलमेंट मैट्रिक्स जारी किया है जिसमें एन आर आर पी 2007 के समकक्ष पैरा पर आधारित परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के लिए उपलब्ध विभिन्न इनटाइटलमेंट्स श्रेणी के अनुसार कवर होती है । डीएफसीसीआईएल द्वारा प्रस्तावित क्षतिपूर्ति पैकेज देश में सबसे अच्छा है जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/ दुर्बल वर्ग जैसे कमजोर वर्गों की विशेष देखभाल के लिए अतिरिक्त सहायता शामिल है । वर्ष के दौरान पुनर्वास और पुनर्स्थापना के लिए रु.156 करोड़ का वितरण पूरा किया गया ।

सभी व्यवहारिक विकल्पों को अपनाकर भूमि अधिग्रहण और अनिच्छुक पुनर्वास प्रभावों को कम करने तथा पर्याप्त पुनर्वास पैकेज को सुनिश्चित करने के लिए और प्रभावित परिवारों के सक्रिय योगदान से पुनर्वास प्रक्रियाओं के तेज कार्यान्वयन के लिए विशेष सावधानी बरती जाती है । डीएफसी ने परियोजना के कार्यान्वयन के कारण प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों के लिए उपर्युक्त पुनर्वास और पुनर्स्थापना उपाय अपनाने के लिए पुनर्वास नीति का निर्माण किया । विश्व बैंक और जायका की सुरक्षा नीति को पूरा करने के लिए पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर और पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए सामाजिक प्रभाव आंकलन अध्ययन संचालित किए गए हैं। वर्ष 2013-2014 के दौरान,पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के (ए पी एल-2)मुगलसराय-भाउपुर परियोजना के लिए पुनर्स्थापना कार्य योजना(आर ए पी)और पर्यावरण प्रबंधन योजना सहित(ईएमपी) पर्यावरण आंकलन (ईए) को अनुमोदित कर अंतिम रूप दिया गया । इसे विश्व बैंक द्वारा भी अभी तक क्लीयर किया जा चुका है । इसे सेक्शन के परियोजना कार्यालयों में वितरण के साथ-साथ डीएफसीसी की वेबसाइट पर अपलोड कर इसका व्यापक प्रचार किया गया । ए पी एल-2 के ई ए रिपोर्ट और ईएमपी की एक्जीक्यूटिव विवरण का हिंदी अनुवाद भी डीएफसीसीआईएल के वेबसाइट और परियोजना क्षेत्रों में व्यापक प्रचार के लिए परिपत्रित किया गया ।

ईडीएफसी-2 के आर ए पी के कार्यान्वयन,माइक्रो योजना को तैयार करने और परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों की विभिन्न आवश्यकताओं के समाधान के लिए तीन एन जी ओ की नियुक्ति की गई है । वर्ष के दौरान,एपीएल-1 के आरएपी और ईएमपी के कार्यान्वयन की मानीटरिंग के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय मानीटरिंग और रिव्यू सलाहकार (एसईएसएमआरसी) की नियुक्ति की गई । ईडीएफसी के लिए सभी पर्यावरणीय क्लीयरेंस प्राप्त कर ली गई हैं । भाउपुर-खुर्जा सेक्शन में एपीएल-1 का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है और निर्माण के दौरान आरएपी और ईएमपी के कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जाएगा । ईएमपी कार्यान्वयन को पीएमसी, डीएफसीसीआईएल के फील्ड कार्यालय और एसईएमआरसी के माध्यम से मानीटर किया जाता है । वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने के कार्य स्थल पर आवश्यकता अनुसार पेड़ों को काटकर क्लीयर रास्ता बनाने, गढ़दो को खोदने का कार्य प्रगति पर है। परियोजना प्रभावित व्यक्तियों से संबंधित आवश्यकताओं

को आर एंड आर प्रक्रिया के द्वारा आवश्यक सहयोग ओर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जोर दिया जाता है । डीएफसी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए शिकायत निवारण तंत्र के लिए बनाई गई पुनर्वास नीति के ढांचे के अंतर्गत उपलब्ध उचित मुआवजे के रूप में पुनर्स्थापना या पुनर्वास के लाभ से वंचित होने पर प्रभावित व्यक्तियों और समूहों की वैध चिंताओं का समाधान किया जाता है । चिंताओं/समस्याओं के समाधान करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति की गई है । शिकायत निवारण समिति खुर्जा-भाउपुर सेक्शन के लिए परियोजना एवं जिला स्तर पर गठित की गई है । शिकायत निवारण समिति खुर्जा-भाउपुर और भाउपुर-मुगलसराय सेक्शन के लिए परियोजना और जिला स्तर पर गठित की गई है । परियोजना स्तर पर गठित समिति डीएफसीसीआईएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है । इसके अलावा भूमि क्षतिपूर्ति से संबंधित समस्याओं को देखने के लिए प्रत्येक जिले में मध्यस्थ की नियुक्ति की गई है ।

क. मुख्य ठेके

1. जारी ठेकों की प्रगति

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के निम्नलिखित प्रमुख ठेके प्रगति पर हैं –

पश्चिम कोरीडोर

क. निर्माण कार्य के ठेके: इक्विटी द्वारा फंडड

भारत के महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों के वसई-भरूच सेक्शन पर वैतरना एवं उतरन के बीच (लगभग 200 किमी) पश्चिमी फ्रेट कोरीडोर के महत्वपूर्ण तथा प्रमुख पुलों (54) के डिजायन एवं निर्माण का ठेका एक मुश्त आधार पर दिया गया है । (ठेका करार सं. एचक्यू/ईएन/डब्ल्यूसी/ब्रिज/डीएंडबी/1/सोमा, दिनांक 17.03.2009)

- 200 किमी. के फैलाव में वैतरना से उतरन के बीच 54 पुलों का निर्माण के लिए मेसर्स सोमा एन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड को कुल लागत रु. 605.15 करोड़ में ठेका दिया गया है, कार्य प्रगति पर है । कार्य में 54 बड़े और महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण एवं डिजायन सम्मिलित है । 54 पुलों में से, 08 पुल महत्वपूर्ण हैं । इन महत्वपूर्ण पुलों में 02 पुल महाराष्ट्र और 06 पुल गुजरात में हैं । शेष 46 पुलों में से , 18 बड़े पुल महाराष्ट्र में और 28 बड़े पुल गुजरात में हैं । 54 पुलों में से , 29 पुलों की पाइल नींव और 25 पुलों की ओपन नींव का कार्य हो चुका है । पुलों के 26 नंबर पर मुख्य पुल के निर्माण का कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है । वर्तमान कार्य की प्रगति 57.17 प्रतिशत है । उक्त कार्य संशोधित लागत रु. 667.81 के साथ, निर्धारित समय सीमा 15.06.2015 तक पूरा किया जाना है ।

ख. परामर्श कार्य के ठेके: इक्विटी फंडड

वेस्टर्न कोरीडोर के वैतरना और उतरन के बीच (अनुमानित 200 किमी.)कान्ट्रेक्ट करार (कान्ट्रेक्ट करार सं. एचक्यू/ईएन/डब्ल्यूसी/ब्रिज/पीएमसी/1/स्पान)(दिनांक 12.06.2009) महाराष्ट्र और गुजरात के वसई भरूच सेक्शन पर 54 महत्वपूर्ण और बड़े पुलों का निर्माण और डिजायन के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श का कार्य सेवा का ठेका दिनांक 12.06.2009 का प्रारंभ किया गया है । कान्ट्रेक्ट की करंशी को दिसंबर 2014 तक बढ़ा दिया गया है और कार्य चालू है ।



ग. परामर्श कार्य के ठेके: जायका फंडड

1. पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के चरण-1 रेवाड़ी से वडोदरा के बीच निर्माण कार्य के लिए इंजीनियरिंग परामर्श सेवाओं के लिए परामर्श का ठेका 179.56 जपानी येन+भारतीय मुद्रा रू. 39.91 करोड़ में निप्पोन कोइ जापान (Nippon Koei, Japan) के नेतृत्व में दिया गया । इस कार्य में योजना के लिए परामर्श सेवाएं, इंजीनियरिंग डिजायन और पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर चरण-1 के लिए प्रापण सम्मिलित है ।
 - कार्य 13.06.2010 से शुरू हो गया है और वर्ष 2014-15 तक पूरा होने की संभावना है ।
2. पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के चरण-2 वडोदरा-जेएनपीटी और रेवाड़ी-दादरी के निर्माण कार्य के लिए इंजीनियरिंग परामर्श सेवाओं के लिए परामर्श ठेका 107.00 करोड़ जापानी येन+रू.30.27 करोड़ भारतीय मुद्रा में निप्पोन कोई, जापान के नेतृत्व में दिया गया । इस कार्य में योजना के लिए परामर्श सेवाएं, इंजीनियरिंग डिजायन और पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेड कोरीडोर चरण-2 के लिए प्रापण सम्मिलित है ।
 - कार्य 30.12.2011 से शुरू हो गया है और प्रगति पर है ।

3. पश्चिमी डीएफसी चरण-1 के लिए परियोजना प्रबंध सेवाएं (पीएमसी) (रेवाड़ी-वडोदरा)

- जब रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)के अंतर्गत इच्छुक परामर्शदाताओं से वर्ष 2012-13 के दौरान परियोजना प्रबंधन सेवाएं(पीएमसी) परामर्श ठेका की प्रक्रिया शुरू की गई थी। ईओआई के सफलतापूर्वक पूरे होने क पश्चात् , दिनांक 08.04.2013 को चुने हुए परामर्शदाताओं को प्रस्ताव के लिए अनुरोध(आरईपी) को जारी किया गया ।
- प्रस्ताव दिनांक 28.06.2013 को प्राप्त हुए । वर्ष 2013-14 के दौरान प्रस्तावों का मूल्यांकन पूरा किया गया और पीएमसी ठेके को निष्पन्न कोइ जापान के नेतृत्व में कुल लागत जापानी येन 274.47 करोड़ जमा भारतीय मुद्रा रू. 388.42 करोड़ में फरवरी 2014 में दिया गया ।
- इस कार्य में डीएफसीसीआईएल को पश्चिमी डीएफसी चरण-1 के लम्बे 922 किमी. को डिजायन के स्तर, निर्माण, टेस्टिंग और चालू करने में डीएफसीसीआईएल को सहयोग प्रदान करना सम्मिलित है । पश्चिमी डीएफसी चरण-1 के ठेकों में एक मुश्त आधार में इंजीनियर के रूप में पीएमसी की भूमिका होगी ।
- ठेके को मार्च 2014 में दिया गया और कार्य अप्रैल-2014 में शुरू हुआ ।

4. पश्चिमी डीएफसी चरण-2 के लिए परियोजना प्रबंध सेवाएं(पीएमसी)(जे एन पी टी-वडोदरा और रेवाड़ी-दादरी)

- जब रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)के अंतर्गत इच्छुक परामर्शदाताओं से वर्ष 2013-14 के दौरान पश्चिमी डीएफसी चरण-2 (रेवाड़ी-दादरी और वडोदरा-जेएनपीटी)के लिए परियोजना प्रबंधन सेवाएं(पीएमसी) परामर्श ठेका की प्रक्रिया शुरू की गई थी । इच्छुक परामर्शदाताओं से रूचि की अभिव्यक्ति के प्रस्ताव मांगे गए थे और वर्ष 2013-14 के दौरान चुने हुए परामर्शदाताओं को अंतिम रूप दिया गया ।
- चुने हुए परामर्शदाताओं को अनुरोध के प्रस्तावों को जारी किया गया और निविदा को वर्ष 2014-15 के दौरान अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है ।
- इस कार्य क्षेत्र में डीएफसीसीआईएल को पश्चिमी डीएफसी चरण-1 के लम्बे 555 किमी. को डिजायन के स्तर, निर्माण, टेस्टिंग और चालू करने में डीएफसीसीआईएल को सहयोग प्रदान करना सम्मिलित है । पश्चिमी डीएफसी चरण-2 के ठेकों में एक मुश्त आधार में इंजीनियर के रूप में पीएमसी की भूमिका होगी ।

घ. कार्य ठेके: जायका फंडड

पश्चिमी डीएफसी चरण-1 (रेवाड़ी-वडोदरा)

1. मिश्रित पैकेज सी टी पी 1 और 2 (रेवाड़ी-इकबालगढ़)

- इस 625 किमी.लम्बे पैकेज को अंतिम रूप दे दिया गया है और ठेके को अगस्त 2013 में अनुमानित लागत रू.6700/-करोड़ में निष्पादित किया गया है ।
- कार्य चालू हो गया है और प्रगति पर है ।

2. विशेष पुल पैकेज-3ए (माही और साबरमती नदी के उपर लोहे का पुल)

- विशेष पुल पैकेज सी टी पी -3 ए के लिए दो महत्वपूर्ण पुलों गुजरात के इकबालगढ़-वडोदरा सेक्शन को सम्मिलित करते हुए निविदा को आमंत्रित किया गया है । इस कार्य में माही नदी पर 585 मीटर लम्बे पुल और साबरमती नदी पर 536 मीटर लम्बे पुल का निर्माण, डिजायन का कार्य सम्मिलित है ।
- इस कार्य की अनुमानित लागत रु. 300 करोड़ है और निर्माण की अवधि तीन वर्ष होगी ।
- चालू बोली प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था और नई पूर्व योग्यता (पीक्यू) को शुरू किया गया ।
- वर्ष के दौरान पीक्यू प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और पूर्व योग्यता बोलीदाताओं से बोलियों को आमंत्रित किया गया ।
- बोली दिनांक 07.03.2014 को प्राप्त हुई थी और वित्तीय मूल्यांकन हो गया है और जायका से एनओसी की प्रतीक्षा है ।

3. कान्ट्रेक्ट पैकेज-सीटीपी-3(इकबालगढ़-वडोदरा)

- गुजरात राज्य में इकबालगढ़-वडोदरा सेक्शन में 297 किमी.लम्बी दोहरी रेलवे लाइन के लिए ट्रेक कार्य,बिल्डिंग, सिविल कार्य का निर्माण और डिजायन के लिए निविदाओं को आमंत्रित किया गया । कार्य में एमबैंकमेंट/कटिंग्स, पुलों (माही और साबरमती नदियों के पुलों को छोड़कर), स्ट्रक्चरर्स, बिल्डिंग्स, ब्लास्ट और ट्रेक कार्य सहित एक मुश्त आधार पर डिजायन बिल्ड अप का निर्माण, टेस्टिंग और चालू करना सम्मिलित है ।
- इकबालगढ़-पानसार सेक्शन में वर्तमान भारतीय रेल के समान्तर 140 किमी. का संरेखण और पानसार और वडोदरा के बीच वर्तमान भारतीय रेल के ट्रेक के घुमाव को लेते हुए 157 किमी. का संरेखण ।
- कार्य की अनुमानित लागत रु. 5000 करोड़ है और निर्माण की अवधि चार वर्ष होगी ।
- दिनांक. 15.11.2013 को बोलियां प्राप्त हो गई हैं और उनका मूल्यांकन किया जा रहा है ।

पश्चिमी डीएफसी चरण-2 (जेएनपीटी-वडोदरा और रेवाडी-दादरी)

1. कान्ट्रेक्ट पैकेज-सीटीपी-12 एवं 13 (वैतरना-सचिन और सचिन-वडोदरा)

- गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में वैतरना-सचिन (सीपी-12)और सचिन-वडोदरा(सी पी पी 13)सेक्शनों में दोहरी रेलवे लाइन के लिए ट्रेक कार्य और बिल्डिंग, सिविल का निर्माण और डिजायन के लिए निविदाओं को आमंत्रित कर दिया गया है । सीटीपी 12 के लिए सेक्शन की लंबाई 186 किमी. और सीटीपी 13 के लिए 134 किमी. है। कार्य में पुलों के एमबैंकमेंट/कटिंग की फॉर्मेशन का निर्माण और डिजायन,स्ट्रक्चरर्स,बिल्डिंग्स, बैलास्ट और एक मुश्त आधार डिजायन बनाकर टेस्टिंग और चालू करना, निर्माण (विशेष पुल ठेके पैकेज में कवर पुलों को छोड़कर) सम्मिलित है ।
- सीटीपी 12 में, प्रस्तावित डीएफसी संरेखण प्रारंभिक रूप से वर्तमान भारतीय रेलवे के साथ वैतरना-सचिन सेक्शन के साथ केवल 12 किमी. के घुमाव में नियोजित किया गया है । सीटीपी 13 में अन्य ओर एक डीएफसी संरेखण का एक अन्य बड़ा हिस्सा जो कि 87 किमी. का है, घुमावदार है और शेष 47 किमी. का भारतीय रेलवे के सचिन-वैतरना सेक्शन के साथ स्थित है ।

- इन दो पैकेज के निर्माण की अवधि चार वर्ष होगी ।
- वर्ष 2012-13 के दौरान इन दो पैकेज सीटीपी-12 और सीटीपी-13 के लिए कॉमन पूर्व योग्यता को आमंत्रित किया गया था । पूर्व योग्यता दिनांक 6.3.2013 को प्राप्त हुई थी और वर्ष 2013-14 के दौरान पूर्व योग्यता प्रक्रिया का पूरा कर लिया गया था ।
- पूर्व योग्यता प्रक्रिया पूरी होने पर, पूर्व योग्यता बोलीदाताओं को बोली दस्तावेजों को जारी कर दिया गया और वर्ष 2014-15 के दौरान निविदा का अंतिम रूप दिया जाना है ।

2. विशेष पुल पैकेज- 15 ए, 15 बी एवं 15 सी

- रेवाड़ी-दादरी और जेएनपीटी-वडोदरा सेक्शन में आर एफ ओ और कुल 12 बड़े/महत्वपूर्ण पुलों को शामिल करते हुए विशेष पुल पैकेज सीटीपी-15ए, सीटीपी-15बी और सीटीपी-15 सी के लिए निविदाएं आमंत्रित कर दी गई हैं । इसमें 8 बड़े पुलों कुल लंबाई 2109 मीटर सीटीपी-15 ए में, एक महत्वपूर्ण पुल लंबाई 1396 मीटर नर्मदा नदी पर सीटीपी-15बी और 3 बड़े पुल/रेल फ्लाई ओवर (आरएफओ) लंबाई 776 मीटर सीटीपी-15 सी के कार्य सम्मिलित हैं ।
- पैकेज सीटीपी-15ए, सीटीपी-15बी और सीटीपी-15सी के निर्माण की अवधि क्रमशः 182,156 और 130 सप्ताह होगी ।
- वर्ष 2012-13 के दौरान तीन पैकेज सीटीपी-15ए, सीटीपी-15बी और सीटीपी-15सी का कॉमन पूर्व योग्यता (पीक्यू)का कार्य शुरू किया गया । पूर्व योग्यता आवेदनों को दिनांक 26.02.2013 को प्राप्त किया गया और वर्ष 2013-14 के दौरान पूर्व योग्यता प्रक्रिया को पूरा किया गया ।
- पीक्यू प्रक्रिया की समाप्ति पर, पूर्व योग्यता बोलीदाताओं को बोली दस्तावेजों को जारी किया गया और वर्ष 2014-15 के दौरान निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है ।

3. कान्द्रेक्ट पैकेज-सीटीपी-11 (जेएनपीटी-वैतरना)

- महाराष्ट्र राज्य में जेएनपीटी-वैतरना सेक्शन में 102 किमी.लंबी दोहरी रेलवे लाइन के लिए ट्रेक और सिविल,बिल्डिंग कार्यों के निर्माण और डिजायन के लिए निविदाएं आमंत्रित कर दी गई हैं । कार्य के क्षेत्र एक मुश्त डिजायन-बिल्ड लागत के आधार पर टेस्टिंग और चालू किए जाने वाले कार्यों को सम्मिलित करते हुए ट्रेक,बैलास्ट, बिल्डिंग, ढांचा (विशेष पुल कान्द्रेक्ट पैकेज में कवर किए जाने वाले पुलों को छोड़कर) में एमबैंकमेंट/कटिंग, पुलों की नींव का निर्माण और डिजायन सम्मिलित है ।
- पैकेज 11 (जेएनपीटी-वैतरना)के लिए मध्य रेल के जेएनपीटी-पनवेल-दीवा-वसईरोड और भारतीय रेल के पश्चिम रेलवे के वसईरोड-वैतरना सेक्शन सहित खिंचाव का कार्य प्रारंभिक रूप से किया जाना है । डिटोर्स को कुन्देवहल (1.5 किमी.)पर और वसई (916.8 किमी)पर नियोजित किया गया है। लगभग 78 प्रतिशत प्रस्तावित डीएफसी संरेखण जेएनपीटी और वैतरना जो कि भारतीय रेल मध्य और पश्चिम रेलवे के पास से गुजर रहा है और शेष 22 प्रतिशत डिटोर्स के द्वारा गुजरता है ।
- इस पैकेज के निर्माण की अवधि चार वर्ष होगी ।

- इस पैकेज की पूर्व योग्यता (पीक्यू) प्रक्रिया को वर्ष 2013-14 में शुरू किया गया लेकिन इसे रद्द कर दिया गया। नए सिरे से पीक्यू प्रक्रिया को शुरू किया गया है और वर्ष 2014-15 तक पूर्ण होने की संभावना है।

4. इन्टीग्रेटेड कान्ट्रेक्ट पैकेज-सीटीपी-14 (रेवाड़ी-दादरी)

- हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में रेवाड़ी-दादरी के बीच (सीटीपी-14) 128 किमी. लंबे डबल रेलवे लाइन के लिए इन्टीग्रेटेड कान्ट्रेक्ट पैकेज के सिविल, बिल्डिंग और ट्रेक कार्यों, इलेक्ट्रिकल और यांत्रिक कार्यों और सिगनल और टेलीकॉम कार्यों के लिए निविदाओं को आमंत्रित कर दिया गया है। इसका कार्य क्षेत्र एक मुश्त डिजायन-बिल्ड लागत के आधार पर टेस्टिंग और चालू किए जाने वाले कार्यों को सम्मिलित करते हुए ट्रेक कार्य, बैलास्ट, ट्रेक्शन पावर सप्लाई प्रणाली और सिगनल एवं दूर संचार के कार्यों (विशेष पुल कान्ट्रेक्ट पैकेज में कवर किए जाने वाले पुलों को छोड़कर) सहित एमबैंकमेंट/कटिंग, पुलों की नींव का निर्माण और डिजायन सम्मिलित है।
- रेवाड़ी और दादरी के बीच प्रस्तावित डीएफसी संरक्षण वर्तमान भारतीय रेलवे नेटवर्क से काफी दूरी पर है और 128 किमी. की मुख्य लाइन लंबाई में सभी तरफ से घुमाव लिये हुए है।
- इस पैकेज के निर्माण की अवधि चार वर्ष होगी।
- इन्टीग्रेटेड पैकेज (सिविल एवं ट्रेक, इलेक्ट्रिकल और एसएंडटी) की पूर्व योग्यता (पीक्यू) प्रक्रिया के लिए कार्य शुरू किया जा चुका है और वर्ष 2014-15 के दौरान अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।

ईस्टर्न कोरीडोर

(क) कार्य ठेके (इक्विटी फंडड)

1. पूर्वी कोरीडोर के बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में मुगलसराय-सोननगर सेक्शन में डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर से चैनेज 14.108 किमी. (न्यू करवन्दिया के निकट) से चैनेज 119.437 किमी. (न्यू गंज ख्वाजा के निकट) (अनुमानित 105 किमी.) के लिए डिजायन और ब्लेन्कटिंग, बड़े पुलों, छोटे पुलों, आरयूबी, आरओबी ब्लास्ट की आपूर्ति और फैलाव और अन्य संबंधित अवसंरचनात्मक कार्यों के लिए।
 - न्यू करवन्दिया से दुर्गावती स्टेशनों के बीच छोटे हिस्सो को छोड़कर जहां कोर्ट मामलों के कारण भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई है, मिट्टी और पुलों का भौतिक कार्य को पूरा कर लिया गया है।
 - दुर्गावती और गंज ख्वाजा सेक्शन के बीच मिट्टी एवं पुलों का कार्य प्रगति पर है।
2. पूर्वी कोरीडोर के न्यू करवन्दिया (रेलवे किमी. 564) से दुर्गावती. (रेलवे किमी. 630 अनुमानित 66 किमी.) मुगलसराय-सोननगर सेक्शन पर डिजायन बिल्ड लम्प सम्प आधार पर दोहरी ट्रेक विद्युतीकृत रेलवे लाइन को चालू करने एवं उसके टेस्टिंग और संबंधित कार्यों और ट्रेक के निर्माण, प्रापण और डिजायन के कार्य।
 - 66 किमी. ट्रेक के लिए यांत्रिकृत विछाने के ठेके को दे दिया गया है।
 - 1,20,000 पीएससी कन्क्रीट स्लीपरों को साइट पर पहुंचा दिया गया है।
 - साइट पर रेलों के 04 रेक्स आ गए हैं।
 - 6000 रेल्स वेल्ड्स को पूरा कर लिया गया है।
 - 30 किमी. के ट्रेक लिंक को पूरा कर लिया गया है आगे ट्रेक लिफ्टिंग का कार्य प्रगति पर हैं।

3. सोन नदी के पार महत्वपूर्ण पुल की डिजायन एवं निर्माण (अनुमानित लंबाई 3.06 किमी.), उसकी एप्रोचेज (दोनों तरफ) और दोहरी ट्रेक विद्युतीकृत रेलवे लाइन पर अन्य विविध कार्यों को डिजायन बिल्ड लम्प सम्प आधार पर सोननगर (रेलवे किमी. 549) और डेहरी ऑन सोन (रेलवे किमी. 554) रेलवे स्टेशनों के बीच पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के मुगलसराय-सोननगर सेक्शन के बीच कार्य ।
 - नवम्बर 2013 में ठेके को दे दिया गया है ।
 - अवसंरचना और सुपर अवसंरचना के लिए डिजायन को अंतिम रूप दे दिया गया है ।
 - कुंओं की खुदाई का कार्य प्रगति पर है ।
4. पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर, भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों के डेहरी-ऑन-सोन एवं मुगलसराय सेक्शन के बीच विभिन्न विस्तार में गंज ख्वाजा के निकट रेल फलाई ओवर की डिजायन और निर्माण, (बड़े छोटे एवं आर यू बी) ब्लेन्किटिंग, पुलों सहित की एम्बैकमेंट/कटिंग और बैलास्ट को फैलाना और दोहरी विद्युतीकृत रेलवे लाइन के लिए अन्य संबंधित अवसंरचनात्मक कार्यों को डिजायन बिल्ड लम्प आधार पर करना ।
 - निविदा का निर्णय किया गया ।
 - जियोटेक्नीकल जांच और सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया गया ।
 - नीव के लिए मिटटी का कार्य प्रगति पर है ।



ट्रेक लिंकिंग मुगल सराय – सोननगर



ट्रेक लिंकिंग मुगल सराय – सोननगर



सोनपुल – कुंओं की खुदाई



ओ एच ई मास्ट निर्माण- मुगलसराय-सोननगर

(ख) परामर्श ठेके (इक्विटी फंडड):

1. भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के मुगलसराय-सोननगर पर चैनेज 14.108 मिमी.(न्यू करवन्दिया के निकट)से चैनेज 119.437 किमी.(न्यू गंज ख्वाजा)(अनुमानित 105 किमी.)तक डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए ब्लैंकेटिंग, बड़े पुलों, छोटे पुलों, आरयूबी,आरओबी, के निर्माण कार्यों सहित और गिट्टी फैलाव और अन्य ढांचागत कार्यों के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता सेवाओं को सुगम बनाया है ।
 - सिविल कार्यों के निष्पादन के लिए पीएमसी कार्य प्रगति पर है ।
2. पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के मुगलसराय-सोननगर सेक्शन पर न्यू करवन्दिया (रेलवे किमी. 564)से दुर्गावती (रेलवे किमी. 630)तक अनुमानित 66 किमी. दोहरी लाइन विद्युतीकृत रेलवे ट्रेक के लिए ट्रेक, सिगलनिंग एवं टेलीकॉम कार्यों, ट्रेक्शन पावर सप्लाई, एससीडीए, ओएचई और सामान्य विद्युत कार्यों और उनकी टेस्टिंग और चालू करने डिजायन और निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श ।
 - ट्रेक और सिस्टम के लिए कार्य प्रगति पर है ।
3. पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के मुगलसराय-सोन नगर सेक्शन पर सोननगर (रेलवे किमी. 549)और डेहरी-ऑन-सोन (रेलवे किमी. 554)रेलवे स्टेशनों के बीच डिजायन बिल्ड लम्प सम्प आधार पर दोहरी ट्रेक विद्युतीकृत रेलवे लाइन के लिए सोन नदी के पार महत्वपूर्ण पुल (अनुमानित लंबाई 306 किमी.) और उसकी एप्रोचेज(दो तरफ) और अन्य विविध कार्यों का डिजायन और निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएं ।
 - “सोन पुल” और “आरएफओ” और शेष कार्यों के लिए पीएमसी कार्य प्रगति पर है ।

(ग) कार्य के ठेके (विश्व बैंक फंडड)

भाऊपुर-खुर्जा सेक्शन (एपीएल-1)के लिए डिजायन बिल्ड लम्प सम्प आधार पर दोहरी रेलवे लाइन फोरमेशन के लिए सिविल, ढांचागत और ट्रेक कार्यों के लिए डिजायन और निर्माण के कार्यों को निम्नलिखित तीन ठेके पैकेज में दिया गया था ।

- i) सीपी 101 में भाऊपुर ग्राम से भतूरा ग्राम किमी. 1040-1170 तक सिविल अवसंरचना और ट्रेक कार्यों के लिए ठेका। कार्य रू.1329.49 करोड़ की लागत में एवार्ड हुआ और ठेका करार पर दिनांक 24.1.2013 को हस्ताक्षर हुए ।
 - ii) सीपी 102 में भतूरा ग्राम से बिरुनी ग्राम किमी. 1170-1266 तक सिविल अवसंरचनाओं और ट्रेक कार्यों के लिए ठेका । कार्य रू. 925.90 करोड़ की लागत में एवार्ड हुआ और ठेका करार पर दिनांक 24.1.2013 को हस्ताक्षर हुए ।
 - iii) सीपी 103 में बिरुनी ग्राम और खुर्जा ग्राम किमी. 1266 से 1367.9 तक सिविल सिस्टम और ट्रेक कार्यों के लिए ठेका । कार्य रू. 1012.15 करोड़ की लागत में एवार्ड हुआ और ठेका करार पर दिनांक 24.1.2013 को हस्ताक्षर हुए ।
- संरक्षण और जियोटेक्नीकल जांचों के लिए सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है । विस्तृत डिजायन लगभग पूरी हो चुकी है । जैसे फार्मेशन और कटिंग में मिट्टी कार्य, छोटे और बड़े पुलों का निर्माण, गिट्टी की सप्लाई, रेलों की सप्लाई और स्लीपरों आदि के कार्यों को शुरू किया जाएगा ।



कानपुर में फील्ड प्रयोग शाला



अलीगढ़ के निकट सेटेलाइट कार्यालय



भारुपुर के निकट सामग्री मिश्रण की चक्की



सी पी 101 में तटबंध परत की रोलींग



ढूंडला के निकट पूरा किया गया तट



ढूंडला के निकट छोटे पुल का कार्य प्रगति पर



सी पी 101 में गिट्टी आपूर्ति



बड़े पुल 304 के आधार की कन्क्रीटिंग



भाऊपुर यार्ड में स्लीपरों की आपूर्ति



मैथा यार्ड में रेलों की उतराई

(घ) परामर्श कार्य ठेके (विश्व बैंक)

1. पूर्वी डीएफसी के भाऊपुर-खुर्जा सेक्शन के लिए सिगलनिंग और दूर संचार प्रणाली और संबंधित ढांचागत सहित दोहरी लाइन विद्युतीकृत रेलवे ट्रेक के कार्य के लिए सामान्य परामर्श सेवाएँ ।
 - प्रणाली कार्यो ठेके के मूल्यांकन के लिए सामान्य परामर्श कार्य प्रगति पर है ।
2. पूर्वी डीएफसी के मुगलसराय-भाऊपुर और खुर्जा-लुधियाना सेक्शनों के लिए सिगलनिंग और दूर संचार प्रणाली और संबंधित ढांचागत सहित दोहरी लाइन विद्युतीकृत रेलवे ट्रेक के कार्य के लिए सामान्य परामर्श सेवाएँ ।
 - सामान्य परामर्श प्रगति पर है ।

3. भाऊपुर-खुर्जा में प्रणाली कार्यों के लिए भी और ट्रेक कार्य ठेका और सिविल ढांचागत की परियोजना प्रबंधन के लिए परामर्शदाती सेवाओं के लिए ठेका ।
 - ठेका करार पर दिनांक 31.10.2013 को हस्ताक्षर हो गए हैं ।
 - सिविल कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए पीएमसी टीम द्वारा कार्य किया गया है और कार्य प्रगति पर है ।
4. पूर्वी डीएफसी परियोजना की भाऊपुर-खुर्जा सेक्शन के लिए क्वालिटी और संरक्षा परामर्श सेवाएं ।
 - कार्य प्रगति पर है ।

2. वित्तीय वर्ष के दौरान दिए गए ठेके

क. कार्य:

- **सोन पुल के लिए ठेका:** पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के मुगलसराय-सोननगर सेक्शन पर सोननगर (रेलवे किमी. 549) और डेहरी-ऑन-सोन(रेलवे किमी. 554) स्टेशनों के बीच डिजायन बिल्ड लम्प सम आधार पर दोहरी ट्रेक विद्युतीकृत रेलवे लाइन पर सोन नदी के पार महत्वपूर्ण पुल (अनुमानित लंबाई 3.06 किमी.), उसकी एप्रोचेज(दो तरफ) और अन्य विविध कार्यों के लिए डिजायन और निर्माण । माह नवम्बर 2013 में सोन पुल की लागत रू. 249 करोड़ है ।
- **शेष और आर एफ ओ कार्य के लिए ठेका:** बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के डेहरी-ऑन-सोन एवं मुगलसराय के बीच विभिन्न हिस्सों में डिजायन बिल्ड लम्प सम आधार पर गंज ख्वाजा के निकट रेलवे फलाईओवर का निर्माण और डिजायन (बड़े छोटे और आरयूबी)पुलों की ब्लेन्किटिंग सहित ,एमबैंकमेंटस/कटिंग की फॉर्मेशन, गिट्टी की सप्लाय और विछाना और अन्य ढांचागत कार्य । दिसंबर 2013 माह में आर एफ ओ और शेष कार्य की लागत रू. 149 करोड़ है ।

ख. परामर्श:

- पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर परियोजना-1 की खुर्जा-कानपुर सेक्शन के लिए परियोजना प्रबंधन सेवाओं को एसएआई-टीवाईपीएसएजेवी को एवार्ड किया गया है और दिनांक 31.10.2013 को ठेके पर हस्ताक्षर हुए । ठेका राशि-स्थानीय अप्रत्यक्ष करों को छोड़कर यूएसडी 2,184,200+यूरो 292,500+आईएनआर 66,76,38,900 है ।
- पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के मुगलसराय-सोननगर सेक्शन में महत्वपूर्ण सोन नदी के पास (अनुमानित लंबाई 3.06 किमी.)की डिजायन और निर्माण के लिए **परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएं** ।
- पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के डेहरी-ऑन-सोन- मुगलसराय के बीच विभिन्न हिस्सों में अन्य ढांचागत कार्यों और गंज ख्वाजा के पास रेल फलाई ओवर का,(छोटे बड़े पुलों और आरयूबी)ब्लेन्किटिंग, सहित एमबैंकमेंट /कटिंग में फॉर्मेशन डिजायन और निर्माण । सोन पुल और आरएफओ कार्य के लिए जनवरी 2014 में लागत रू. 19 करोड़ में परियोजना प्रबंधन परामर्श एवार्ड किया गया ।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर

क. पूर्वी डीएफसी परियोजना-1 के खुर्जा-भाऊपुर के क्वालिटी और संरक्षा आडिट परामर्श सेवाओं के लिए मोट्ट मेकडोनाल्ड लि. और मोट्ट मेकडोनाल्ड प्राईवेट लिमिटेड को एवार्ड किया गया और ठेके पर दिनांक 6.5.2014 को हस्ताक्षर किए गए । स्थानीय और प्रत्यक्ष करों को छोड़कर ठेका राशि- जीबीपी 920,056+आईएनआर 177,670,066 है ।

3. भविष्य की संविदाएं

1. कार्य ठेके (विश्व बैंक द्वारा फंडड)

i) मुगलसराय-भाऊपुर सेक्शन (एपीएल-2) के लिए डिजायन बिल्ड एक मुश्त आधार पर दोहरी लाइन रेलवे फॉर्मेशन के लिए ढांचागत और ट्रेक कार्यों, सिविल की डिजायन और निर्माण के लिए प्रापण कार्रवाई की शुरु किया गया है ।

- प्रथम स्तर का तकनीकी मूल्यांकन प्रगति पर है ।

ii) स्नेहवाल-पिलखनी और खुर्जा-दादरी सेक्शनों (एपीएल-3) के लिए डिजायन बिल्ड एक मुश्त आधार पर दोहरी रेलवे लाइन की फॉर्मेशन के लिए ढांचागत और ट्रेक कार्य, सिविल की डिजायन और निर्माण के लिए प्रापण कार्रवाई को शुरु किया गया है ।

- पूर्व योग्यता(पीक्यू) का कार्य प्रगति पर है ।

2. परामर्श ठेके (विश्व बैंक फंडड)

i) पूर्वी डीएफसी परियोजना-2 के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता

- ईओआई को आमंत्रित किया गया है, चुने हुए परामर्शदाताओं को (आरएफपी)के लिए प्रस्ताव का अनुरोध किया गया है ।

ii) एपूर्वी डीएफसी परियोजना-2 के लिए क्वालिटी और संरक्षा आडिट परामर्शदाता

- ईओआई आमंत्रित कर दी गई है।

ग. दानकुनी-सोननगर पीपीपी परियोजना

यह निर्णय किया गया है कि रेल मंत्रालय द्वारा दो चरणों में पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के माध्यम से दानकुनी-सोननगर (540 किमी.)के बीच सेक्शन जो हैं दानकुनी-गोमोह चरण-1 के रूप में (282.2 किमी. और गोमोह-सोननगर सेक्शन (260 किमी.) चरण-2 के रूप डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए निर्माण किया जाएगा। परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :

- भूमि अधिग्रहण: चरणवार भूमि अधिग्रहण की स्थिति निम्नानुसार है:

विवरण		भूमि अधिग्रहण सेक्शन		
		20 ए	20 ई	20 एफ
दानकुनी गोमोह सेक्शन (282.2 किमी.) चरण-1	कुल आवश्यकता	547.71 हेक्टे.	547.71 हेक्टे.	547.71 हेक्टे.
	31.03.2014 तक प्रगति	547.71 हेक्टे. (100%)	346.05 हेक्टे. (63%)	205.82 हेक्टे. (38%)
गोमोह सोननगर सेक्शन (260 किमी.) चरण-2	कुल आवश्यकता	454.54 हेक्टे.	454.54 हेक्टे.	454.54 हेक्टे.
	31.03.2014 तक प्रगति	251.58 हेक्टे. (55%)	195.00 हेक्टे. (43%)	145.00 हेक्टे. (32%)

हुगली जिले के सिंगूर के बलरामवती मौजा, वर्धमान जिले के शक्तिगढ़, मंकर, अंदल और कुल्टी, पश्चिम बंगाल और बिहार में गया डिटूर ग्रामों को छोड़कर जहां परियोजना प्रभावित व्यक्तियों द्वारा रेलवे बोर्ड द्वारा परिपत्रित पत्र सं. 2009/इन्फ्रा/3/1/10/भाग.1 दिनांक 13.06.2011 और आरआरए 2008 और एनआरआरपी 2007 (13.06.2011 को संशोधित) पर आधारित डीएफसीसीआईएल के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए विशिष्ट मैट्रिक के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति पैकेज की मांग कर रहे हैं। मामलों को पश्चिम बंगाल और बिहार के राज्य सरकार के भूमि अधिग्रहण के मामलों को देखने वाले अधिकारियों और राज्य स्तर मानीटरिंग कमेटी के समन्वय से सुलझाया जाएगा।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर):

दानकुनी-गोमोह सेक्शन (282.2 किमी.) चरण-1 की डीपीआर रिपोर्ट तैयार हो गई है।

गोमोह-सोननगर सेक्शन (260 किमी.) चरण-2 की डीपीआर रिपोर्ट तैयार की जा रही है और अक्टूबर 2014 तक होने की संभावना है।

परियोजना अनुमानित लागत

दानकुनी-गोमोह सेक्शन (282 किमी.) चरण-1 की रियायती अनुमानित लागत रु. 4570.26 करोड़ है। गोमोह-सोननगर सेक्शन (260 किमी.) चरण-2 की अनुमानित लागत रु. 5520.72 करोड़ है।

(05) नए कासिंग स्टेशनों की लोकेशन और संरक्षण और (03) नए जंक्शन स्टेशनों सहित विभिन्न ढांचागत सुविधाओं के लिए दानकुनी-गोमोह (282.2 किमी.) चरण-1 की पुश्टि की जा चुकी है। यार्ड प्लान को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

मानकों और विशिष्टीकरणों के मेनुअल:

मानकों और विशिष्टीकरणों के मसौदे को तैयार करने का परामर्श ठेका मेसर्स राइट्स को दे दिया गया है और मसौदा रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

वित्तीय मॉडलिंग:

रेलवे बोर्ड द्वारा दानकुनी-गोमोह सेक्शन चरण-1 के लिए संदर्भ के नियमों के आधार पर एक परामर्श ठेका मेसर्स ग्रांट थोनटोन को एवार्ड किया गया है, वित्तीय परामर्शदाता द्वारा वित्तीय मॉडलिंग पर मसौदा अंतिम रिपोर्ट दे दी गई है और अनुमोदन के अंतर्गत है ।

योजना आयोग मॉडल दस्तावेज के अनुसार पीपीपी संबंधित कार्यों में सहयोग के लिए तकनीकी परामर्शदाता और कानूनी परामर्शदाता की नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू किया गया है ।

घ. भविष्य के कोरीडोर:

रेलवे बोर्ड ने भविष्य के चार कोरीडोर के लिए पी ई टी एस प्राप्त करने के लिए निर्देश दिए हैं:

- (i) पूर्व-पश्चिम कोरीडोर(कोलकाता-मुंबई) – 2000 किमी.
- (ii) उत्तर दक्षिण कोरीडोर(दिल्ली-चैन्ने) – 2173 किमी.
- (iii) पूर्व तटीय कोरीडोर (खड़गपुर-विजयवाड़ा) 1100 किमी.
- (iv) दक्षिण कोरीडोर (चैन्ने-गोवा) 890 किमी.

पीटीईएस के कार्य को मेसर्स राइट्स द्वारा किया जा रहा है। वर्ष के दौरान दक्षिण कोरीडोर और पूर्व तटीय कोरीडोर के लिए अध्ययन रिपोर्ट और डाटा कलेक्शन रिपोर्ट को पूरा कर लिया गया है । उत्तर दक्षिण कोरीडोर की 1680 किमी. की मिडटर्म रिपोर्ट और 1572 किमी. की पूर्व पश्चिम कोरीडोर की रिपोर्ट को तैयार कर लिया गया है । उत्तर दक्षिण कोरीडोर और पूर्व पश्चिम कोरीडोर की पीईटीएस मसौदा रिपोर्ट को वर्ष 2014-15 के दौरान तैयार किया जाएगा ।

ङ . डीएफसीसीआईएल और रेल मंत्रालय के बीच रियायती करार

रेल मंत्रालय और डीएफसीसीआईएल के बीच संबंधों को परिभाषित करते हुए रियायती करार रेल मंत्रालय और डीएफसीसीआईएल के बीच दिनांक 28.2.2014 को रेलवे बोर्ड से आवश्यक संशोधन, डीएफसीसीआईएल के निदेशक मंडल के अनुमोदन, डीईए के सुझावों और योजना आयोग के बाद किया गया। डीएफसीसीआईएल द्वारा रियायती करार में सामान्य अभ्यावेदनों, वारन्टी, अन्डरटैकिंग और दायित्वों को परिभाषित किया गया है और रियायती प्राधिकारी (एमओआर) और गतिविधियों के क्षेत्र और सेवाओं रियायती करार के लिए “पूर्व शर्त” जिसे दिनांक 25.06.2014 को पूरा किया गया ।

करार के अनुसार डीएफसीसीआईएल कोरीडोर का निर्माण, रखरखाव और संचालन करेगा । डीएफसी का ढांचा नॉन भेदभावपूर्ण आधार पर सभी अधिकृत रेल आपरेटर पर उपलब्ध होगा। डीएफसीसीआईएल नए रेलवे के बाजार लाभ को बढ़ावा देने और अप्रयुक्त क्षमता के उपयोग के अवसरों की पहचान करेगा और नए रेलवे में प्राधिकृत रेल उपयोगकर्ताओं को अतिरिक्त रेलवे यातायात के लिए उनको सहयोग एवं बढ़ावा देगा। डीएफसीसीआईएल नए रेल मालभाड़ा टर्मिनलों, भालभाड़ा लोजिस्टिग केन्द्रों आदि को विकसित करने में

सहयोग एवं बढ़ावा देगा जिससे अतिरिक्त यातायात के लिए बाजार उपलब्ध हो सकेगा। डीएफसीसीआईएल कोरीडोर के साथ नए उद्योगों को जोड़ने के विकास को भी शुरू करेगा। जब भी सेटअप होगा तब ट्रेक प्रभार टेरिफ रेगुलेटरी ऑथरिटी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

4. अनुपालन

क. राजभाषा

डीएफसीसीआईएल, कॉर्पोरेट कार्यालय में राजभाषा का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए विशेष बल दिया जाता है। 01.04.2013 से 31.3.2014 तक राजभाषा के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न गतिविधियां की गईं।

प्रत्येक तिमाही में डीएफसीसी में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का नियमित रूप से आयोजन किया गया। राजभाषा के प्रयोग से संबंधित तिमाही रिपोर्ट रेलवे बोर्ड, गृह मंत्रालय को नियमित रूप से भेजी गईं। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम)की होने वाली छमाही बैठकों में डीएफसीसी की सहभागिता सक्रिय रूप से की जा रही है।

राजभाषा के प्रयोग-प्रसार को बढ़ावा देने हेतु दिनांक 14.09.2013 से 28.09.2013 तक डीएफसीसी में राजभाषा पखवाड़े का आयोजन किया गया। पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं तथा उनमें प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा पुरस्कृत किया गया। डीएफसीसीआईएल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में हिंदी में कार्य करने की झिझक को दूर करने के लिए नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। डीएफसीसीआईएल की वेबसाइट को नियमित रूप से हिंदी में अपडेट किया जाता है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के सभी कार्यालय आदेश, भूमि अधिग्रहण और गजट अधिसूचना को द्विभाषी रूप से जारी किया जाता है।

डीएफसीसीआईएल में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए रेलवे बोर्ड की प्रोत्साहन योजनाओं को लागू किया गया है। डीएफसीसीआईएल के अधिकांश मेनुअलों का हिंदी में अनुवाद कर दिया गया है। शेष मेनुअलों का हिंदी अनुवाद करने की प्रक्रिया चल रही है। डीएफसीसीआईएल में एक हिंदी पुस्तकालय की स्थापना की गई है। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी इस पुस्तकालय का लाभ उठा रहे हैं।

ख. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार नागरिकों को व्यवहारिक दृष्टि से शासन प्रणाली से सूचना प्रदान करने का प्रयास है जिसके तहत वे सार्वजनिक प्राधिकार के नियंत्रण के अंतर्गत नियम, सूचना प्राप्त कर सकते हैं ताकि प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकार की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता तथा जबाबदेही को प्रोत्साहन मिल सके।

कंपनी ने एक केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति की है जिसका नाम कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी को लगभग 293 आर टी आई आवेदन प्राप्त हुए और सभी मामलों का निपटान निर्धारित समय में किया गया। सभी जबाब कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं जो कि पाक्षिक आधार पर अपडेट की जाती है।

वर्ष के दौरान डीएफसीसी में कुल 31 संसदीय प्रश्न प्राप्त हुए और सभी का समय से रेल मंत्रालय को जबाब दिया गया।

ग. एम सी ए 21 ई फाइलिंग

कंपनी नियमों, 2006 (इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग एंड आथेन्टिकेशन ऑफ डाक्यूमेंट्स) और कंपनी (फाइलिंग ऑफ डाक्यूमेंट्स एंड फार्म व एक्सेटन्सिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लेग्सोंगेज) नियम 2012 की शर्तों के अनुसार कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सभी संवैधानिक प्रपत्र और विवरणियां इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भरी हैं।

घ. समझौता ज्ञापन

समीक्षाधीन अवधि के दौरान सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी समझौता के ज्ञापन की दिशा निर्देशों के अनुसार समझौता ज्ञापन (2014-2015) पर परिवहन एवं पर्यटन संघ के कार्य बल के साथ चर्चा करने के बाद रेल मंत्रालय के साथ दिनांक 28.03.2014 को हस्ताक्षर किए गए।

रेल मंत्रालय तथा डीएफसीसीआईएल के बीच समझौता ज्ञापन (2014-15) की शर्तों के अनुसार कंपनी को परियोजना संबंधी प्राचल, सक्रिय प्राचल, निगमित सामाजिक जिम्मेदारी प्राचल, मानव संसाधन प्रबंधन, निरंतर विकास, सेक्टर विनिर्दिष्ट तथा उद्यम विनिर्दिष्ट परिवर्तन के लक्ष्य को करने हैं।

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए कंपनी को एम ओ यू के लिए "बहुत अच्छी" श्रेणी प्रदान की गई है।

ड. सतर्कता

ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में संभावित खतरों एवं कठिनाइयों से बचने के लिए सावधान रहने के लिए परिभाषित किया गया है। संगठनात्मक संदर्भ में सतर्कता का अर्थ होता है कर्मचारियों की गतिविधियों को कड़ी नजर रखना और सरकारी लेनदेन और व्यवहार में निष्ठा और ईमानदारी सुनिश्चित कर शीघ्र कार्रवाई करना। सतर्कता किसी संगठन के प्रबंधन का जागरूक भाव और एक अभिन्न अंग होता है और संगठन के निष्पादन को बढ़ावा देने का लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसमें स्वच्छ व्यापार वातावरण, पेशेवर ईमानदारी, मुस्तैदी और नैतिक प्रथाएं सम्मिलित होती हैं।

इस वर्ष डीएफसीसीआईएल ने दंडात्मक सतर्कता की तुलना में ने निवारक सतर्कता और प्रणाली में सुधार के लिए अधिक जोर दिया है। सतर्कता मामलों, पर निर्देशों और दिशा निर्देशों को अद्यतन करने के क्रम में सतर्कता अधिकारियों के लिए पांच प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए, एक करोड़ से अधिक के सभी ठेके और खरीद को सीवीसी द्वारा निर्धारित प्रारूप में डीएफसीसीआईएल की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाता है। डीएफसीसीआईएल के सतर्कता संगठन में एक पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए एक उप मुख्य सतर्कता अधिकारी, दो उप महाप्रबंधक, एक प्रबंधक और सहायक प्रबंधक हैं जबकि एक पद प्रबंधक का रिक्त चल रहा है।

शिकायतें :

डीएफसीसीआईएल ने शिकायतों को दूर करने की नीति को अच्छी तरह से परिभाषित किया है जो कि डीएफसीसीआईएल की वेबसाइट के सतर्कता पोर्टल पर उपलब्ध है। इसमें शिकायतों को दर्ज कराने के लिए विस्तृत प्रक्रिया को दिया गया है। वर्ष के दौरान सीवीसी/रेलवे और अन्य व्यक्तियों से कुल 23 शिकायतें प्राप्त हुईं इनमें से 18 शिकायतों को निपटाया गया और शेष 05 शिकायतों को विभिन्न स्तरों पर जांच की जा रही है।

जांच के परिणाम के बाद सिफारिशें :

एक ठेके को एवार्ड के मामलों में अनियमिततायें बरती गईं, एक अधिकारी के खिलाफ छोटी शक्ति की सिफारिश की गई और मामलों को आगे की कार्रवाई के लिए रेलवे बोर्ड भेजा गया है।

निरोधक जांच:

वर्ष के दौरान 13 निरोधक जांच आयोजित की गईं जिनमें से 10 का निपटारा कर दिया गया है शेष 03 की जांच की जा रही है ।

प्रणाली सुधार:

परिणामों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में प्रणाली सुधार और निविदाओं और ठेकों, भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा का भुगतान के लिए सिफारिशों को लागू किया गया ।

जागरूकता और भागीदारी सतर्कता:

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसरण में, दिनांक 28 अक्टूबर 2013 से 02 नवम्बर 2013 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया । इस वर्ष के सतर्कता सप्ताह का विषय था “ सतर्कता को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक सुशासन ” सप्ताह के समारोह का उद्घाटन प्रबंध निदेशक/डीएफसीसीआईएल द्वारा किया गया । उक्त विषय पर दिनांक 30 अक्टूबर 2013 को एक संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया है जिसमें श्री रमेश चंद्र, मुख्य तकनीकी परीक्षक, सीवीसी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे । “ सतर्कता को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक सुशासन ” विषय पर एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और विजयी को उचित पुरस्कार प्रदान किए गए ।

5. सूचना प्रौद्योगिकी तथा विकास:

डीएफसीसीआईएल में एक पेशेवर आईटी फर्म की सहायता से डीएफसीसीआईएल की आवश्यकताओं को परिभाषित किया गया और विश्व बैंक के पर्यवेक्षण और फंडिंग से, डीएफसीसीआईएल में इन्टीग्रेटेड आईटी सोल्यूशन के कार्यान्वयन के लिए एक सिस्टम इन्टीग्रेटर का चयन किया गया । परियोजना का उद्देश्य वित्तीय प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन, उद्यम परिसंपत्ति प्रबंधन, भूमि अधिग्रहण सूचना प्रबंधन, भौगोलिक सूचना प्रबंधन, पोर्टल, डाक्यूमेंट प्रणाली आदि के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीयकृत कर सोफ्टवेयर सोल्यूशन इन्टीग्रेटिंग करना है । सैप आधारित ईआरपी सोल्यूशन में इन आवेदनों को होस्ट कर सभी बिजनेस आवेदनों को चलाने के लिए प्रयोग किया जाएगा । संगठन में ईआरपी सोल्यूशन को अत्याधिक कठिन कार्यों के लिए पूरा किया जाएगा । प्रणाली निर्णयों को तीव्रता से लेने, नियोजन एवं विभिन्न कार्यों के बीच समन्वय, बेहतर समय प्रबंधन, प्रभावी रिपोर्टिंग, ज्ञान प्रबंधन को सुनिश्चित करेगी । उपलब्ध सूचना को प्राप्त करने में कम समय लगेगा ।

डीएफसीसीआईएल कार्यालय के चौथे तल में आर्ट डाटा सेंटर को स्थापित किया गया है । इस डाटा सेंटर को वीपीएस अथवा डब्ल्यूएन (वाइड एरिया नेटवर्क)एमपीएलएस(मल्टी-प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग) आधारित प्रणाली का प्रयोग द्वारा सभी 14 मुख्य परियोजना प्रबंधकों को जोड़ा गया है । इस प्रकार दोनों पूर्वी और पश्चिमी कोरीडोर के सभी मुख्य परियोजना प्रबंधकों को डीएफसीसीआईएल के डाटा सेंटर से जोड़ दिया गया है ।

प्रणाली के लिए सभी मोड्यूल पर यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग(यूएटी)को पूरा कर लिया गया है और हम परिचालनिक स्वीकृति फेज के बाद सभी आवेदन ऑन लाइन हो जाएंगे । डीएफसीसीआईएल के 250 कर्मचारियों को एंड यूजर ट्रेनिंग और एप्लीकेशन ट्रेनिंग दी गई । 10 प्रबंधन बदलाव कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसमें डीएफसीसीआईएल के 300 कर्मचारियों ने भाग लिया ।

डीएफसीसीआईएल के इन्टीग्रेटेड आईटी सिस्टम/ईआरपी का श्री अरुनेन्द्र कुमार, अध्यक्ष रेलवे बोर्ड और अध्यक्ष डीएफसीसीआईएल ने दिनांक 28 अक्टूबर 2013 को डीएफसीसीआईएल के प्रबंध निदेशक श्री आर के गुप्ता, निदेशकगण श्री ए के दत्ता, श्री अंशुमान शर्मा और श्री एच डी गुजरात, श्री एम के मित्तल, श्री गिरीश पिल्लई, सलाहकार/अवसंरचना/रेलवे बोर्ड, समूह महाप्रबंधक और महाप्रबंधक की उपस्थिति में द्वारा उद्घाटन किया गया । इस अवसर पर डीएफसीसीआईएल की नई वेबसाइट का भी अध्यक्ष रेलवे बोर्ड द्वारा उद्घाटन किया गया ।

फरवरी, 2014 से डीएफसीसीआईएल के पे रौल को ईआरपी सिस्टम पर चालू किया गया । डीएफसीसीआईएल के 500 से अधिक कर्मचारियों को ईएसएस(कर्मचारी स्वयं सेवा)लाईसेंस जारी किए गए । इस प्रकार पोर्टल से प्रत्येक कर्मचारी अपनी पे स्लिप, छुट्टी का आवेदन और उपलब्ध विभिन्न यूजर मैन्युअलों और अन्य सूचना को अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं । सभी पोस्टिंग और स्थान्तरण आदेशों को ईआरपी/सैप प्रणाली के माध्यम से जारी किया जाता है ।

प्रारंभ में डीएफसीसीआईएल में 05 मुख्य परियोजना प्रबंधकों टूंडला, मुगलसराय, सूरत, जयपुर और अजमेर लोकेशनों को परियोजना प्रबंधन प्रणाली से जोड़ा जाएगा । परियोजना ठेकेदारों और परामर्शदाताओं को भी ऑन लाइन बिलों को देने के लिए उपलब्ध ईआरपी सिस्टम को पोर्टल के माध्यम का प्रयोग किया जाएगा । परियोजना का निष्पादन संबंधित मुख्य परियोजना प्रबंधकों द्वारा मानीटर किया जाएगा लेकिन संपूर्ण प्रोग्राम (फील्ड स्तर पर परियोजनाओं ओर विभिन्न ठेकों को शामिल करते हुए)को केन्द्रीयकृत कर कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा प्रबंध किया जाएगा ।

स्टीयरिंग कमेटी, प्रक्रिया मालिकों, कोर टीम सदस्यों और आई टी विभाग के सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं जिनके बिना इस परियोजना को कम समय में और विस्तारित क्षेत्र के साथ पूरा करना संभव नहीं था ।

6. औद्योगिक संबंध:

समीक्षाधीन अवधि के दौरान औद्योगिक संबंध शांतिपूर्ण एवं सोहाद्रपूर्ण रहे । 30 अक्टूबर, 2013 को डीएफसीसीआईएल का 7वां स्थापना दिवस डीएफसीसीआईएल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की गरिमामयी उपस्थिति में अत्यन्त ही उत्साह और जोश के साथ मनाया गया । कंपनी ने 21 मई 2013 को आतंकवाद विरोध दिवस और 20 अगस्त 2013 को सद्भावना दिवस मनाया । दिनांक 19 नवम्बर 2013 को राष्ट्रीय एकता की शपथ ली गई । शपथ को कंपनी के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने लिया । दिनांक 7 अक्टूबर 2013 को आर्मड फोर्स दिवस मनाया गया और इस अवसर पर कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा दो मिनट का मौन रखा गया ।

7. निदेशक मंडल

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल में नियुक्तियों एवं पदावधि समाप्ति के कारण कुछ परिवर्तन हुए जो निम्नानुसार हैं:

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान निम्नलिखित निदेशकों ने बोर्ड को ज्वाइन किया ।

क. रेलवे बोर्ड के पत्र सं.2009/इन्फ्रा/6/2 दिनांक 5.7.2013 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति ने श्री अरुनेन्द्र कुमार, अध्यक्ष रेलवे बोर्ड को दिनांक 05.07.2013 से तत्काल प्रभाव से डीएफसीसीआईएल के बोर्ड में अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है । इन्हें श्री विनय मित्तल, पूर्व अध्यक्ष रेलवे बोर्ड के स्थान पर अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के पद पर बने रहने तक या अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, नियुक्त किया है ।

- ख. रेलवे बोर्ड के पत्र सं.2013/ई/(ओ)/ii/40/8 दिनांक 02.09.2013 के अनुसार सक्षम अधिकारी ने श्री एम के मित्तल, महाप्रबंधक(वित्त)आरईसी को निदेशक(वित्त)डीएफसीसीआईएल के पद पर नियुक्ति का 05 वर्ष की अवधि अथवा उनकी सेवानिवृत्ति तक अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हों अनुमोदन प्रदान किया है । उन्होंने दिनांक 16.09.2013 को पूर्वान्ह में निदेशक(वित्त)के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।
- ग. रेलवे बोर्ड के पत्र सं.2010/ई(ओ) ii/40/25 दिनांक 20.03.2014 के अनुसार, रेल मंत्रालय ने श्री आर के गुप्ता, आईआरएसई को महाप्रबंधक, पूर्व रेलवे के रूप में नियुक्त किया है, रेल मंत्रालय ने श्री आर के गुप्ता अपनी ड्यूटी के साथ-साथ डीएफसीसीआईएल के प्रबंध निदेशक का कार्यभार भी देखेंगे ।

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान निम्नलिखित निदेशकों का कार्यभार समाप्त हो गया है :

- क. रेलवे बोर्ड के दिनांक 14.05.2010 के पत्र सं. 2008/इन्फ्रा/6/1 के अनुसार श्री डी टी जोसफ, स्वतंत्र निदेशक का तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के कारण दि.13.05.2013 से पदभार समाप्त हो गया है
- ख. रेलवे बोर्ड के दिनांक 05.07.2013 के पत्र सं. 2009/इन्फ्रा/6/2 के अनुसार श्री विनय मित्तल, पूर्व अध्यक्ष रेलवे बोर्ड की सेवा निवृत्ति दिनांक 30.06.2013 को होने के कारण डीएफसीसीआईएल के अध्यक्ष का पदभार समाप्त हो गया है
- ग. श्री एच डी गुजराती, निदेशक/ परिचालन एवं व्यवसाय विकास दिनांक 14.09.2013 को निदेशक/अवसंरचना का अतिरिक्त कार्यभार ।
- घ. श्री ए के दत्ता, निदेशक/अवसंरचना ने अपने पत्र सं. निदेशक/अवसंरचना/व्यक्ति दिनांक 29.11.2013 के द्वारा अपनी सेवा के टर्मिनेशन के लिए तीन माह का नोटिस दिया है । रेलवे बोर्ड ने अपने दिनांक 31.12.2013 के पत्र सं 2007/ई(ओ)ii/40/9 के द्वारा सक्षम अधिकारी ने श्री ए के दत्ता, निदेशक/अवसंरचना का त्यागपत्र दिनांक 28.02.2014 (अपरान्ह)से स्वीकार कर लिया है ।

वित्त वर्ष 2013-2014 के दौरान निम्नलिखित निदेशक ने कार्यभार ग्रहण किया है:-

- क. रेलवे बोर्ड ने अपने दिनांक 19.05.2014 के पत्र सं.2007/ई(ओ) ii/40/09 के द्वारा श्री अंशुमान शर्मा, निदेशक/पीपी को अपने कार्य के अतिरिक्त छह माह के लिए दिनांक 11.03.2014 अथवा निदेशक/अवसंरचना की नियमित चयन तक अथवा अग्रिम आदेश तक जो भी पहले हो, के लिए सक्षम अधिकारी निदेशक/अवसंरचना के पद पर कार्य करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है ।
- ख. रेलवे बोर्ड ने अपने दिनांक 28.07.2014 के पत्र सं .2010/ई(ओ) ii/40/25)के द्वारा यह निर्णय किया है कि प्रबंध निदेशक, डीएफसीसीआईएल के पद पर अतिरिक्त प्रभार के रूप में श्री अंशुमान शर्मा, निदेशक/पीपी /डीएफसीसीआईएल कार्यभार देखेंगे, इसके अतिरिक्त वह जब तक पीईएसबी द्वारा नियमित प्रबंध निदेशक के पद पर चयन होने और एम.डी/डीएफसीसीआईएल के पद पर ज्वाइन करने अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हों । श्री अंशुमान शर्मा, निदेशक/पीपी ने प्रबंध निदेशक/डीएफसीसीआईएल के पद पर दिनांक 28.07.2014 पूर्वान्ह में कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

वित्त वर्ष 2013-2014 के समापन के बाद निम्नलिखित निदेशकों ने कार्यभार छोड़ दिया है: .

- क. रेलवे बोर्ड ने अपने दिनांक 08.01.2014 के पत्र सं.2013/इन्फ्रा/6/29 के द्वारा श्री भास्कर गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक को पूरे कर लिए कार्यकाल को तीन माह के लिए दिनांक 07.04.2014 तक बढ़ा दिया है ।

- ख. रेलवे बोर्ड ने अपने दि.28.07.2014 के पत्र सं. 2010/ई(ओ) ii/40/25 के द्वारा श्री आर के गुप्ता, आईआरएसई, महाप्रबन्धक, पूर्व रेलवे द्वारा अपनी ड्यूटी के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक/डीएफसीसीआईएल के पद पर अतिरिक्त कार्यभार को समाप्त कर दिया है ।

इस रिपोर्ट के प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित निदेशक कार्यभार देख रहे हैं:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	कार्यभार ग्रहण की तिथि
1.	श्री अरुनेन्द्र कुमार	अंशकालिक अध्यक्ष (सरकारी)	05.07.2013
2.	श्री अंशुमान शर्मा	निदेशक/परियोजना नियोजन अतिरिक्त प्रभार निदेशक/अवसंरचना अतिरिक्त प्रभार प्रबंध निदेशक	05.04.2011 11.03.2014 28.07.2014
3.	श्री एच डी गुजराती	निदेशक/ परिचालन एवं व्यवसाय विकास	29.11.2012
4.	श्री एम के मित्तल	निदेशक/ वित्त	16.9.2013
5.	श्री गिरीश पिल्लई	अंशकालिक निदेशक (सरकारी)	14.11.2012
6.	श्री गजेन्द्र हल्दिया	अंशकालिक निदेशक (सरकारी)	02.05.2008
7.	श्री आर एस शर्मा	अंशकालिक निदेशक (गैर सरकारी)	25.04.2012

8. लेखा परीक्षक

वित्त वर्ष 2013-2014 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2013-2014 के लिए मेसर्स बावेजा एंड कौल, चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स को कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है और निदेशक मंडल के सदस्यों ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए फीस के रूप में पारिश्रमिक रुपये 4,00,000/- (चार लाख) वार्षिक प्लस सेवा कर निर्धारित किया है ।

9. कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 217(2एए)के अंतर्गत निदेशकों के उत्तरदायित्वों का विवरण :

कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 217 (2एए) के अंतर्गत यथा अपेक्षित निदेशक पुष्टि करते हैं कि :

- I. वार्षिक लेखों की तैयार करने में, लागू लेखांकन मानकों का अनुसरण किया गया है और तात्विक विसंगतियों के लिए समुचित स्पष्टीकरण दिए गए हैं ।
- II. निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों, उन्हें सतत लागू किया है और निर्णय लिए हैं कि आंकलन किए हैं जो उपयुक्त और विवेकपूर्ण हैं जो वित्तीय वर्ष पर ओर उस अवधि के लाभ हानि खाते में कंपनी के मामलों की सही स्थिति को दर्शाते हैं ।
- III. कंपनी की परिसंपत्तियों के सुरक्षा के लिए और धोखेबाजी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड के अनुरक्षण के लिए निदेशकों ने समुचित और पर्याप्त सावधानी बरती है ।
- IV. निदेशकों ने वार्षिक लेखा एक कार्यरत कंपनी के आधार पर तैयार किया है ।

10. कॉर्पोरेट नियंत्रण:

अनुबंध “क” पर प्रस्तुत एक “कॉर्पोरेट संचालन रिपोर्ट” कॉर्पोरेट संचालन पर कंपनी का दर्शन उपस्थिति के साथ-साथ निदेशक मंडल का गठन, निदेशकों की परिलब्धियां आदि और अन्य समकक्ष प्रकटीकरण को दर्शाती है।

कार्यरत कंपनी सचिव से प्राप्त कॉर्पोरेट संचालन का अनुपालन प्रमाण पत्र अनुबंध “ख” पर प्रस्तुत है।

प्रबंधन विचारविमर्श और रिपोर्ट विश्लेषण अनुबंध “ग” पर प्रस्तुत है।

11. लेखा परीक्षक की रिपोर्ट:

प्रबंधक के उत्तर और लेखा परीक्षकों की टिप्पणी इस रिपोर्ट के अनुलग्नक “घ” में हैं।

12. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी:

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष में कंपनी के लेखा पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणी मिल है जो कि रिपोर्ट के अनुलग्नक “ङ” पर है।

13. ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी विलयन और विदेशी मुद्रा का अर्जन और निर्गम:

ऊर्जा संरक्षण तथा प्रौद्योगिकी विलयन करने के संबंध में कंपनी नियम 1988 (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरण का प्रकटन)के साथ कंपनी अधिनियम 1956 की धारा (1)(ई) के अनुसरण में अपेक्षित विवरण के प्रकटन को शून्य माना जाए।

यद्यपि समीक्षाधीन अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा का अर्जन एवं निर्गम निम्न प्रकार रहा:

विदेशी मुद्रा का अर्जन	-	शून्य
विदेशी मुद्रा का निर्गम	-	370.11 लाख रु. जिसमें से
ब्याज	-	132.10 लाख रुपये
सेमीनार प्रशिक्षण व्यय	-	117.69 लाख रुपये
टूर एंड यात्रा व्यय	-	35.34 7 लाख रुपये
एल सी ओपनिंग प्रभार	-	91.33 लाख रुपये
जायका ऋण पर बैंक प्रभार	-	02.65 लाख रुपये

14. कर्मचारियों/निदेशकों की परिलब्धियों का विवरण

समय-समय पर यथा संशोधित कंपनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217(2ए) के अनुसार सूचना प्रकट करना अपेक्षित नहीं है क्योंकि कोई भी कर्मचारी और निदेशक निर्धारित सीमा से अधिक परिलब्धियां प्राप्त नहीं कर रहा था।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान प्रबंधकीय परिलब्धियों की कुल लागत 120.49 लाख रु. है जिसमें से परिलब्धियों का कुल मूल्य 114.52 लाख रुपये और लाभों का मूल्य 05.97 लाख रुपये है।

15. आभार

निदेशक, रेल मंत्रालय, राज्य सरकारों, क्षेत्रीय रेलों, सांविधिक अधिकारियों और सरकारी एजेंसियों के प्रति उनके सहयोग और संरक्षण के लिए आभार प्रकट करते हैं ।

ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों और बैंकों द्वारा कंपनी की निरंतर सहयोग प्रदान करने के लिए बोर्ड धन्यवाद के साथ उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता है । निदेशक बोर्ड डीएफसीसीआईएल के कर्मचारियों तथा अन्य के प्रति कंपनी को समय-समय पर दिए गए निरंतर बेशकीमती सहयोग, समर्थन एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त करता है ।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ताक्षर

(अरुनेन्द्र कुमार)

अध्यक्ष

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक 29.08.2014

नोट: निदेशकों की रिपोर्ट को कॉर्पोरेट एफेयर्स मंत्रालय के सामान्य परिपत्र सं.08/2014 दिनांक 04.04.2014 के अनुसार तैयार किया गया है।

कॉर्पोरेट संचालन रिपोर्ट

1. कॉर्पोरेट संचालन पर कंपनी के दर्शन पर एक संक्षिप्त विवरण

कंपनी अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को उच्च श्रेणी की पारदर्शिता, जवाबदेही तथा परिचालन और अपने सभी व्यवहारों के सभी क्षेत्रों में समानता के माध्यम से प्राप्त करने में विश्वास रखती है। कॉर्पोरेट संचालन सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन प्रणालियों, कानूनों, नियमों विनियमों का अनुपालन और कंपनी को उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मानकों के अनुसरण का अनुप्रयोग है।

“ गति, ईमानदारी तथा सफलता ” में विश्वास अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसको प्राप्त करने के लिए उत्तरदायित्व, जवाबदेही, कर्तव्यपालन, पारदर्शिता तथा उचित प्रकटन मुख्य माध्यम है।

2. निदेशक मंडल

2.1 निदेशक मंडल का संरचना

कंपनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 80 के संबंध में, भारत के राष्ट्रपति ने लिखित में निर्धारित किया है कि डीएफसीसीआईएल के निदेशक मंडल में कुल 12 निदेशक होंगे। भारत के राष्ट्रपति ने दि: 04.05.2010 के पत्र सं. 2008/इंफ्रा/6/1 द्वारा डीएफसीसीआईएल के निदेशक मंडल की संरचना निम्न प्रकार अनुमोदित की गई है:-

- अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष रेलवे बोर्ड (सी आर बी)
- प्रबंध निदेशक सहित 5 पूर्णकालिक क्रियाशील निदेशक
- रेल मंत्रालय द्वारा नामित एक
- योजना आयोग द्वारा नामित एक
- आवश्यकता के अनुसार वित्तीय संस्था से एक निदेशक सहित 4 स्वतंत्र गैर सरकारी निदेशक

2.2 बोर्ड की संख्या

रिपोर्ट के समय कंपनी के निदेशक मंडल की कुल मौजूद संख्या सात है जिसमें तीन पूर्णकालिक निदेशक, एक अंशकालिक अध्यक्ष, रेल मंत्रालय तथा योजना आयोग से नामित दो अंशकालिक सरकारी निदेशक तथा एक स्वतंत्र अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक सम्मिलित हैं। कंपनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 81 (1) के संबंध में, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकारी है कि वे कंपनी के निदेशकों को नियुक्त कर सकते हैं।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान निम्नलिखित निदेशकों ने बोर्ड को ज्वाइन किया।

- क. रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2009/इंफ्रा/6/2 दिनांक 05.07.2013 द्वारा भारत के राष्ट्रपति ने श्री अरुनेंद्र कुमार, अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड को दिनांक 05.07.2013 से तत्काल प्रभाव से डीएफसीसीआईएल के बोर्ड में अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है। इन्हें श्री विनय मित्तल, पूर्व अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के स्थान पर अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के पद पर बने रहने तक या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त किया है।
- ख. रेलवे बोर्ड के पत्र सं.2013/ई/(ओ)/ii/40/8 दिनांक 02.09.2013 के अनुसार सक्षम अधिकारी ने श्री एम के मित्तल, महाप्रबंधक(वित्त)आरईसी को निदेशक(वित्त)डीएफसीसीआईएल के पद पर नियुक्ति का 05 वर्ष की अवधि अथवा उनकी सेवानिवृत्ति तक अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हों

अनुमोदन प्रदान किया है । उन्होंने दिनांक 16.09.2013 को पूर्वान्ह में निदेशक(वित्त)के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

- ग. रेलवे बोर्ड के पत्र सं.2010/ई(ओ) ii/40/25 दिनांक 20.03.2014 के अनुसार , रेल मंत्रालय ने श्री आर के गुप्ता, आईआरएसई को महाप्रबंधक, पूर्व रेलवे के रूप में नियुक्त किया है, रेल मंत्रालय ने श्री आर के गुप्ता अपनी ड्यूटी के साथ-साथ डीएफसीसीआईएल के प्रबंध निदेशक का कार्यभार भी देखेंगे ।

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान निम्नलिखित निदेशकों का कार्यभार समाप्त हो गया है :

- क. रेलवे बोर्ड के दिनांक 14.05.2010 के पत्र सं. 2008/इन्फ्रा/6/1 के अनुसार श्री डी टी जोसफ, स्वतंत्र निदेशक का तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के कारण दि.13.05.2013 से पदभार समाप्त हो गया है।
- ख. रेलवे बोर्ड के दिनांक 05.07.2013 के पत्र सं. 2009/इन्फ्रा/6/2 के अनुसार श्री विनय मित्तल, पूर्व अध्यक्ष रेलवे बोर्ड की सेवा निवृत्ति दिनांक 30.06.2013 को होने के कारण डीएफसीसीआईएल के अध्यक्ष का पदभार समाप्त हो गया है।
- ग. श्री एच डी गुजराती, निदेशक/ परिचालन एवं व्यवसाय विकास दिनांक 14.09.2013 को निदेशक/अवसंरचना का अतिरिक्त कार्यभार समाप्त हुआ।
- घ. श्री ए.के.दत्ता, निदेशक/अवसंरचना ने अपने पत्र सं. निदेशक/अवसंरचना/व्यक्ति दिनांक 29.11.2013 के द्वारा अपनी सेवा के टर्मिनेशन के लिए तीन माह का नोटिस दिया है । रेलवे बोर्ड ने अपने दिनांक 31.12.2013 के पत्र सं.2007/ई(ओ) ii/40/9 के द्वारा सक्षम अधिकारी ने श्री ए के दत्ता, निदेशक/अवसंरचना का त्यागपत्र दिनांक 28.02.2014 (अपरान्ह)से स्वीकार कर लिया है।

वित्त वर्ष 2013-2014 के दौरान निम्नलिखित निदेशक ने कार्यभार ग्रहण किया है:-

- क. रेलवे बोर्ड ने अपने दिनांक 19.05.2014 के पत्र सं.2007/ई(ओ) ii/40/09 के द्वारा श्री अंशुमान शर्मा, निदेशक/पीपी को अपने कार्य के अतिरिक्त छह माह के लिए दिनांक 11.03.2014 अथवा निदेशक/अवसंरचना की नियमित चयन तक अथवा अग्रिम आदेश तक जो भी पहले हो, के लिए सक्षम अधिकारी निदेशक/अवसंरचना के पद पर कार्य करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है ।
- ख. रेलवे बोर्ड ने अपने दिनांक 28.07.2014 के पत्र सं.2010/ई(ओ) ii/40/25)के द्वारा यह निर्णय किया है कि प्रबंध निदेशक, डीएफसीसीआईएल के पद पर अतिरिक्त प्रभार के रूप में श्री अंशुमान शर्मा, निदेशक/पीपी /डीएफसीसीआईएल कार्यभार देखेंगे, इसके अतिरिक्त वह जब तक पीईएसबी द्वारा नियमित प्रबंध निदेशक के पद पर चयन होने और एम.डी/डीएफसीसीआईएल के पद पर ज्वाइन करने अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हों । श्री अंशुमान शर्मा, निदेशक/पीपी ने प्रबंध निदेशक/डीएफसीसीआईएल के पद पर दिनांक 28.07.2014 पूर्वान्ह में कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

वित्त वर्ष 2013-2014 के समापन के बाद निम्नलिखित निदेशकों ने कार्यभार छोड़ दिया है:-

- क. रेलवे बोर्ड ने अपने दिनांक 08.01.2014 के पत्र सं.2013/इन्फ्रा/6/29 के द्वारा श्री भास्कर गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक को पूरे कर लिए कार्यकाल को तीन माह के लिए दिनांक 07.04.2014 तक बढ़ा दिया है ।
- ख. रेलवे बोर्ड ने अपने दि. 28.07.2014 के पत्र सं. 2010/ई(ओ) ii/40/25 के द्वारा श्री आर के गुप्ता, आईआरएसई, महाप्रबंधक, पूर्व रेलवे द्वारा अपनी ड्यूटी के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक/डीएफसीसीआईएल के पद पर अतिरिक्त कार्यभार को समाप्त कर दिया है ।

इस रिपोर्ट के सौंपे जाने के समय डीएफसीसीआईएल के बोर्ड की संरचना में उनके द्वारा लिया गया निदेशक पद तथा वित्त वर्ष 2013-14 तथा गत वार्षिक आम बैठक के दौरान बोर्ड बैठकों में उनकी उपस्थिति निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	निदेशकों की श्रेणी	निदेशकों के नाम/नियुक्ति की तारीख	डीएफसीसीआईएल सहित सरकारी कंपनी में निदेशक/अध्यक्ष के रूप में कुल पद, निजी कंपनियों को छोड़कर 1 और 5	डीएफसीसीआईएल सहित सरकारी कंपनी में समिति की सदस्यता/अध्यक्षता के रूप में कुल पद, निजी कंपनियों को छोड़कर (4 और 5)	2013-14 में (अपने कार्यकाल के दौरान) आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या	बोर्ड बैठकों में उपस्थिति की संख्या (अपने कार्यकाल के दौरान)	पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति
(i) अध्यक्ष (अंशकालिक अधिकारिक)							
1	अध्यक्ष रेलवे बोर्ड	श्री अरुनेंद्र कुमार (05.07.2013 से कार्यभार संभाला)	अध्यक्ष के रूप में-1	कोई नहीं	5	5	हां
2	अध्यक्ष रेलवे बोर्ड (30.06.2013 तक कार्यभार संभाला)	श्री विनय मित्तल (08.07.2011 से कार्यभार संभाला)	अध्यक्ष के रूप में-1 सदस्य के रूप में-3	कोई नहीं	2	2	लागू नहीं
(ii) पूर्णकालिक निदेशक							
1	प्रबंध निदेशक	श्री आर.के. गुप्ता (10.05.2011 से कार्यभार संभाला) और दिनांक 20.3.14 से महाप्रबंधक पूर्व रेलवे के साथ-साथ प्रबंधक निदेशक का अतिरिक्त कार्य देख रहे हैं।	1	कोई नहीं	7	7	हाँ
2 (क)	निदेशक (वित्त)	श्री एम के मित्तल 16.09.2013 कार्यभार संभाला)	1	कोई नहीं	3	3	हाँ
2 (ख)	निदेशक (वित्त) का कार्यभार देखा	श्री एच.डी. गुजराती (15.03.2013 से 15.09.2013 तक कार्यभार संभाला)	1	लेखा परीक्षक(सदस्य)-1	4	4	लागू नहीं
3	निदेशक (परिचालन एवं व्यवसाय विकास)	श्री एच.डी. गुजराती (29.11.2012 से कार्यभार संभाला)	1	कोई नहीं	7	7	हाँ
4	निदेशक (परियोजना नियोजन)	श्री अंशुमान शर्मा (05.04.2011 से कार्यभार संभाला)	1	कोई नहीं	7	7	हाँ
5	निदेशक (अवसंरचना) 28.02.2014 तक कार्यभार संभाला	श्री ए.के. दत्ता (01.04.2010 से कार्यभार संभाला)	1	कोई नहीं	7	7	हाँ
5 ए	निदेशक(अवसंरचना) का कार्यभार संभाला	श्री अंशुमान शर्मा 10.03.2014 से कार्यभार संभाला	कोई नहीं	कोई नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(iii) निदेशक (अंशकालिक अधिकारिक)							
1.	सलाहकार (अवसंरचना)/रेलवे बोर्ड	श्री गिरीश पिल्लई (14.11.2012 से कार्यभार संभाला)	1	लेखा परीक्षा समिति (सदस्य)-1	1	1	हाँ (एक शेयर धारक के रूप में)
3	योजना आयोग के उपसभापति के सलाहकार	श्री गजेंद्र हल्दिया (02.05.2008 से कार्यभार संभाला)	1	कोई नहीं	7	7	नहीं
(iv) स्वतंत्र निदेशक (अंशकालिक गैर सरकारी)							
1	अंशकालिक गैर सरकारी 13.05.2013 तक कार्यभार संभाला ।	श्री डी.टी0 जोसेफ (14.05.2010 से कार्यभार संभाला)	6	लेखा परीक्षा समिति (सदस्य)-4 लेखा परीक्षा समिति (अध्यक्ष)-1 शेयर होल्डर शिकायत (सदस्य)-1	1	0	लागू नहीं
2	अंशकालिक गैर सरकारी 07.04.2014 तक कार्यभार संभाला	प्रो. भास्कर गुप्ता (23.11.2010 से कार्यभार संभाला)	1	लेखा परीक्षा समिति (सदस्य)-2	7	7	हाँ
3	अंशकालिक गैर सरकारी	श्री आर.एस. शर्मा (25.04.2012 से कार्यभार संभाला)	3	लेखा परीक्षा समिति (सदस्य)-3	7	7	नहीं

नोट:-

1. निदेशकों द्वारा निदेशक का पद तथा कमेटियों में सदस्यता उन सीमाओं के भीतर है जो कंपनी अधिनियम, 1956 में निर्धारित की गई है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 275 के उद्देश्य के लिए निदेशक का पद एक निजी कंपनी में जो न तो एक सहायक कंपनी है और न ही सार्वजनिक कंपनी की होल्डिंग कंपनी है, से अलग है।
2. "अंशकालिक अधिकारी" उन निदेशकों के विषय में कहा गया है जिन्हें सरकार ने डीएफसीसीआईएल के बोर्ड में मनोनीत किया है और जो रेल मंत्रालय तथा योजना आयोग के अधिकारी हैं।
3. "अंशकालिक गैर सरकारी" शब्द का अर्थ है स्वतंत्र निदेशक।
4. समितियां जिन पर एक निदेशक सेवा कर सकता है, की सीमा पर विचार के उद्देश्य के लिए सभी सार्वजनिक कंपनियां चाहे वे सूचीबद्ध हों या न हों, में शामिल किया गया है।
5. अध्यक्ष/सदस्यता के लिए सीमा की पहचान के उद्देश्य के लिए लेखा परीक्षा समिति और हितधारक शिकायत समिति केवल जी गई है।
6. "लागू नहीं" का अर्थ है कि या तो इन निदेशकों ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के बाद निदेशक का पद संभाला हो या संबंधित प्राचल में इनके कार्यालय के दौरान कमी न आई हो।

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, निदेशक मंडल व्यापार हेतु सात बार मिले जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों और डीपीई के अनुरूप है। निदेशक की अनुपस्थिति से संबंधित सभी मामलों में कंपनी अधिनियम, 1956 के खंड (जी) की उप धारा (1) की धारा 283 के अंतर्गत अनुपस्थिति की छुट्टी दी गई। स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा का विवरण दिया गया है।

डीएफसीसीआईएल के निदेशक मंडल की बैठकें निम्न तिथियों को आयोजित हुईं:-

क्रमांक	तिमाही	तारीखें
1.	जून, 2013 को समाप्त तिमाही के लिए	29.04.2013,14.06.2013,22.07.2013
2.	सितंबर, 2013 को समाप्त तिमाही के लिए	27.08.2013
3.	दिसंबर, 2013 को समाप्त तिमाही के लिए	31.10.2013
4.	मार्च, 2014 को समाप्त तिमाही के लिए	20.01.2014,25.02.2014

वित्त वर्ष 2013-14के दौरान नियुक्त निदेशकों का संक्षिप्त विवरण:-

1. श्री अरुनेंद्र कुमार, अध्यक्ष / डीएफसीसीआईएल, 05.07.2013 से

श्री अरुनेन्द्र कुमार, एक यांत्रिक इंजीनियर ने एक प्रतिष्ठित स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस परीक्षा 1972 के द्वारा भारतीय रेलवे में ज्वाइन किया। वह वर्कशाप एवं ओपन लाइन में अपने कैरियर के 35 वर्षों से अधिक डिब्बों और वेगनों, विभिन्न लोकोमोटिव के अनुरक्षण का कार्य कर चुके हैं। उन्हें लोकोमोटिव और काचिंग रखरखाव के क्षेत्र में अनेकों नवाचारों (इनोवेशन्स) का श्रेय प्राप्त है। वह संकट की स्थिति में परिणाम देने के लिए सक्षम है जो महान नेतृत्व के गुणों और प्रबंधकीय कौशल को प्रदर्शित करता है। वर्तमान पद से पूर्व वह दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे, जहां वह देश में सबसे भारी फ्रेट परिचालन में कामयाब रहे। मंडल रेल प्रबंधक, मुम्बई सेन्ट्रल के रूप में उन्होंने संपूर्ण मुम्बई मंडल पर सभी गाड़ियों के परिचालन एवं अनुरक्षण और अवसंरचना को सफलतापूर्वक करने में कामयाब रहे। श्री कुमार ने सलाहकार (सीसी) ओर अपर सदस्य उत्पादन ईकाई के रूप में कार्य करते हुए रेलवे बोर्ड की विभिन्न नीतियों को बनाने में काफी योगदान दिया। उन्होंने पेरिस, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, चायना, स्टिजरलैंड, कनाडा, नाम्बिया में उन्नत प्रबंधन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

श्री कुमार एक उत्कृष्ट एथलीट और बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। श्री कुमार ने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर धारावाहिक "दुनिया के सात मेगा शहर" में विशेष स्थान प्राप्त किया और राष्ट्रीय चैनल पर एक रेलवे अधिकारी द्वारा सबसे लंबे समय तक लाइव टीवी में साक्षात्कार का एक रिकार्ड बनाया है।

2. श्री एम के मित्तल, निदेशक (वित्त) डीएफसीसीआईएल दि .16.09.2013

श्री एम के मित्तल, ने डीएफसीसीआईएल में निदेशक(वित्त)के रूप 16 सितंबर, 2013 को कार्यभार ग्रहण किया है। इससे पूर्व वह रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन लिमिटेड (आरईसी) में महाप्रबंधक (वित्त) के पद पर कार्य कर रहे थे।

वह एम.काम(गोल्ड मेडलिस्ट), वित्तीय प्रबंध में स्नातकोत्तर(प्रीवियस), कास्ट एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया के फैलो सदस्य और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के फैलो सदस्य भी हैं।

उन्हें वित्त और लेखा के क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड(आरईसी)के अलावा इन्होंने हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में मुख्य लेखाधिकारी और कंपनी सचिव के रूप में कार्य किया है। उन्होंने एक केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड मुंबई में 19 माह तक निदेशक(वित्त)के पद पर भी कार्य किया है।

3. लेखा परीक्षा समिति लेखा परीक्षा समिति का संयोजन

निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति 14.03.2008 को गठित की गई थी और समय समय पर पुनर्गठित की जाती रही है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292ए के अंतर्गत लेखा परीक्षा समिति डीपीई दिशा-निर्देशों को पढ़ने के साथ पुनर्गठित की गई थी। संयोजन और लेखा परीक्षा समिति के संदर्भ (टीओटी) के मामले 7.8.12 को आयोजित 34वीं बोर्ड की बैठक में समीक्षा की गई और श्री आर.एस. शर्मा लेखा परीक्षा समिति के एक सदस्य के रूप में पेश किया गया।

रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2008/इंफ्रा/6/1 दिनांक 14.05.2010 द्वारा श्री डी.टी. जोसफ, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक ने अपना 03 वर्ष का कार्यकाल दिनांक 13.05.2013 को पूरा कर लिया है। परिणामस्वरूप बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन दिनांक 14.06.2013 को बोर्ड की 39वीं बैठक में कर दिया गया है। श्री भास्कर गुप्ता, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक को उनके कार्यकाल को पूरा करने पर उनकी अवधि को दिनांक 07.04.2014 तक बढ़ा दिया गया है। परिणामस्वरूप, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को सर्कुलेशन द्वारा प्रस्ताव पास कर पुनः गठित किया गया है।

वर्तमान में लेखा समिति की संरचना निम्न है:

क्र.सं.	सदस्य	पद	समिति की सदस्यता ग्रहण करने की तारीख
1.	श्री आर एस शर्मा	सदस्य	07.08.2012
2.	श्री गिरीश पिल्लई(सरकार द्वारा नामित निदेशक)	सदस्य	15.01.2013
3.	श्री एम के मित्तल निदेशक/वित्त	सदस्य	13.06.2014

बोर्ड के विचारार्थ विषय के अनुरूप समिति कार्य करेगी (14.03.2008) जो है:-

- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के बारे में आवधिक रूप से लेखा परीक्षकों के साथ विचार-विमर्श।
- लेखा परीक्षकों के अवलोकन समित लेखा परीक्षा के कार्य क्षेत्र के बारे में विचार-विमर्श तथा निर्णय।
- बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व अर्द्ध वार्षिक तथा वार्षिक वित्तीय विवरण की समीक्षा तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित वित्तीय प्रबंधन से संबंधित किसी भी मामले में जांच पड़ताल।
- निदेशक मंडल द्वारा किसी अन्य मामले को लेखा परीक्षा समिति की जानकारी में लाना।
- आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त करना तथा देय मेहनताना सहित नियुक्ति की शर्तों को तय करना। (16.06.2009 को आयोजित बोर्ड की 12वीं बैठक में मद सं.4 में जोड़ा गया)

दिनांक 25.06.2010 को पुनर्गठित लेखा परीक्षा समिति के लिए विचारार्थ अतिरिक्त विषय

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण तथा इसकी वित्तीय सूचना का प्रकटन ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त तथा विश्वसनीय है।
2. लेखा परीक्षा शुल्क के निर्धारण के बारे में बोर्ड को सिफारिशें।
3. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवा के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान का अनुमोदन।

4. अनुमोदन हेतु बोर्ड के प्रस्तुत करने से पूर्व वार्षिक वित्तीय विवरण की प्रबंधन के साथ समीक्षा।
 5. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 के खंड (2एए) के संदर्भ में बोर्ड की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले निदेशक की जिम्मेदारी के विवरण के अपेक्षित मुद्दे;
 - यदि अकाउंटिंग तथा कार्यप्रणाली में कोई परिवर्तन है तो इसके लिए कारण दें;
 - प्रबंधन द्वारा निर्णय के आधार पर प्राक्कलन सहित प्रमुख अकाउंटिंग प्रविष्टियां;
 - लेखा परीक्षा जांच परिणामों में पाए गए वित्तीय विवरणों को उचित समायोजन;
 - वित्तीय विवरणों से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन;
 - किसी संबंधित पार्टी के लेन-देन का प्रकटन; तथा
 - लेखा परीक्षा रिपोर्ट के प्रारूप में शर्तें।
 6. अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व तिमाही वित्तीय विवरण की प्रबंधन के साथ समीक्षा।
 7. प्रबंधन के साथ आंतरिक लेखा परीक्षा तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्त समीक्षा।
 8. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, विभाग के शीर्ष अधिकारियों की स्टाफिंग तथा वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना तथा आंतरिक लेखापरीक्षा की बारंबारता सहित आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया की पर्याप्त समीक्षा, यदि कोई हो तो।
 9. किसी विशेष जांच पड़ताल के लिए आंतरिक लेखापरिष्कारकों तथा/या लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श तथा उसका अनुपालन।
 10. ऐसे मामलों की जहां धोखाधड़ी या अनियमितता या सामग्री के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता की संभावना की आंतरिक जांच आंतरिक लेखापरीक्षकों/एजेंसी द्वारा की जाएगी तथा निष्कर्ष की समीक्षा और मामले के बारे में बोर्ड को सूचित करना।
 11. लेखा परीक्षा प्रारंभ करने से पूर्व लेखापरीक्षा की प्रकृति तथा क्षेत्र के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षा के साथ विचार-विमर्श तथा साथ ही साथ किसी संबंधित क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखा परीक्षा उपरांत विचार-विमर्श।
 12. जमाकर्ता, ऋणपत्र धारकों, अंशधारकों (घोषित लाभांश के गैर भुगतान के मामले में) तथा क्रेडिटर्स को भुगतान में वास्तविक चूककर्ताओं के लिए कारण का पता लगाना।
 13. व्हीसल ब्लोअर मकेनिज्म की कार्यप्रणाली की समीक्षा।
 14. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा टिप्पणी पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा।
 15. संसद की सार्वजनिक उपक्रम (सीओपीयू) की समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा।
 16. स्वतंत्र लेखापरीक्षक, आंतरिक लेखापरीक्षक तथा निदेशक मंडल के बीच संवाद का मार्ग प्रशस्त करना।
 17. कंपनी में पार्टी से संबंधित सभी लेन-देन की समीक्षा। इस उद्देश्य के लिए लेखापरीक्षा समिति एक सदस्य को नामित कर सकती है जो पार्टी संबंधी लेन देन की समीक्षा के लिए जिम्मेदार होगी।
- व्याख्या:— “संबंधित पार्टी लेन-देन”** कथन का वही अर्थ है जोकि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 में निहित है।
18. लेखापरीक्षा प्रयासों के समन्वय की स्वतंत्र लेखा परीक्षा के साथ समीक्षा ताकि कवरेज की पूर्णता, अत्यधिक प्रयासों की कमी तथा सभी लेखापरीक्षा स्रोतों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करना।
 19. स्वतंत्र लेखापरीक्षक तथा प्रबंधन के साथ निम्न पर विचार एवं समीक्षा:

- कंप्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण तथा सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रण की उपयुक्तता, और
 - प्रबंधन के प्रत्युत्तर के साथ स्वतंत्र लेखा परीक्षक की जांच पड़ताल तथा सिफारिशों से संबंध।
20. निम्न का प्रबंधन, आंतरिक लेखापरीक्षक तथा स्वतंत्र लेखापरीक्षक के साथ विचार विमर्श तथा समीक्षा।
- पूर्व लेखा परीक्षा की सिफारिशों की स्थिति सहित वर्ष के दौरान के वास्तविक निष्कर्ष।
 - लेखापरीक्षा कार्य के दौरान आई कोई दिक्कत तथा गतिविधियों के कार्यक्षेत्र पर कोई प्रतिबंध या अपेक्षित सूचना की प्राप्ति।
21. कोई अन्य कार्य करना जैसा कि लेखापरीक्षा के विचारार्थ विषय में उल्लिखित है।

दिनांक 07.08.2012 को पुनर्गठित लेखा परीक्षा समिति के लिए अतिरिक्त विचारार्थ विषय

कॉर्पोरेट संचालन पर डीपीई के दिशा निर्देश का अध्याय-4 लेखा परीक्षा समिति के साथ व्यवहार करता है। अध्याय का खंड 4.5 में अपेक्षित है कि निम्नलिखित सूचना की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की जाएगी।

- क) प्रबंध विचार विमर्श और वित्तीय स्थितियों का विश्लेषण तथा आपरेशंस का परिणाम
- ख) प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किए गए पार्टी ट्रॉजैक्शन से संबंधित विवरण
- ग) सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी प्रबंध पत्र/आंतरिक नियंत्रण निर्बलता
- घ) आंतरिक नियंत्रण निर्बलता से संबंधित सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट
- ङ) लेखा परीक्षा समिति से पूर्व मुख्य लेखा परीक्षक की नियुक्ति या निष्कासन और
- च) मुख्य कार्यकारी/मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों का प्रमाणन/घोषणा

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177(4)के अतिरिक्त संदर्भ में लेखा परीक्षा समिति:

1. अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक लेखा परीक्षा समिति बोर्ड द्वारा लिखित विशिष्ट संदर्भ के अनुसार कार्य करेगी जिसमें सम्मिलित है-
 - (i) कंपनी के लेखा परीक्षक की नियुक्ति की शर्तें और परिलब्धियां, नियुक्ति के लिए सिफारिश;
 - (ii) लेखा परीक्षकों की स्वतंत्र और निष्पादन, और लेखा परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए रिव्यू और मानीटर करना ;
 - (iii) लेखा परीक्षक रिपोर्ट ओर वित्तीय विवरण की जांच;
 - (iv) संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी के लेनदेन बाद में किसी भी संशोधन अथवा अनुमोदन;
 - (v) आंतरिक कॉर्पोरेट ऋणों और व्ययों की जांच
 - (vi) जहां भी आवश्यक हो अंडरटेकिंग अथवा कंपनी की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन;
 - (vii) जोखिम प्रबंधन प्रणालियों और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का मूल्यांकन;
 - (viii) पब्लिक ऑफर ओर संबंधित मदों के माध्यम से उत्पन्न फंड का उपयोग और मॉनीटरिंग;
 - (ix) तंत्र की निगरानी और जो लेखा परीक्षा समिति निदेशक और कर्मचारी जिनके विरुद्ध जुल्म हुए हैं को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना और यदि किसी कर्मचारी अथवा निदेशक द्वारा बार बार तुच्छ शिकायतों के मामलों में,लेखापरीक्षा समिति संबंधित निदेशक अथवा कर्मचारी के विरुद्ध फटकर सहित उचित कार्रवाई कर सकती है ।

लेखा परीक्षा समिति की शक्तियाँ :

पर्याप्त शक्तियों के साथ निदेशक मंडल द्वारा अपनी भूमिका के अनुरूप लेखा परीक्षा समिति को निवेश किया जाना चाहिए जिनमें निम्नलिखित को शामिल किया जाना चाहिए:

- (i) अपनी शर्तों के संदर्भ में किसी भी गतिविधि की जांच ।
- (ii) किसी कर्मचारी की किसी भी रूप में सूचना की तलाश ।
- (iii) निदेशक मंडल के अनुमोदन के अधीन बाहर से कानूनी अथवा प्रोफेशनल परामर्श लेना ।
- (iv) यदि आवश्यक हो, संबंधित विशेषज्ञों के साथ बाहरी लोगों की उपस्थिति को सुरक्षित करना ।
- (v) मुखविर की सुरक्षा करना ।
- (vi) आंतरिक कन्ट्रोल प्रणाली के बारे में लेखा परीक्षक की टिप्पणियों को लेखा परीक्षा समिति कॉल कर सकती है , लेखा परीक्षा का क्षेत्र, लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों और बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व वित्तीय विवरण की जांच और अन्य कोई मुद्दों को आंतरिक और संविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के प्रबंधन पर चर्चा कर सकती हैं ।
- (vii) लेखा परीक्षा समिति के निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी शक्तियां ।
- (viii) कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 177 की उप धारा (4)में वर्णित मदों से संबंधित किसी भी मामलें अथवा बोर्ड द्वारा भेजे गए मामलों की लेखा परीक्षा समिति जांच करने के लिए प्राधिकारी होगी और इस उद्देश्य के लिए उसे बाहरी स्रोतों से पेशेवर परामर्श प्राप्त करने की शक्ति होगी और उसे कंपनी के रिकार्ड में वाणिज्य सूचना को उपयोग करने का पूरा अधिकार होगा ।

समीक्षावधि के दौरान समिति में निम्न तिथियों को 4 बार बैठक की – 22.07.2013, 19.08.2013, 31.10.2013, 03.02.2014 ।

वर्ष 2013-14 के दौरान समिति के सदस्यों की उपस्थिति निम्न प्रकार है:-

सदस्य	पद	आयोजित बैठकें**	बैठकों में उपस्थिति***
श्री भास्कर गुप्ता	सदस्य	4	4
श्री आर.एस. शर्मा	सदस्य	4	4
श्री गिरीश पिल्लई	सदस्य	4	4

**“आयोजित बैठकें” दर्शाती है कि समिति के सदस्यों की अवधि के दौरान बैठकों की संख्या।

***“बैठकों में उपस्थिति” दर्शाती है कि अपने कार्यकाल के दौरान सदस्यों ने कितनी बैठकों में भाग लिया।

4. पारिश्रमिक समिति:

- i) निगमित शासन पर डीपीई दिशा निर्देश के अध्याय 5 के संदर्भ में, दिनांक 14.06.2013 को आयोजित निदेशक मंडल की 39वीं बैठक में डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसरण में बोर्ड की 39वीं निदेशकों की

बैठक (14.06.2013) और 40वीं (22.07.2013) को आयोजित बैठकों में पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया गया।

रिपोर्ट तैयार करते समय, बोर्ड की पारिश्रमिक समिति में श्री आर.एस. शर्मा, अध्यक्ष, श्री भास्कर गुप्ता और श्री गिरीश पिल्लई, कंपनी के अंशकालिक निदेशक, जो इसके सदस्य हैं, को शामिल किया गया है। पारिश्रमिक समिति निर्धारित सीमा के अंदर वार्षिक बोनस/चल वेतन पूल तथा नीति का निर्णय करेगी ताकि इसे कार्यपालकों तथा गैर यूनियनाइज्ड पर्यवेक्षकों में वितरित किया जा सके। समिति की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक करेंगे।

ii) निदेशकों की पारिश्रमिक

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत डीएफसीसीआईएल पूर्णतः सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है, कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति रेल मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस प्रकार नियुक्त क्रियाशील निदेशक सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान के औद्योगिक महंगाई भत्ते (आईडीए) नमूने के अंतर्गत तथा समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी निबंधन व शर्तों के अनुरूप मेहनताना लेते हैं। आई डी ए वेतनमान (2007) और भत्तों का बास्केट डीएफसीसीआईएल में कार्यान्वित है।

कंपनी बोर्ड के अंशकालिक सरकारी (सरकार द्वारा नामित) निदेशक कंपनी से कोई मेहनताना नहीं लेते हैं। वे सरकार से केवल सरकारी अधिकारी के रूप में मेहनताना लेते हैं। अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक (स्वतंत्र) वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों में उपस्थित होने के लिए फीस लेते हैं।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों को किए गए भुगतान का विवरण नीचे दिया गया है। सिटिंग फीस का भुगतान सेवा कर को छोड़कर रु. 74160/. है जो कि डीएफसीसीआईएल द्वारा रिवर्स चार्ज मेकेन्जिम के अंतर्गत लिया गया था।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	बोर्ड/उप समिति की बैठक में उपस्थिति की संख्या*	फीस (रुपयों में)
1	श्री भास्कर गुप्ता	बीएम-7 एसी-4 एचआर-6	3,40,000
2	श्री आर.एस. शर्मा	बीएम-7 एसी-4	2,20,000 **

* इसमें अंशकालिक सरकारी निदेशकों द्वारा अटेंड की गई बोर्ड/उप समिति की बैठकों (लेखा परीक्षा समिति और मानव संसाधन बैठकें) की संख्या शामिल है और मानव संसाधन कमेटी की बैठकें 18.04.2013,22.07.2013, 19.08.2013,27.09.2013,18.03.2014 आयोजित की गईं।

** इसमें रु 20,000/-का ड्यू शामिल है लेकिन 31 मार्च 2014 तक भुगतान किया जाना है।

वर्ष 2013-14 के लिए पूर्णकालिक निदेशकों की पारिश्रमिक पैकेज का प्रकटीकरण:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	वेतन एवं भत्ते (रुपये में)	अन्य लाभ एवं पर्स (रुपये में)	निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन (रुपये में)	कुल (रुपये में)
1	श्री आर.के. गुप्ता प्रबंध निदेशक	23,16,168	5,74,104	0.00	28,90,272
2	श्री एच.डी. गुजराती निदेशक (परिचालन एवं व्यवसाय विकास)	21,82,461	3,09,573	0-00	24,92,034
3	श्री ए.के. दत्ता (अवसंरचना)	21,28,000	2,87,859	0.00	24,15,859
4	श्री अंशुमान शर्मा निदेशक (परियोजना नियोजन)	22,56,020	3,24,376	0.00	25,80,396
5	श्री एम के मित्तल निदेशक(वित्त)	13,49,816	1,74,784	0.00	15,24,600

टिप्पणी: 1. अन्य लाभों में लीज किराया, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, विदेश सेवा योगदान, नियोक्ता द्वारा दिए जाने वाले अनुलब्धिया , भविष्य निधि का योगदान शामिल है ।

5. सामान्य बैठकें

वार्षिक आम बैठक

कंपनी की वार्षिक आम बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई, जहां कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है। पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई ऐसी बैठकों का विवरण नीचे है:

वार्षिक आम बैठक	वर्ष	स्थान	तारीख	समय
पंचम	2010-2011	कॉर्पोरेट आफिस – बोर्ड रूम, 5वां तल, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110001	17.09.2011	12.30 बजे सांय
षष्ठम	2011-2012	कॉर्पोरेट आफिस – बोर्ड रूम, 5वां तल, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110001	26.09.2012	15.30 बजे सांय
सातवीं	2012-2013	कमेटी रूम, द्वितीय तल, रेल भवन, रायसीना रोड नई दिल्ली-110001	27.09.2013	12.30 बजे सांय

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों में पास किए गए विशेष संकल्पों का विवरण

वार्षिक आम बैठक	वर्ष	स्थान	तारीख	समय
चतुर्थ	2009-2010	कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 293 (1) (घ) और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के अनुसरण में पैसा उधार लेने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को कंपनी को सहमति प्रदान की जाती है।	29.09.2010	5.00 बजे सायं
पंचम	2010-11	कोई नहीं	17.09.2011	12.30 बजे दोपहर
षष्ठम	2011-12	कोई नहीं	26.09.2012	15.30 बजे दोपहर
सातवीं	2012-2013	कोई नहीं	27.09.2013	12.30 बजे दोपहर

6. प्रकटन

- क. कंपनी को भौतिक रूप से किसी पार्टी लेन-देन में विशेष रूचि नहीं है।
- ख. नियमों के तहत गैर अनुपालन के मद्देनजर किसी सांविधिक प्राधिकार द्वारा कंपनी पर कोई दंड नहीं लगाया गया है।
- ग. कंपनी ने सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी निगमित शासन के दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया है। दिशा-निर्देशों के अनुरूप डीएफसीसीआईएल ने अपने बोर्ड के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों के लिए व्यापार आचार संहिता एवं नीतिशास्त्र विकसित किया है और वर्ष 2013-14 के लिए निदेशक रिपोर्ट में निगमित शासन तथा प्रबंध विचार विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट भी सम्मिलित की है।
- घ. परियोजना निष्पादन डीएफसीसीआईएल को सौंपने के उद्देश्य से व्यय की सभी मदों को डीएफसीसीआईएल के लेखा में नामे किया गया है और वे परियोजना निष्पादन से संबंधित है।
- ङ. निदेशक मंडल के लिए कोई व्यक्तिगत व्यय नहीं किया गया।
- च. प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक व्यय का कुल व्यय जो वर्ष 2012-13 में 8.11 प्रतिशत था, वर्ष 2013-14 में घटकर 5.71 प्रतिशत हो गया है।

7. संचार के साधन

- 7.1 वार्षिक परिणाम-लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय परिणाम और वार्षिक रिपोर्ट डीएफसीसीआईएल की वेबसाइट www.dfccil.gov.in पर प्रदर्शित है।
- 7.2 निविदाएं/ई ओ आई पर जारी की गई सूचना और अद्यतन जानकारी, जारी किए गए निविदा/ठेकों का विवरण, प्रैस विज्ञप्ति, कंपनी का मिशन एवं उद्देश्य कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- 7.3 कंपनी अपना त्रैमासिक न्यूजलैटर भी प्रकाशित करती है।

7.4 सार्वजनिक सूचना विवरणिका, फरवरी, 2012 कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड है जिसमें डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर (डीएफसी) परियोजना की मुख्य विशेषताएं, भूमि अधिग्रहण का नीति फ्रेमवर्क, इनटाइटलमेंट मैट्रिक्स, आधारभूत क्षतिपूर्ति नीति, पुनर्वास तथा पुनः स्थापना तंत्र और शिकायत निवारण तंत्र का उल्लेख है। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लि. (डीएफसीसीआईएल) द्वारा यह विवरणिका आम जनता को सूचना के रूप में बांटी जाती है।

8. लेखा परीक्षा अर्हता

कंपनी का यह प्रयास रहा है कि हम ईमानदारी से अपने लक्ष्यों को हासिल करें। कंपनी ने वित्तीय विवरणों को पारदर्शी ढंग से तैयार करने में सभी प्रयास किए हैं। कोई महत्वपूर्ण योग्यताएं देखने में नहीं आई हैं।

9. बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण

डीएफसीसीआईएल अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षण दिलाने के लिए चिंतित है। इस संबंध में, निदेशकों द्वारा बोर्ड में कार्यभार ग्रहण करने पर कंपनी द्वारा कागजात/बुकलेट का सेट प्रस्तुत करने की परंपरा रही है। उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों में गत वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट, ज्ञापन तथा संस्था के अंतर्नियम, समझौता ज्ञापन की प्रति तथा समझौता ज्ञापन के लक्ष्य तथा उपलब्धियां सम्मिलित हैं। यह पदधारी को कंपनी की मूल सूचनाएं उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए समय-समय पद नामित किया जाता है।

10. व्यापार आचार संहिता एवं नीतिशास्त्र

कंपनी ने बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ स्तर प्रबंधन के लिए आचार संहिता तैयार की है जोकि निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित हैं। बोर्ड की 36वीं बैठक में निर्देश के द्वारा बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यापार आचार संहिता एवं नीति शास्त्र जो 1 अप्रैल 2009 से लागू है, को डीपीई के दिशा निर्देश में सुझाये गए मॉडल कोड ऑफ कन्डक्ट के द्वारा बदला गया। निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता के निबंधन में, आचार संहिता का पालन किया गया है और वार्षिक अभिवचन सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों से प्राप्त किया गया है। आचार संहिता कंपनी की वेबसाइट www.dfccil.gov.in पर भी उपलब्ध है। वर्ष 2013-14 के दौरान सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों द्वारा आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की घोषणा प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित को अनुबंध "च" पर रखा गया है। आचार संहिता कंपनी की वेबसाइट www.dfccil.gov.in पर भी उपलब्ध है।

11. मुखविर (व्हीसल ब्लोअर) नीति

डीएफसीसीआईएल अपने कार्यों को ऊँचे पेशेवर अंदाज, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ करने में विश्वास रखती है और अपने सभी कर्मचारियों के नैतिक व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए कंपनी एक ऐसी संस्कृति के निर्माण में विश्वास रखती है जहां सभी कर्मचारियों के लिए उनकी चिंताओं को अनीतिपरक प्रथाओं या कदाचार के संबंध में उठाना सुरक्षित रहेगा। कंपनी ने एक व्हीसल ब्लोअर नीति बनाई है। यह नीति समर्थ कर्मचारियों को समर्थ बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराती है जो कंपनी के अंदर गंभीर अनियमितताओं से संबंधित चिंताओं को बिना किसी डर के उठाना चाहते हैं। और जो प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों सहित डीएफसीसीआईएल के कर्मचारियों द्वारा संरक्षित प्रकटन कवर करते हैं।

12. अनुपालन प्रमाण-पत्र

सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप में निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में कार्यरत कंपनी सचिव से प्रमाण पत्र वार्षिक रिपोर्ट का अंश है।

अनुबंध-ख

आशीष कुमार गुप्ता

कंपनी सचिव

पता: ए-16, जितारनगर, परवाना रोड़, दिल्ली-110051

फोन: 011-22025417, 9312210264

ई-मेल: guptaashish75@gmail.com

सदस्य

मैं, डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 101/ए,

रेल भवन, रायसीना रोड़,

नई दिल्ली-110001

विषय :- केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम 2010 के लिए कॉर्पोरेट संचालन से संबंधित दिशानिर्देशों के अंतर्गत कॉर्पोरेट संचालन की स्थितियों के अनुपालन के प्रसंग में अनुपालन प्रमाणपत्र।

1. यह प्रमाणपत्र डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (यहां कंपनी के रूप में परिभाषित) द्वारा कॉर्पोरेट संचालन की नीतियों के वित्तीय वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2014 में केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम 2010 के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों (यहां दिशानिर्देश के रूप में परिभाषित) जो मई, 2010 से लागू हैं, के अनुपालन के संबंध में जारी किया गया है।
2. कॉर्पोरेट संचालन की नीतियों के अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है। मेरी जांच उन प्रणालियों तथा उनके कार्यान्वयन तक सीमित है जिनका कंपनी ने कॉर्पोरेट संचालन के लिए अनुपालन किया है जो दिशानिर्देशों के अनुसार है। न तो यह लेखा परीक्षा का भाग है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरण (फायनेंशियल स्टेटमेंट) से संबंधित कोई टिप्पणी है। मेरा कर्तव्य है कि जो भी तथ्य दर्ज किए गए हैं उनका आंकलन पेशेवर ढंग से किया जाए तथा प्रत्येक अभिलेख को संपूर्णता और यथार्थता के आधार पर प्रमाणपत्र जारी किया जाए।
3. प्रमाणपत्र के जारी करने के उद्देश्य के लिए जिन सूचनाओं और स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी, मेरे अनुमान के अनुसार वे सब मैंने एकत्र कर लिए हैं और आवश्यकता के अनुसार मुझे संबंधित दस्तावेज, प्रमाणपत्र तथा अभिलेख उपलब्ध कराए गए।
4. मैं, प्रमाणित करता हूँ कि पिछले वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2014 में कंपनी ने निम्न के अतिरिक्त अपनी कॉर्पोरेट संचालन रिपोर्ट में विभिन्न दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन किया है;
क. खंड सं. 3.2 जो निदेशक मंडल संयोजन-नामित निदेशकों से संबंधित है।
ख. खंड सं. 3.6 जो आपदा प्रबंधन प्रणाली के एकीकरण तथा संरेखण से संबंधित है।
5. मैं यहां पर यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह अनुपालन इस बात का आश्वासन नहीं देता कि जिस प्रकार से प्रबंधन ने कंपनी के कारोबार का संचालन किया, भविष्य में भी इस प्रकार की दक्षता तथा कार्य कुशलता के साथ कार्य करता रहेगा।

ह./-

(आशीष कुमार गुप्ता)

कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 29.08.2014

एफसीएस, एलएलबी, बीएससी (एच) एफसीएस-6433, सीपी:6859

प्रबंधकीय विचार विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट

औद्योगिक ढांचा एवं विकास

किसी देश का संपूर्ण आर्थिक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास से मापा जा सकता है। भारतीय रेलवे राष्ट्र का प्रमुख प्रस्तावक, भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना की आत्मा है। यह उत्तर में बारामूलापूर्व, दक्षिण में कन्याकुमारी और पश्चिम में ओखा से पूर्व में लेखापनी तक प्रत्येक नागरिक के दिलों में ताल प्रतिध्वनियों की तरह कार्य करती है। भारतीय रेलवे क्षेत्रों, श्रेणियों और पंथों ओर भारत के सूक्ष्म जगत पर चलने वाले सभी बाधाओं को पार करती है। भारतीय रेलवे 12617 रेल गाड़ियों के संचालन के साथ 7172 स्टेशनों उपमहाद्वीप को जोड़ती हुई 34 मिलियन यात्रियों को ले जाने का कार्य करती हैं। भारतीय रेलवे वर्ष में औद्योगिक समूहों के लिए बंदरगाहों और खानों से एक अरब से अधिक माल ढुलाई कार्य करती हैं लेकिन अभी भी दूर दराज के इलाकों के काफी लोग रेल कनेक्टिविटी की प्रतीक्षा में हैं। हालांकि माल भाड़ा व्यापार में पिछले कुछ वर्षों से तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है, भारतीय रेलवे सभी साधनों से कुल मालभाड़े का 31 प्रतिशत माल ढुलाई करती हैं। इनका 03 मिलियन से अधिक मालभाड़ा का संचालन 7421 माल गाड़ियों द्वारा किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि रेलवे रक्षा विभाग की आपूर्ति और देश की सुरक्षा में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाती हुई रीढ़ की हड्डी की तरह है।

भारत में रेल मंत्रालय रेल यातायात के विकास और अनुरक्षण के लिए नोडल प्राधिकरण है। यह विभिन्न नीतियों के निर्माण और रेलवे प्रणाली के संपूर्ण क्रियान्वयन की देखभाल के लिए सक्रिय रूप से जुड़ा है। रेल नेटवर्क पर यात्री और माल यातायात को अलग करने के लिए और रेलवे नेटवर्क ढुलाई क्षमता को बढ़ाने के लिए "डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल)" एक विशेष प्रयोजन संस्था है जिसका निर्माण डेडीकेटेड फ्रेड लाइनों की योजना और विकास, वित्तीय संसाधनों को जुटाने व निर्माण, अनुरक्षण और परिचालन के लिए किया गया है। पश्चिमी डीएफसी जेएनपीटी से दादरी (1499 कि.मी.) तक है। दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कोरीडोर विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड में औद्योगिक विकास के लिए तीव्र रुचि प्रकट की पश्चिमी डीएफसी के विकास के साथ-साथ और औद्योगिक विकास की क्षमता का फायदा उठाने के लिए दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कोरीडोर विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएफआईडीसी) को पहले ही सौंप दिया गया है। सरकार पूर्वी डीएफसी के साथ ही औद्योगिक कोरीडोर के विकास की योजना भी बनाई है।

कंपनी की विजन और मिशन निम्नानुसार है:

विजन:

भारतीय रेलवे के साथ साझेदारी को बनाने और ग्राहक की तरफ ध्यान देते हुए विश्वसनीय सेवाओं के माध्यम से रेल के शेयर बाजार का विस्तार करना है।

मिशन:

समर्पित एजेन्सी के रूप में मिशन को वास्तविकता में करने के लिए डीएफसीसीआईएल का मिशन है

1. उचित तकनीक के साथ कोरीडोर को बनाना ताकि ग्राहकों को सस्ते विकल्पों को प्रदान किए जा सकें और अतिरिक्त क्षमता और सुनिश्चित कार्यकुशलता जवाबदेही, सुरक्षा प्रदान कर मालभाड़ा के बाजार के शेयर को भारतीय रेलवे द्वारा प्राप्त करने की दिशा में कार्य करना।
2. सरकार की पहल का समर्थन करने के लिए एवं परिवहन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अनुकूल पर्यावरण माध्यम के रूप में उपयोगकर्ताओं को बढ़ावा देकर रेलवे को अपनाना।

ताकत

परियोजना में भूमि अधिग्रहण ताकत की अपनी पहचान होती है। यहां तक कि दुर्गम क्षेत्रों में, महाराष्ट्र विशेष रूप ग्रेटर मुंबई में, अधिग्रहण प्रक्रिया के लिए परियोजना प्रभावित लोगों (पीएपी) और राज्य के राजस्व और अन्य अधिकारियों के साथ सुचारु रूप से गहन संपर्क के साथ एक सतर्क और संवेदनशील दृष्टिकोण का एक परिणाम है।

डीएफसी स्वयं विद्युतीकृत के कार्यान्वयन में पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए बहुत बड़ी ताकत है। पर्यावरण स्तर पर, आवश्यक रूप से पूर्व पर्यावरण सांविधिक मंजूरी इसमें वन मंजूरी, एसआई मंजूरी एवं पेड़ों की कटाई तथा इसमें पूर्वी डीएफसी सेक्शनों के एपीएल-1 और एपीएल-2 में ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र (टीटीजेड)सहित की मंजूरी मिल गई है। मुगलसराय-भाऊपुर सेक्शन (एपीएल)की एसआईए और ईए अंतिम रूप दे दिया गया है और वर्ष 2013-14 के दौरान अनुमोदित कर दिया गया है। चरण-1 की यूपी, हरियाणा और महाराष्ट्र के डावर्जन भागों की वन भूमि के लिए वन मंजूरी प्राप्त कर ली गई है। एक 4.24 हेक्टेयर का छोटा भाग जो कि गैस ऑथरिटी ऑफ इंडिया से संबंधित था, को एपीएल-1 में डीएफसी को सफलतापूर्वक दे दिया गया है। पश्चिमी डीएफसी पर कोस्टल रेगुलेटरी जोन (सीआरजेड)और अरावली को छोड़कर सभी बड़ी मंजूरियां प्राप्त कर ली गई हैं। सीआरजेड की मंजूरी शीघ्र मिलने की संभावना है। अन्य ओर, राजस्थान के अलवर जिले के अरावली क्षेत्र में मंजूरी के लिए प्रक्रिया चल रही है।

वर्ष 2013-14 के दौरान संरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण (एसएचई)मेनुअल को अंतिम रूप दिया गया और अक्टूबर, 2013 में जारी कर दिया गया है। सामाजिक और पर्यावरण प्रबंधन यूनिट(सेमू) के लिए क्षमता निर्माण किया गया है। अब प्रत्येक कोरीडोर अलग से महाप्रबंधक की अध्यक्षता में प्रोफेशनलस की टीम द्वारा समर्थित है। इसी तरह फील्ड स्तर के साथ जहां एपीएल-1 और एपीएल-2 सामाजिक और पर्यावरण गतिविधियों के सहायक परियोजना प्रबंधक पदस्थ हैं वह सेमू द्वारा क्षमता निर्माण किया गया है।

रेल मंत्रालय और डीएफसीसीआईएल के बीच संगठन के लिए विस्तृत ढांचागत कार्यों के लिए रियायत करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

निर्बलता:

पूर्वी डीएफसी में,उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण की अनुपस्थिति और ठेकेदार द्वारा आवेदन जमा करने में काफी देरी के कारण बोरो पिट और उत्खनन गतिविधियों के पर्यावरण मंजूरी प्रभावित हुई है। पर्यावरण मंजूरी (ईसी) से पूर्व साधारण जमीन की खुदाई के लिए और छोटी और खनिज नियमों के अंतर्गत उत्खनन के लिए वैधानिक नियम होते हैं। मामले में निरन्तर प्रगति को ओर ध्यान रखने के लिए मामले में तेजी लाई जानी चाहिए। ठेकेदार द्वारा विभिन्न सांविधिक मंजूरी को प्राप्त करने में देरी और उसके उप ठेकेदार से परियोजना ही साख पर जोखिम हो सकता है।

डीएफसी को दोनों कोरीडोर के लिए 3338 किमी. में फैली 10703 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। पूर्वी कोरीडोर में डीएफसी संरक्षण पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से होकर गुजरता है। पश्चिमी कोरीडोर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरता है। भूमि अधिग्रहण संबंधित राज्यों का विषय होने के कारण कंपनी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। भूमि का अधिग्रहण राज्य सरकारों/क्षेत्रीय रेलों, केन्द्रीय सरकार, एनआरआरपी 2007 के प्रावधानों द्वारा विभिन्न दिशा निर्देशों को अपनाते हुए पर्यावरणीय और सामाजिक विचारों के संबंध में फंडिंग एजेसियों की आवश्यकता और परियोजना से प्रभावित पक्षों की आशाओं को पूरा करते हुए किया जाएगा। संबंधित प्राधिकारों से अनुमोदन प्राप्त करने में बिलंब के कारण परियोजना को निर्धारित समय सीमा के अंदर निष्पादित करने में बाधा आ सकती है।

सुअवसर:

पर्यावरण अनुकूल तरीके से ग्रीन फील्ड डीएफसी परियोजना के क्षेत्र में भविष्य की डीएफसी परियोजना में वास्तविकता को दोहराने का अवसर प्रदान करना है। डीएफसी परियोजना सीधे और परोक्ष रूप से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान करने, रेल परिवहन क्षमता में एक लंबी छंलाग, कुशल प्रोद्योगिकी और संचालन क्षमता को लाना होगा। यहां तक की निर्माण के चरण के दौरान, यह परियोजना राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख बढ़ावा देने वाली है जो कि वर्तमान उद्योगों और अवसंरचना क्षेत्र के लिए प्रमुख है। परियोजना के सफल और समय पर निष्पादन की आशा है। इस नेटवर्क द्वारा विभिन्न उद्योगों के व्यापार के लिए कुशल रेल परिवहन के विकास की बहुप्रतिक्षित कुल लॉजिस्टिक समाधान की आशा है। परियोजना से पश्चिमी कोरीडोर के उद्योगिक हब जैसे डीएमआईसीडीसी, पूर्वी कोरीडोर पर

विशेष प्राईमरी आर्थिक क्षेत्र (एपीईआर) के विकास, पूर्वी कोरीडोर सहित अमृतसर से दानकुनी तक औद्योगिक कोरीडोर का विकास करने में सहायता मिलेगी। इसका परिणाम बड़े राजमार्गों में भीड़ होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है, डीएफसीसीआईएल भारत में परिवहन के क्षेत्र में एक बदलाव को लाने की क्षमता पैदा करेगी जो कि विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए एक महान अवसर होगा।

डीएफसी परिवहन संभार तंत्र में खेल परिवर्तक हो जाएगा। त्वरित अनुसूचित सेवाओं के संभार तंत्र की लागत नीचे आने की उम्मीद है। डीएफसी द्वारा बहुप्रतिक्षित संभार तंत्र टर्मिनलों का विकास करके उद्योगों का समाधान हो जाएगा। इसके क्षेत्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। सीएसआर का मुख्य उद्देश्य है कि परियोजना प्रभावित लोगों को प्रशिक्षण के माध्यम से उन्नत किया जाए।

आशंका

समय सीमा के अंदर डीएफसी की पर्यावरण के भौगोलिक रूप रेखा की सफल कार्यान्वयन की आशंका है। सफलता तभी संभव हो पाएगी जब तक परियोजना क्षेत्र की रूपरेखा में पर्यावरणीय प्रभावित को गंभीरता से कार्यान्वयन न किया जाए। निर्माण के दौरान सख्त अनुकालना से अस्थायी व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं।

समय पर परियोजना की डिलीवरी को सुनिश्चित करने के क्रम में, सभी स्टेक होल्डर्स और परियोजना में सम्मिलित पक्षकारों जैसे रेल मंत्रालय, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, राज्य सरकारें, जापान इन्टरनेशनल को-ऑपरेशन एजेन्सी, विश्व बैंक के साथ समन्वित प्रयासों को करने की आवश्यकता है और डीएफसी अनुमानित समापन लागत के अंदर और समय से प्रत्येक दायित्वों को सुनिश्चित करते हुए कार्य को पूरा सुनिश्चित करना होगा। आरओबी और आरयूबी के उन्मूलन के लिए अधिकांश राज्य सरकारों की सहमति की प्रतीक्षा है। न्यू भूमि अधिग्रहण अधिनियम के आने के साथ शेष भूमि के अधिग्रहण के मुआवजे के भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। कभी-कभी प्रापण प्रक्रिया में फंडिंग एजेन्सियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर मंजूरी में देरी होना है। पश्चिमी डीएफसी में कंपनी को जापानी ठेकेदार की प्रक्रियाओं में सीमित रूप से भाग लेना भी है। ऐसी स्थिति आने से विभिन्न अवसरों पर सभी स्तरों पर मामलों को उठाया जाता रहा है। इस संबंध में, क्रमशः अगस्त 2012 एवं जनवरी 2013 में जापान में रोड शो का आयोजन किया।

मध्यम स्तर पर पर्याप्त संसधनों की अनुपलब्धता के कारण कंपनी को लगातार संस्थागत संख्या की कमी का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 2011 से लगातार कार्यात्मक बोर्ड में प्रबंध निदेशक और निदेशकों की कमी रही है और विभिन्न भूमिकाओं में कार्यात्मक निदेशकों की पूरी संख्या न होने से कंपनी के सुचारु कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

रणनीतियां

परियोजना में भूमि अधिग्रहण एक चुनौती होती जा रही है। लेकिन संगठन की ताकत का एक ही समय कसौटी, और आगे के परीक्षणों और मुसीबतों के माध्यम से समय सीमा में संगठन की अधिग्रहीत क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, कंपनी ने भारत सरकार द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनः स्थापना नीति के अनुपालन और उसे सुनिश्चित करने की सतत रणनीति बनाने का प्रयास किया है। डीएफसी ने उनकी भागीदारी पर बल देकर पुनर्वास और पुनर्वास प्रक्रिया में उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करके परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) की जरूरतों को पूरा किया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पुनर्वास और पुनर्वास योजना से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक लोकपाल नियुक्त किया गया। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को 9 राज्यों में बढ़ाया गया है। समय से और परेशानीमुक्त अधिग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए, राज्यों में भूमि अधिग्रहण की प्रगति को मॉनिटरिंग करने के लिए मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया है और इससे राज्य मशीनरी के साथ अच्छा तालमेल हो रहा है।

कंपनी चालू प्रणाली और प्रक्रियाओं को आगे बढ़ा रही है। एक पारदर्शी तरीके से गतिविधियों को सुचारु रूप से चलाने के लिए अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की दिशा में एक कदम आगे के रूप में, कार्य कर रही है, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, डीएफसीसीआईएल की आवश्यकताओं और विश्व बैंक की फंडिंग और पर्यवेक्षण के अंतर्गत डीएफसीसीआईएल ने व्यावसायिक आईटी परामर्शदात्री फर्म से सहायता प्राप्त की है, डीएफसीसीआईएल में इन्टीग्रेटेड आईटी सोल्यूशन के

कार्यान्वयन के लिए सिस्टम इन्टीग्रेटर का चयन किया गया है । परियोजना का उद्देश्य इन्टीग्रेटिंग वित्तीय प्रबंध, मानव संसाधन प्रबंधन, परियोजना प्रबंधक, उपक्रम परिसंपत्ति प्रबंधन, भूमि अधिग्रहण सूचना प्रबंधन, भौगोलिक सूचना प्रबंधन, पोर्टल दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली आदि को सोफ्टवेयर सोल्यूशन के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीयकृत करना है । इन आवेदनों को ईआरपी सोल्यूशन आधारित सैप पर होस्ट किया जाएगा और सभी बिजनेस आवेदनों के लिए इनका प्रयोग किया जाएगा । ईआरपी सोल्यूशन को संगठन के अधिकांश महत्वपूर्ण कार्यों में चलाया जाएगा । प्रणाली त्वरित निर्णय लेने, विभिन्न कार्यों के बीच बेहतर योजना और समन्वय को सुनिश्चित करने, बेहतर डाटा प्रबंधन, प्रभावी रिपोर्टिंग, ज्ञान प्रबंधन आदि का कार्य करेगा । इससे समय की बचत होगी ।

दृष्टिकोण

कॉर्पोरेशन के दृष्टिकोण का दूसरा क्षेत्र है गहन सूचनायें जिससे यह लगे कि आकर्षक व्यावसायिक उद्यम की बजाय एक नौकरशाही सरकारी संगठन के रूप में विकास की दिशा में निर्माण और विकास है। विभिन्न ऐतिहासिक कारकों के कारण जिससे कॉर्पोरेशन की कार्य संस्कृति और नैतिकता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। यद्यपि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, अन्य संगठनों और पेशेवरों की सीधी भर्ती से और विभिन्न कार्यालय कार्यविधियों और मैनुअलों के ईआरपी के कार्यान्वयन से कॉर्पोरेट संस्कृति में निरंतर सुधार हो रहा है।

डीएफसीसी अपने तीन “एस” “ईमानदारी (Sincerity), तीव्र गति (Speed) और सफलता (Success)” के आदर्श वाक्य के लिए प्रतिबद्ध है जो संगठन के मिशन विजन और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेगा।

जोखिम और चिंताएं

कंपनी उद्यम जोखिम प्रबंधन ढांचे की स्थापना की प्रक्रिया में है । उन जोखिम को कम करने के लिए योजना और 20 मुख्य जोखिमों की जोखिम लाइब्रेरी को कंपनी में पहले से ही डिजायन किया गया है । जोखिम लाइब्रेरी ओर कम करने की योजना को इस तरह से डिजायन किया जाता है और आवधिक आधार पर अपडेट किया जाता है और विशेष जोखिम को कम करने की योजना को प्रभावशाली ढंग से करने के लिए प्रबंध सूचना प्रणाली को चालू किया गया है । एक जोखिम प्रबंधन प्रणाली को पहले से भी परिभाषित किया गया है जिसका अक्टूबर 2014 में कार्यान्वयन की आशा है । जोखिम प्रबंधन ढांचे में एक जोखिम प्रबंधन समिति होती है जो कि बोर्ड को रिपोर्ट करेगी, एक मुख्य जोखिम प्रबंधक कोआरडीनेटर जोखिम प्रबंधक समिति को रिपोर्ट करते हैं, इसमें विभिन्न विभागों जैसे सिविल, एसएंडटी,आईटी,प्रशासन, विद्युत,परिचालन, वित्त आदि और मुख्य परियोजना प्रबंधकगण रहते हैं जो कि जोखिम कम करने की योजना की पहचान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं और प्राथमिकता के आधार पर कम करने के लिए ढांचा तैयार करते हैं ।

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां

किसी भी संगठन में, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एक आंतरिक प्रक्रिया होती है जो जोखिमों की पहचान के लिए प्रबंधकों और कर्मचारियों द्वारा प्रभावित होती है जो संगठन के मिशन के अनुसरण में सही आश्वासन प्रदान करती है, परिचालनों को और अधिक व्यवस्थित, नीतिपरक, मितव्ययी, कुशलता और प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन के सामान्य उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है और हानि, दुरुपयोग और नुकसान के विरुद्ध संसाधनों की सुरक्षा की जाती है।

कंपनी की आंतरिक प्रणालियां और पद्धतियां हैं जो परिचालन के कार्यान्वयन को और अधिक व्यवस्थित, नीतिपरक, मितव्ययी कुशलता ओर प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करती है, जो कंपनी के आकार के साथ पर्याप्त और समनुरूप हो । यद्यपि आंतरिक नियंत्रण की प्रक्रिया का कार्य प्रगति पर है, प्रबंधन निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। आंतरिक लेखा परिक्षक की रिपोर्टें, संवैधानिक लेखा परीक्षक और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों की निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की जाती है। प्रबंधन लेखा परीक्षकों के निष्कर्षों और सिफारिशों की समीक्षा करता है और जब आवश्यक होता है तो सुधारात्मक कार्रवाई करता है और सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।

मानव संसाधन विकास एवं औद्योगिक संबंध:

मिशन और दृष्टिकोण:

मानव संसाधन विभाग अपने संगठन के लोगों के सबसे मूल्यवान संसाधन से उनके हितों को विकसित करने, सहयोग प्रदान करने और उनकी सुरक्षा करने के लिए कार्य करता है। यह सतत परिवर्तन का वातावरण में उच्च गुणवत्ता की सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। निरंतर सीखने और कर्मचारी सशक्तीकरण के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देकर एक ही समय में अधिकारियों और कर्मचारियों के संगठनात्मक विकास के लिए निर्देशित कर विश्व स्तर पर अनुकूल वातावरण को तैयार कर मानव संसाधनों की मूल दक्षताओं को प्राप्त करना व्यावसायिक मानकों को प्राप्त करना है।

मानव – शक्ति जुटाव:

जहां तक मानव शक्ति जुटाव की रणनीति की बात है, आरंभिक स्तर पर भारतीय रेल से अनुभवी कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेने पर बल दिया गया। संगठन की दीर्घकालीन अवधि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए खुले बाजार से सीधी भर्ती सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों में सेवारत कर्मचारियों को तत्काल समावेशन के अलावा प्रतिनियुक्तियों के स्थायी समावेशन को शुरु किया गया है। वर्ष 2013-14 में खुले बाजार से 122 कर्मचारियों की भर्ती की गई इन सीधी भर्ती के कर्मचारियों की ज्वाइनिंग की है। इसके अतिरिक्त तत्काल समावेशन के लिए 51 पदों के लिए एक सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों से पदों को भरा गया। सभी 173 चयनित किए गए कर्मचारियों की डीएफसीसीआईएल में ज्वाइनिंग की कार्यविधि की जा रही है। निर्माण फेज के दौरान खुले बाजार से सीधी भर्ती से 178 पदों की भर्ती की गई और वर्ष के दौरान दुर्गावती-करवन्दिया की 127 पदों की भर्ती की प्रक्रिया की गई।

डीएफसीसीआईएल की विशिष्ट आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा डीएफसीसीआईएल के लिए समय समय पर तत्काल समावेशन के शासन से छूट दी गई है। वर्तमान छूट 29.12.2015 तक है जिसमें प्रतिनियुक्ति पर 200 अराजपत्रित कर्मचारियों और 200 राजपत्रित अधिकारियों को लेने की अनुमति है।

रेलवे कर्मचारियों के लिए सामान्य प्रतिनियुक्ति अवधि 05 वर्ष है जिसे रेलवे बोर्ड ने 2012 में अनुमोदन प्रदान किया था। वर्ष के दौरान 49 सरकारी कर्मचारियों ने डीएफसीसीआईएल में ज्वाइन किया और अन्य मानव संसाधन विभाग द्वारा 45 अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति विस्तार के आदेश जारी किए गए।

नई आगमन से अधिकारियों की कुल 537 हो गई है इसमें से 296 स्थायी हैं।

नए पदों का सृजन

काम की अधिकता को ध्यान में रखते हुए यांत्रिक प्रशासन, कंपनी सचिव, मानव संसाधन, पीपीपी, कॉर्पोरेट संचार, कॉर्पोरेट समन्वय, सतर्कता, विधि, राजभाषा, आरओबी में 20 नए पदों का सृजन/अपग्रेड किया गया।

गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान प्रस्तावित :

गैर कार्यकारी कर्मचारी सहित के लिए भर्ती और आगे की पदोन्नति के लिए डीएफसीसीआईएल में ई-ओ अर्थात् एन1 से एन7 तक के नीचे के वेतनमानों प्रस्तावित किए गए।

पदोन्नति:

पदोन्नति के पर्याप्त अवसरों को उपलब्ध कराने के लिए डीएफसीसीआईएल में पदोन्नति नीति में मेरिट, उपयुक्तता और निष्पादन को ध्यान में रखा गया है और उपयुक्त क्षमता के साथ सेवा और उत्कृष्ट मानव संसाधन सहयोग प्रदान किया जाता है और उपयुक्त कौशल और योग्यता के साथ सेवा के साथ प्रभावशाली नेतृत्व, व्यवसायिक विशेषज्ञ और गुणवत्ता परामर्श के साथ किया जाता है। सामान्यतः कार्यकारी से कार्यकारी निदेशक स्तर तक पदोन्नति के लिए एक ग्रेड में 4 वर्षों की आवश्यकता होती है। वर्ष के दौरान 13 कर्मचारियों को जो कि पदोन्नति के लिए उच्च ग्रेड में उपर्युक्त पदोन्नति नीति के अनुसार योग्य पाए गए।

एस ए पी पहल:

डीएफसीसीआईएल में (ईआरपी पोर्टल) सैप के कार्यान्वयन के साथ ऑन लाइन मानव संसाधन कार्यों को करने की दिशा में सैप पर मानव संसाधन मोड्यूल, को अस्तित्व में लाया गया है । इससे समय की बचत, अधिकतम उत्पादकता और तेजी और कुशलता से जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी । इससे कर्मचारी की संतुष्टि तथा उन्हें अपनी व्यक्तिगत जानकारी और दिन प्रतिदिन की निष्पादन गतिविधियों को तकनीकी कुशलता के साथ प्राप्त करने में भी सहायता मिलेगी ।

सभी कर्मचारी का संबंधित डाटा और व्यक्तिगत रिकार्ड को एस ए पी पर अपलोड कर दिया गया है और वर्ष के दौरान सैप के ऑन लाइन निम्नलिखित मानव संसाधन कार्यों को शुरू कर दिया गया है ।

1. किराया/ज्वाइनिंग, स्थानान्तरण, प्रतिनियुक्ति विस्तार, पदोन्नति, समावेशन, प्रत्यावर्तन, निपटारा देय आदि ।
2. केडर योजना और रिक्त पदों की स्थिति
3. छुट्टी मोड्यूल
4. कर्मचारी शिकायतें
5. अचल संपत्ति रिटर्न
6. कर्मचारी व्यक्तिगत डाटा
7. कर्मचारी अनुरोध

इसी तरह और अधिक जैसे वित्तीय दावें, चल संपत्ति घोषणा, नियमित कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची, प्रशिक्षण आदि की शुरुआत की जा रही है और इसे शीघ्र ही चालू कर दिया जाएगा ।

नीति पहल:

विभिन्न मानव संसाधन नीतियों जैसे पेंशन की शुरुआत, ग्रेच्युटी, कर्मचारी कल्याण, अग्रिम आदि की पहल की शुरुआत की जा रही है इसके अलावा वर्तमान मानव संसाधन नीतियों का अपेडेशन/संशोधन है ।

डीएफसीसीआईएल वार्षिक पुरस्कार:

कर्मचारियों द्वारा उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, डीएफसीसीआईएल में वार्षिक पुरस्कार योजना लागू की गई है । पूर्वी एवं पश्चिम प्रत्येक मुख्य परियोजना प्रबंधकों द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दो चल बैजयंती शील्डों को भी प्रारंभ किया गया है । वर्ष 2013 के दौरान डीएफसीसीआईएल के वार्षिक दिवस पर 22 कर्मचारियों को रु.5000.00 प्रत्येक को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए । चल बैजयंती को पूर्वी कोरीडोर के टूंडला और मुगलसराय को संयुक्त रूप से प्रदान की गई और पश्चिमी कोरीडोर की चल बैजयंती को नोयडा यूनिट को प्रदान किया गया ।

माह का कर्मचारी पुरस्कार:

जनवरी 2014 से कंपनी के कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उनके द्वारा संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करने एवं उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के उपलक्ष्य में "माह का कर्मचारी पुरस्कार" की शुरुआत की गई है । "माह का कर्मचारी पुरस्कार" में दिए जाते हैं:

- प्रबंध निदेशक/डीएफसीसीआईएल द्वारा एक प्रमाण पत्र
- डीएफसीसीआईएल के न्यूज लेटर में फोटोग्राफ का प्रकाशन
- स्मृति चिन्ह (सिल्वर का सिक्का)
- कार्यालय की वेबसाइट /पोर्टल और सूचना पट्ट पर फोटो और विवरण को प्रदर्शित करना

प्रशिक्षण:

डीएफसीसीआईएल के कर्मचारियों और अधिकारियों के पेशेवर उन्नयन के लिए तकनीकी प्रशिक्षण की योजना बनाई गई है । डीएफसीसीआईएल का प्रशिक्षण व्यापक रूप से 4 भागों में बांटा गया है:

- (i) सीधी भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए

- (ii) समाहित कर्मचारियों के लिए परिचय प्रशिक्षण
- (iii) विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण
- (iv) अन्य पेशेवर प्रशिक्षण

विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण:

मुख्य परियोजना प्रबंधकों (फील्ड ऑफिसिज) और कॉर्पोरेट आफिस के समूह महाप्रबंधकों/महाप्रबंधकों को शामिल करते हुए मानव संसाधन विभाग द्वारा प्रशिक्षण आवश्यक विश्लेषण पर आधारित एक विस्तृत प्रशिक्षण योजना तैयार की थी जिसे विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया था। विश्व बैंक की योजना में 275 अधिकारियों और 651 श्रम दिवसों के लिए लक्ष्य रखा गया था। लक्ष्य पहले ही पूरा कर लिया गया है।

प्रशिक्षण योजना की कुछ प्रमुख बातें:

नेतृत्व कौशल और रणनीति प्रबंधन-आई एस बी

- डीएफसीसीआईएल के अधिकारियों जिसमें वरिष्ठ स्तर के अधिकारी और निदेशक शामिल हैं, के प्रशिक्षण कार्यक्रम से उम्मीदों के आई एस बी के माध्यम से किए गए निदान पर आधारित एक टेलर मेड प्रशिक्षण कार्यक्रम 37 अपर महाप्रबंधकों और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया जिसमें प्रबंध निदेशक/निदेशकों ने भी भाग लिया।
- आई एस बी मोहाली पर आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अधिकारियों को विभिन्न नेतृत्व शैलियों, अपनी ताकत और कमजोरी को समझने के लिए व्यक्तिगत गुणों की भूमिका, दूसरों के नजरिए को आत्मसात करने के लिए और निर्णय लेने पर इसके प्रभाव, कार्यों की प्राथमिकताओं और समय प्रबंधन को समझने में मदद मिली।

जोखिम प्रबंधन- इन्डियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी)

- 37 व्यक्तियों के समूह में मध्यम और वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के लिए एक दो दिवसीय जोखिम प्रबंधन प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण को पहली बार आयोजित किया गया और प्रतिभागियों के लिए यह बहुत ही उपयोगी रहा।

एफआईडीआईसी स्थितियों में प्रशिक्षण:

- अंतरराष्ट्रीय फिडिक प्रशिक्षक श्री जेम्स पैरी को डीएफसीसीआईएल की आवश्यकतानुसार गैलो और सिल्वर बुक में प्रशिक्षण देने के लिए लगाया गया था। प्रशिक्षण दो समूहों में दिया गया। एक में 40 वरिष्ठ स्तर के अधिकारी थे और दूसरे में 40 मध्य और कनिष्ठ स्तर के अधिकारी शामिल थे (20 के लक्ष्य के विरुद्ध)।
- फिडिक में प्रशिक्षण ने अंतरराष्ट्रीय स्तर की टेंडरिंग और इसके कार्यान्वयन से संबंधित बहुमूल्य निवेश दिया है। इस प्रशिक्षण ने विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं में प्रयोग की जा रही मानक पद्धतियों को समझने के लिए भाग लेने वालों को समर्थ बनाया है। यह प्रशिक्षण निविदा स्थितियों के विभिन्न सैट के पीछे विवके और तर्कों और विवके को समझने और उनके विश्लेषण के लिए अधिकारियों को तैयार करेगा।

भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम में प्रशिक्षण:

- ए एस सी आई, हैदराबाद के माध्यम से भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास तथा पुनः स्थापना कार्यक्रम पर 20 व्यक्तियों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

विदेश प्रशिक्षण:

हैवी हॉल:

विभिन्न देशों में हैवी हॉल प्रक्रियाओं में अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के संबंध में रहस्योद्घाटन करना। विदेश में निम्नलिखित प्रशिक्षण आयोजित किए गए:

- आस्ट्रेलिया में औरीजोन के माध्यम से हैवी हॉल प्रशिक्षण कम अध्ययन टूर।
- अफ्रीका में हैवी हॉल पर प्रदर्शनी और सम्मेलन।

निर्माण कानून-संविदाएं ओर विवाद प्रबंधन:

- लंदन यूके में निर्माण कानून-संविदाएं और विवाद प्रबंधन के लिए महाप्रबंधक/समूह महाप्रबंधक स्तर के अधिकारियों के भाग लेने की योजना है।

पश्चिमी डीएफसी चरण-2 कार्यक्रम के अंतर्गत, हांगकांग में जायका के अंतर्गत एनकेसी के माध्यम से निर्माण, परियोजना प्रबंधन, रेल कंपनी यातायात के प्रबंधन के लिए परिचालन पहलुओं, सुरंग,सोफ्ट ग्राउंड फाउन्डेशन, शहरी क्षेत्र अवसंरचना कार्य, कन्टेनर निगरानी प्रणाली, इन्टरमोडल सुविधाओं और दोहरी स्टेक कन्टेनर हैंडलिंग और परिचालन आदि से संबंधित आस्ट्रेलिया ओर जापान पर तकनीकी मुद्दों पर 10 अधिकारियों को 14 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है।

संवितरण के त्वरण पर जापानी ओडीए ऋण के अंतर्गत डीएफसीसीआईएल के लिए जापान में एक सेमीनार आयोजित की गई।

अन्य प्रशिक्षण:

- ट्रेक तकनीक के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भागीदारी- आईएएफ
- जपानीज ओडीए ऋण के अंतर्गत गतिवृद्धि और संवितरण पर सेमीनार
- रेलवे इन्टरचेंज 2013 प्रदर्शनी
- लंदन, यू के में इलेक्ट्रिक ट्रेक्शन प्रणाली पर 12वां व्यवसायिक विकास पाठ्यक्रम

सीधी भर्ती के कर्मचारियों के लिए परिचय प्रशिक्षण:

- सीधी भर्ती परिचयन और विशेषज्ञ तकनीकी प्रशिक्षणों को रेलवे के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों जैसे इरीसेट,इरीसेन,सिटरा/सिकंद्राबाद,सेट/बीसीटी, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र उदयपुर में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

तत्काल समावेशन के आधार पर लिए गए अधिकारियों के लिए परिचय प्रशिक्षण:

- तत्काल समावेशन के आधार पर लिए गए अधिकारियों के लिए, विभिन्न रेलवे संस्थानों जैसे ईरीटिम,नैयर और डीएमआरसी में विशेष तकनीकी और विशेषज्ञ प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया।

डीएफसीसीआईएल अधिकारियों के लिए अन्य महत्वपूर्ण प्रशिक्षण आयोजित किए गए:

- रेलवे ट्रेक अवसंरचना में जियो सिंथेटिक्स
- परिवहन में सुरक्षा
- अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय अनुभवों के निर्माण के ठेके
- हाई स्पीड रेल यात्रा-कम लागत समाधान
- औद्योगिक विकास

- पुनर्वास, पुनर्ववासन और अवसररचना परियोजनाओं में लाभ शेयर पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
- महान प्रबंधक कैसे बने
- निर्माण परियोजना डिलीवरी
- मल्टीमॉडल लोजिस्टिक
- ग्लोबल लोक उद्यम शिखर सम्मेलन
- बोर्डिंग और कॉर्पोरेट कम्प्यूनिवेशन
- अर्थिंग प्रणाली
- ट्रांसफॉर्मर और अन्य उच्च वोल्टेज सब स्टेशन उपकरणों की टेस्टिंग आरएलए अध्ययन , डिजायन में अद्तन विचार
- सब स्टेशन का जीवन चक्र प्रबंधन और परिचालन एवं अनुरक्षण
- स्मार्ट ग्रिड का वितरण और ट्रांसमिसन में उभरती तकनीक
- मल और सेवाओं के लिए मानक कोडिफिकेशन
- मानव संसाधन सम्मेलन
- निर्माण उद्योगों में परिदर्शिता

निगमित सामाजिक जिम्मेदारी

निगमित सामाजिक जिम्मेदारी पर सार्वजनिक उपक्रम विभाग, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए दिशा निर्देशों के अनुसार सभी सी पी एस ई को निदेशक मंडल के संकल्प द्वारा शुद्ध लाभ के रूप में सी एस आर बजट का निर्माण करना पड़ेगा। बजट की राशि कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए कर (पीएटी) के बाद शुद्ध लाभ पर निर्भर करेगी।

जैसे कि डीएफसीसीआईएल निर्माण प्रगति पर है, डीएफसीसीआईएल के लिए यह अनिवार्य नहीं था कि वह सी एस आर के लिए बजट की व्यवस्था करें। किंतु यह निर्णय लिया गया था कि एक छोटी धनराशि सी एस आर के लिए रखी जा सकती है और प्रयोगात्मक आधार पर प्रयास किया जाए ताकि परियोजना क्षेत्र में प्रभावित व्यक्तियों को लाभ दिया जा सके।

विगत वर्ष और डीएफसीसीआईएल, डीपीई के बीच समझौता ज्ञापन 2013-14 किए गए हस्ताक्षर के अनुसार डीएफसीसीआईएल ने यह निर्णय लिया है कि परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों को वर्ष 2013-14 के दौरान सी एस आर के अंतर्गत उनके बीच उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाने की दृष्टि वोकेशन/तकनीकी और कंप्यूटर साक्षरता प्रशिक्षण दिया जाए। यह उनकी दक्षता को विकसित करने के लिए बेहतर नौकरी के अवसर प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी।

सरकारी एजेंसियों (जन शिक्षण संस्थान, आई टी आई) और गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है।

वर्ष 2013-14 के दौरान सीएसआर गतिविधियों के लिए आबंटित राशि रु. 18 लाख परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को कंप्यूटर साक्षरता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर चयनित परियोजना कार्यान्वयन यूनिटों के अंतर्गत संबंधित मुख्य परियोजना प्रबंधकों वडोदरा, नोएडा टूंडला और इलाहाबाद/पूर्व के नियंत्रण में दिया गया।

लिंग समानता पर भी विचार किया गया और महिलाओं को भी समान अवसर दिए गए। युवा महिलाओं के समूहों को श्रमदिवसों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामित किया गया।

कुल 651 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों जिसमें 188 महिलाओं सहित, को 35032 श्रम दिवसों में विभिन्न रोजगार परक ट्रेडों में वोकेशनल/तकनीकी प्रशिक्षण दिए गए।

जिन मुख्य क्षेत्रों में प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया गया वे निम्नलिखित हैं:

1. इलैक्ट्रिकल
2. प्रारंभिक सौंदर्य और हेयर ड्रेसिंग

3. एब्रोडियर
4. फ्रेब्रीकेशन और आर्च बैल्डिंग
5. हाउस वायरिंग
6. घर के सामान की मरम्मत
7. इलेक्ट्रीशियन
8. फिटर
9. गारमेंट बनाना
10. बाक्स और मोमबत्ती बनाना
11. सूचना तकनीक

कंप्यूटर साक्षरता के क्षेत्र में परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की क्षेत्रों में सभी सामान सहित 23 डेस्कटॉप कंप्यूटरों को उपलब्ध कराया गया ।



परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को बिजली मिस्त्री का व्यावसायिक प्राशिक्षण दिया जा रहा है ।



परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को ड्रेस बनाने का व्यावसायिक प्राशिक्षण दिया जा रहा है ।



परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को काटने और सिलाई का व्यावसायिक प्राशिक्षण दिया जा रहा है ।



परियोजना प्रभावित व्यक्ति को बाँक्स और मोमबत्ती बनाने का प्राशिक्षण ले रहे है ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त कुल उपकरण/टूल्स सिलाई मशीनों को डीएफसीसीआईएल द्वारा संस्थानों में विधार्थियों की सहायताार्थ उपलब्ध करवाया गया है।

पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण :

डीएफसीसीआईएल का पर्यावरणीय अनुकूल दृष्टिकोण उसके द्वारा लिए गए कदमों से झलकता है जैसे कि डीएफसी ने संवेदनशील वनभूमि और सामाजिक प्रभावों से बचते हुए पर्यावरण को बचाने और उसे कम से कम नुकसान पहुंचाने के लिए संरक्षण का सावधानीपूर्वक चयन किया है। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन विश्व बैंक और जायका सुरक्षा नीति को पूरा करने के लिए पूर्वी और पश्चिमी कोरीडोर के लिए आयोजित किए गए। सभी मुख्य पर्यावरणीय मंजूरीयों को कोस्टल रेगुलेटरी जोन(सीआरजेड)और अरावली को छोड़कर प्राप्त कर ली गई है। सीआरजेड मंजूरी शीघ्र प्राप्त होने की आशा है। अन्य तरफ राजस्थान के अलवर जिले के अरावली क्षेत्र की मंजूरी की प्रक्रिया चल रही है। मेवात और गुडगांव, हरियाणा के विवरण को सकलित किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के गुलिस्तानपुर क्षेत्र ए एस आई द्वारा आपत्तियां दर्ज की गई हैं, डीएफसीसीआईएल यार्ड और संरक्षण के प्रस्तावित पुराने निचली धारणा पर, डीएफसीसीआईएल ने अपनी लागत पर आईआईटी खड़गपुर के माध्यम से एक जीपीआर सर्वेक्षण करवाया है जो पूरा हो गया है और आशा है कि डीएफसीसीआईएल को शीघ्र मंजूरी मिल जाएगी और डीएफसीसीआईएल के कार्य में रुकावट नहीं होगी। इसके अलावा डीएफसीसीआईएल द्वारा वन क्षेत्र के संरक्षण और अध्ययन के लिए संजय गांधी नेशनल पार्क (एसजीएनपी) में 15 करोड़ की राशि और साथ-साथ वर्तमान शुद्ध वेल्यू के स्थान पर वन भूमि के लिए रु.16 करोड़ की राशि भी भारत सरकार के मूल अनुमोदन की अनुपालना में उपलब्ध करवाई है।

सभी आर आर पी, सामाजिक प्रभाव आंकलनों और जायका और पश्चिमी डीएफसी द्वारा निर्धारित भूमि अधिग्रहण से संबंधित सामाजिक प्रबंधन से संबंधित अन्य गतिविधियों को पूरा कर लिया गया है। वर्ष 2013-14 के दौरान, पुर्नवास कार्य योजना (आरएपी) और पूर्वी डीएफसी के मुगलसराय-भाऊपुर(एपीएल-2)सहित पर्यावरण आंकलन रिपोर्ट(ईए),पर्यावरणीय प्रबंधन योजना(ईएमपी) अंतिम रूप दे दिया गया है और अनुमोदित कर दिया गया है। इसका व्यापक प्रचार करके डीएफसीसी के वेबसाइट पर अपलोड के साथ-साथ परियोजना कार्यालयों में वितरण कर दिया गया था। पूर्वी डीएफसी में आरएपी के कार्यान्वयन, सूक्ष्म योजनाओं को तैयार करने और विभिन्न परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की शिकायतों के समाधान के लिए तीन गैर सरकारी संगठनों को नियुक्त किया गया है। वर्ष के दौरान, पूर्वी डीएफसी-1 के लिए आरएपी और ईएमपी के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए सामाजिक पर्यावरणीय निगरानी और रिव्यू परामर्शदाता (एसईएसएमआरसी)की नियुक्ति की गई है। पूर्वी डीएफसी के लिए सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त कर ली गई हैं। नीचे पाई गई परियोजना के लिए एपीएल-2 और जोखित प्रोफाइल के लिए जलवायु बदलाव जोखिम आंकलन को शुरू किया गया है।

संरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण (एसएचई) डीएफसीसीआईएल के मेनुअल को अंतिम रूप दे दिया गया है और अक्टूबर 2013 में जारी कर दिया गया है। एसएचई मेनुअल के आधार पर एपीएल-1 सेक्शन के ठेकेदार द्वारा अपनी एसएचई योजना तैयार की गई है जो कि कार्य स्थलों पर कार्यान्वयन के लिए मंजूरी और पुनरीक्षित की गई थी।

ईआईए के अध्ययन से डीएफसी के कारण वाटर बोडीज, वन्यजीव, फलोरा एवं फोना, व्यापक वायु गुणवत्ता, मिट्टी और ध्वनि और कंपन प्रदूषण का प्रभाव नहीं के बराबर है। रिपोर्ट में उपयुक्त शमन उपाय और पर्यावरण प्रबंधन योजना की सिफारिश की गई है। ईआईए रिपोर्टों में पर्याप्त रूप से रास्ते को साफ करने के लिए पेड़ों की कटाई, क्षतिपूर्ति के लिए पेड़ों को लगाना और सिलोकोन एक्सपोजर रिडक्शन नीति बनाई गई है।

कार्यान्वयन स्तर पर डीएफसीसीआईएल पहले ही फ्रेट कोरीडोर के निर्माण और परिचालन के कारण अपरिहार्य कारणों को कम करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए स्वयं प्रतिबद्ध है। ऐसे सभी कदम और उपाय जो वन्यजीव और वाटर बोडीज आदि की गुणवत्ता सुधारने के लिए आवश्यक थे, इसकी प्रापण योजनाओं के लिए बनाए गए हैं। सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण बचाव और परियोजना के लिए न्यूनतम यार्डस्टिक उपलब्ध कराने के लिए एक एस एच ई नियमावली सभी पक्षों को जारी की गई है।

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

अनुलग्नक-घ

31 मार्च 2014 को लेखा परीक्षा रिपोर्ट में सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों के दिए गए जवाब

लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
<p>योग्य विचार के आधार पर</p> <p>1. हम सतर्कता और जालसाजी से संबंधित लेखा परीक्षा साक्ष्यों को यदि कोई हों, को प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं। क्योंकि प्रबंधन द्वारा संबंधित सूचना को नहीं दिया गया है, हम कंपनी के वित्तीय विवरणों यदि कोई है, के प्रभावो निर्धारित करने में असमर्थ हैं।</p>	<p>1. रेलवे बोर्ड के पत्र सं परिपत्र आरबीवी सं.08 / 2009 दिनांक 12 जून 2009 के अनुसार सतर्कता ओर जालसाजी के मामलों को हम सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ साझा नहीं कर सकते जो, जो कि यदि प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा से सतर्कता मामलों को देखने का अनुरोध किया जाता है तो वह सीवीओ के कार्यालय में जांच पूरी होने पर दिखाई जा सकती है, उचित निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है जहां आवश्यक शुरुआत की जा सकती है।</p> <p>भाविष्य में बंद किए गए सतर्कता मामलों का सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ साझा किया जाएगा। उपर्युक्त संदर्भित परिपत्र में वर्णित यद्यपि जो सतर्कता मामलों को जांच चल रही हैं उन्हें पूरा होने पर सांविधिक लेखा परीक्षकों को दिखाया जाएगा।</p>
<p>2. सेवा कर की अधिसूचना सं. 25 / 2012 के अनुसार एयरपोर्ट, पोर्ट अथवा रेलवे सहित मोनो रेल अथवा मेट्रो पर मूल कार्य के स्थापित, चालू, निर्माण, इरेक्शन, की सेवाओं के लिए छूट प्रदान की गई है। उक्त अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए कंपनी को सेवाकर से छूट प्राप्त है, यद्यपि कंपनी ने वापस योग्य प्रभार के अंतर्गत रु. 2.13 करोड़ को सेवाकर का भुगतान किया है।</p>	<p>2. ज्वाइंट वेंचर फर्मों को एवार्ड किए गए सिविल कार्यों के ठेकों के कार्यों पर मेकेन्जिम वापस योग्य प्रभार के अंतर्गत कंपनी ने सेवा कर का भुगतान किया है। वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) भारत सरकार, द्वारा जारी उक्त अधिसूचना सं. 25 / 2012 दि.20 जून-2012 को ध्यान में रखते हुए जहां निर्माण, इरेक्शन, चालू करना अथवा मूल कार्यों को स्थापित करने संबंधित सेवाओं को रेलवे को सेवाकर से छूट प्राप्त है, इस तरह के ठेको पर वापसी योग्य प्रभार के अंतर्गत सेवा कर के भुगतान पर कंपनी ने रोक लगा रखी है।</p> <p>अनजाने में कंपनी द्वारा भुगतान किए गए सेवाकर की वापसी के लिए सेवाकर विभाग में आवेदन किया है।</p>
<p>3. बैंकर्स ने लेंड बैंक लेखे (एसएलएओ) से कटौती किए गए कर स्रोत (टीडीएस) पर ब्याज प्राप्त किया है। यह लेखा कंपनी से संबंधित नहीं है, कंपनी ने गलत तरीके से इन लेखों में रेल मंत्रालय को भुगतान किए गए समीक्षाधीन परिसंपत्ति को दिखाया है। तदनुसार चालू परिसंपत्तियों और चालू दायित्वों को रु.3.87 करोड़ द्वारा बढ़ा हुआ माना जाता है।</p>	<p>3. डीएफसीसीआईएल और राज्य भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एसएसएओ) के फ्लेक्सी जमा ज्वाइंट बैंक खाते में जमा राशि पर ब्याज के संबंध में टीडीएस रेल मंत्रालय के आधार पर परियोजना के लए भूमि अधिग्रहण के लिए एसएसएओ सक्षम अधिकारी है। बैंक में जमा राशि रेल मंत्रालय से संबंधित है और यह कंपनी के लेखों का भाग नहीं है जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट नं. 15.1(क) में बताया गया है। इसी तरह बैंक जमा पर प्राप्त ब्याज के साथ साथ टीडीएस पर प्राप्त ब्याज भी कंपनी के लेखों संबंधित नहीं है। चूंकि टीडीएस प्रमाण पत्र बैंक द्वारा कंपनी के नाम से जारी किया गया है और टीडीएस की राशि को रेल मंत्रालय को स्थानान्तरित किया जाना है, बुक्स में रेल मंत्रालय को स्थानान्तरित राशि की इस तरह की एक प्रविष्टि की गई है। ऐसी स्थिति में जब बैंक द्वारा जारी टीडीएस प्रमाण पत्र डीएफसीसीआईएल के पक्ष में दिया गया है वहां लेखा में करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस तरह चालू परिसंपत्तियों और चालू दायित्व पर कोई ओवर स्टेटमेंट नहीं है।</p>
<p>लेखा परीक्षकों की स्वतंत्र रिपोर्ट अनुलग्नक</p> <p>1.(क) कंपनी ने परिमाण विवरण और स्थायी परिसंपत्तियों स्थिति सहित के विवरण कोई समुचित रिकार्ड नहीं रखा है।</p>	<p>1.(क) वर्तमान में कंपनी के स्थायी परिसंपत्तियों में फर्नीचर/फिक्चर, कार्यालय उपकरण, कंप्यूटर आदि सबसे अधिक हैं। परिसंपत्ति और एक परिसंपत्ति सहित अन्य विवरण की पहचान की जाएगी और अगले लेखा परीक्षण के समय उपलब्ध करवा दी जाएगी। यद्यपि कंपनी के स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर बनाया हुआ है जिसमें लोकेशनवार परिसंपत्तियों का विवरण है।</p>

<p>1.(ख) वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों को भौतिक रूपसे सत्यापन नहीं किया गया। प्रबंधन द्वारा भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया। वित्तीय रिकार्ड और भौतिक परिसंपत्ति के बीच यदि कोई कमी है तो हम उक्त कमी पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।</p>	<p>1.(ख) निर्माण चरण के दौरान परिसंपत्तियों की प्रकृति और राशि को ध्यान में रखते हुए, प्रबंधन ने निर्णय लिया है कि तीन वर्ष में एक बार स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया जाए और इसका वित्तीय विवरणों के नोट 11 के सब नोट के संदर्भ में उचित रूप से बताया गया है। वर्ष 2014-15 से प्रबंधन परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन कराने के लिए विचार कर रहा है।</p>
<p>हमें दी गई सूचना और व्याख्या के अनुसार, सामान्यरूप से आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त है और कंपनी के अनुसाद है और स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद के भुगतान को छोड़कर अचल संपत्ति को सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बिना नहीं खरीदा जाता है।</p>	<p>सभी अग्रिम को भुगतान सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बाद किया गया है।</p>
<p>कंपनी का आंतरिक लेखा परीक्षण बाहरी चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्म से कराया जाता है। हमारे विचार में, व्यापार के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षण कंपनी के साइज एवं प्रकृति के अनुरूप नहीं हैं। इसके परिचालन एवं प्रकृति एवं साइज के को ध्यान में रखते हुए आंतरिक लेखा परीक्षण को बढ़ाया जाए।</p>	<p>भविष्य में एवार्ड किए जाने वाले कार्यों को ध्यान में रखते हुए आंतरिक लेखा परीक्षण के कार्य को बाहरी चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्म को वर्ष 2012 में दिया गया था। यद्यपि सांविधिक लेखा परीक्षकों की सिफारिशों को नोट कर लिया गया है और विस्तार के अनुसार भविष्य में इसे बढ़ाया जाएगा।</p>
<p>कंपनी आमतौर पर समुचित प्राधिकारों, स्पष्ट देय जिसमें भविष्यनिधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्रीकर, संपदा कर, सेवा कर, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, उपकर और अन्य सांविधिक देयों के अलावा नियमित रूप से जमा करती है। कंपनी के पास 31 मार्च 2014 को अनपेड़ दायित्व के रूप में 4.43 करोड़ हैं जो कि बिल्डिंग और अन्य निर्माण, कर्मचारी कल्याण उपकर के हैं। इसमें विगत वर्ष के 3.08 करोड़ सम्मिलित हैं। कंपनी ने अग्रिम जमा कार्यों के लिए स्रोत पर कटौती नहीं की है।</p>	<p>वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए लेखा में 4.53 करोड़ का प्रावधान किया गया है और इसे ठेकेदार से वसूल किया जाएगा और तदनुसार सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा।</p> <p>जमा कार्यों के लिए आधिकांश अग्रिमों का भुगतान भारतीय रेलवे अथवा अन्य सरकारी प्राधिकारियों और टीडीएस कटौती के दायित्व के लिए किया जाता है यह इन मामलों पर लागू नहीं है। कार्यों के लिए जमा अग्रिम पर टीडीएस की कटौती के बाद भुगतान किया जाता है।</p>
<p>हम सतर्कता और धोखाधड़ी के लेखा परीक्षण साक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं यदि कोई है, क्योंकि प्रबंधन द्वारा इस तरह की कोई सूचना से इंकार किया गया है। इसी तरह हम वर्ष के दौरान समसंख्यक तिथि की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के क्वालीफाईड विचार की रिपोर्ट के पैरा 3 के बाद भी कंपनी ने किसी भी धोखाधड़ी की सूचना हमारे ध्यान में नहीं आयी है।</p>	<p>रेलवे बोर्ड के पत्र सं परिपत्र आरबीवी सं.08/2009 दिनांक 12 जून 2009 के अनुसार सतर्कता और जालसाजी के मामलों को हम सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ साझा नहीं कर सकते जो, जो कि यदि प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा से सतर्कता मामलों को देखने का अनुरोध किया जाता है तो वह सीवीओ के कार्यालय में जांच पूरी होने पर दिखाई जा सकती है, उचित निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है जहां आवश्यक शुरुआत की जा सकती है।</p> <p>भविष्य में बंद किए गए सतर्कता मामलों को सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ साझा किया जाएगा। उपर्युक्त संदर्भित परिपत्र में वर्णित यद्यपि जो सतर्कता मामलों को जांच चल रही हैं उन्हें पूरा होने पर सांविधिक लेखा परीक्षकों को दिखाया जाएगा।</p>

अनुबंध-ड

डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लेखों पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4)के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देने के लिए जवाबदेय है। यह राय उनकी पेशेवर निकाय भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षण और आश्वासन के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित होती है। उनकी 20.06.2014 की लेखा परीक्षक रिपोर्ट द्वारा ऐसा किया गया बताया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से मैंने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3)(बी)के अंतर्गत डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों की पूरक लेखा परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षक के कार्यकरण कागजातों से जानकारी लिए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और सांविधिक लेखा परीक्षक की जिज्ञासाओं और कंपनी कार्मिकों और कुछ लेखांकन अभिलेखों की चयनित जांच तक ही मुख्यतया सीमित है। हमारी पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मेरी राय में, कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत ऐसा कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं है जिस कारण वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करना आवश्यक हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

हस्ताक्षर

(दिनेश भार्गव)

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक 16.07.2014

प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (रेलवे वाणिज्य)



अनुबंध "च"

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान निदेशक मंडल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा संचालित व्यवसाय और नीतिशास्त्र संहिता के अनुपालन के संबंध में प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा।

मैं, अंशुमान शर्मा, प्रबंध निदेशक, डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड घोषणा करता हूँ कि निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारीगणों ने 2013-14 के दौरान संचालित व्यवसाय और नीतिशास्त्र संहिता का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया है।

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29.08.2014

ह./-
(अंशुमान शर्मा)
प्रबंध निदेशक

वित्तीय वर्ष 2013—14
के लिए
डीएफसीसीआईएल के
वार्षिक लेखे

31 मार्च, 2014 के अनुसार संतुलन पत्र (राशि लाख रु.में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2014 का समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2013 का समाप्त वर्ष के लिए
I. इक्विटी एवं देनदारी			
(1) शेयरधारकों की निधियां			
(क) शेयर पूंजी	3	270774.00	196505.00
(ख) आरक्षित एवं बचत	4	7272.35	-
(2) शेयर आवेदन धन	5	100792.88	74269.00
(3) गैर चालू देनदारियां			
(क) दीर्घवधि के उधार	6	99662.12	9427.74
(ख) अन्य दीर्घवधि की देनदारियां	7	9296.30	2141.43
(ग) दीर्घवधि के प्रावधान	8	325.78	47.84
(4) चालू देनदारियां			
(क) अन्य चालू देनदारियां	9	18615.75	10742.03
(ख) अल्पावधि प्रावधान	10	89.68	4.71
योग		506,828.86	293,137.75
II. परिसंपत्तियां			
(1) गैर चालू परिसंपत्तियां			
(क) स्थाई परिसंपत्तियां	11		
i. मूर्त परिसंपत्तियां		897.57	672.41
ii. अमूर्त परिसंपत्तियां		40.74	41.10
iii. कार्यगत पूंजी		156,131.90	98,438.49
iv. विकासधीन अमूर्त परिसंपत्तियां		-	1,572.72
v. विकासाधीन परिसंपत्तियां		763.40	268.92
(ख) दीर्घवधि ऋण एवं अग्रिम	12	259,842.67	131,254.42
(2) चालू परिसंपत्तियां			
(क) नकद और बैंक शेष	13	84,062.11	54,192.34
(ख) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	14	685.52	140.18
(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियां	15	4,404.95	6,557.17
योग		506,828.86	293,137.75

ऊपर उल्लिखित अनुसूचियां तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं।
हमारी रिपोर्ट की उसी तारीख से संबंधित यह तुलन पत्र है।

कृते बावेजा एंड कॉल
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि.नं.05834 एन

ह/-
सीए समवित के गुरतो
पार्टनर
सदस्यता सं. 090758

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 20.06.2014

निदेशक मंडल की ओर से

ह/-
(आर के गुप्ता)
प्रबंध निदेशक

ह/-
(मीनू कपूर)
कंपनी सचिव

ह/-
(एम के मित्तल)
निदेशक/वित्त

मार्च, 2014 के लिए लाभ एवं हानि विवरण

(राशि लाख रु. में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2013 का समाप्त वर्ष के लिए
I. राजस्व			
II. परिचालनों से आय		-	-
III. अन्य आय	16	5,692.49	1,992.66
कुल राजस्व (I+II)		5,692.49	1,992.66
खर्च			
कर्मचारियों के लाभ के लिए खर्च	17	-	-
वित्तीय लागत	17 A	-	-
घोषणा एवं परिषोधन खर्च	17 B	-	-
अन्य खर्च	17 C	-	-
IV. कुल खर्च			
V. अपवाद और असाधारण मदों और कर से पूर्व का लाभ (III-IV)		5,692.49	1,992.66
VII. अपवाद मदें		-	-
असाधारण मदों और कर से पूर्व का लाभ (V-VI)		5,692.49	1,992.66
VIII. असाधारण मदें		-	-
IX. कर पूर्व लाभ (VII-VIII)		5,692.49	1,992.66
X. कर खर्च:			
1. चालू कर		1,930.88	642.22
2. आयकर (गत वर्ष)		-	0.90
3. आस्थगित कर		-	-
XI. परिचालन के जारी रहने से अवधि के लिए लाभ/हानि (IX-X)		3,761.61	1,349.54
(क) विकास खाते में स्थानांतरित		64.54	1,349.54
XII. परिचालन के जारी न रहने से लाभ		-	-
XIII. □ परिचालन के जारी न रहने से कर खर्च		-	-
XIV. परिचालन के जारी न रहने से लाभ/हानि (XII-XIII)		-	-
XV. अवधि के लिए लाभ /हानि (XI + XIV+ (A))		3,697.07	
XVI. प्रति शेयर आय (अंकित मूल्य रु. 1000 प्रत्येक)	29		
बेसिक		13.95	-
डाइल्यूटिड		13.93	-

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट में लाभ हानि का यह विवरण उल्लिखित है।

कृते बावेजा एंव कॉल
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि.नं.05834एन
ह/-

सीए समवित के गुरतो
पार्टनर
सदस्यता सं. 090758

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 20.06.2014

निदेशक मंडल की और से

ह/-

(आर के गुप्ता)
प्रबंध निदेशक

ह/-
(मीनू कपूर)
कंपनी सचिव

ह/-

(एम के मित्तल)
निदेशक/वित्त

मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

क्रं सं. विवरण	31 मार्च 2014 का समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2013 का समाप्त वर्ष के लिए
1 परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह कर के बाद शुद्ध लाभ	5,692.49 (5,600.78)	1,992.66 (1,865.03)
ह्रास के लिए समायोजन कर खर्च के लिए समायोजन	(64.54)	(1,349.55)
चालू पूंजी में परिवर्तनों के लिए समायोजन:	-	-
अन्य प्राप्त राशियों में वृद्धि/कमी	8,082.28	(5,020.36)
वर्तमान देयताओं में कमी/वृद्धि	13,538.80	1,748.38
प्रावधान में कमी/वृद्धि	-	-
परिचालन गतिविधियों से अर्जित/प्रयुक्त नकदी	21,648.25	(4,493.90)
आयकर प्राप्त/अदा किया गया	(1,865.11)	(868.99)
परिचालन गतिविधियों (क) से (प्रयोग में) नकदी प्रवाह:-	19,783.14	(5,362.89)
2 पूंजी निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह:- कार्यगत पूंजी सहित स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद एवं पूंजी कार्य प्रगति स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री	(52,288.61)	(34,357.93)
पूंजी अग्रिम में कमी/बढ़ोतरी	51.18	8.57
वित्तीय गतिविधियों (ख) से अर्जित /प्रयुक्त नकदी	5,040.80	1,728.83
	(128,588.24)	(107,494.38)
3 वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह:-	(175,784.87)	(140,114.91)
शेयर पूंजी के निर्गम से प्राप्त धनराशि	-	80,000.00
षेयर आवेदन से प्राप्त धनराशि	100,792.88	74,269.00
दीर्घकालीन उधार की राशि ब्याज एवं उधार लागत	89,207.12 (78.18)	- (15.23)
वित्तीय गतिविधियों से प्राप्त नकदी /अर्जित की गई नकदी	189,921.82	1,54,253.77
रोकड़ और रोकड़ समकक्षों में शुद्ध वृद्धि /कमी (ए +बी+सी) वर्ष के प्रारंभ में रोकड़ और रोकड़ समकक्ष	33,920.09	8,775.97
रोकड़ और रोकड़ समकक्ष नकद और चैक	49,812.61 83,732.70	41,036.64 49,812.61
सम्मिलित नकद और नकद समकक्ष:	83,732.70	49,812.61
नकद और नकद समकक्ष	83,732.70	49,812.61

नोट:- नकदी और नकदी समकक्ष में MOR की ओर से आयोजित चालू खाता/ जमा खातों शेष शामिल नहीं हैं। इसमें 4,175.75 लाख रु.(विगत वर्ष रु 855.53 लाख रु.)सम्मिलित हैं।

कृते बावेजा एंव कॉल
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि.नं.05834एन
ह/-
सीए समवित के गुरतो
पार्टनर
सदस्यता सं. 090758

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 20.06.2014

निदेशक मंडल की ओर से

ह/-
(आर के गुप्ता)
प्रबंध निदेशक
ह/-
(मीनू कपूर)
कंपनी सचिव

ह/-
(एम के मित्तल)
निदेशक/वित्त

वित्तीय विवरण से टिप्पणियां:

1. सामान्य सूचना

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (डीएफसीसीआईएल) डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निर्माण, अनुरक्षण और परिचालन के लिए रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्थापित एक संस्था है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार

2.1 वित्तीय विवरण (स्टेटमेंट) तैयार करने का आधार

ये वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3सी) के अंतर्गत लागू प्रावधानों और भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान द्वारा जारी आनिवार्य लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत मानक के अनुसार ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अंतर्गत एक संचयी आधार पर तैयार किए गए हैं।

2.2 आंकलनों का प्रयोग

सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए अपेक्षित है कि प्रबंधन ऐसे आंकलन और अभिधारणाएं करें जो प्रस्तुत किए गए वर्षों के लिए रिपोर्ट की गई राजस्व और व्यय की राशियां तथा वित्तीय विवरण की तारीख को रिपोर्ट की गई परिसंपत्ति और देयताओं की राशि और आनुशंगिक परिसंपत्तियों और देयताओं के प्रकटीकरण पर प्रभाव डालते हों। वास्तविक परिणाम उन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं। प्राक्कलन और वास्तविकता में होने वाले अंतर को चालू ओर भविष्य की लेखा अवधि में समायोजित किया जाता है।

2.3 नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण, नकदी प्रवाह विवरण पर आधारित लेखा मानक "3" में निर्धारित अप्रत्यक्ष तरीके से तैयार किया जाता है और नकद प्रवाह परिचालन निवेश और वित्तीय गतिविधियों को प्रदर्शित करता है।

2.4 स्थायी परिसंपत्तियां और पूंजीगत प्रगति कार्य

- क. स्थायी परिसंपत्तियां अधिग्रहण/निर्माण की लागत को दर्शाती है। ऐसे मामलों में जहां ठेकेदारों के बिलों को अंतिम निपटान लंबित है, लेकिन परिसंपत्ति पूरी हो गई और उपयोग के लिए तैयार है आवश्यक समायोजन के शर्त पर अनुमानित आधार पर पूंजीकरण किया जाता है इसमें वर्ष के दौरान अंतिम निपटान के लिए आर्बीट्रेशन और न्यायालय के मामले सम्मिलित हैं।
- ख. लागत पर किए गए कार्यों का पूंजीगत कार्य प्रगति पर है। वर्ष के दौरान आकस्मिक आय की शुद्ध खर्च, संबंधित परिसंपत्तियों के भाग के रूप में पूंजीगत है।
- ग. पूंजी भंडार मापी गई अनुमानित लागत पर है।

2.5 मूल्य ह्रास और परिशोधन:

- क. वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों की वृद्धि ओर कटौती अवमूल्यन समानुपातिक आधार पर से उस तारीख तक जहां उपयोग/निपटान के लिए परिसंपत्ति उपलब्ध है, किया जाता है।
- ख. कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची ग्ट में वर्णित दरों पर मूल्य पद्धति के नीचे गिरने पर परिसंपत्तियों का अवमूल्यन किया जाता है, लैपटॉप के मामले को छोड़कर जहां अवमूल्यन 30 प्रतिशत के समानुपातिक आधार पर किया जाता है।
- ग. इसके अलावा वर्ष में रु.5000/- या कम के मूल्य की परिसंपत्ति का अवमूल्यन किया गया है।
- घ. मोबाइल उपकरणों को राजस्व ऑफ के लिए चार्ज किया जाता है।
- ङ. सॉफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्तियों में रखा जाता है और इसे तीन वर्ष की कानूनी अवधि के लिए प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है, जो भी पहले हो। अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां सीधे लाइन के आधार पर कानूनी अवधि के लिए उपयोग में लायी जाती है।
- च. पट्टाशुदा भूमि और पट्टाशुदा परिसर में सुधारों पर स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन कर संबंधित भूमि/पट्टाशुदा परिसर अथवा कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार अवमूल्यन की दरों पर लागू जीवन के ऊपर जो भी कम हो, किया जाता है।

- दृ वर्ष के दौरान जहां परिसंपत्ति पर अवमूल्यन की लागत लम्बी अवधि के दायित्वों के कारण बढ़ती / घटकर बदलती है, ऐसी परिसंपत्तियों की अवधि को अवमूल्यन, लागत समायोजन के अनुसार उपभोग करना पड़ता है।
- ज. जहां एक परिसंपत्ति की अवधि या कार्यकुशलता में नवीनीकरण और आशोधीकरण के कारण वृद्धि होती है वहां अमूर्त अवमूल्यन राशि को चार्ज किया जाता है तथा तकनीकी आंकलन द्वारा इसे निर्धारित किया जाता है।

2.6 राजस्व:

- क. राजस्व की मान्यता गतिविधि की प्रकृति के आधार पर की जाती है जब विचार सही पाया जाता है और इसकी वसूली की निश्चितता सही पाई जाती है।
- ख. बैंक जमा पर ब्याज को समय समानुपात के आधार पर बुक किया जाता है।
- ग. आय की अन्य मदों को उनके प्राप्त करने के अधिकारी के समय लेखाबद्ध किया जाता है।
- घ. सेवा शुल्क आय को संविदा की शर्तों के अनुसार मान्यता दी जाती है।

2.7 विदेशी मुद्रा लेनदेन:

- क. विदेशी मुद्रा का संव्यवहार विनिमय की उस दर पर किया जाता है जिस दिन संव्यवहार किया जाता है। प्रत्येक संतुलन पत्र में संतुलन पत्र की तिथि में एक्सचेंज दर पर विदेशी मुद्रा में पुनःनामित मदों की तिथि को दर्शाया जाता है।
- ख. उधार ली गई विदेशी मुद्रा के विनिमय अंतर को ब्याज लागतों पर समायोजन के संबंध में उधार लागत पर एएस-16 के पैरा 4(ई)की शर्त पर लिया जाता है और उधार लागत के लिए एएसआईवीआईडी की शर्त पर संबंधित स्थायी परिसंपत्ति / प्रगति पर किए जा रहे पूंजीगत कार्य जो कि उधार से संबंधित होते हैं लिया जाता है।

2.8 कर्मचारी के हित लाभ:

- क. सभी कर्मचारियों के हित लाभों को सेवा के बारह महीनों के भीतर पूर्ण किया जाता है उनका वर्गीकरण अल्पावधि के हित लाभों में किया जाता है। अनुपस्थिति जैसा अल्पावधि के हितलाभों की क्षतिपूर्ति की पहचान कर्मचारी से संबंधित सेवा अवधि में की जाती है।
- ख. कर्मचारी हित में नियोजन उपरान्त लाभ का प्रावधान एएस-15(2005)में वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर परिभाषित किया गया है।
- ग. दीर्घावधि के लिए कर्मचारियों के हित लाभ से संबंधित प्रावधान का निर्धारण वर्ष की समाप्ति पर वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है जो कि लेखे में प्रभारित होता है।
- घ. प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों के लिए विदेश सेवा योगदान से संबंधित प्रावधान का निर्धारण सरकार के नियमों / विनियमों के आधार पर किया जाता है और लेखा में प्रभारित होता है।
- ङ. स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अंतर्गत उपादान भुगतान ओर नोटिस वेतन के खर्च को वर्ष के राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

2.9 उधार लागत:

अर्हक परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए उधार लागत उस परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में निकाली जाती है। अन्य उधार लागतों की पहचान उन खर्चों के आधार पर की जाती है जिसमें वे किए जाते हैं। उधार / अपफ्रंट और अन्य समान खर्चों को वर्ष में पूंजीगत / प्रभारित किया जाता है।

2.10. आय पर कर:

चालू वर्ष के लिए कर का निर्धारण कर योग्य आय को आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कर योग्य आय के आधार पर की जाती है।

आस्थगित कर की पहचान आय और वर्ष की कर योग्य आय के बीच अन्तर पर की जाती है और संतुलन पत्र की तारीख से कर दरों और वास्तविक रूप से लागू कानूनी का परिणाम निर्धारित करता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान वास्तविक सुनिश्चितता की मात्रा पर की जाती है जो आस्थगित कर परिसंपत्तियों को वसूल किया जा सकता है उनकी तुलना में पर्याप्त भविष्य कर योग्य आय पर उपलब्ध होगी।

2.11 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और परिसंपत्तियां:

देयताओं की पहचान हका प्रावधान जहां दायित्व के निपटारे के लिए संभावित निःस्राव की संसाधनों की संभावना हो और दायित्व की राशि का सही ढंग से अनुमान लगाया जा सकता है। इन देयताओं को लेखे के नोट्स में नहीं दिखाया जाता है। आकस्मिक परिसंपत्तियां की न तो पहचान की जाती है और न ही वित्तीय विवरणों को दिखाया जाता है।

2.12 विविध:

- क. ट्रांजिट/पूजी माल के कार्यों के निष्पादन के लिए दायित्व लेकिन लंबित, निरीक्षण और कॉर्पोरेशन द्वारा स्वीकार नहीं किए गए।
- ख. स्वीकार करने के लिए विभिन्न मूल्य के दावे।
- ग. वास्तविक वसूली के समय पहचाने गए हर्जाने।
- घ. पूर्व और बाद की अवधि के लिए किए गए खर्च/आय की मदों रु.50,000/- और लेखे के प्रकृति शीर्ष में प्रभारित किये जाते हैं।
- ङ. बीमा दावों को बीमा नीति के कवर किए जाने वाले हानि के प्रबंधन और आंकलन के आधार पर किया जाता है। यदि कोई कमी रहती है तो दावों का आपसी आधार पर निस्तारण किया जाता है। ठेकेदार द्वारा संबंधित ठेके के प्रावधानों के अंतर्गत इसे कंपनी के लेखे में नहीं लिया जाता है।

अवधि पूर्व मदें जो चालू अवधि में अवधि पूर्व वित्तीय विवरणों को तैयार करने के फलस्वरूप भूल या गलती से उत्पन्न होती है, को अलग से वर्तमान वित्तीय विवरणों में दिखाया जाता है। बहरहाल, वास्तविक आय/व्यय में उत्पन्न होने वाले अंतर यदि अवधि पूर्व के अनुमान से अधिक या कम होते हैं तो उन्हें अवधि पूर्व आय/व्यय के रूप में पेश नहीं किया जाता।

पिछले वर्ष से संबंधित प्रत्येक मामले में 50,000 रु. तक की आय/व्यय को वर्तमान वर्ष की आय/व्यय के रूप में दिखाया जाता है और पिछले वर्ष से संबंधित प्रत्येक मामले में 50,000 रु. से अधिक आय/व्यय को अवधि पूर्व खर्चों के रूप में दिखाया जाता है।

3. भोयर पूंजी

(राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2014 के अनुसार	31 मार्च 2013 के अनुसार
अधिकृत शेयर पूंजी 8,00,00,000 (गत वर्ष 4,00,00,000) इक्विटी शेयर 1000/- प्रति शेयर	800,000.00	4,00,000.00
	800,000.00	4,00,000.00
निर्गत, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी 2,70,77,4.00 (गत वर्ष 1,96,50,5.00) इक्विटी शेयर 1000/- प्रति शेयर	270,774.00	196,505.00
	270,774.00	196,505.00

3.1 इक्विटी शेयरों के मिलन की संख्या

विवरण	31 मार्च 2014 के अनुसार		31 मार्च 2013 के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	राशि लाख रुपयों में	शेयरों की संख्या	राशि लाख रुपयों में
वर्ष के प्रारंभ में शेष जमा: वर्ष के दौरान जारी किए गए इक्विटी शेयर	19,650,500	1,96,505.00	7,742,900	77,429.00
वर्ष के अंत में शेष	27,077,400	270,774.00	19,650,500	196,505.00

3.2 कंपनी के कुल शेयरों के 5% से अधिक धारण किए गए शेयर धारकों द्वारा शेयरों का विवरण

विवरण	31 मार्च 2014 के अनुसार		31 मार्च 2013 के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	धारण किए गए शेयरों का %	शेयरों की संख्या	धारण किए गए शेयरों का %
इक्विटी शेयर:				
भारत के राष्ट्रपति (रेल मंत्रालय)	27,077,400	100%	19,650,500	100%

3.3 इक्विटी शेयरों के साथ संलग्न अधिकार एवं प्राथमिक भोयर

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों के रूप में केवल एक ही श्रेणी है जिनकी मूल्य 1000 रु. प्रति शेयर है। एक इक्विटी शेयर रखने वाले को एक वोट का अधिकार है। कंपनी की द्रव्यता के मामले में, शेयर धारक समस्त प्राथमिक राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष परिसंपत्तियों के लिए हकदार होंगे।

4. आरक्षित और अधिशेष :

विवरण	31 मार्च 2014 के अनुसार	31 मार्च 2013 के अनुसार
अधिशेष :		
शेष	—	—
जोड़ : विकास लेखे से स्थानान्तरण	3,575.28	—
जोड़ : कर के बाद लाभ (चालू वर्ष)	3,697.07	—
	7,272.35	
घटाना : अनुपातिक	—	—
भोश	7,272.35	—

4.1 इक्विटी के लेखे का धन बैंक जमा राशियों के रूप में है, शेष प्रयोग में हैं। चालू वर्ष में कर के बाद लाभ रु.3,697.07 लाख है जो कि बैंक जमाओं से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार ब्याज से वर्ष 2012-13 तक अर्जित आय को विकास खाते में क्रेडिट कर दिया गया है, अब इसे आरक्षित और अधिशेष में स्थानान्तरित किया गया है।

5. शेयर आवेदन धन लंबित आबंटन

(क) शेयर आवेदन धन के संबंध में समापार मूल्य पर जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को रेल मंत्रालय से प्राप्त किया गया था जिसकी प्राप्त राशि 74,269.00 लाख रु.उपर्युक्त आवेदन धन 29.04.2013 को प्राप्त किया गया था।

(ख) कंपनी ने रेल मंत्रालय से 31.03.2014 को अंतिम अधिशेष रु.100,792.88 शेयर आवेदन धन प्राप्त किए गए। 1,00,79,288 इक्विटी शेयर को उक्त वित्तीय वर्ष 2014-2015 के दौरान आउटस्टैंडिंग राशि है। ऐसे शेयर आवेदन धन में से शेयरों के आबंटन पर शेयर पूंजी राशि को कवर करने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त अधिकृत शेयर पूंजी है। दिनांक 31.03.2014 तक कोई शेयर आवेदन धन आबंटन ओवर ड्यू नहीं है।

6. दीर्घ कालीन उधार राशियां (राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2014 के अनुसार	31 मार्च 2013 के अनुसार
अन्य से अवधि ऋण		
असुरक्षित ऋण		
ईएपी/जायका परियोजनाओं के लिए रेल मंत्रालय से ऋण (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए रेल मंत्रालय से ऋण जायका 205)	11,414.15	8,102.00
ईएपी/जायका परियोजनाओं के लिए रेल मंत्रालय से ऋण (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए रेल मंत्रालय से ऋण जायका 209)	57,972.53	—
ईएपी/जायका परियोजनाओं के लिए रेल मंत्रालय से ऋण (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए रेल मंत्रालय से ऋण जायका 212)	5006.48	—
ईएपी/आईबीआरडी परियोजनाओं के लिए रेल मंत्रालय से ऋण	25,268.96	13,25.74
योग	99,662.12	9,427.74

6.1 पुनर्भुगतान की भार्ते (ईएपी/जायका ऋण)

जायका से प्राप्त ऋण को वित्त मंत्रालय द्वारा सकल बजटरी सहायता से बाहरी सहायता प्राप्त घटकों के रूप में रेल मंत्रालय को दिया जा रहा है। इस राशि को डीएफसीसीआईएल को उन्हीं शर्तों पर ऋण के रूप में दिया जाएगा। इसलिए रेल मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय को ऋण अवधि पर 7% की दर से लाभांश दिया जाएगा। इसलिए डीएफसीसीआईएल को ऋण राशि पर 7% की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करना होगा। यह ब्याज पहले 10 वर्षों (ऋण स्थगन अवधि) के लिए लगेगा और पहले 10 वर्षों के बाद ग्यारहवें वर्ष से नियमित ब्याज के साथ 10 समान किश्तों में रेल मंत्रालय को देय होगा। तदनुसार कंपनी ने रेल मंत्रालय से प्राप्त ऋण पर 7% की दर साधारण ब्याज का प्रावधान बनाया है।

6.2 पुनर्भुगतान की शर्तें (ईएपी/आइ बी आरडी ऋण)

भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय के माध्यम से पुनर्निर्माण और विकास अंतर्राष्ट्रीय बैंक से 975 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण प्राप्त करने के लिए दिनांक 27.10.2011 को ऋण करार किया है। जिसका उपयोग पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के खुर्जा-कानपुर सेक्शन पर 343 कि.मी. के डबल ट्रैक विद्युतीकरण लाइन के संस्थागत विकास गतिविधियों और डिजाइन, निर्माण और शुरु करने के लिए किया जाएगा।

ऋण करार की शर्तों के अनुसार डीएफसीसीआईएल को परियोजना कार्यान्वयन इकाई के रूप में चिन्हित किया गया है। डीएफसीसीआईएल ने परियोजना कार्यान्वयन के लिए दिनांक 27.10.2011 को बैंक के साथ परियोजना करार किया है। इसके अतिरिक्त डीएफसीसीआईएल द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए रेल मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार को डीएफसीसीआईएल को रेल मंत्रालय और डीएफसीसीआईएल के माध्यम से भारत सरकार के बीच एक सहायक ऋण करार के अंतर्गत उपलब्ध ऋण के कार्य को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

31 मार्च 2014 को बकाया ऋण से संबंध में पिछले वर्ष में चार्ज की गई फ्रंट एंड शुल्क के लिए यूएस डालर में राशि 2437500 है और यह 31 मार्च 2014 को प्रिवेलिंग एक्सचेंज दर जैसी है।

6.3 मूल के पुनर्भुगतान की शर्तें एवं विवरण :

ऋण	पुनर्भुगतान की तिथि	पुनर्भुगतान की भात	पुनर्भुगतान की अवधि
जायका ऋण-205	अक्टूबर-2019 से	अर्धवार्षिक	61 किशतों में
जायका ऋण-209	मार्च- 2020 से	अर्धवार्षिक	61 किशतों में
जायका ऋण-212	जुलाई- 2020 से	अर्धवार्षिक	61 किशतों में
आईबीआरडी ऋण-ईडीएफसी	नवम्बर- 2018 से	अर्धवार्षिक	30 किशतों में

7. अन्य दीर्घावधि देनदारियां

(राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2014 के अनुसार	31 मार्च 2013 के अनुसार
व्यापार देय		
अन्य		
(i) ईएपी/ जायका पर रेल मंत्रालय से प्राप्त ऋण पर न दिया जाने वाला उपार्जित ब्याज	2,807.16	977.50
(ii) विविध जमा (आपूर्तिकर्ता और सेवादाताओं से प्राप्त जमानत राशियां)	755.75	1138.41
(iii) आग्रिम से प्राप्त आय	171.87	
(iv) जमा क विरुध ग्राहकों से अग्रिम की प्राप्ति	5,561.72	25.52
योग	9,296.30	2,141.43

* "सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006" की धारा 22 में दी गई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यमों जिनसे कंपनी ऋण देती है, पर उपलब्ध सूचना के आधार पर कोई देय नहीं है।

8. दीर्घकालीन प्रावधान

(राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2014 के अनुसार	31 मार्च 2013 के अनुसार
(क) कर्मचारियों के हित लाभ के लिए प्रावधान		
ग्रेज्यूटी के लिए प्रावधान	104.75	24.21
छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान	144.50	23.63
छुट्टी यात्रा रियायत	76.53	-
(ख) अन्य प्रावधान	-	-
योग (क) + (ख)	325.78	47.84

8.1 कर्मचारी लाभ:

क) उपदान

31.03.2014 तक, परिणत मूल्यांकन के अनुसार उपदान के दायित्व का प्रावधान रखा गया है।

उपदान का लाभ कर्मचारी को कंपनी से अलग होने पर मिलता है। उपदान का भुगतान उपदान अधिनियम, 1972 के अनुसार उपदान की राशि का आधार सेवा की कुल अवधि और सेवा समाप्ति के समय वेतन के आधार पर होता है। इस लाभ में पांच वर्ष की निहित अवधि होती है।

सेवानिवृत्त लाभ (उपदान) पर वर्तमान कीमत के प्रारंभिक एवं समाप्ति शेषों के मिलान और आरोपित अवधि के दौरान प्रभाव निम्नलिखित हैं—

दायित्व के वर्तमान मूल्य में:

(राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2014 के अनुसार	31 मार्च 2013 के अनुसार
प्रारंभिक शेष	25.94	10.01
ब्याज लागत	2.08	0.80
वर्तमान सेवा लागत	37.31	8.95
दिया गया लाभ	-	-
दायित्व पर परिणत (लाभ)/हानि	44.61	6.18
अंतिम अधिशेष	109.94	25.94

पहचान किए गए खर्च:

(राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2014 के अनुसार	31 मार्च 2013 के अनुसार
ब्याज लागत	2.08	0.80
वर्तमान सेवा लागत	37.31	8.95
दायित्व पर परिणत (लाभ)/हानि	44.61	6.18
पहचान किए गए खर्च और विकास लेख में स्थानान्तरित	84.00	15.93

संतुलन पत्र में पहचाने गए दायित्व में संचलन

(राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2014 के अनुसार	31 मार्च 2013 के अनुसार
प्रारंभिक शुद्ध दायित्व	25.94	10.01
उपर्युक्त खर्च	83.99	15.93
दिया गया लाभ	-	-
योजना संपत्तियों पर वास्तविक वापसी	-	-
अधिग्रहण समायोजन	-	-
समापन शुद्ध दायित्व	109.93	25.94
के अंतर्गत पहचाने गए :	104.75	24.21
दीर्घकालीन प्रावधान	5.18	1.73
अल्पकालीन प्रावधान	-	-
योग	109.93	25.94

परिणत धारणाएं

	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष
मूल्यांकन की प्रणाली	परियोजना यूनिट क्रेडिट प्रणाली	परियोजना यूनिट क्रेडिट प्रणाली
छूट की दर	8.50%	8.00%
वेतन वृद्धि दर	6.00%	3.00%
मृत्यु दर	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (1994-96)

ख) छुट्टी नकदीकरण :

दिनांक 31.03.2014 को बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार वर्ष के लिए छुट्टी नकदीकरण के दायित्व का प्रावधान कर दिया गया है।

जिन कर्मचारियों को छुट्टी मिलती है और वे नकदीकरण के योग्य होते हैं उन्हें निश्चित सीमा एवं अन्य शर्तों के अनुसार भुगतान किया जाता है। दायित्व की वर्तमान राशि जिसमें प्रारंभिक और अंतिम शेष होता है, का मिलान किया जाता है और निम्नानुसार प्रत्येक अवधि के दौरान निश्चित किया जाता है।

दायित्व के मूल्य में प्रस्तुत करने के लिए बदलाव:

(राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2014 के अनुसार	31 मार्च 2013 के अनुसार
प्रारंभिक शेष	26.61	—
ब्याज लागत	2.13	—
चालू सेवा लागत	73.94	26.61
लाभांश का भुगतान	4.93	—
दायित्व पर परिणत (लाभ)/हानि	52.48	—
अंतिम शेष	160.09	26.61

पहचान किए गए खर्चे

(राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2014 के अनुसार	31 मार्च 2013 के अनुसार
ब्याज लागत	2.13	—
चालू सेवा लागत	73.94	26.61
दायित्व पर परिणत (लाभ)/हानि	52.48	—
पहचान किए गए खर्चे और विकास लेखा में स्थानान्तरित किए गए	128.55	26.61

तुलनपत्र में पहचान किए गए दायित्व में संचलन:

(राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2014 के अनुसार	31 मार्च 2013 के अनुसार
शुद्ध प्रारंभिक दायित्व	26.61	—
उपर्युक्तानुसार खर्च	128.55	26.61
लाभ का भुगतान	4.93	—
प्लान परिसंपत्तियों पर वास्तविक वापसी	..	—
अधिग्रहण समायोजन	—	—
शुद्ध अंतिम दायित्व	160.09	26.61

के अंतर्गत पहचाने गए :

दीर्घ कालीन प्रावधान	144.50	23.63
अल्पकालीन प्रावधान	15.59	2.98
योग	160.09	26.61

परिणत धारणाएं

	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष
मूल्यांकन की प्रणाली	परियोजना यूनिट क्रेडिट प्रणाली	परियोजना यूनिट क्रेडिट प्रणाली
डिस्काउंट दर:	8.50%	8.00%
वेतन वृद्धि दर:	6.00%	3.00%
मृत्यु दर:	आईएलएम (2006-08)	आईएलएम (1994-96)

ग. छुट्टी यात्रा रियायत :

बीमाकित मूल्यांकन के अनुसार बनाए गए दिनांक 31.3.2014 को छुट्टी यात्रा नकदीकरण प्रावधान के लिए दायित्व फ

कर्मचारियों के अर्जित छुट्टीयों के नकदीकरण की कुछ सीमाएं और शर्तें दी गई हैं। निम्नानुसार प्रत्येक प्रारंभिक और अंतिम अधिशेष का मिलान दिया गया है।

वर्तमान मूल्य में बदलाव की धारणां

(राशि रु.लाख में)

विवरण	31 मार्च 2014 के अनुसार	31 मार्च 2013 के अनुसार
प्रारंभिक शेष	—	—
ब्याज लागत	—	—
चालू सेवा लागत	79.68	—
लाभ का भुगतान	—	—
दायित्व पर बीमाकृत हानि हुई	—	—
अंतिम शेष	79.68	—

पहचाने गए खर्चे

(राशि रु.लाख में)

विवरण	31 मार्च 2014 के अनुसार	31 मार्च 2013 के अनुसार
ब्याज लागत	—	—
चालू सेवा कर	79.68	—
दायित्व पर बीमाकृत हानि हुई	—	—
पहचाने गए खर्चे और विकास लेखे में स्थानान्तरित किए गए	79.68	—

तुलनपत्र में पहचान किए गए दायित्व में संचलन:

(राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2014 के अनुसार	31 मार्च 2013 के अनुसार
शुद्ध प्रारंभिक दायित्व	—	—
उपर्युक्तानुसार खर्च	79.68	—
लाभ का भुगतान	—	—
प्लान परिसंपत्तियों पर वास्तविक वापसी	—	—
अधिग्रहण समायोजन	—	—
	79.68	—
शुद्ध अंतिम दायित्व		
के अंतर्गत पहचाने गए :		
दीर्घ कालीन प्रावधान	76.53	—
अल्पकालीन प्रावधान	3.14	—
योग	79.68	—

परिणत धारणाएं

	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष
मूल्यांकन की प्रणाली	परियोजना यूनिट क्रेडिट प्रणाली	—
डिस्काउंट दर:	8.50%	—
वेतन वृद्धि दर:	6.00%	—
मृत्यु दर:	आईएएलएम (2006-08)	—

9. अन्य चालू देनदारियां

(राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2014 के अनुसार	31 मार्च 2013 के अनुसार
(i) उपर्जित राशि और निष्पादन सुरक्षा जमा	292.05	320.50
(ii) भूमि के लिए अग्रिम (एस एल ए ओ लेखा को स्थानांतरण के लिए लंबित)	4,175.75	905.41
(iii) जमा कार्य के विरुद्ध ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	6.48	6.48
(iv) रेल मंत्रालय को देय (एस एल ए ओ बैंक खाते पर ब्याज और टीडीएस के लिए)	406.35	672.27
(v) अन्य देय	12,916.20	8,750.53
(vi) विविध जमा (आपूर्तिकर्ता और सेवादाताओं से प्राप्त जमानत राशियां)	744.17	82.21
(vii) आई आर बी डी पर रेल मंत्रालय से ऋण पर उपार्जित ब्याज	16.20	—
(viii) ब्याज उपर्जित लेकिन आईबीआरडी पर रेल मंत्रालय को देय नहीं	58.55	4.63
योग	18,615.75	10,742.03

- 9.1 "सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006" की धारा 22 में दी गई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यमों जिनसे कंपनी ऋणी देती है, पर उपलब्ध सूचना के आधार पर कोई देय नहीं है।
- 9.2 अन्य भुगतान किए गए श्रमिक कल्याण प्रभार रु. 453.70 सम्मिलित है। उक्त को ठेकेदारों से बसूल किया जाना है जैसा कि (वी) नोट में दर्शाया गया है।
- 9.3 अन्य भुगतान किए गए कर्मचारी के प्रतिनियुक्ति पर अनुमानित आधार के संबंध विदेश सेवा अंशदान के प्रावधान के तहत रु. 260.22 लाख सम्मिलित है।

10. अल्पकालीन प्रावधान

विवरण	31 मार्च 2014 के अनुसार	31 मार्च 2013 के अनुसार
(क) कर्मचारियों के हित लाभ के लिए प्रावधान		
उत्पादन के लिए प्रावधान	5.18	1.73
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	15.59	2.98
छुट्टी यात्रा रियायत	3.14	—
(ख) अन्य प्रावधान		
आयकर	65.77	—
योग (क) + (ख)	89.68	4.71

- 10.1 अग्रिम आयकर और टीडीएस की शुद्ध रु.65.77 लाख रु. से रु.1,865.11 लाख(सकल राशि प्रावधान रु.1,930.88 लाख)
- 10.2 आयकर ब्याज और स्थायी जमाओं और सेवा प्रभारों से प्राप्त राशि पर आयकर का प्रावधान रखा जाता है। यद्यपि ठेकेदार को मोबीलाईजेशन अग्रिम पर ब्याज का कोई प्रावधान नहीं रखा जाता है और परामर्शदाता से प्राप्त विचार के आधार पर पूंजी को हानि के रूप में वसूला जाता है। निर्माण स्तर पर एएस 22 के अनुसार आय पर कोई समायोजन नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरण से टिप्पणीयां:
11 स्थाई परिसंपत्तियां

परिसंपत्तियों का ब्लाक	सकल ब्लाक			अवमूल्यन			शुद्ध ब्लाक		
	1 अप्रैल, 2013 तक	अवधि के दौरान वृद्धि	वर्ष के 31 मार्च, 2014 तक लागत	1 अप्रैल, 2013 तक अवमूल्यन	वर्ष के लिए प्रभार	31 मार्च, 2014 तक अवमूल्यन	31 मार्च, 2013 तक अवमूल्यन	वर्ष के दौरान कमी	31 मार्च, 2014 तक अवमूल्यन
	लागत	दौरान वृद्धि	कमी / समायोजन	कमी / समायोजन	कमी / समायोजन	कमी / समायोजन	कमी / समायोजन	कमी / समायोजन	कमी / समायोजन
भूत परिसंपत्तियां									
i) फ्लैट पट्टाधारी	—	160.00	—	160.00	—	5.33	—	5.33	154.67
ii) पट्टाधारी परिसर का सुधार	1,074.44	74.76	21.26	1,127.94	1,027.73	47.77	—	1,075.50	52.44
iii) इंडीपी परिसंपत्तियां	418.77	130.50	15.18	534.09	248.58	83.51	5.99	326.09	208.00
iv) कार्यालय उपकरण	541.86	60.94	68.95	533.85	248.28	45.17	51.62	241.84	292.01
v) फर्नीचर एवं फिक्सचर	279.13	69.93	3.85	345.20	117.19	38.50	0.94	154.75	190.45
योग (क)	2,314.20	496.13	109.24	2,701.08	1,641.78	220.28	58.55	1,803.51	897.57
अभूत परिसंपत्तियां									
(प) कंप्यूटर साफ्टवेयर	120.61	40.84	0.14	161.31	79.51	41.06	—	120.57	40.74
योग (ख)	120.61	40.84	0.14	161.31	79.51	41.06	0.00	120.57	40.74
जोड़ (क) + (ख)	2,434.81	536.97	109.38	2,862.39	1,721.29	261.34	58.55	1,924.08	938.31
विगत वर्ष	2,117.29	335.44	17.91	2,434.81	1,311.24	421.08	11.01	1,721.30	713.51

नोट :

1. कंपनी ने कंपनी पॉलिसी नीति के 2.5 (एफ)के अनुसार कंपनी ने विभिन्न प्रकार की पट्टाधारा परिसंपत्तियों के अवमूल्यन, विभिन्न पट्टा अधि के लिए विभिन्न लोकेशनों पर पट्टाधारा परिसर लिए हैं ।
2. स्थायी परिसंपत्तियों की प्रकृति और राशि को ध्यान में रखते हुए निर्माण चरण के दौरान, परिसंपत्तियों का मौखिक सत्यापन 03 वर्ष (2014-15)में एक बार किया गया है ।
3. कंपनी के पक्ष में फ्लैट राशि रु.160.00 लाख रु. के संबंध में लीज करार को अभी निष्पादित किया जाना है ।
4. मोबाइल प्रभार के लेखा पॉलिसी (संदर्भ नोट 26)कुल ब्लॉक और कंपनी उपकरणों का संवर्धी अवमूल्यन को क्रमशः रु.62.95 लाख और रु.45.68 लाख को कम किया गया है ।

(राशि लाख रु. में)

(iii) पूंजीगत कार्य जो प्रगति पर है

विवरण	1 अप्रैल, 2013 के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान पूंजीगत राशि	वर्ष के दौरान जोड़ी/हटाई गई राशि	31 मार्च, 2014 के अनुसार
i) मिट्टी कार्य	17,507.16	4,402.30	-	-	21,909.47
ii) पुल जो निर्माणधीन है	33,752.74	19,587.78	-	-	53,340.52
iii) अन्य परियोजना व्यय	-	3,190.88	-	-	3,190.88
iv) फोरमेशन	28,833.46	7,064.30	-	-	35,897.75
v) डप शीर्ष विद्युत उपस्कर	73.68	110.19	-	-	183.88
vi) निर्माण अवधि के दौरान आकस्मिक खर्च (विकास खाता लंबित पूंजीकरण) (नोट नं. 17)	8.22	-	-	-	8.22
vii) ठेकेदार को जारी सामग्री	-	7,568.53	-	-	7,568.53
viii) निर्माण अवधि के दौरान खर्चे नोट 19 (लंबित लेखा विकास पूंजीकरण)	18,263.23	12,194.13	-	(3,575.28)	34,032.65
कुल	98,438.49	54,118.11		3,575.28	156,131.90

(iv) हस्तगत पूंजी भंडारण

विवरण	1 अप्रैल, 2013 के अनुसार	(राशि लाख रु. में) वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान विलोपन/ समायोजन	31 मार्च, 2014 के अनुसार
रेल सप्लाइ	1,572.72	5,995.81	7,568.53	
कुल	1,572.72	5,995.81	7,568.53	

(v) विकास के अंतर्गत परिसंपत्तियां

विवरण	1 अप्रैल, 2013 के अनुसार	(राशि लाख रु. में) वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान केपिटलाइजेशन	वर्ष के दौरान विलोपन/समायोजन	31 मार्च, 2014 के अनुसार
मूर्त					
i. इंस्टॉल की जाने वाली वातानुकूलित प्रणाली की प्रगति	8.42	5.81	14.23	-	-
ii. लीज होल्ड सुधारों की प्रगति	98.84	150.71	-	-	249.55
अमूर्त					
iii. आईटी सॉफ्टवेयर की प्रगति	161.66	352.19	-	-	513.85
कुल	268.92	508.71	14.23		763.40

12 दीर्घवधि ऋण एवं अग्रिम

(राशि लाख रु में)

विवरण	31 मार्च, 2014 के अनुसार	31 मार्च, 2013 के अनुसार
(क) पूंजी अग्रिम		
(क) प्रतिभूत समझा गया माल		
(i) संचलन अग्रिम (डीएफसीसीआईएल के पक्ष में यंत्र और संयंत्र के गिरवी रखने के विरुद्ध)	4,180.52	4,830.81
(ख) अप्रतिभूत समझा गया माल		
(i) रेलवे को अग्रिम	919.17	919.17
(ii) बिजली सब स्टेशन के लिए अग्रिम	15579.12	10907.57
(iii) उपयोगिताओं के स्थानान्तरण के लिए अग्रिम	135159.82	85890.27
(iv) अधिकारियों के फ्लैट के और अतिथि ग्रह के निर्माण के लिए अग्रिम	1241.50	1401.50
(v) संचालन अग्रिम	102007.14	26779.10
कुल (क)	259087.27	130728.42
(ख) जमानत राशि		
(अ) असुरक्षित तुलनात्मक		
(i) जमानत राशि-विद्युत	240.95	20.95
(ii) जमानत राशि-लीज किया	63.31	52.11
(iii) टेलीफोन एवं अन्य के विरुद्ध जमानत राशि	1.30	0.42
(iv) पेड़ों को काटने के विरुद्ध जमानत	36.02	36.02
कुल (ख)	341.58	109.50
(ग) अन्य		
आयकर और टीडीएस अग्रिम (प्रावधान का नोट)		
कुल (ग)	413.82	416.50
कुल (क+ख+ग)	259,842.67	131,254.42

- बोर्ड के विचारानुसार ऋणों और अग्रिमों का मूल्य यदि व्यापार के सामान्य रूप में होता है तो वह लेखे में वर्णित मूल्य से कम नहीं होगा।

12.1 जमानत राशि :

कंपनी ने ठेकेदारों और उप किराएदारों से सावधि जमा रसीदों के रूप में 151658.11 लाख रु (गत वर्ष 97717.01 लाख रु.) की जमानत जमा राशि प्राप्त की है। तदनुसार से इसे परिसंपत्तियों और देयताओं के रूप में नहीं दर्शाया गया है।

विवरण	31 मार्च 2014 के अनुसार	31 मार्च 2013 के अनुसार
(क) नकद एवं नकद समकक्ष		
बैंक शेष		
- चालू खाते	-4,681.35	-9,851.38
- हस्तगत चेक	4.10	-
- फ्लैक्सी एवं सावधि जमा खाते	88,409.95	63,664.00
(ख) अन्य बैंक शेष		
- सुरक्षा के रूप में गिरवी स्थायी जमा खाते	329.41	379.72
योग (क) + (ख)	84,062.11	54,192.34

* चालू खाते में नकारात्मक शेष बैंक के साथ जो चेक जारी किए गए हैं वह फलैक्सी जमा के विरुद्ध लंबित चेक के क्लीयरेंस के हैं।

13.1 पट्टे के विरुद्ध जमानत राशि के रूप में ग्रहणाधिकार तहत सावधि जमा रु. 4170.13 (पिछले वर्ष 850.00 लाख) डीएमआरसी को दिया और मध्य रेलवे मुम्बई को रु. 5.62 लाख (पिछले वर्ष 5.53 लाख दिए गए। विकास खाते में सावधि जमाओं में ब्याज के रूप में जिसमें उपार्जित राशि पर ब्याज रु. 37.35 लाख (पिछले वर्ष 34.52 लाख) शामिल है।

14 अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम

(राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2014 के अनुसार	31 मार्च 2013 के अनुसार
(क) अन्य ऋण एवं अग्रिम		
(i) कर्मचारी अग्रिम	19.07	14.14
(ii) पूर्व भुगतान किए गए खर्च	5.44	34.50
(iii) सेवा पर इनपुट क्रेडिट	94.73	1.06
(iv) जमानत राशि एनडीएससी	10.33	10.87
(v) अन्य	555.95	79.61
कुल	685.52	140.18

14.1 निदेशको को दिनांक 31.3.2014 को अग्रिम की देनदारी नहीं है (विगत वर्ष की भी कोई नहीं)

15. अन्य चालू परिसम्पत्तियां

विवरण	31 मार्च 2014 के अनुसार	31 मार्च 2013 के अनुसार
क) स्थायी जमा और अग्रिमों पर वसूलने योग्य ब्याज		
i) बैंकों के खातों में जमा	727.89	167.91
ii) अग्रिम	123.05	470.70
ख) भूमि अधिग्रहण पर खर्च-रेल मंत्रालय से वसूलने योग्य	2,653.40	3,858.42
ग) पेट्स सर्वे पर खर्च-रेल मंत्रालय से वसूलने योग्य	526.76	1,194.74
घ) कर्मचारी से वसूलने योग्य	16.92	2.17
च) अन्य वसूलने योग्य	356.93	863.23
(उप पट्टे के लेखों पर वसूलने योग्य किराया और सुविधा प्रबंधन प्रभार आदि को प्रदर्शित करता है)		
कुल	4,404.95	6,557.17

15.1 भूमि अधिग्रहण पर खर्च :

- (क) रेल मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार कंपनी परियोजना के लिए रेल अधिनियम 1989 रेलवे (संशोधित) अधिनियम 2008 के अंतर्गत रेल मंत्रालय की ओर से रेल मंत्रालय द्वारा नामित सक्षम प्राधिकारी के साथ भूमि अधिगृहीत कर रही है। कंपनी की भूमि के मूल्य का 6 प्रतिशत की दर से कंपनी को पट्टा दिया जाएगा। पट्टा किराया चालू होने की तिथि से शुरू किया जाएगा। भूमि के अधिग्रहण के लिए रेल मंत्रालय अलग बैंक खाते खोल दिए गए हैं जिसे संयुक्त रूप से राज्य भूमि अधिग्रहण अधिकारी तथा कंपनी द्वारा नामित सक्षम अधिकारी द्वारा संचालित किया जाता है। ये बैंक खाते कंपनी का हिस्सा नहीं है।
- (ख) इसके साथ भूमि अधिग्रहण के लिए क्षतिपूर्ति भुगतान रेल मंत्रालय द्वारा दी गई राशि से किया जाता है। (क) कंपनी ने भूमि अधिग्रहण के प्रशासनिक खर्च और सुविधाओं को सम्मिलित करते हुए रेल मंत्रालय द्वारा वास्तविक आधार पर प्रतिपूर्ति की जाती है।

16 अन्य आय

(राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2014 के अनुसार	31 मार्च 2013 के अनुसार
(क) ब्याज आय		
एफ डी आर पर ब्याज	5,600.78	1,865.03
कुल (क)	5,600.78	1,865.03
(ख) अन्य गैर परिचालन आय		
विविध आय	10.72	1.35
जमानत राशियां एवं अर्जित राशि जमा जब्त बैंक गारंटी से प्राप्त नकदी	5.91	15.69
उप पट्टे पर किराये की वसूली (नीचे नोट सं. 16.1 देखें)	462.70	454.91
हाउसकीपिंग	22.28	25.27
कार्यालय सुरक्षा खर्च	40.20	41.93
कार्यालय विद्युत खर्च	79.05	40.60
कार्यालय मरम्मत एवं अनुरक्षण	0.05	0.04
मरम्मत एवं अनुरक्षण – वातानुकूलन	4.41	-
वार्षिक अनुरक्षण प्रभार	8.28	16.31
मरम्मत एवं अनुरक्षण	150.00	224.00
प्राप्त किया गया कंपोजिट किराया एवं सुविधा प्रबंधन प्रभार		
कुल (ख)	783.60	820.10
(ग) घटाएं : प्रत्यक्ष खर्च		
हाउसकीपिंग खर्च	19.82	22.47
किराया	462.70	454.91
कंपोजिट किराया एवं सुविधा प्रबंधन खर्च	91.94	127.16
कार्यालय सुरक्षा खर्च	35.77	37.29
कार्यालय विद्युत खर्च	70.33	36.11
कार्यालय मरम्मत एवं अनुरक्षण	0.04	0.03
मरम्मत एवं अनुरक्षण – वातानुकूलन	3.92	-
वार्षिक अनुरक्षण प्रभार	7.37	14.50
कुल (ग)	691.89	692.47
(घ) शुद्ध अन्य गैर परिचालन आय (ख)-(ग)	91.71	127.63
शुद्ध अन्य आय (क)-(ख)	5,692.49	1,992.66

(राशि लाख रु. में)

16.1 उप पट्टा :

2013-14 की अवधि के लिए लाभ एवं हानि खाते में दर्शाए गए उप पट्टा वसूलने योग्य राशि 462.70/- रु. है (गत वर्ष 454.91/- रु.) डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।

17. कर्मचारियों के लाभ के लिए खर्च

(राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी और भत्ते	5,481.27	3,740.86
छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	2.78	0.80
उपदान, पीएफ और पेंशन एवं योजना में अंशदान (प्रशासनिक फीस हेतु)	229.06	76.93
कर्मचारी कल्याण	396.07	319.19
कुल योग	6,109.18	4,137.78
कमी : विकास लेखे में स्थानान्तरित (नोट 19)	6,109.18	4,137.78
भोश : लाभ-हानि खाते में स्थानान्तरित		

17.1 एस-15 की शर्त पर प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

परिभाषित की गई अंशदान योजना

पहचाने गए विकास खर्चे अंशदान योजना में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

कर्मचारी का भविष्यनिधि अंशदान	132.20	55.54
-------------------------------	--------	-------

17 (क) वित्तीय लागत

(राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए
<u>खर्च पर ब्याज</u>		
ई ए पी / जायका ऋण पर ब्याज	1,829.65	567.15
आई बी आर डी ऋण पर ब्याज	132.10	16.48
<u>अन्य उधार लागत</u>		
ब्याज लागत में समायोजन से संबंधित विभिन्न बदलाव	836.59	62.31
कुल	2,798.34	645.94
कमी : विकास लेखे में स्थानान्तरित (नोट 19)	2,798.34	645.94
भोश : लाभ-हानि खाते में स्थानान्तरित		

17(ख) मूल्यहास और परिशोधन खर्च

मूल्यहास-ई डी पी परिसंपत्तियां	124.57	81.45
मूल्यहास-कार्यालय उपकरण	45.17	59.03
मूल्यहास-फर्नीचर एंड फिक्सचर	38.50	35.62
मूल्यहास-पट्टाधारी सुधार	47.77	244.98
मूल्यहास-पट्टाधारी फ्लेट	5.33	--
कुल	261.34	421.08
कमी : विकास लेखे में स्थानान्तरित (नोट 19)	261.34	421.08
शेष : लाभ-हानि खाते में स्थानान्तरित		

17 (ग). अन्य खर्च

(राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए
विज्ञापन खर्च	233.35	243.84
संचार व्यय	58.26	58.95
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	140.97	146.16
विविध खर्च	116.18	84.22
पुस्तकें और पत्रिकाएं	48.93	30.46
कानूनी और व्यावसायिक व्यय	82.50	115.51
डायरेक्टर सीटिंग फीस	6.14	5.90
परामर्शदाताओं को परामर्श फीस	184.79	221.54
नियुक्त परामर्श प्रभार	291.25	255.70
भर्ती प्रभार	92.65	151.73
बिजली खर्च	33.05	70.32
पावर एवं इंधन	3.86	4.67
रखरखाव खर्च	180.52	169.47
लेखा परीक्षा शुल्क	7.56	4.49
सांविधिक लेखा परीक्षण शुल्क	46.57	13.72
कर लेखा परीक्षण शुल्क	76.61	120.54
बैठक और सम्मलेन	1,058.10	987.25
दर एवं कर	1,410.25	1,132.43
किराया	464.46	402.08
दौरे, यात्राएं और सवारी भत्ता	66.76	84.12
संगोष्ठी एवं प्रशिक्षण खर्च	22.45	11.86
मरम्मत और अनुरक्षण-अन्य	18.49	14.44
वार्षिक अंशदान शुल्क-सूचना तकनीक परामर्श एवं साफ्टवेयर	15.22	15.64
कार्यालय खर्च	48.46	45.07
मेहमाननवाजी खर्च	0.49	1.68
कार्यालय सुरक्षा व्यय	0.64	2.25
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	35.74	13.15
सेवा कर / टीडीएस पर ब्याज		
विदेशी मुद्रा खर्च		
योग	4,744.25	4,407.19
कमी : विकास लेखे में स्थानान्तरित (नोट 19)	4,744.25	4,407.19
भोश : लाभ-हानि खाते में स्थानान्तरित	-	-
*सांविधिक लेखा परीक्षकों का भुगतान		
लेखा परीक्षक के रूप में		
लेखा परीक्षा शुल्क	4.49	4.49
लेखा परीक्षा कर शुल्क	2.25	--
प्रतिपूर्ति खर्च	0.82	--
	7.56	4.49

इसमें विगत वर्ष के लिए लेखा परीक्षा कर शुल्क रु. 1.12 लाख शामिल है।

• पट्टा किराया :

कंपनी ने अपने कार्पोरेट कार्यालय के लिए परिसर दिनांक 15 फरवरी, 2008 से प्रभावी परिचालनिक पट्टे पर लिया है। पट्टे की वर्तमान शर्तों के दौरान पट्टे को रद्द नहीं किया जा सकता है। कंपनी ने परिसर का कुछ भाग उप-पट्टे पर दिया है जिसे पट्टे की वर्तमान शर्तों के अनुसार रद्द नहीं किया जा सकता।

अप्रैल 2013 से मार्च 2014 की अवधि के लिए विकास लेखे के विवरण में दर्शाया गया पट्टे का भुगतान 1,555.74/- रु. है (गत वर्ष 1,516.34/- रु.)

18. अवधि पूर्ण समायोजन
(राशि लाख रु. में)

क्र. स.	विवरण	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए
1	परामर्श शुल्क	(15.92)	
2	बैठक खर्च	0.78	
3	विद्युत खर्च	25.20	
4	गाड़ियों का किराया	1.61	
5	अवधि पूर्व विविध समायोजन		(0.57)
6	परामर्श सेवा खर्च	19.68	
7	भर्ती खर्च	9.14	
8	टीए/डीए खर्च	1.32	
9	वार्षिक अंशदान खर्च	0.91	
10	सेमिनार एवं प्रशिक्षण खर्च	18.43	
11	व्यावसायिक प्रभार	(68.64)	
12	वेतन, मजदूरी और भत्ते	(9.90)	
13	मूल्य हास	--	0.62
14	लीज किराया	--	0.60
	योग	(17.39)	0.65
	कमी : विकास लेखे में स्थानान्तरित (नोट 19)	(17.39)	0.65
	शेष : लाभ-हानि खाते में स्थानान्तरित		

19. विकास लेखा (लंबित पूजीकरण)
(राशि लाख रु. में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2014 के अनुसार	31 मार्च 2013 के अनुसार
कर्मचारी कल्याण खर्च	17	6,109.18	4,137.78
वित्तीय लागत	17 क	2,798.34	645.94
हास एवं परिशोधन खर्च	17 ख	261.34	421.08
अन्य खर्च	17 ग	4,744.25	4,407.19
समायोजन पूर्व अवधि	18	(17.39)	0.65
कुल (क)		13,895.72	9,612.64
घटाएं :			
निर्णीत हर्जाना (एल डी ए)		145.27	1,615.94
संचलन अग्रिम पर ब्याज		17,31.37	1,799.08
विदेशी मुद्रा बढ़/घट		(269.95)	(16.49)
निविदा की बिक्री		30.36	28.26
कुल (ख)		1,637.05	3,426.79
शुद्ध खर्च (क-ख)		12,259	6,185.85
लाभ एवं हानि खाते से हस्तांतरित लाभ		64.54	1,349.54
कार्यगत पूंजी में हस्तांतरित कुल (सी डब्ल्यू आई पी)		12,194.13	4,836.31

20 क) आकस्मिक देनदारियां

विवरण	31.03.2014 को	31.03.2013 को
कंपनी द्वारा पूंजीगत कार्यों के संबंध में दावों को स्वीकार नहीं किया गया	33,744.06	29296.31
विवादित आयकर की मांग	27.82	11.90
योग	33,771.88	29,308.21

- (ख) उपर्युक्त आकस्मिक देनदारियों में सेवा मामलों एवं अन्य मामलों की आकस्मिक देनदारियां सम्मिलित नहीं हैं जहां राशि की मात्रा को निर्धारित नहीं किया जा सकता है ।
- (ग) यह किसी भी प्रभाव से सम्बन्धित अनिश्चितताओं को प्रकट करने के लिए साध्य नहीं है ।
- (घ) भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित विभिन्न रूपों में न्यायिक निर्णय के लिए काफी मामलों लंबित चल रहे हैं । चूंकि भूमि अधिग्रहण को कंपनी द्वारा रेल मंत्रालय के लिए सुविधाप्रदाता के रूप में किया जाता है । कंपनी न्यायिक निर्णय प्राधिकारियों की उपर्युक्त निर्णय के अधीन है ।

21. पूंजी वचनबद्धता

पूंजी खाते पर पूरे किए जाने वाले ठेकों की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया 10,471,56.99 लाख रु. (गत वर्ष 4,42,320.94 लाख रु.)

22. शेष राशि के अंतर्गत ठेकोदारों को जारी सामग्री, वसूली योग्य दावे, पूंजीगत खर्चों के लिए अग्रिम, ठेकेदारों को अग्रिम, रेल मंत्रालय से वसूली/देनदारी, ठेकेदारों से विविध लेनदेन और जमा/बयाना राशि और संबंधित परिणामी समायोजन के अधीन होते हैं ।
23. हमारे विचार में प्रबंधन ने व्यापार के सामान्य रूप में वसूली में मौजूदा परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिम के मूल्य जो संतुलन पत्र में दिए गए हैं जिस पर मूल्य कम नहीं होगा ।
24. इस अवधि में विदेशी विनिमय का उतार चढ़ाव निम्न प्रकार है +

		31 मार्च 2014 को समाप्त	31 मार्च 2013 को समाप्त
(i)	विकास खाते में प्रभारित की गई राशि (उधार लागत के रूप में)	836.59	62.31
(ii)	विकास खाते में प्रभारित की गई राशि (एफईआरवी के रूप में)	269.95	16.50

25. वर्ष के दौरान पूंजीगत उधार की लागत की राशि रु. 2,798.34 लाख (विगत वर्ष रु.645.94 लाख)को विकास खाते में स्थानान्तरित किया जाता है ।
26. 2013-14 के वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण खाता पॉलिसीयो को परिवर्तित/संशोधित/शुरू किया गया:

महत्वपूर्ण खाता पॉलिसी	विवरण	खातों पर प्रभाव
पॉलिसी सं. 2.1 और 2.2	पॉलिसी को बेहतर प्रकटीकरण के लिए परिवर्तित किया गया ।	कोई प्रभाव नहीं
पॉलिसी सं. 2.4	स्थायी परिसंपत्तियों और मूल्यह्रास पर पहले पॉलिसी को अलग कर दिया गया है । आगे स्थायी परिसंपत्ति पर पॉलिसी को परिवर्तित किया गया है और पूंजीगत कार्यों पर पॉलिसी का कार्य प्रगति पर है और पूंजीगत भंडार को ढांचागत बनाया गया है ।	स्थायी परिसंपत्ति पर पॉलिसी के परिवर्तन से कोई प्रभाव नहीं है । जहां तक पूंजीगत कार्य और पूंजीगत भंडार का प्रगति पर होने का प्रश्न है, प्रक्रिया को पॉलिसी में अनुवादित किया गया है इस प्रकार खातों पर कोई प्रभाव नहीं है ।
पॉलिसी सं. 2.5	मोबाइल उपकरण के मूल्यह्रास को संशोधित कर मोबाइल उपकरण राजस्व में चार्ज ऑफ किया गया है । परिसंपत्ति पर रु.5000/- की मूल्य और उसके कम मूल्य की परिसंपत्तियों को ढांचागत बनाया है । अमूर्त परिसंपत्तियों और पट्टा शुदा परिसंपत्तियों/पट्टाधारी परिसर के सुधारों में परिवर्तन किया गया है ।	पॉलिसी को मोबाइल उपकरण चार्जऑफ में परिवर्तित करने के परिणामस्वरूप चालू वर्ष के विकास खर्च में रु.21.50 लाख की बढ़ोत्तरी हुई है और कुल ब्लॉक और संचयी मूल्य ह्रास कप्रशः रु.62.95 लाख और 45.68 कम हुआ है । अन्य पॉलिसी के कारण कोई आगे

	नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के खर्च के मूल्यहास और को बेहतर प्रकटीकरण के लिए परिसंपत्ति की लागत को ढांचागत बनाया जाता है ।	प्रभाव नहीं है ।
पॉलिसी सं.2.7,2.8,2.9,2.10, और 2.11	पॉलिसी को बेहतर प्रकटीकरण के लिए परिवर्तित/संशोधित किया गया है ।	कोई प्रभाव नहीं
पॉलिसी सं. 2.12	पूर्व भुगतान किए जाने वाले खर्चों, ट्रांजिट/सीडब्ल्यूआईपी माल के लिए दायित्व के लिए पॉलिसी को अभी स्वीकार किया जाना है, मूल्य भिन्नता दावों और बीमा दावा को शुरू किया गया है ।	कोई प्रभाव नहीं

27. कंपनी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर परियोजना के पूर्वी और पश्चिम सेक्शन से संबंधित कार्य के लिए निर्माणाधीन स्तर पर है । परिचालन अभी शुरू नहीं हुआ है और वर्ष के दौरान कोई परिचालन आय नहीं हुई है । इसलिए लाभ एवं हानि खाता केवल गैर परिचालनिक आय जैसा बैंक जमा और सेवा प्रभारों पर ब्याज और उप पट्टे पर उपलब्ध सुविधा प्रबंधन सेवाओं पर सेवा प्रभाव आय के लिए तैयार किया जा रहा है ।
28. उपर्युक्त को खाता मानक-17 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कंपनी अधिनियम 1956 के सेक्शन 211(3सी) में अधिसूचित पार्टी प्रकटीकरण से संबंधित अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है ।

क. मुख्य प्रबंधन अधिकारी

पूर्णकालिक निदेशक

श्री आर के गुप्ता	प्रबंध निदेशक
श्री एच डी गुजराती	निदेशक/परिचालन एवं व्यवसाय विकास
श्री अंशुमान शर्मा	निदेशक/पीपी
श्री एम के मित्तल	निदेशक/वित्त दिनांक 16.09.2013 से
श्री ए के दत्ता	निदेशक/अवसंरचना 28.02.2014 तक

(ख) संबंधित पक्षकारों के साथ किए गए लेने का विवरण निम्नलिखित है:

मुख्य प्रबंधन अधिकारियों को रु. 120.49 लाख का पारिश्रमिक का भुगतान किया गया (विगत वर्ष रु. 122.26 लाख) था और दिनांक 31.03.2014 को कंपनी की देनदारी कोई नहीं है । (विगत वर्ष में भी कोई नहीं थी)

29. प्रतिशेयर आय:

प्रतिशेयर आय की गणना (बुनियादी एंड डायलूटेड) निम्नानुसार है ।

	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष
अंश के रूप में प्रयोग के बाद शुद्ध आय (लाख रुपये में)	3,697.07	—
विभाजक के रूप में इक्विटी शेयरों के भारक की संख्या		—
बुनियादी	2,65,07,665	
डायलूटेड	2,65,35,279	
प्रति शेयर आय बुनियादी	13.95	—
प्रतिशेयर आय डायलूटेड	13.93	
प्रति शेयर अंकित मूल्य (रुपयों में)	1,000	—

30. विदेशी मुद्रा में आय/खर्च

विवरण	31 मार्च 2014 को वर्ष	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष
ब्याज	132.10	16.48
दौरे और यात्रा खर्च	35.34	6.57
अन्य	211.67	55.88

31. सूक्ष्म, छोटे और माध्यम उपक्रम विकास अधिनियम 2006 के सेक्शन 22 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण निम्नलिखित है ।

क्रमसं.	विवरण	31 मार्च 2014 को समाप्त	31 मार्च 2013 को समाप्त
(क)	सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उपक्रम को शेष मूल अभुगतान राशि	कोई नहीं	कोई नहीं
(ख)	उपर्युक्त (क) के ऊपर मूल राशि पर प्राप्त ब्याज	कोई नहीं	कोई नहीं

(ग)	वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान की गई ब्याज की राशि ,15 दिन से ऊपर अवधि के लिए मूल राशि के भुगतान पर की गई ब्याज राशि अथवा डिलीवरी तारीख/सेवाओं को देने की तिथि से तय की गई राशि इसमें सम्मिलित है	कोई नहीं	कोई नहीं
(घ)	वित्तीय वर्ष के दौरान मूल पर देय ब्याज लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया है	कोई नहीं	कोई नहीं
(ङ)	आगे देय ब्याज की राशि और उत्तरवर्ती अवधि जब तक की उपर्युक्त पर वास्तविक छूट के रूप से व्याज का भुगतान नहीं हो जाता है, ।	कोई नहीं	कोई नहीं

32. अधिसूचना संख्या 25/2012-रेलवे कार्यों का स्थापित करना अथवा चालू करना, निर्माण करना के लिए सेवाकर छूट प्रदान की गई है । यद्यपि कंपनी ने सेवा कर के रूप में 2 के संबंध में रु.213.04 लाख की राशि को ठेकेदारों को वसूली प्रभार मेकेन्जिम पर जमा करा दी है । इसमें जमा की गई राशि में से रु.94.73 लाख रुपये को सेवाकर अग्रिम के रूप में मानाया गया है और शेष राशि रु.118.31 को कंपनी विभाग से वापसी के लिए कदम उठा रही है ।
33. वित्तीय विवरणों के आंकड़ा लगभग रु.लाख है । गत वर्ष के आकंडो /प्रारंभिक शेष को पुनःसमूहीकृत/व्यवस्थापित/रि-कॉस्ट जो भी आवश्यक थे, किया गया है ।

इस विवरण का उल्लेख हमारी उक्त रिपोर्ट में किया गया है।

कृते बावेजा एंड कॉल
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजिस्ट्रेशन नं.05834एन
ह/-

सीए संवित के गुरतो
पार्टनर
सदस्यता सं. 090758

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20.06.2014

निदेशक मंडल की ओर से

ह/-
(आर. के. गुप्ता)
प्रबंध निदेशक

ह/-
(एम के मित्तल)
निदेशक/वित्त

ह/-
(मीनू कपूर)
कंपनी सचिव

बावेजा एवं कॉल चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को प्रस्तुत:

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 31 मार्च, 2014 के संतुलन पत्र तथा उसके साथ संबद्ध उसी तिथि को समाप्त कॉर्पोरेशन के विकास व्यय लेखे का लेखा और लेखा नीतियों और व्याख्यात्मक सूचना सारांश का परीक्षण कर लिया है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी प्रबंधन की है वह कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 133 की उपधारा (3सी) में संदर्भित लेखा मानकों के अनुसार कंपनी के कैश फ्लो और वित्तीय निष्पादन, वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए सत्य और स्वच्छ स्वच्छ जानकारी दें। जिम्मेदारी में डिजायन, वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण और संबंधित आंतरिक कंट्रोल को तैयार कर अनुरक्षण करने और उसका कार्यान्वयन सम्मिलित है ताकि वह सत्य और स्वच्छ और निष्पक्ष विचार दें सके और धोखाधड़ी या गलती के लिए गलत बयान से मुक्त हो सकें।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा परीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट आफ इंडिया द्वारा जारी स्वीकृत लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार किया है। उन मानकों में अपेक्षाकृत है कि हम यह तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि वित्तीय विवरण गलत सामग्री से मुक्त हों। वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटीकरण के समर्थन में उल्लिखित प्रमाण की एक परीक्षण के तौर पर जांच करना लेखा परीक्षा में शामिल होना है। क्या धोखाधड़ी या गलती के कारण वित्तीय विवरणों के गलत जोखिम का आंकलन जिसमें लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित चुनिन्दा प्रक्रियायें शामिल होती है, इन जोखिम आंकलनों को बनाते समय, लेखा परीक्षक द्वारा उचित परिस्थितियों में लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं के क्रम में वित्तीय विवरणों की स्वच्छ और कंपनी के संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर विचार किया जाता है। प्रस्तुत किए गए लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आंकलनों का मूल्यांकन तथा समग्र वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। एक लेखा परीक्षा भी इस्तेमाल लेखांकन नीतियों के औचित्य और लेखा की तर्कसंगतता का मूल्यांकन भी प्रबंधन के साथ शामिल होता है। वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी किया जाता है।

हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा में हमारी राय के लिए तर्कसंगत आधार उपलब्ध है।

योग्य विचार के आधार पर

1. हम धोखाधड़ी और सतर्कता मामलों में अपने लेखा परीक्षण में साक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं, यदि कोई है, क्योंकि इस संबंध में वर्तमान सूचना को प्रबंधन द्वारा अस्वीकार किया गया है। इसी तरह हम वित्तीय प्रबंधन पर इसके प्रभावों को सुनिश्चित करने में भी असमर्थ हैं यदि कोई है।
2. सेवा की अधिसूचना संख्या 25/2012 के अनुसार मेट्रो, मोनो रेलवे सहित रेलवे अथवा एयरपोर्ट, पोर्ट से संबंधित मूल कार्यों की स्थापना अथवा चालू करने अथवा निर्माण, की रूप में सेवाओं के लिए छूट प्रदान की गई है। उपर्युक्त अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने सेवाकर से छूट है, यद्यपि कंपनी ने सेवाकर की वसूली प्रभार के अंतर्गत रु. 2.13 करोड़ का भुगतान किया है।

3. भूमि बैंक खातों (एसएलएओ) पर प्राप्त ब्याज पर बैंको ने स्रोत पर (टीडीएस)कर की कटौती है । ये खाते कंपनी के हिस्से नहीं है यद्यपि कंपनी ने गलती से इन खातों में टीडीएस को पहचाना है जैसा कि चालू परिसंपत्ति और रेल मंत्रालय को समीक्षाधीन देनकारी के रूप में देखा जा सकता है । तदनुसार चालू परिसंपत्तियों और चालू देनदारियां रु. 3.87 करोड़ से अतिरंजित हैं ।

योग्य विचार

हमारे विचार और हमे दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार योग्य विचार पैराग्राफ के आधार पर वर्णित मामलों के प्रभाव को छोड़कर, वित्तीय विवरणों में दी गई सूचना सत्य और स्वच्छ है तथा तर्कसंगत हैं तथा सामान्यतया भारत में मूल खातों के साथ स्वीकार की जाती है ।

- (क) दिनांक 31 मार्च 2014 को तुलन पत्र कंपनी के मामलों की स्थिति के मामलों,
- (ख) लाभ और हानि का विवरण, वर्ष के अंत के लिए लाभ/हानि के मामलों में और
- (ग) केश फलों विवरण, वर्ष के अंतर में केश फलों तक दिनांक पर ।

प्रमुख मामले :

निम्नानुसार ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

1. टिप्पणी संख्या 13.1 के संबंध में ठेकेदारों को जारी सामग्री, वसूली योग्य दावे, पूंजीगत खर्च के लिए अग्रिम, ठेकेदारों को अग्रिम, रेल मंत्रालय को/से वसूलीयोग्य/देय, सन्ड्री क्रेडिटर्स और ठेकोदारों से जमाओं/धरोहर राशि सुलह/पुष्टि और संबंधित परिणामी समायोजन को दर्शाया गया है, की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं ।
2. कंपनी ने रेल मंत्रालय से ईएपी और इक्विटी को जारी करने के लिए कंपोजिट फंड प्राप्त किया है । कंपनी ने इक्विटी कंपोनेंट और ईएपी कंपोनेंट पर प्राप्ति की तारीख से इसे विभाजित नहीं किया है और प्राप्त फंड को इक्विटी कंपोनेंट से शेयर के लिए स्थानान्तरित नहीं किया है । प्राप्ति की तारीख पर आवेदन धनराशि आबंटन लंबित है । ईएपी कंपोनेंट को ऋण कंपोनेंट में परिवर्तित किया जाता है जहां ठेकेदारों को आगे के भुगतान करने के लिए एड,एकाउंटस और आडिट(सीएएए)नियंत्रक को भुगतान किया जाता है । वर्ष के अंत में अवशिष्ट पड़े शेष को रेल मंत्रालय से ईएपी और इक्विटी के लिए प्राप्त राशि को लंबित शेयर आवेदन राशि खाते में स्थानान्तरित करती है ।
3. कंपनी ने तुलन पत्र में रु. 6.09 करोड़ के देनदारी सेवानिवृत्ति लाभो के लिए उपलब्ध कराई है । कंपनी में दो प्रकार के कर्मचारी है जैसा कंपनी के अपनी कर्मख्वारी और सार्वजनिक उपक्रमों/सरकारी विभागों/रेल मंत्रालय से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारी गण शामिल हैं । कंपनी अपने कर्मचारियों को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर सेवानिवृत्ति लाभों को प्रदान करती है । प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभों को अनुमान के आधार पर प्रदान करती है ।
4. कंपनी भूमि अधिग्रहण के लिए रेल मंत्रालय से अलग से फंड प्राप्त करती है यद्यपि कंपनी रेल मंत्रालय से भूमि अधिग्रहण के लिए इक्विटी और ईएपी से जारी करने पर प्राप्त राशि का भी उपयोग करती है । इससे रेल मंत्रालय की नीति से विचलन का परिणाम होता है और भूमि अधिग्रहण के लिए फंड पर ब्याज की भी हानि होती है । आगे कंपनी ने रेल मंत्रालय के लिए टीडीएस के रूप में नोएडा में भूमि अधिग्रहण क लिए रु.0.57 करोड़ के भुगतान के लिए पी ए एन का प्रयोग किया है । चूंकि कंपनी भूमि के वास्तविक खरीदार नहीं होती है, कंपनी क पीएएन को गलत तरीके से प्रयोग किया गया था ।
5. अभी हाल ही में कंपनी ने कर्मचारियों को भुगतान किए जाने वाले भत्तों पर कर का भुगतान किया है । प्रबंधन ने निर्णय लिया है कि उक्त करों को संबंधित कर्मचारी से वसूल किया जाए । जो कंपनी को छोड़ चुके हैं उनसे रु.0.31 करोड़ की वसूली कर्मचारियों से की जानी है और हमारे विचार से ये वसूली संदिग्ध है ।
6. कंपनी ने इसी खर्च से दो बार संबंधित राशि की कटौती करके टीडीएस में रु.0.11 करोड़ जमा करा दिए हैं, एक समय में एक बार प्रावधान बनाया जाता है और पुनः पक्षकारों को वास्तविक भुगतान किया जाता है ।

7. (क) कंपनी ने स्थायी परिसंपत्तियों से प्राप्त ब्याज की आय की अपनी लेखा नीति में वर्गीकरण कर बदलाव किया है। यह पहले पूंजीगत कार्य में प्रगति विकास खाते में क्रेडिट किया जाता था। वर्ष के दौरान पूर्व वर्ष की राशि सहित रू. 72.72 करोड़ को आरक्षित और अधिशेष में स्थानान्तरित किया गया है।
- (ख) कंपनी ने अपनी मोबाइल उपकरण के लिए नीति में बदलाव किया है। यह पहले स्थायी परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत की जाती थी। वर्ष के दौरान कंपनी ने मोबाइल उपकरणों को पूंजीगत कार्य में प्रगति विकास खातों में प्रभारित किया है। परिणामस्वरूप विकास खर्चों में रू.0.21 (चालू वर्ष आंकड़ों सहित) की बढ़ोत्तरी हो गई है, कार्यालय उपकरण में सकल ब्लॉक और संचित मूल्यद्वारा में क्रमशः रू.0.63 करोड़ और 0.46 करोड़ की कमी हुई है।
8. नोट सं.11(3)की ओर आकर्षित किया जाता है जहां फ्लेट से संबंधित पट्टा करार की रू.1.60 करोड़ की राशि को अभी कंपनी के पक्ष में निष्पादित किया जाना है। यद्यपि कंपनी ने टाईअल करार के लंबित निष्पादन को पूंजीकृत किया है।

हमारे विचार में उपर्युक्त प्रमुख मामले के अंतर्गत वर्णित योग्य विचार नहीं है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

- जैसा कि कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट)आदेश 2003 की आवश्यकता अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की उपधारा 227 (4ए)के निबंधन में भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी किया गया है, हम उक्त आदेश के पैरा 4 और 5 में वर्णित मामलों में विवरण को अनुलग्नकों के साथ संलग्न करते हैं :
- अधिनियम की धारा 227(3)द्वारा अपेक्षित है, हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:
 - हमने सभी सूचनाएं ओर स्पष्टीकरण प्राप्त कर ली हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षण के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।
 - हमारे विचार में जहां तक पुस्तिकाओं के परीक्षण से स्पष्ट हुआ है, कंपनी द्वारा जैसा कि कानून अपेक्षित है, लेखों की सभी बहियां उचित ढंग से रखी गई हैं।
 - कंपनी का संतुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह को लेखा बहियों से पूरी तरह मेल खाता है।
 - योग्य विचार पैराग्राफ के आधार पर मामलों में वर्णित प्रभाव को छोड़कर, संतुलन पत्र, लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत सामान्य परिपत्र सं. 15/2013 दिनांक 13 सितंबर 2013 कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के संबंध में धारा 133 के तहत पढ़ा जाए, को अधिसूचित लेखा मानकों के अनुसार तैयार किया गया है।
 - कंपनी मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सी.एल.व./8/5/2001 सीएलवी दिनांक 21 अक्टूबर 2003 में कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 की उपधारा (1)के खंड(घ)के प्रावधान सरकारी कंपनी होने के कारण लागू नहीं होंगे।
 - चूंकि केन्द्र सरकार ने कोई अधिसूचना जारी नहीं की है इसलिए कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 441 के अंतर्गत न कोई उपकर का भुगतान किया जाना है और ना ही उक्त धारा के अंतर्गत कोई नियम जारी किया गया है, इस प्रकार उपकर का भुगतान किया जाना है, अभी कंपनी पर कोई उपकर बकाया नहीं है।

कृते बावेजा एंव कॉल
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन 005834 एन

सीए समवित्त के गुरतो
पार्टनर
सदस्यता सं. 090758

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20.06.2014

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध

(समसंख्यक तारीख को हमारी रिपोर्ट के पैरा 01 में यथा वर्णित)

- i. क) कंपनी ने सामान्य रूप से अपनी स्थायी परिसंपत्तियों की अवस्थिति और संख्यात्मक ब्योरों सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए समुचित अभिलेख अनुरक्षित किए हैं।
ख) प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान इन स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। हम सूचित करते हैं कि इस प्रकार के भौतिक सत्यापन नहीं करने के कारण यदि कोई वित्तीय रिकार्ड और भौतिक सत्यापन के बीच यदि कोई है, तो हम विसंगतियों पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
ग) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा स्थायी परिसंपत्तियों के किसी महत्वपूर्ण भाग का निपटान नहीं किया गया है।
- ii. खंड संख्या पद्ध (क)(ख)(ग)पैरा 4 कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि कंपनी के पास कोई इनवेन्ट्री नहीं है।
- iii. (क)और (ख)के अनुसार हमें सूचित किया गया है कि कंपनी एक्ट 1956 के सेक्शन 301 के अंतर्गत रजिस्ट्रर के अभिलेख के अनुसार अन्य पक्षकारों अथवा कंपनी द्वारा प्रतिभूति या अप्रतिभूमि ऋण न दिए हैं और न लिए गए हैं। इसलिए आदेश के पैराग्राफ 4 के खंड (पपप)(क)(ख)(ग)(घ)और (ड) लागू नहीं होते हैं।
- iv. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण और कंपनी के मानदंड के अनुसार और सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बिना अचल संपत्ति की खरीद के लिए अग्रिम का भुगतान और जमा राशि के निवेश करने के अतिरिक्त अचल संपत्ति की खरीद के लिए अपने व्यापार की प्रकृति आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियायें सामान्य रूप से पर्याप्त एवं अनुरूप हैं।
- v. (क)हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी एक्ट 1956 के सेक्शन 301 में वर्णित कोई भी संविदा अथवा व्यवस्थायें नहीं की गई हैं जिनकी उक्त सेक्शन के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्ट्रर में दर्ज किए जाने की जरूरत होती है अतः पैराग्राफ 4 के खंड अ(ख)लागू नहीं होते हैं।
- vi. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों और कंपनी एक्ट 1956 के संबंधित किसी प्रावधानों अथवा सेक्शन 58ए, 58एए और नियमों इसके अंतर्गत लागू नहीं होते हैं।
- vii. कंपनी की अपनी आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है जिसे चार्टर्ड एकाउन्टेंट की बाहरी फर्म द्वारा निष्पादित किया जाता है। हमारे विचार में व्यापार, प्रकृति और साइज की दृष्टि से आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली पर्याप्त नहीं हैं। कंपनी के परिचालन एवं प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आंतरिक लेखा परीक्षा को बंदाने की आवश्यकता है।
- viii. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 209(1)(घ)में प्रावधान जिसमें लागत रिकार्ड के अनुरक्षण की आवश्यकता होती है कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- ix. (क) कंपनी उपयुक्त प्राधिकारियों अविवादित सांविधिक बकायों जैसा भविष्यनिधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्रीकर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और उपकर सामान्यतया नियमित रूप से जमा कराती रही है। कंपनी के ऊपर 31 मार्च 2014 को बिलडिंग और अन्य निर्माण, कर्मचारी कल्याण उपकर की रु.4.53 करोड़ की भुगतान नहीं किए गए दायित्व बकाया है। इसमें विगत वर्ष के रु.3.08 करोड़ सम्मिलित हैं। कंपनी ने जमा राशि के लिए अग्रिम पर स्रोत की कटौती भी नहीं की है।

मूल्यांकन वर्ष	देय की प्रकृति	राशि	संबंधित अवधि जिससे संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	0.15	2009-2010	आयकर अपील प्राधिकरण
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	0.12	2011-12	आयकर आयुक्त (अपील)

- (ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, विवादित राशि आयकर की 31 मार्च 2014 के अवधि के लिए है जिसे 6 माह से अधिक का समय हो गया है। देय राशि निम्नानुसार है:
- x. कंपनी को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कोई संचित हानि नहीं हुई है और कंपनी के विकास स्तर पर होने के कारण वर्ष के दौरान और प्रारंभिक वर्ष में कंपनी को कोई नकद हानि नहीं हुई है।
 - xi. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी की ओर से किसी वित्तीय संस्थान या बैंक को कोई ऋण देय नहीं है।
 - xii. हमारी जांच के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने शेयरों, ऋण-पत्रों, और अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर जमानत के आधार पर कोई ऋण और अग्रिम प्रदान नहीं किए हैं।
 - xiii. पचिट फंड, निधि, परस्पर हित लाभ फंड या सोसाइटी नहीं हैं। इसलिए पैराग्राफ 4 के खंड (गपपप) पर लागू प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
 - xiv. कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, ऋणपत्रों और अन्य निवेशों की खरीद फरोख्त में संलिप्त नहीं है। इसलिए पैराग्राफ 4 के खंड पर लागू प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
 - xv. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं दी है।
 - xvi. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने रेल मंत्रालय से कोई अवधि ऋण प्राप्त किया है और इसे जिस उद्देश्य के लिए लिया गया है उसी में उपयोग किया जा रहा है।
 - xvii. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई अल्पकालीन राशि नहीं जुटाई है।
 - xviii. कंपनी अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में दर्ज पक्षकारों और कंपनियों को कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई अधिमानतः शेयर आबंटित नहीं किए गए हैं।
 - xix. कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई ऋण पत्र जारी नहीं किए हैं। इसलिए पैराग्राफ 4 के खंड (गपपग) पर लागू प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
 - xx. कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई है।
 - xxi. हमें सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई जालसाजी नहीं की गई है इसलिए हम इसे प्राप्त करने में असमर्थ रहें हैं। इसी तरह कंपनी द्वारा कोई जालसाजी को ध्यान में नहीं लाया गया है इसलिए हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं (समसंख्यक तारीख की योग्य विचार के आधार पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को देखें)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20.06.2014



ह/-
कृते बावेजा एंव कॉल
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन 005834एन

सीए समवित के गुरुद्वारा
सदस्यता सं. 090758



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

we make the vision into reality...





डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

A Govt. of India Under taking
Under Ministry of Railways

Regd. Office & Corp. Office:

5th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building Complex, New Delhi - 110001

Phone: 91-11-23454700 Telefax : 91-11-23454701

Website: www.dfccil.org CIN-U 60232DL2006 GOI155068